(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 10] पंचम् विधान सभा के दशम् सत्र का 15वां दिवस [संख्या 8

सोमवार,

19 जनवरी, 1976

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(शिक्षा, नगर-नियोजन, आयुर्वेद, श्रम, अकाल सहायता, सहकारिता, गृह, यातायात, स्वास्थ्य, स्वायत्त-शासन, पंचायत, उद्योग एवं विकास-विभाग)

आदर्श विद्या मन्दिर, जयपुर के भूतपूर्व अध्यापकों का चयन

162. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या आदर्श विद्या मन्दिर, जयपुर के भूतपूर्व अध्यापकों में से किन्हीं को राजकीय सेवाओं में लिया गया है ? यदि हां, तो ऐसे अध्यापकों की सूची उनके पोस्टिंग के स्थान दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त अध्यापकों का चयन एक विभागीय स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा किया गया था ? यदि हां, तो उक्त स्क्रीनिंग कमेटी में कौन कौन लोग थे और स्क्रीनिंग का आधार क्या रखा गया था ?

(3) क्या यह सही है कि इस स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा चयनित श्री सच्चिदानन्द मिश्रा तथा श्री नानगराम अध्यापकों को पुलिस ने आन्दोलन में भाग लेने के कारण गिरफ्तार किया है ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त चयनित अध्यापकों में से श्री राधेश्याम गोयल को अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है ? क्या यह भी सही है कि इन्हीं श्री राधेश्याम गोयल के ज्ञापन पर ही राज्य सरकार ने उक्त स्कूल की श्रीमती प्रो० जोशी से जांच कराई थी ?

(5) क्या यह सही है कि श्री मेघराज माटिया और श्री विश्वनाथ शर्मा को स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा चयन नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(6) क्या यह सही है कि कुछ विक्टीमाइज्ड अध्यापकों, जिन्हें आदर्श विद्या मन्दिर की मैनेजिंग कमेटी ने अनुचितरूप से निकाल दिया था, ने भी अपनी नियुक्ति के बारे में शिक्षा विभाग को प्रार्थना-पत्र दिये थे ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने क्या किया ?

(2)

राज्यमंत्री, शिक्षा (श्री फारूक हसन): (1) आदर्श विद्या मन्दिर के भूतपूर्व अध्यापकों में से 19 अध्यापकों को राज्य सेवा में लिया गया है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। इस कमेटी में निम्नलिखित व्यक्ति थे:—

1. संयुक्त निदेशक, शिक्षा विभाग, अजमेर वृत्त, जयपुर।

2. संयुक्त निदेशक, महिला शिक्षा, जयपुर।

3. जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर प्रथम।

4. प्रशासक, मॉडल उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजा पार्क, जयपुर।

जो अध्यापक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा विभाग द्वारा निर्धारित योग्यता रखते थे, प्रशिक्षित थे तथा जिनका रेकार्ड सन्तोषजनक था उन्हें चयनित किया गया।

(3) जी हां।

(4) जी हां। इनकी नियुक्ति के आदेश निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर शीघ्र ही निकाल रहे हैं। श्री राधेश्याम गोयल ने मंत्री कर्मचारी संघर्ष समिति की हैसियत से ज्ञापन दिया था। ऐसी अन्य शिकायतें प्राप्त होने पर राज्य सरकार ने अनियमितताओं की जांच कराई थी।

(5) जी हां। अनट्रेन्ड होने के कारण।

(6) राज्य सरकार की जानकारी में नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री रामानन्द अग्रवाल: प्रश्न संख्या 3 के बारे में मंत्री महादय ने 'जी हां' कहा है। इनको गिरफ्तार किया गया है तो इनके गिरफ्तार होने के बाद आपकी ओर से इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

श्री फारूक हसन: इनकी सर्विस टर्मीनेट कर दी गई है।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर): प्रश्न संख्या 2 में आपने कहा है कि स्क्रीनिंग कमेटी बनी और उसने यह किया है। इसमें एक शिवचरण भी था जिसके खिलाफ दो हजार रुपयों के गबन का केस था। इसकी रिपोर्ट होगई थी, उसका भी चयन कर लिया गया, क्यों?

श्री फारूक हसन: इसका कोई स्पेसिफिक सवाल नहीं था इसलिए मालूमात नहीं कर सके।

श्री श्रीराम गोटेवाला: 19 व्यक्तियों की आपने जो लिस्ट दी है उसमें शिवचरण का नाम है। उसके खिलाफ दो हजार के गबन की रिपोर्ट हुई है।

श्री फारूक हसन: इसमें शिवचरण का नाम लिखा हुआ है। इसके सिलसिले में कोई ऐलीगेशन स्पेसिफिक स्क्रीनिंग कमेटी के सामने नहीं था।

श्री रामानन्द अग्रवाल: क्या यह सही है कि जिन लोगों को आपने गिरफ्तार करने के बाद सर्विस से हटाया है, तो कौनसी तारीख को हटाया है?

श्री फारूक हसन: ज्योंही इसकी इनफार्मेशन मिली कि ये लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनको 17 तारीख को हटा दिया गया?

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): कौन-सी 17 तारीख, किस महीने की ?

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : जनवरी या दिसम्बर, प्रश्न प्राप्त होने के बाद या उससे पहले ?

श्री फारूक हसन : इन्फार्मेशन मिली 17 जनवरी को और 17 जनवरी को ही इन लोगों को हटा दिया गया ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि नानगराम 14-11-75 को और सत्यनारायण मिश्रा यह 20-12-75 को गिरफ्तार हुए ?

श्री फारूक हसन : कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है परन्तु ज्योंही इसकी इन्फार्मेशन मिली कि इन लोगों ने इस तरह से गिरफ्तारियां दी हैं, गिरफ्तार हुए हैं,....

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह सूचना कहां से मिली ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : जिस नानगराम की सर्विस टर्मीनेट की गई वह कौनसी स्कूल में तैनात था ?

श्री फारूक हसन : यह उसकी सूची में है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि वह जिस स्कूल से टर्मीनेट किया गया, और यह जो 19 व्यक्ति स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा सिलेक्ट किये गये, उसमें भी यह इसके बिनो पर उस स्कूल में तैनात किया गया था, वहां से आपने टर्मीनेट कर दिया, लेकिन आज भी वह एक दूसरे स्कूल में रेगुलर रूप से सर्विस कर रहा है ?

श्री फारूक हसन : जो प्रश्न पूछा गया है उसमें यह प्रश्न नहीं है इसलिए अभी यह नहीं कहा जा सकता है कि यह दूसरे किसी स्कूल में सर्विस कर रहा है या नहीं । फिर भी इसकी जानकारी कर ली जायेगी ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : 14-11-75 को यह गिरफ्तार हुआ तो क्या उस स्कूल को यह जानकारी नहीं है ?

श्री फारूक हसन : वह गवर्नमेंट स्कूल में नहीं है ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के नेता महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । आदर्श विद्या मन्दिर में आर. एस. एस. से सम्बन्धित शिक्षक थे और इसमें से एक शिक्षक ने दो हजार का गबन किया था, यह चार्जेज उस पर थे, वह आर. एस. एस. का वालन्टियर रहा है........

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न पूछें ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : प्रश्न ही कर रहा हूं । जिस प्रकार से इन लोगों ने 14-11-75 को गिरफ्तारियां दीं और उसके बाद, इनके गिरफ्तार होने के बाद 17-1-76 को इनको सस्पेन्ड किया गया, उसकी ओर मैं सदन के नेता महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि किस प्रकार की कार्यवाही करके आर. एस. एस. के लोगों को तरजीह दी जा रही है, उनका सिलेक्शन किया गया । इसलिए जिन लोगों ने इनका सिलेक्शन किया उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का सदन के नेता महोदय को सदन को आश्वस्त करना चाहिए ।

Page No 4

(५)

श्री प्रद्युम्नसिंह : एक प्रश्न और करना चाहता हूं....

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि एक पत्र 20-8-75 को मुख्य मन्त्री के नाम इन लोगों, जो गिरफ्तार हुए हैं मानगराम शर्मा, सच्चिदानन्द मिश्रा के बारे में मेरी ओर से लिखा गया था ? मैं समझता हूं कि वह पत्र आपके पास या आपके विभाग को भेजा गया है। उस पर आप लोगों ने क्या कार्यवाही की ? 20-8-75 को वह भेजा गया था जब कि स्क्रीनिंग कमेटी ने 1-11-75 को इनको सिलेक्ट किया। आप कहते हैं कि जानकारी नहीं थी। मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्री ने आपके डिपार्टमेंट को यह पत्र भेजा है। इसकी जानकारी के बाद आपने यह सिलेक्शन क्यों किया ?

श्री फारूक हसन : जो पत्र आपने भेजा था उस पत्र के सिलसिले में इन्क्वायरी निश्चित रूप से कराई गई होगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : करायी होगी, यह क्या है। निश्चित उत्तर दीजिये।

श्री फारूक हसन : जिस पत्र का जिक्र किया गया है तो उस पर बाकायदा इन्क्वायरी कराई गयी होगी। उसके क्या रिजल्ट आये बहरहाल वह यहां पर नहीं है। परंतु फिर भी मैं यह कह सकता हूं कि जो पत्र आपका आया है उस पर इन्क्वायरी करायी गई है परन्तु उसका रिजल्ट स्क्रीनिंग कमेटी के सामने नहीं था इसलिए स्क्रीनिंग कमेटी ने निश्चितरूप से इसको मद्देनजर रखते हुए यह सिलेक्शन नहीं किया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : 16 सितम्बर को मुख्य मंत्री, शिक्षा मंत्री को पत्र लिख रहे हैं, इस बारे में पूरी जांच होगी। सितम्बर का यह पत्र है और नवम्बर में इनका स्क्रीनिंग हुआ। तो क्या इन दिनों तक स्क्रीनिंग कम्प्लीट नहीं हुई ? कृपया यह बतायें कि स्क्रीनिंग होने से पहले इस पत्र पर इन्क्वायरी हुई थी या शुरू हो गई थी ?

श्री फारूक हसन : स्क्रीनिंग कमेटी के के सामने इस पत्र का, इस किस्म का कोई रिजल्ट चूंकि नहीं था इसलिए इन दोनों आदमियों का चयन होगया। इसके बाद ज्योंही जानकारी हुई कि इनकी इस प्रकार की गतिविधियां हैं इनकी सर्विस को टर्मीनेट कर दिया गया। इसीलिए इनसे बॉण्ड भी भरवाया गया था और इनको कान्ट्रेक्ट बेसिस पर रखा गया था। चूंकि इन्होंने ब्रीच ऑफ कान्ट्रेक्ट किया, हमने तुरन्त इनकी सर्विस टर्मीनेट कर दी।

श्री प्रद्युम्नसिंह : एक सवाल पूछना चाहता हूं। महत्वपूर्ण सवाल है। इनके विभाग को इनके अरेस्ट होने की सूचना किस तारीख को हुई और इनके विभाग को इस प्रश्न के पूछने के पूर्व कोई जानकारी थी या नहीं ? क्या यह सही है कि इस पत्र के पहुंचने के पूर्व आपके पास कोई जानकारी नहीं थी कि ये आन्दोलन के सिलसिले में गिरफ्तार हुए हैं ? और आपने इनको सस्पेन्ड भी यह प्रश्न प्राप्त होने के बाद किया है, यह सही है ?

श्री फारूक हसन : गिरफ्तार होने की सूचना 17-1-76 को मिली और उसी दिन इनकी सर्विस टर्मीनेट कर दी गई।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह जानना चाहूंगा कि 14-11-75 को जो

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

नानगराम गिरफ्तार हुआ है उसको किस बिना पर छोड़ा गया है ? वह इतने दिन गैरहाजिर रहा तो स्कूल को जानकारी होगी कि वह इतने दिन गैरहाजिर क्यों रहा ? गैरहाजिर रहा तो स्कूल को मालूम होना चाहिए। पुलिस के हस्तक्षेप से मैं यह कहना चाहूंगा कि इनको अनुचिततौर से छोड़ा गया है। यह जानकारी आपके स्कूल के अन्दर मौजूद है कि ये इतने दिन तक गिरफ्तार रहे।

श्री प्रद्युम्नसिंह : क्या यह सही है माननीय मंत्री महोदय, कि आपके शिक्षा विभाग में आर० एस० एस० का शिक्षण होता है और आर० एस० एस० का वह अड्डा है, जिसको आप रोकने में असमर्थ हैं ? तमाम आदमी खुले हाल में विभाग के अन्दर आर० एस० एस० के लोगों का सलेक्शन कर रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि यह सवालात का जो जवाब तैयार किया गया है वह ललित किशोर, ओ०एस० डी०, शिक्षा विभाग ने किया है जो आर० एस० एस० के कर्मचारी रह चुके हैं और कोटा से आये हैं ? इसका जवाब उन्होंने दिया है और वह यहां पर बैठे हुए हैं। यह कार्यकर्त्ता आर० एस० एस० के रहे हैं और कोटा से आये हैं। सारी जानकारी उन्होंने आपको दी है और वह बैठे हुए हैं यहां पर ?

श्री मोहनराज (बाली) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी इन अध्यापकों, जिनका चयन आपकी स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा किया गया है, के खिलाफ में यह आरोप लगाया गया है और बहुत पहले से यह आरोप है कि 2 हजार रुपयों का गबन उन्होंने किया है तब सप्लीमेंट्री के जवाब में अभी आपने फरमाया था कि स्क्रीनिंग करते वक्त यह दो हजार रुपये के गबन का एलिगेशन स्क्रीनिंग कमेटी के सामने नहीं था। स्क्रीनिंग कमेटी के सामने इतने महत्वपूर्ण गबन का मामला नहीं लाया गया, यह किसकी जवाबदारी है ? इसके लिए किसको दोषी बनाते हैं ?

दूसरा मसला यह है कि जो स्क्रीनिंग कमेटी इस समय सर्विसेज का स्क्रीनिंग कर रही है, क्या उसके सामने इस तरह के महत्वपूर्ण मामले गबन के मुकद्दमे, पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने के मामले भी समय पर पेश नहीं किये जाते हैं ? उसका नतीजा कितना भयंकर हुआ है ? माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर विराजे हुए हैं वह सारे स्क्रीनिंग वगैरह के मामले हैं उनमें जिनके द्वारा इस तरह के कागजात रखे जाते हैं या जिनके द्वारा इस तरह के मामलों की रिपोर्ट रखी जाती है उन्होंने उनके सामने ठीक समय पर पेश नहीं किये, जिससे दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने में विलम्ब हुआ है। उनके बारे में क्या नीति बनाना चाहते हैं ? इसके बारे में स्पष्टीकरण दें।

मुख्यमंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का नहीं है, बल्कि विद्या मंदिर का है जो कि एक प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन है जिसको कि गवर्नमेंट ने समाप्त करके और नये सिरे से स्कूल खोला है, उसके बारे में है। यह प्रश्न उन टीचर्स के बारे में है जो कि विद्या मंदिर में काम करते थे, प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन में, और जब सवाल यह हुआ कि ह्यूमेनिटेरियन ग्राउन्ड्स पर इनको सर्विस में रिटेन किया जाना चाहिए, लिया जाना चाहिए तो गवर्नमेंट ने स्पष्ट

(श्री हरिदेव जोशी)

रूप से ना कर दिया कि हम इनको नहीं लेंगे, तब यह सवाल पैदा हुआ कि इनको एडहॉक बेसिस पर ट्राई कर लिया जाय। मगर ठीक है तो कान्ट्रैक्ट सर्विस पर रख लिया जाय। कान्ट्रैक्ट सर्विस पर सबको नहीं रखकर एक कमेटी बनाई थी स्क्रीनिंग करने के लिए कि स्क्रीन करके लिया जाय। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की हैसियत में गबन हुआ होता तो सारी फाइल उनके सामने आतीं। क्योंकि प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन का मामला था तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के सामने वह मामला रखने वाला नहीं था। दूसरे लोगों ने अलबत्ता कई शिकायतें और कई चीजें उसके सामने रखीं थीं, मगर उसमें यह चीज नहीं थी इसलिए उस पर विचार नहीं किया जा सका। फिर भी मुझे ऐसा लगता है तो जो माननीय सदस्य ने चिट्ठी लिखी तो उसको मैंने एज्यूकेशन डिपार्टमेंट को भेज दिया। या तो टाइम की कमी रही है अथवा जितना वजन दिया जाना चाहिए था उतना वजन नहीं दिया गया तो यह भी कह सकता हूं कि कोई गलती हुई हो तो उसको देखा जाना चाहिए, उसकी जांच की जानी चाहिए। मैं इसकी एन्क्वायरी करवा लूंगा कि इस सबमें क्या हुआ ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय मुख्य मंत्री जी····

श्री उपाध्यक्ष : This is quite ordinary...

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्रश्न संख्या 4 में आपने माना है कि राधेश्याम गोयल ने शिकायत की थी और उसकी बिना पर एन्क्वायरी की थी तो यही शख्स ऐसा है जिसको आपने एपॉइन्ट नहीं किया है।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने कहा कि देख लेंगे और एन्क्वायरी करायेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नानगराम गिरफ्तार हुआ उस स्कूल में उसका चयन होकर एपाइन्टमेन्ट हुआ था उसमें आज तक गैर-हाजिर है और ललित किशोर को इसकी जानकारी जरूर है। उसको दूसरे स्कूल में एपॉइन्टमेंट दे दिया। It is in the knowledge of the Department आप इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं और इन सब चीजों को देखेंगे और इसका फैसला करेंगे।

एक माननीय सदस्य : क्या राजस्थान में और भी स्कूल हैं ?

श्री उपाध्यक्ष: I have proceeded further. Next question.

हाउसिंग बोर्ड की वैशाली नगर स्कीम, अजमेर के मकानों को क्षति

163. **श्री माणकचन्द सोगानी** (अजमेर पूर्व) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि हाउसिंग बोर्ड की वैशाली नगर स्कीम, अजमेर में अधिक वर्षा के कारण मकानों को काफी नुकसान पहुंचा है ? यदि हां, तो वहां के पीड़ित व्यक्तियों को क्या राहत दी जायेगी ?

(2) क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों ने स्कीम के अन्तर्गत रकम जमा कराई है वे

Page No 7

(7)

(श्री माणकचन्द सोगानी)

अपनी रकम वापिस लेना चाहते हैं ? यदि हां, तो उसके लिए क्या प्रबन्ध किया जा रहा है ?

(3) क्या कोई व्यक्ति हाउसिंग बोर्ड को मकान की पूरी राशि देकर किसी अन्य व्यक्ति को मकान बेचना चाहे तो नियमों में इसका प्रावधान है ? यदि नहीं, तो क्या इसका प्रावधान कर दिया जावेगा ?

नगर आयोजना मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) जी नहीं, भारी वर्षा के बावजूद भी वैशाली नगर में हाउसिंग बोर्ड द्वारा निर्मित मकानों में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है।

(2) पंजीकृत व्यक्ति यदि आवंटन पत्र प्रकाशित होने के पहले पंजीकरण की राशि वापिस लेना चाहते हैं तो उन्हें पंजीकरण राशि मय ब्याज के लौटा दी जाती है। आवंटन-पत्र प्रसारित होने के बाद 20 प्रतिशत कटौती कर पंजीकरण राशि लौटाई जाती है।

(3) जो व्यक्ति पूरी राशि देकर मकान खरीदते हैं वो 7 वर्ष तक मकान को किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बेच सकते। ऐसा प्रावधान करने की अभी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

श्री माणकचन्द सोगानी : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना है कि अजमेर की वैशाली नगर स्कीम में करोड़ों का नुकसान हुआ है, परन्तु मंत्री महोदय फरमाते हैं कि नुकसान नहीं हुआ है तो वह तो इससे ही मालूम होता है कि वह मकान खाली पड़े हुए हैं और आज तक मकानों के अन्दर पानी भरा हुआ है और लोग जा नहीं सकते। इसलिए मेरा निवेदन करना है कि आपके पास जो उतर आया है, वह गलत है।

दूसरा, मेरा यह निवेदन करना है कि मकानों की जो अपनी रकम वापस लेना चाहते हैं क्योंकि उनका गुजारा नहीं है और वह वहां पर जा नहीं सकते फिर 20 प्रतिशत कटौती वाले मामले को माफ करना चाहिए। जब कोई आदमी स्कीम में हायर परचेज पर मकान खरीदता है तो वह वीक स्थिति में होता है और वह कर्जा लेकर जमा कराता है उस आदमी के साथ में कई प्रकार से सहानुभूति रखने के बावजूद भी 20 प्रतिशत की कटौती करना मेरे ख्याल से अनुचित है।

इसके अलावा जो 7 साल का प्रावधान रखा है परन्तु जहां स्थिति बदल जाती है तो वहां पर 7 साल को कायम रखना उचित नहीं है। क्या गवर्नमेंट इस बात पर गौर करेगी ? वहां पर मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उन लोगों को और जगह हाउसिंग बोर्ड के बने हुए मकान क्यों न दिये जायं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूरक प्रश्न उठाये हैं तो जहां तक उनका यह मानना है कि 20 प्रतिशत की कटौती नहीं की जाय, मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं होगा और फिर इस तरीके से करने से इस बात की कोई अच्छी परम्परा कायम नहीं होगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह तो नार्मल कोर्स में करते हैं 20 पर्सेन्ट। यहां तो स्पेशल केस है।

श्री रामनारायण चौधरी : जो राशि की वापसी की मांग करते हैं तो आवंटन होने के पहले पूरी राशि मय ब्याज के वह ले सकते हैं लेकिन आवंटन के बाद में 20 पर्सेन्ट काटकर राशि उसको वापिस मिल सकेगी। मैं समझता हूं इसमें कमी करने की आवश्यकता नहीं है।

जहां तक जिन लोगों के मकान वैशाली नगर स्कीम में क्षतिग्रस्त हुए हैं उन लोगों के मामले में सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, क्षतिग्रस्त मकानों में पानी भरा हुआ है उनको कन्सीडर करना चाहिए। उनको स्पेशल केस के तौर पर कन्सीडर करने में क्या दिक्कत है? नार्मल केस में 20 पर्सेंट कटौती करें वह बात तो ठीक है, लेकिन यहां के अन्दर तो सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए।

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : माननीय मंत्रीजी इस प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और डिनोवो सोचेंगे। यह सही बात है कि बरसात लगातार होने के कारण पानी मकानों में भर गया है और जहां पर यह मालूम होता है कि मकान क्षतिग्रस्त हो गये हैं इसलिए वह आदमी छोड़ता है तो उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके डिनोवो फैसला करेंगे।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम): जिनका नुकसान हुआ है उनको कम्पेन्सेशन मिलेगा, क्या राज्य सरकार इस बात के लिए तैयार नहीं है?

श्री रामनारायण चौधरी : तकनीकी राय से यह स्कीम बनाई गई है।

श्री किशन मोटवानी : तकनीकी राय के विपरीत बनाई गई है और व्यक्ति विशेष ने अपना नाम करने के लिए इस स्कीम को लागू करना चाहा है। राज्य सरकार क्या इस स्कीम की एन्क्वायरी कराने को तैयार है?

श्री हरिदेव जोशी : यह ठीक नहीं है कि वैशाली नाम का आदमी कोई था और उसने अपना नाम कराने के लिए यह कार्यवाही की है।

श्री किशन मोटवानी : वैशाली नाम का तो आदमी नहीं लेकिन इसके पीछे एक व्यक्तित्व था और जिसने इस नाम को लागू करने का प्रयास किया यह रेकार्ड पर है तो मैं निवेदन करूंगा कि करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है....

श्री हरिदेव जोशी : जहां तक इसका सवाल है कि इस प्रकार की चीज नहीं होनी चाहिए यह सही है, और इसलिए हम यह देखेंगे कि आयन्दा इस प्रकार गलती न हो।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री किशन मोटवानी : इसमें करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है यू० आई० टी० का। आज एक व्यक्ति विशेष के कारण करोड़ों रुपयों का नुकसान हो इसके लिए आप क्या विचार करते हैं?

प्रश्न संख्या 164

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट! श्री हाजी जान मोहम्मद।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्री केशरीमल।

राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ब्यावर में विज्ञान की कक्षाएं

165. श्री केशरीमल (ब्यावर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ब्यावर में विज्ञान की कक्षायें खोलने का निर्णय कब लिया गया ? क्या ये कक्षाएं खोल दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) इन कक्षाओं के लिए कितने स्टाफ की आवश्यकता थी तथा कितना स्टाफ कब भेजा गया ?

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री फारूक हसन): (1) राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, ब्यावर में विज्ञान की कक्षाएं खोलने का निर्णय गत वर्ष लिया गया था, और तदनुसार वहां सत्र 1974-75 से ही वे कक्षाएं चालू कर दी गई हैं।

(2) इन कक्षाओं के लिए विभागीय मापदण्ड के अनुसार एक द्वितीय श्रृंखला का अध्यापक एवं एक प्रयोगशाला सेवक के पद की आवश्यकता थी जो आवंटित कर दिये गये हैं तथा जिन पर नियुक्ति भी कर दी गई है।

श्री केशरीमल : कब लगा दिया गया है ?

श्री उपाध्यक्ष : तारीखें तो बतला दी गई हैं शुरू में ही।

श्री फारूक हसन : 31-12-75 को चार्ज लिया है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री भुवनेश चतुर्वेदी।

औद्योगिक संस्थानों के प्रबन्ध में मजदूरों का प्रतिनिधित्व

166. श्री भुवनेश चतुर्वेदी (कोटा): क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान में औद्योगिक संस्थानों के प्रबन्ध में मजदूरों को प्रतिनिधित्व दिये जाने के सम्बन्ध में क्या योजना है ?

(2) राजस्थान में किन किन संस्थानों ने इस योजना को क्रियान्वित किया है ? कृपया उनके नाम की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) राजस्थान में किन-किन संस्थानों ने इस योजना को क्रियान्वित नहीं किया है और राज्य सरकार इसके लिये क्या नीति अपना रही है ?

राज्य मंत्री श्रम (श्रीमती कमला): (1) राज्य सरकार ने 500 तथा 500 से अधिक श्रमिक वाले संस्थानों में संयुक्त व्यवस्था परिषद् बनाये जाने के बारे में एक कानूनी अधिनियम का प्रारूप तैयार किया था, इस पर भारत सरकार की अब स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है तथा शीघ्र ही इसे कानूनी रूप दिया जा सकेगा। योजना के अनुसार परिषद् को, आपसी परामर्श, आवश्यक उद्योगों के सम्बन्ध में सूचना एवं सामग्री प्राप्त करने का अधिकार तथा अमुक विषयों पर स्वतन्त्र रूप से प्रशासन का अवसर दिया जायेगा। यह योजना पूर्व में भी प्रचलित थी परन्तु कानूनी अभाव के कारण इसमें कानूनी प्रगति नहीं हुई थी।

(श्रीमती कमला)

(2) राजस्थान में उक्त योजना इस समय केवल राजस्थान विद्युत् मन्डल में ही चल रही है।

(3) चूंकि योजना अभी तक स्वतः लागू करने पर निर्भर थी, अतएव जहां इसे लागू नहीं किया गया अथवा जहां लागू कर बन्द कर दिया गया, इस बारे में कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकी, इस कारण से राज्य सरकार ने योजना को कानूनी रूप देने का निश्चय किया है और इस सम्बन्ध में अधिनियम का प्रारूप तैयार हो चुका है।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय श्रम मन्त्री महोदय से यह पूछना है कि यह योजना बीस सूत्री कार्यक्रम का एक प्रमुख अंग है और इस प्रारूप को राज्य सरकार कानूनी रूप देने को तैयार है तो कोई स्पेसिफिक डेट फर्मा दें।

श्रम मंत्री (श्री मोहनलाल छंगाणी) : उपाध्यक्ष महोदय, बीस सूत्री कार्यक्रम में हमको दो कार्यवाही करनी है, एक तो मैनेजमेन्ट में जोइन्ट कौंसिल की स्थापना करना और शॉप हाउसेज के सम्बन्ध में। यह सारा का सारा मामला नेशनल अपेक्स बॉडी में गया हुआ है और वहां से निर्णय नहीं हो जाय तब तक हम कोई कार्यवाही करने को तैयार नहीं थे। अब वहां पर यह निर्णय हो गया है कि शोप हाउसेज बनाये जायं और मैनेजमेन्ट में जहां तक भेजने का सवाल है उसको अभी वालेन्टरी रूप दिया गया है। हालांकि गत सत्र में माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने घोषणा की थी कि 500 या 500 से अधिक मजदूरों वाले यूनिट्स में जोइन्ट कौंसिल की स्थापना की जायगी और इसके लिए इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में अमेन्डमेन्ट भी किया जायगा। इसका प्रारूप भारत सरकार को भेजा गया था और अब उसकी मन्जूरी आ गई है और चूंकि यहां पर स्टेट की अपेक्स बॉडी बनी हुई है, कुछ माननीय सदस्यों ने यह राय दी थी, इसलिए इस पर यहां पर पहले चर्चा कर ली जाय और फिर इसको क्रियान्वित किया जाय। और अब इसको लास्ट मीटिंग में रखा जायगा और शीघ्र ही विचार करके इसको क्रियान्वित करेंगे। तो उपाध्यक्ष महोदय, बात यह है कि कई जगह पर जोइन्ट कौंसिल बनी हुई थी, जो नहीं चल सकी उसके कई कारण हैं, उसका एक कारण ऐतिहासिक भी है, लेकिन अब इसको कानूनी रूप दे दिया गया है और इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में भी अमेन्डमेन्ट हो चुका है और शॉप स्टाफ कमेटी में जहां तक अमेन्डमेन्ट का सवाल है इसमें जल्दी हम अमेन्डमेन्ट करेंगे।

दूसरा प्रश्न है कि किस यूनियन को रिकग्नीशन दिया जाय और वर्क्स और प्रोडक्शन को मान्यता दी जाय, यह सब अपेक्स बॉडी में विचार करके तय किया जायेगा।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : माननीय मंत्रीजी अगर इससे सहमत हैं तो इसको राज्य सरकार के कारखानों में लागू क्यों नहीं करते ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : हम इसको तुरन्त ही लागू करेंगे, स्पेसिफिक डेट तो

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

नहीं दे सकते हैं, केवल राज्य सरकार के कारखानों में ही नहीं बल्कि रोडवेज और कोआपरेटिव मिल्स वगैरह सभी जगह इसको लागू करेंगे।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : फिर आप इसको कब लागू करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली असेम्बली में भी घोषणा की थी।

श्री मोहनलाल छंगाणी : उसके बाद इमर्जेन्सी लागू हो गई और कई घटनाएं हो गई हैं। हम इसको इम्प्लीमेंट करने के लिये तैयार रहे हैं और सारा का सारा प्रोसीजर गुजर गया है और अब हम इसको तुरन्त ही इम्प्लीमेंट करेंगे।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप कम से कम यह तो बता दीजिये कि श्रमिकों को प्रतिनिधित्व देने के लिये क्या प्रक्रिया अपनाने जा रहे हैं, मनोनयन के द्वारा या चुनाव के द्वारा? इस पर मन्त्री महोदय प्रकाश डालने की कृपा करें।

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, चुनाव के जरिये या मनोनयन के द्वारा, ये जो रिकग्नाइज्ड यूनियन्स हैं उनके प्रबन्धक मिलकर इसको इम्प्लीमेंट करें। इलेक्शन के जरिये गुजरात में हुआ था जिसके परिणाम भयंकर निकले हैं और इलेक्शन के प्रोसीजर को बिगड़ा करने की वहां पर कोशिश की जा रही है।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : क्या आप इसमें गुजरात गवर्नमेंट को फालो करेंगे?

श्री मोहनलाल छंगाणी : इलेक्शन के जरिये स्टेट यूनियन राइवलरी को प्रोत्साहन मिलेगा, इसलिए यूनियन को कम लिया जायगा। फॉलो करने का सवाल नहीं है।

श्री केशरीमल : आप रिकग्नाइज्ड यूनियन किसको मानते हैं? किसी एक बहुमत को आप रिकग्नाइज्ड नहीं मानते हैं, रोडवेज में है और जैसे आर. एस. ई. बी. में प्रतिनिधित्व दे दिया उनको आप रिकग्नाइज्ड नहीं कहते हैं, यह आपका भेदभरा काम है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, आर. एस. आर. टी. सी. में कोई रिकग्नाइज्ड यूनियन नहीं है जिसके पास मेजोरिटी होगी उसको रिकग्नाइज्ड माना जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या श्रम विभाग इलेक्शन के प्रिन्सिपल को निकालना चाहता है और यह मानता है कि इलेक्शन सिस्टम सही नहीं है जब कि पार्लियामेंट और पंचायतों और म्युनिसिपलिटीज सभी जगह चुनाव होता है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : उसके परिणाम भी आप देख रहे हैं। मेरा ख्याल है कि एटक भी पूरी तरह से सहमत नहीं है कि इलेक्शन को मौका दिया जाय और मनोनयन हो।

मुख्य मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : इस विषय में अन्तिम निर्णय लिया जा रहा है और विचार-विमर्श चल रहा है, रिकग्नाइज्ड यूनियन को प्रतिनिधित्व देने का अथवा इलेक्शन का। इसलिए अभी कुछ भी कहना प्रीमेच्योर होगा।

Page No 12

(12)

श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर) : क्या आप इलेक्शन से दूर हटना चाहते हैं?

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) : क्या इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों को भी प्रतिनिधित्व दिया जायगा ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : अभी मजदूरों में वर्गभेद शुरू नहीं हुआ है इसलिए ऐसा करना उचित भी नहीं है और श्री सन्धु का प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं है इसलिए मैं इसका उत्तर देना नहीं चाहता हूं।

राहत कार्य में लगे मजदूरों की मजदूरी

167. **श्री दीपंकर** (लाडनूं) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1974 के अकाल में राहत पहुंचाने के जो कार्य खोले गये थे वे देरी से खोले जाने के कारण अधूरे रहे और स्वीकृत कार्य समय पर पूरे नहीं हुए तथा लोग राहत से भी वंचित रहे ? अगर हां, तो राहत कार्य देरी से खोले जाने का क्या कारण है ?

(2) क्या यह सही है कि राहत कार्य में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी आज भी बकाया है ? यदि हां, तो उसे दिलवाने की सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

राज्य मन्त्री, अकाल सहायता (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) जी नहीं।

(2) जी हां। भुगतान की शीघ्र व्यवस्था की जा रही है।

श्री दीपंकर : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने 'जी हां, जी नहीं'—बहुत थोड़े में ही जवाब दे दिया है। पहला प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है····

श्री उपाध्यक्ष : आप भी संक्षेप में पूछें जैसे मंत्रीजी ने संक्षेप में जवाब दिया है।

श्री दीपंकर : मंत्री महोदय संक्षिप्त हो गये इसलिए मैं विस्तृत करना चाहता हूं, इसलिए हरएक बात विस्तृत अर्ज करनी पड़ेगी।

हमारे यहां राहत कार्य खोले गये वह देरी से खोले गये। जितने महत्वपूर्ण काम थे, वे खोले गये। अब वे अधूरे पड़े हैं और पूरे नहीं बन पाये हैं क्योंकि बीच में ही अवधि समाप्त हो गई। इसलिए जी नहीं का प्रश्न नहीं है। आर्थिक कमजोरी आरही है फिर भी इन्हें पूरा करवा दें। एक यह निवेदन है, क्या यह सरकार की मन्शा है ?

दूसरा प्रश्न यह है कि जो मजदूरी बकाया है उसके लिए जब भी सत्र आता है, हम सवाल पूछते हैं और आप यह मानते हैं कि मजदूरी बकाया है। लेकिन मजदूरी बकाया है वह आप देते नहीं हैं। तीतरी से वाया जोतासीणा बांसरी सड़क जाती है, उस पर जिन मजदूरों ने काम किया उन्होंने क्या गुनाह किया है कि वे घर छोड़ कर आये और काम किया, लेकिन उनका पैसा आज भी बकाया है। अगर किसी की रकम बकाया होती है तो वह ब्याज मांगता है। क्या आप मजदूरों को बकाया रकम पर ब्याज देने को तैयार हैं ?

एक माननीय सदस्य : आपको चुन लिया, यही गुनाह है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जहां तक राहत कार्य खोलने का सवाल है, आपने कहा कि समय पर नहीं खोले गये। मैं उत्तर में स्पष्ट कह चुका हूं कि सारे काम समय पर खोले गये। आपको और हमको सबको मालूम है कि पिछला मानसून फेल हो जाने के कारण राजस्थान में अगस्त में अकाल की स्थिति पैदा हो गई थी। राजस्थान में उस वक्त जो मानसून फेल हुआ था वह चौदह जिलों में फेल हुआ था, उन चौदह जिलों में काम करने का फैसला किया था। राज्य सरकार ने निश्चय किया था कि पश्चिमी राजस्थान के जो जिले हैं, जो अकाल से प्रभावित हैं, वहां के लोगों को मजदूरी देने का काम राजस्थान नहर पर किया जायगा। यह भी निश्चित किया था कि मजदूर अलग अलग जिलों से जायेंगे, उनको वहां से ट्रान्सपोर्ट करके राजस्थान कैनाल तक पहुंचाया जायगा और उनकी पूरी व्यवस्था निःशुल्क सरकार करेगी और जो मजदूर जायेगा, प्रति दिन, जितने भी दिन बीच में लगेंगे, पांच रुपये देने का निश्चय किया था। इन पश्चिमी जिलों में काम देने की योजना बनाई गई वह राजस्थान कैनाल पर बनाई गई थी। धीरे धीरे गिरदावरी पूरी हो चुकी और राज्य सरकार को रिपोर्ट प्राप्त हुई। तब राज्य सरकार ने निर्णय लिया था क्योंकि हमने महसूस किया था कि पश्चिमी जिलों से जितनी संख्या में लोग राजस्थान कैनाल में पहुंचने चाहिए थे, वे नहीं पहुंच पाये, तब राज्य सरकार ने दुबारा विचार करके निर्णय लिया कि स्थानीय काम, जो योजना के अन्तर्गत चल रहे हैं, को हाथ में लिया जाय, वह सड़क के, इरिगेशन के काम, डी० पी० ए० पी० के काम, सोइल कन्जर्वेशन के काम, उन कामों को हाथ में लिया और काम प्रारम्भ किये। यह सही है कि जितने काम हाथ में लिये, उनका पूरा होना इस अवधि में सम्भव नहीं था, न सम्भव हो सकता था। इसलिए काम अधूरे रह सकते हैं। इस बात को स्वीकार करता हूं। वैसे अधिकांश में इस बात का प्रयत्न किया कि जो काम हाथ में लगे, वह योजना के काम हाथ में लेंगे और इसलिए जो जो धनराशि योजना के तहत विभाग को मिली है, उस योजना के तहत काम पूरा होने की सम्भावना है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बार बार आता है कि मजदूरों की बकाया रह जाती है, बकाया का चुकारा समय पर नहीं होता है। इसमें राज्य सरकार का दोष इतना नहीं है। जो मजदूर काम पर आते हैं, वह जैसे ही काम बन्द कर देते हैं, गांवों में चले जाते हैं। यह स्वाभाविक बात भी है और जब चले जाते हैं तो जो पेमेन्ट की तारीख दी जाती है उस तारीख पर सारे लोग उपस्थित नहीं होते हैं। कुछ लोग आते है उनको बकाया का चुकारा कर दिया जाता है और कुछ लोग समय पर नहीं पहुंचते हैं। ऐसे लोगों की बकाया के सारे राजस्थान के आंकड़े तो मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं लेकिन ग्यारह बारह जिलों के आंकड़े प्राप्त हुए हैं, उनके आधार पर करीब दो लाख का चुकारा बकाया है। हमने यह व्यवस्था की है कि जिन जिन गांवों की मजदूरी का चुकारा बकाया है, हम पंचायत समिति के स्तर पर इस प्रकार की जानकारी देंगे कि वह गांवों के मजदूरों को इत्तला दे दें और निश्चित तारीख पर

Page No 14

(१५)

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

एक्जीक्यूटिव एजेंसी, जिसको चुकारा करना होता है, वह निश्चितरूप से चुकारा कर देगी।

श्री दीपंकर : उपाध्यक्ष महोदय, सरलता से और जल्दी जो लम्बी अवधि तक बकाया रहा है, वह उनको मिल जाय। क्या मंत्री महोदय यह कन्सीडर करने की कोशिश करेंगे कि तहसीलदार को रकम दे दें, वह जाकर बांट कर आजाय क्योंकि वहां रकम बांटने एक्जीक्यूटिव एजेंसी जायेगी तो खर्चा बढ़ेगा।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यह निर्णय हाल ही में लिया गया है कि पंचायत समिति स्तर पर पंचायत समिति को सूचना देकर, जिन गांवों के लोगों की बकाया है, उनको बुला लिया जायगा और एक्जीक्यूटिव एजेंसी पेमेन्ट करने के लिए पहुंच जायगी। उसमें दिक्कत होगी तो पंचायत समिति या तहसील की मार्फत करने में दिक्कत नहीं है।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : यह चुकारा करने की बात कर रहे हैं यह कब तक आप भेज कर करवा देंगे। हम लोग क्षेत्र में जाते हैं और मजदूरों को आश्वासन देते हैं। आप बता दें कि सारे राजस्थान में कौनसी तारीख, कौनसे महीने, कौनसे सन् तक सारी व्यवस्था पंचायत समिति के जिम्मे छोड़ देंगे ?

श्री मीठालाल मीणा (लालसोट): मनीआर्डर करवा दें।

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : मैं जानना चाहूंगा कि आज तक मजदूरों की कितनी राशि बकाया है...

श्री मीठालाल मीणा: दो लाख बता दिये।

श्री लूणाराम : 1974 की है। उसके पहले की बकाया है क्या ?

दूसरी समस्या है, जैसा मंत्री महोदय ने फर्माया, तहसील को भिजवा देंगे, पेमेन्ट के लिए। इसमें दिक्कत यह आती है कि जो एरियर लिस्ट बनाई जाती है उसमें मजदूरों का नाम रहता है, पिता का नाम नहीं होता है, गांव का नाम नहीं होता है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, पेमेन्ट करने में असमर्थ रहते हैं और रकम यों की यों वापिस आ जाती है। क्या मंत्री महोदय, जिस प्रकार मस्टररोल में एन्ट्री होती है उस प्रकार बनवा कर भिजवायेंगे ताकि पेमेन्ट में दिक्कत नहीं हो।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मस्टररोल में जिन व्यक्तियों का नाम है, उनमें से जितने गांवों का नाम छोड़ दिया गया है उनमें दिक्कत पैदा हो रही है। मैंने कहा है कि पंचायत समिति का सहयोग लिया जायगा और मस्टर रोल के आधार पर चुकारा करने की व्यवस्था की जायगी।

श्री केशरी मल : मजदूरों की बकाया 1972 से है। उसकी तरफ से और औरों की तरफ से लिखी जाती है लेकिन एजेंसी पैसा नहीं दे रही है। आप कह रहे हैं कि पैसा भिजवाया जा रहा है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जहां तक सवाल पैसे का है, पैसे की कमी नहीं है। जो बकाया मजदूरी के चुकारे का सम्बन्ध है, पैसे की व्यवस्था है लेकिन मजदूरों का

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

समय पर उपलब्ध न होना इसका मुख्य कारण रहा है। कुछ कारण यह भी रहा है कि मजदूरों को ठीक ठीक पता न लगे, जिसके कारण बकाया रह गया। मैं विश्वास दिलाता हूं कि 1972 से 1974 की जो बकाया है, पंचायत समिति को इन्वॉल्व करके एक्जीक्यूटिव एजेंसी द्वारा चुकारा करा देंगे।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : जो लड़कियां पीहर आई हुई होती हैं वह दस दिन मजदूरी करती हैं और फिर ससुराल चली जाती हैं। इसी तरह से कुछ लोग दूसरे गांवों में चले जाते हैं। मेरा निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी आप व्यवस्था कर दीजिये कि किसी की औरत नहीं है तो उसके पति को मजदूरी मिल जाय, अगर किसी की लड़की नहीं है तो मां या बाप को मजदूरी मिल जाय और वह उस को पहुंचा दें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यह सम्भव नहीं हो सकेगा। ऑथोरिटी लेकर कोई माये प्रॉपर ढंग से तो कानून के आधार पर दिया जा सकता है पैसा।

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा : गांव के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, किसे लैटर देंगे किसे ऑथोरिटी देंगे, कैसे व्यवस्था करेंगे? वहां सरपंच को दे दें या पटवारी को दे दें तो दिक्कत मिट सकती है।

श्री मीठालाल मीणा: आपको दिलवा देंगे।

श्री केशरीमल : मजदूरों को पैसा नहीं मिल रहा है और आपको मजाक सूझ रही है।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट ! श्री सुरेशचन्द्र !

जयपुर जिले में गृह निर्माण सहकारी समितियों को ऋण

168. **श्री सुरेशचन्द्र शर्मा** (कोटपूतली): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर जिले में किस-किस तहसील में कौन-कौन सी गृह निर्माण सहकारी समिति को ऋण स्वीकृत किया गया है? सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) जयपुर जिले की किस-किस तहसील की कौन कौन सी गृह निर्माण सहकारी समिति के ऋण हेतु प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं तथा इनकी कब तक स्वीकृति हो जायगी?

सहकारिता मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) जयपुर जिले की बस्सी, दौसा, लालसोट, बसवा, सांगानेर, चाकसू, फागी, दूदू, सांभर लेक, जयपुर, आमेर जमवा रामगढ़, बैराठ व कोटपूतली तहसील क्षेत्रों में गठित 107 गृह निर्माण सहकारी समितियों को ऋण स्वीकृत किया गया है जिनकी तहसीलवार सूची सदन के पटल पर रख दी है।

(2) जयपुर जिले की बस्सी, दौसा, लालसोट, बसवा, सांगानेर, चाकसू, फागी, दूदू, फुलेरा, सांभर लेक, जयपुर, आमेर, जमवा रामगढ़, बैराठ, सिकराय व कोटपूतली तहसीलों की 48 गृह निर्माण सहकारी समितियों के आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट (ख) पर संलग्न है। भारतीय जीवन बीमा निगम से पर्याप्त ऋण राशि उपलब्ध होने पर इन समितियों के

(श्री रामनारायण चौधरी)

प्रार्थना-पत्रों पर विचार किया जाकर ऋण स्वीकार किया जाना सम्भव होगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : जो स्वीकृति की सूची दी है इसमें सात सहकारी समितियां हैं इनको ऋण पत्र प्राप्त नहीं हो रहा है। अधिकारी समितियों को एक एक किश्त दे दी गई है। उनका काम रुका पड़ा है, क्या जो स्वीकृत सहकारी समितियां हैं आप उनको ऋण दिलवायेंगे ?

श्री रामनारायण चौधरी : जिन सहकारी समितियों को स्वीकृति दी गई है उनमें से ऐसी सहकारी समितियां हैं जिनको प्रथम किश्त धनाभाव के कारण नहीं दी गई हैं। सहकारी समितियों को एक किश्त का भुगतान किया जा चुका है उनको और किश्तें देनी थीं। अब एल. आई. सी. से जब तक धनराशि प्राप्त नहीं हो किश्त देना सम्भव नहीं है।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : 100 और 105 रुपये उनसे ले लिये हैं और उनको आश्वासन दे दिया था कि जिसे रजिस्टर कर देंगे उसको पैसा मिल जायगा। इस प्रकार की गारन्टी दी गई थी। वह 100-105 रुपया ब्याज पर लेकर आये और जमा कराये। अब एक साल हो गया लेकिन किश्त नहीं दी गई है। आप कह दें कि साधन उपलब्ध नहीं हैं तो यह कहना क्या उचित होगा।

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में निवेदन है कि प्रॉब्लम काफी काम्प्लेक्स थी। दो दिन पहले चेयरमैन, एल० आई० सी० से काफी विस्तृत रूप में चर्चा की है और दो तीन मीटिंग मेरे साथ उनकी हुई हैं। यह हालत अकेले राजस्थान की नहीं है बल्कि महाराष्ट्र और गुजरात में भी 37 करोड़ रुपया आउटस्टेंडिंग है, जिसका पेमेन्ट करना बाकी है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी चेंज हो जाने के कारण एल० आई० सी. पैसा नहीं दे सकी है। हमारे यहां पर लगभग 7 करोड़ रुपये की राशि इस तरह की है जिसका अगर भुगतान करें तो मकान कम्प्लीट हो जायेंगे। इसलिए नए लोगों को देने का प्रश्न नहीं है। जिन लोगों को एक किश्त भी दी है उनके लिए चेयरमैन, एल. आई. सी., ने विश्वास दिलाया है कि वह यहां से जाकर इस बारे में जितना भी उनसे हो सकेगा, वह करेगा।

श्री किशन मोटवानी : वकील को फीस ले ली, उसका क्या होगा ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : धनाभाव के कारण बहुत सी एप्लीकेशन्स पेंडिंग हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि भविष्य में कम से कम नई एप्लीकेशन्स एन्टरटेन नहीं करें।

श्री हरिदेव जोशी : बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि नहीं करेंगे।

श्री किशन मोटवानी : जो शेयर मना 1065) रु. कर्ज लेकर आए उसके बाद वकील की फीस कर्जा लेकर जमा करा दी, उन सोसाइटीज का क्या होगा ?

श्री हरिदेव जोशी : अन्फार्चूनेट स्थिति है, लेकिन है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : आपने फरमाया कि चेयरमैन एल. आई. सी. ने कहा कि जिनको एक किश्त दी है उनको देंगे लेकिन ऐसी सोसाइटीज हैं जिनको लोन सैंक्शन्ड हैं लेकिन एक किश्त भी नहीं दी उनको लोन नहीं दिया जाएगा ?

श्री हरिदेव जोशी : नहीं।

श्री किशन मोटवानी : वकील की फीस वापस की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल लि० जयपुर के श्रमिकों पर हमला

169. **श्री मोहर सिंह** (सादुलपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दि० 18-12-75 को जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल लि० जयपुर के गेट पर एक शोक-सभा में भाग लेने के लिए जाते हुए श्रमिकों पर उक्त कम्पनी के असामाजिक तत्वों ने हमला किया ?

(2) क्या यह सही है कि हमले से श्री बसन्तलाल पाण्डे नामक श्रमिक घायल होगया ? यदि हां, तो पुलिस ने उक्त असामाजिक तत्वों के खिलाफ क्या कार्यवाही की है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त असामाजिक तत्व वही लोग हैं जो आपात-कालीन स्थिति का फायदा उठाकर पिछले दिनों कई लोगों को पीट चुके हैं और जिनके खिलाफ सीटू की जयपुर नगर कमेटी व अन्य संस्थायें स्थानीय अधिकारियों को लिखित में शिकायत दे चुकी हैं ?

(4) क्या यह सही है कि जयपुर नगर के उप-अधीक्षक पुलिस, श्री डालचन्द गुप्ता जो केवल इन्टक के एक ग्रुप के हित में काम करते हैं उन्होंने उक्त हमलावरों को संरक्षण दे रखा है ? यदि हां तो क्यों ?

राज्य मन्त्री गृह (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) यह सही है कि दिनांक 18-12-75 को पोद्दार मिल व जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल, जयपुर के श्रमिकों के बीच जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल के गेट पर झगड़ा हुआ था।

(2) जी हां। लेकिन श्री बसन्तलाल पांडे उपरोक्त दोनों मिलों का श्रमिक नहीं है। घटना की सूचना मिलने पर मुकद्दमा नं० 373 दिनांक 18-12-75 को धारा 147, 148, 323 आई. पी. सी. में थाना बनीपार्क, जयपुर पर दर्ज किया जाकर तफतीश की गई। बाद तफतीश कुल 11 मुलजिमानों के खिलाफ जुर्म धारा 147, 148, 323, आई. पी. सी. साबित हुआ। अपराध काबिल जमानत पुलिस होने से तथा मुलजिमान द्वारा जमानत पेश करने पर बाद तफतीश दिनांक 19-12-75 को जमानत पर 11 मुलजिमानों को पुलिस द्वारा आजाद किया गया। चार्जशीट बना दी गई व चालान शीघ्र पेश होगा।

(3) जी नहीं। इन मुलजिमानों के खिलाफ पूर्व में कोई शिकायत या मुकद्दमा रिकार्ड पर नहीं है और ना सीटू की यूनियन द्वारा थाने पर इनके खिलाफ ऐसी कोई रिपोर्ट करवाई गई है।

(4) जी नहीं। यह सही नहीं है।

श्री मोहरसिंह : इस सिलसिले में चालान करने के बारे में नं० 2 में कहा है जी हां, चालान शीघ्र पेश होगा तो कितने दिनों के अन्दर किया जाएगा क्योंकि एक महीने से ऊपर का मामला हो जाएगा।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : चालान पेश किया जा रहा है।

श्री मोहरसिंह : तीन के अन्दर आपने कहा है 'जी नहीं'। अब 6 तारीख को मान इन्डस्ट्रियल पर 8-10 गुन्डे आए थे, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, 8 तारीख को दुबारा कंट्रोल रूम से सैकड़ों सिपाही गए और मुश्किल से झगड़े को बचाया, काफी बदमाश थे। हमने मुख्य मंत्री को लिखकर दे दिया, लेकिन अब तक उस बारे में कोई कार्यवाही आप लोगों ने नहीं की इसका मतलब यह नहीं है कि इमर्जेंसी में आप मान्यता प्राप्त सीटू को दबाने की कोशिश करें। बारबार लिखने के बावजूद कोई कार्यवाही उनके खिलाफ अभी तक नहीं की गई है। मुकद्दमा दर्ज करवाया गया, उनको थोड़ी देर रखकर छोड़ दिया गया। इसके साथ में यह सही नहीं है कि श्री डालचन्द जो गंगानगर आंदोलन के समय भाखरा गोलीकांड में सरकारी हीरो था उनको 6 साल से लगातार यहां रखा है यह सोचकर कि वह इस यूनियन को ज्यादा से ज्यादा दबाने की कोशिश करता है, ये सारी बातें सही नहीं हैं?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या यह सही है कि स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स मैनेजमेंट द्वारा मजदूरों में गुन्डों को एन्गेज करके आतंकित किया जा रहा है और रात को हथियार लेकर वे गुन्डे दबाव डालते हैं और कहते हैं कि तुम मकान खाली करो और मजदूरों को परेशान किया जा रहा है जिससे 100-150 मजदूर इस्तीफा देकर भाग गए? अगर यह सही है तो फिर पुलिस इस सिलसिले में निष्क्रिय क्यों है?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सीटू के जो कार्यकर्ता हैं उनके खिलाफ राज्य सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उनके कार्यकर्ता इन्टक के मजदूरों के साथ गुन्डागर्दी करते हैं, कातिलाना हमला करते हैं? ऐसी कितनी शिकायतें सरकार के पास पेंडिंग हैं?

श्रीमती नगेन्द्रबाला (दीगोद) : सीटू के जो मजदूर हैं वे बिना कारण झगड़ा करके उत्पादन नहीं बढ़ने देते, उसका क्या इलाज है?

श्री गुरदयाल सिंह संधु : यह जो श्री डालचन्द, उप-अधीक्षक हैं, क्या सही काम के लिए रखे हुए हैं कि उनको पहले जौहरी बाजार के गोलीकांड में लगाया और संगरिया में इनके द्वारा कतलेआम किया गया और अब जहां कहीं सरकार को जरूरत होती है लोगों को मारने की और पिटवाने की, तो इनको ही भेज दिया जाता है, इसका क्या कारण है?

श्री गोकुलचन्द जाटव : (कठूमर) : शीघ्र 12 बजने वाले हैं, हमारे प्रश्न भी आवेंगे या नहीं?

श्री गुरदयालसिंह संधु : क्या खतरा आपको हो गया? 12 बजे का खतरा आपको हो सकता है, मुझे तो नहीं है।

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : मैं स्पेसिफिकली तो नहीं कहता किन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जयपुर शहर में इमर्जेंसी से पहले और बाद में सीटू के कुछ कार्यकर्त्ता, जो कि किन्हीं फैक्ट्रीज में काम करते हैं, वे और बाहर के लोग मजदूरों को दबाने, धमकाने, चन्दा नहीं देने, अमुक का सदस्य नहीं होने देने, काम करने नहीं देने, जैसी हरकतों में लगे हुए हैं, इस प्रकार की शिकायतें बार बार सरकार के पास आई हैं और सरकार मजदूर-मजदूर के बीच भेद नहीं करना चाहती है, लेकिन जो मजदूरों को काम करने से रोकते हैं, जिनके साथ मारपीट की जाती है और झगड़ा किया जाता है, इस पर्टीक्यूलर केस में मेरे पास सरकार के पास लिखित शिकायतें आईं, जांच करवाई और देखा गया कि अमूमन लोग प्रोफेशनल हैं जो सिवाय गड़बड़ के कुछ काम नहीं करते, मैनेजमेंट भी यही कहता है। मैंने पिछली बार भी निवेदन किया था और अब भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे दिमाग में कहीं किसी को दबाने की बात नहीं है लेकिन झगड़े तो बंद होने चाहिएं। मारपीट सीटू के द्वारा होती है।

श्री मोहरसिंह : यह कहना कि सीटू वाले बदमाशी करते है, यह असत्य है। उन पर झूठे मुकद्दमे सेशन्स में चालान किए गए, सीटू के यूनियन के कार्यकर्त्ताओं पर और सेशन्स कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी किया। सीटू के मजदूरों को दबाना चाहते हैं ?

(शोरगुल)

श्री प्रद्युम्नसिंह : इन्टक के लोगों के साथ मारपीट की जाती है।

श्री मोहरसिंह : सिर्फ इमर्जेंसी का हौवा बताकर लोगों को दबाना चाहते हैं, उल्टा हम पर इल्जाम लगाते हैं।

श्री दीपंकर : आप इमर्जेंसी को मानते ही नहीं।

श्री मोहरसिंह : खूब मानते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : सीटू के लोग दोषी नहीं हैं तो कोई भी उनको नहीं दबाएगा ....

श्री मोहर सिंह : अगर आपको शिकायत आए तो आप जांच करायेंगे ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं निश्चय ही जांच कराऊंगा, लेबर लेबर के बीच में भेद नहीं करूंगा कि किसी यूनियन को किसी तरह से सताया जाए किन्तु आपको भी सीटू के लोगों को एडवाइज करना चाहिए कि वे सामान्य नागरिक की तरह जीवन बितायें और इस प्रकार की हरकतें न करें।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री श्रीराम गोटेवाला।

आवासन बोर्ड द्वारा जयपुर में मकानों का आवंटन

170. **श्री श्रीराम गोटेवाला (किशन पोल, जयपुर) :** क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

20

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

(1) वर्ष 1973 में कितने व्यक्तियों ने जयपुर शहर में आवासन बोर्ड के विभिन्न प्रकार के मकानों के लिए पंजीयन कराया?

(2) इन पंजीकृत व्यक्तियों में से कितनों को आवासन बोर्ड ने मकानों का आवंटन करके कब्जा दे दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) इन पंजीकृत व्यक्तियों में से कितने व्यक्तियों ने अपना रजिस्ट्रेशन डिपोजिट वापिस लिया है और शेष कितने व्यक्ति जयपुर शहर के लिए प्रतीक्षा की सूची में हैं?

(4) क्या यह सही है कि आवासन बोर्ड द्वारा वर्ष 1973 में प्रकाशित की गई पुस्तिका के अनुसार इन पंजीकृत व्यक्तियों को वर्ष 1976 तक मकान देने के लिये बचनबद्ध है ? यदि हां, तो इस वचन की पूर्ति के लिए आवासन बोर्ड ने कहां कहां योजनायें हाथ में ली हैं, और वहां पर निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

(5) क्या सरकार यह महसूस करती है कि आवासन बोर्ड अपने वायदे के अनुसार पंजीकृत व्यक्तियों को वर्ष 1976 में मकान बना कर आवंटित कर देगा ? यदि नहीं, तो कब तक आवासन मण्डल इन पंजीकृत व्यक्तियों के लिए मकान निर्माण कर सकेगा?

(6) सरकार आवासन बोर्ड को जमीन किस दर से दे रही है ? क्या नगर विकास न्यास की भूमि वह आवासन बोर्ड को देने का विचार रखती है ?

नगर विकास न्यास मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) वर्ष 1973 में जयपुर शहर के लिये कुल 16,454 व्यक्तियों ने निम्न आय वर्गों में पंजीकरण करवाया:-

उच्च आय वर्ग	90
मध्यम आय वर्ग	1500
अल्प आय वर्ग	2476
आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग	6106
जनता वर्ग	6276
कुल योग	16,454

(2) पंजीकृत व्यक्तियों में से अब तक कुल 697 व्यक्तियों को मकानों का आवंटन कर दिया गया है। 54 व्यक्तियों ने मकानों का कब्जा ले लिया है बाकी मकानों का कब्जा देने के लिए कार्यवाही चालू है।

(3) सामान्य पंजीकरण ...

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय को मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि 697 में से कितने लोगों ने कब्जा ले लिया है ?

श्री उपाध्यक्ष : सप्लीमेन्ट्री के वक्त आप पूछना। अभी मैं आपको सप्लीमेन्ट्री अलाउ नहीं करूंगा। Don't disturb. बीच में, मैं सप्लीमेन्ट्री अलाउ नहीं करूंगा, स्थान ग्रहण करें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं तो पूछ रहा हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : (3) सामान्य पन्जीकरण योजना 1973 के तहत पंजीकृत आवेदनों में से अब तक कुल 1745 व्यक्तियों ने अपनी राशि वापिस प्राप्त कर ली है तथा 14709 व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में है।

(श्री रामनारायण चौधरी)

(4) जी नहीं। बोर्ड इसके लिए वचन-बद्ध नहीं है। बोर्ड ने प्रकाशित पुस्तिका में यह स्पष्ट कर दिया था कि समस्त पंजीकृत प्रार्थियों को 1½ से 3 वर्ष की अवधि में मकान दिलवा देने का बोर्ड प्रयास करेगा। बोर्ड प्रयास कर रहा है। बोर्ड ने जवाहर नगर, नाहरी का नाका, लाल कोठी, ईदगाह की योजनायें हाथ में ली हैं। जमीन प्राप्त होने के एक साल में निर्माण कार्य किया जावेगा।

(5) आवासन बोर्ड अपने पंजीकृत आवेदकों को शीघ्रातिशीघ्र मकान उपलब्ध कराने के लिये प्रयत्नशील है। वर्ष 1976 तथा 1977 में अधिकांश पंजीकृत आवेदकों को मकान उपलब्ध करवाने का बोर्ड का पूरा प्रयास रहेगा।

(6) आवासन बोर्ड को राज्य सरकार द्वारा जवाहर नगर (फॉरेस्ट लैंड) की भूमि 150) रु. प्रति एकड़ की दर से प्राप्त हुई है एवं लालकोठी की भूमि 50) रुपये वर्ग गज की दर से निर्धारित की गई। नगर विकास न्यास की कुछ भूमि को आवासन बोर्ड द्वारा लेने के लिये प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, मामला विचाराधीन है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रश्न तो यह है कि बोर्ड ने 16,454 मकानों के लिए आवेदन-पत्र पंजीकृत किये, और उसमें से सिर्फ 697 व्यक्तियों को ही मकानों का आवंटन किया गया है जिसमें से अभी तक केवल 54 व्यक्तियों ने ही कब्जा प्राप्त किया है, और बोर्ड ने मकान पंजीकृत कराते वक्त 1973 में यह कहा था कि सभी लोगों को डेढ़ वर्ष से तीन वर्ष के भीतर-भीतर ही मकान दिला दिये जायेंगे। जिस तेजी से मकान दिलाने की बात थी और अब जो गति है उसको देखते हुए तो हाउसिंग बोर्ड 1990 तक भी सभी लोगों को मकान नहीं दिला सकेगा?

श्री रामनारायण चौधरी : हाउसिंग बोर्ड 1977 तक लोगों को मकान दिलाने का प्रयास करेगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : किस प्रकार दिला सकेगा? इतनी जमीन कहां है?

श्री रामनारायण चौधरी : जमीन तो जितनी है उतनी हाउसिंग बोर्ड प्राप्त करने की कोशिश करेगा और राज्य सरकार हाउसिंग बोर्ड को जमीन के आवंटन करने में हर सम्भव मदद करेगी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी भी 6 हजार मकानों के लिए कमजोर वर्ग की अर्जियां पेन्डिंग पड़ी हैं इसके लिये जो फायरिंग रेंज की जमीन पड़ी है उसको राज्य सरकार हाउसिंग बोर्ड को क्यों नहीं एलॉट कर देती? वहां पर 6 हजार मकान आराम से बन सकते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : इसके लिये प्रयास जारी हैं।

प्रश्न संख्या 171

श्री उपाध्यक्ष : कष्ट। श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

Page No 22

22

प्रश्न संख्या 172

श्री रामगोपाल ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 173

श्री नानालाल ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री जयकिशनलाल ।

फागी एवं चाकसू तहसीलों में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स

174. **श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा** (फागी) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) फागी एवं चाकसू तहसील में कहां-कहां पर प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स एवं डिस्पेन्सरियां हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) इनमें कितने-कितने बैड्स की व्यवस्था है ? क्या राज्य सरकार कस्बा चाकसू एवं कस्बा फागी में जनसंख्या को देखते हुए बैड्स की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह सही है कि दोनों तहसीलों में मरीजों की संख्या देखते हुए दवाइयों के लिये कम राशि स्वीकृत की गयी है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार अगले वर्ष दवाइयों की खरीद के लिये धनराशि बढ़ाने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती कमला : (1) फागी एवं चाकसू तहसील में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोटखावदा, फागी एवं राजकीय चिकित्सालय चाकसू है ।

(2) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोटखावदा, फागी एवं राजकीय चिकित्सालय चाकसू में क्रमशः 6 शैय्यायें स्वीकृत हैं । जनसंख्या एवं रोगियों की संख्या को देखते हुए पर्याप्त हैं अतः रोगी शैय्याओं को बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता ।

(3) जी नहीं ।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : वहां पर शैय्याओं की समस्या कहां से आगई ?

श्रीमती कमला : मैं कहां कह रही हूं कि शैय्याओं की समस्या है ?

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : प्रश्न इस बात का है कि वहां पर रोगी ज्यादा आते हैं और कभी कभी वहां पर ऐसी हालत हो जाती है कि मरीजों के लिए वहां पर दवाइयाँ वगैरह पर्याप्त नहीं होती हैं । इससे जनता को काफी नुकसान होता है ।

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, प्रत्येक प्राथमिक केन्द्र में 6 शैय्यायें हैं जिनमें से एक यूटिलाइज होती है और बाकी की बिना यूटिलाइज हुए पड़ी रहती है । इसलिये मैं समझती हूं कि कमी का सवाल ही नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री गुरदयाल सिंह सन्धु ।

रायसिंह नगर के सर्किल ऑफिसर के विरुद्ध शिकायतें

175. **श्री गुरदयालसिंह सन्धु** (करणपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 5 मई, 1975 को चक 7 के, तहसील अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर में श्री गुरु ग्रन्थ साहिब (सिक्खों के इष्ट) को जलाया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त मामले में रायसिंहनगर के सर्किल ऑफिसर श्री कानसिंह का हाथ था तथा इनके विरुद्ध पहले से बहुत बड़ी नाजायज सम्पत्ति हड़पने के आरोप हैं ?

(3) क्या यह सही है कि ए०डी०एम० श्रीगंगानगर ने अपनी जांच रिपोर्ट में श्री कानसिंह को दोषी पाया था ? यदि हां, तो फिर उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह भी सही है कि ए० डी० एम० श्रीगंगानगर की जांच के बाद भी श्री कानसिंह के विरुद्ध आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ? कृपया जांच की रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

राज्यमंत्री, गृह (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) जिला गंगानगर के अन्तर्गत तहसील अनूपगढ़ चक नम्बर 7 में दो सिक्ख दलों के बीच आपसी विवाद को लेकर झगड़ा हुआ जिसमें श्री महतावसिंह के मकान में दिलीपसिंह द्वारा आग लगा दी गयी । जिसके कारण उक्त मकान में रखे श्री गुरु ग्रन्थ साहब (पुस्तक) जल गये ।

(2) श्री कानसिंह का इस केस में कोई हाथ है, यह सिद्ध नहीं होता । नाजायज सम्पत्ति रखने संबंधी तथा कथित आरोपों की जांच भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा की जा रही है ।

(3) श्री कानसिंह को आगजनी के मामले में दोषी नहीं पाया गया । समय पर उपयुक्त कार्यवाही न करने के बारे में उन पर आरोप हैं उसकी विभागीय जांच हो रही है ।

(4) विभागीय जांच चल रही है ।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : यह बात, उपाध्यक्ष महोदय, सरासर गलत है । उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर सिक्खों के दो दलों में झगड़ा कराने के बारे में तथा गुरु ग्रन्थ साहब के जलाने में कानसिंह का हाथ होने की वजह से उसे सस्पेण्ड कर दिया गया । उसके खिलाफ में स्पष्ट आरोप है इसके लिये । जब तक इसके खिलाफ इन्क्वायरी पूरी नहीं हो जाती तब तक उसे बहाल कैसे कर दिया ? उपाध्यक्ष महोदय, अगर कानसिंह के खिलाफ एक्शन सस्पेण्ड लेकर नहीं किया गया तो वहां पर शान्ति भंग होने का अन्देशा है और सिक्ख लोग राज्य सरकार की इस प्रकार की कार्यवाही से बिल्कुल सन्तुष्ट नहीं है । जब ए० डी० एम० ने खुद ने उसको दोषी माना तो उसको बहाल करने का क्या कारण है ? उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक तो जांच चल रही है ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, पहले शुरु शुरू में ऐसा बताया गया कि कानसिंह का इसमें हाथ है उस रिपोर्ट के आधार पर उसे सस्पेण्ड किया गया था लेकिन जांच के दौरान यह नहीं

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

पाया गया कि गुरु ग्रन्थ साहब के जलाने में उसका हाथ है इसलिये उसे बहाल किया गया । ए० डी० एम० ने उसकी जांच की थी ।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : उपाध्यक्ष महोदय, जब उसको सस्पेण्ड कर दिया गया था और ए० डी० एम० की जांच चल रही थी फिर उसको आपने बहाल कैसे कर दिया ?

श्री गोकुलचन्द जाटव : उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है मेरा ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न काल में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है ।

श्री गोकुलचन्द जाटव : उपाध्यक्ष महोदय, 12 बजने वाले हैं और प्रश्न-काल समाप्त हो जायेगा मेरा प्रश्न नहीं आयेगा । मैं क्या कहूं सरदार साहब को ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, ए. डी. एम. से जांच करवाई गयी उसमें कानसिंह को आग लगाने के सिलसिले में दोषी नहीं पाया गया । जबकि पहले मेन एलीगेशन यही था कि उन्होंने आग लगायी जिससे गुरु ग्रंथ साहब को जलाया गया । लेकिन ए. डी. एम. की रिपोर्ट में आग लगाने के लिए उसे दोषी नहीं पाया गया, इसलिए रिपोर्ट के आधार पर उसको बहाल किया गया । बाकी समय पर कार्यवाही नहीं करने के बारे में उसके खिलाफ में जांच चल रही है । सस्पेन्ड तो उसको पहले ही कर दिया गया था और ए. डी. एम. की रिपोर्ट आने के बाद उसको गुरु ग्रंथ साहब को जलाने के लिये दोषी नहीं पाने के कारण उसको बहाल किया गया ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे किसी भी व्यक्ति पर अगर डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटीज का चार्ज हो और उसको सस्पेन्ड किया जाता है और उसे पब्लिक में अगर कोई गड़बड़ होने का अन्देशा रहता है तो क्या उसको बहाल करना राज्य सरकार उचित मानती है ?

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बार बार यही कहता हूं कि कानसिंह इस बात के लिए पूर्णतया दोषी है और उसको सस्पेण्ड करके उसके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए । जब ए. डी. एम. ने उसके खिलाफ में चार्ज माना है फिर क्या कारण था कि कानसिंह को एन्क्वायरी के दरमियान ही बहाल कर दिया गया । दूसरा मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां पर इस विषय को लेकर सिक्खों में भारी मात्रा में असन्तोष है । अगर उसे सस्पेन्ड नहीं किया गया और उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया तो वहां पर यह असंतोष समाप्त नहीं हो सकेगा । इसलिए आप उसे सस्पेन्ड करके उसके खिलाफ में पूरी जांच करके एक्शन लें, ताकि वहां लोगों में असन्तोष मिट सके ।

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि प्रश्न के उत्तर में कहा गया है, पहले वहां पर इस प्रकार की चर्चा थी कि गुरु ग्रन्थ साहब को जलाने में कानसिंह का हाथ है और वहां के लोगों ने यह कहा था कि ए. डी. एम. से एन्क्वायरी कराई जाय तो उसकी इन्क्वायरी ए. डी. एम. से ही करायी गई, लेकिन जब जांच के दौरान ए. डी. एम. ने कानसिंह को गुरु

Page No 25

25

(श्री हरिदेव जोशी)

ग्रन्थ साहब को जलाने का दोषी नहीं पाया तो उसे बहाल किया गया। सस्पेन्ड तो ए. डी. एम. की जांच से पहले ही किया था। अब दूसरी बात ए. डी. एम. ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि अगर वह उस वक्त एक प्रकार का एक्शन लेता तो ऐसी घटना नहीं घटती तो वह अलग बात है, सस्पेन्ड उसको किया गया गुरु ग्रन्थ साहब के जलाने के लिए जिसके लिए वह दोषी नहीं पाया गया। इसलिए उसको बहाल कर दिया गया। मगर उसको वहां से हटा दिया गया है। इन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट कर रहे हैं। हम यह देखेंगे कि न किसी माइनोरिटी के मन पर चोट पहुंचे और न किसी चीज को हम शेल्व करना चाहते हैं। कानसिंह को बचाने की हमारी नीयत नहीं है। लेकिन जो शिकायत आई वह डिसप्रूव हो गई।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : केवल एक प्रश्न, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोतर के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

यूनानी दवाखाना पिड़ावा में हकीम की व्यवस्था

164. श्री हाजी जान मोहम्मद खां (पिड़ावा) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि पिड़ावा कस्बे में जो यूनानी दवाखाना खोला गया है उसमें अभी तक हकीम नहीं भेजा गया है? यदि हां, तो क्यों? और अब हकीम की व्यवस्था कब तक कर दी जावेगी?

उत्तर

जी हां, योग्यता धारी आशार्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण हकीम नहीं भेजा जा सका है।

योग्यताधारी आशार्थी उपलब्ध होने पर नियुक्ति कर व्यवस्था कर दी जायेगी।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के परिचालकों का निलंबन

171. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) किन-किन व्यक्तियों को ट्रेनिंगकाल में परिचालक के पद पर कब लिया? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि जिन परिचालकों को अन्डर ट्रेनिंग में नियुक्ति दी, उन व्यक्तियों को क्या सरकार ट्रेनिंग की सुविधा दे रही है? यदि हां, तो कब से?

(3) स्टेट रोडवेज में कुल कितने परिचालक इस समय काम कर रहे हैं? इनमें से कितने ट्रेन्ड व कितने अनट्रेन्ड हैं? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या यह सही है कि स्टेट रोडवेज में इस वक्त भारी तादाद में परिचालक निलम्बित किये गये हैं? यदि हां, तो कितने और उनको कितने समय तक निलम्बित

Page No 26

(26)

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

रखा जा सकता है ? निलम्बन के बाद कितने परिचालक काम पर वापस लिये गये हैं ?

(स्थगित किया गया)

गांव गोरधनपुरा (छीपाबड़ौद) में एक व्यक्ति की हत्या

172. श्री रामगोपाल (किशनगंज) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गांव गोरधनपुरा, थाना छीपाबड़ौद, जिला कोटा में कुछ दिनों पूर्व किसी व्यक्ति की कुए में डाल कर हत्या कर दी गई ? यदि हां, तो पुलिस विभाग ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त गांव में विगत वर्षों में भी एक के बाद एक करके हत्याओं का तांता लगा था ? यदि हां, तो इसकी रोकथाम के लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं । दिनांक 27-11-75 को श्री माधोलाल चमार, निवासी गोरधनपुरा के कुए में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पाये जाने पर पुलिस थाना छीपाबड़ौद द्वारा मामले में दफा 174 सी० आर० पी० सी० की कार्यवाही की । तफतीश पर हत्या का मामला नहीं पाया गया बल्कि मृतक का नाम श्री धूलीलाल पुत्र गंगाराम मीना, निवासी आसाखेड़ी होना पाया गया जिसकी पागल व अंधा होने के कारण सम्भवतः गल्ती से रात को कुए में गिर जाने पर मृत्यु हो गई ।

(2) जी नहीं । वर्ष, 1973, 1974 व 1975 में उक्त ग्राम में अन्य कोई ऐसी घटना का होना नहीं पाया गया है ।

राजसमन्द नगरपालिका क्षेत्र की सड़कों व नालियों का सुधार

173. श्री नानालाल (राजसमन्द) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर जिले में राजसमन्द नगरपालिका क्षेत्र की बढ़ाई गई सीमा के पहले के कौन कौन से मोहल्ले, सड़कों व नालियों से वंचित हैं ?

(2) क्या यह सही है कि राजसमन्द नगरपालिका ने अनुसूचित जाति के मोहल्लों में सब प्रकार की सुविधाओं की उपेक्षा की है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त नगरपालिका क्षेत्र में राजनगर में कलालवाडी व रेगरों के मोहल्ले से सारे शहर की गन्दी नालियों का पानी निकलता है और वहां की कच्ची नालियों में बहता है जिसकी बदबू व मच्छरों के कारण वहां के रहने वाले परेशान हैं ? यदि हां, तो नगरपालिका की तरफ से इसके सुधार के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

उत्तर

(1) राजसमन्द नगरपालिका क्षेत्र में सीमावृद्धि होने के पूर्व के प्रायः सभी वार्डों में सड़कों व नालियों आदि का कार्य पूर्ण हो चुका है । तथा कुछ विकास कार्य जो बाकी रह गया है उसे भी शीघ्र ही पूर्ण किया जा रहा है ।

(स्वायत्त शासन मन्त्री)

(2) जी नहीं । नगरपालिका अनुसूचितजाति व अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में उनकी सुविधाओं पर स्वयं ही विशेष ध्यान दे रही है ।

(3) राजनगर में कलालवाड़ी एवं रेगरों की बस्ती नगर के निचले हिस्से में बसे हुए हैं । इन दोनों क्षेत्रों की रोड व नालियों की व्यवस्था नगर पालिका द्वारा की गई है ।

वहां ज्यादा मच्छर गन्दगी होने का मूल कारण वहां के लोगों द्वारा चमड़ा पकाने की कुंडियां बनाया जाना है । फिर भी नगर पालिका सफाई व मच्छरों को हटाने के लिए सजग है व पूर्ण व्यवस्था कर रही है ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य में होमियोपैथिक चिकित्सक

70. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के विभिन्न जिलों में कितने होमियोपैथिक चिकित्सकों को रजिस्टर्ड किया गया है ? सूची जिलेवार मय नाम एवं पते के सदन के पटल पर रखने की कृपा करें ।

(2) राज्य के विभिन्न जिलों में राजकीय एवं सहायता प्राप्त अस्पतालों की सूची प्रस्तुत करने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) राज्य में 2476 होमियोपैथिक चिकित्सकों का रजिस्ट्रेशन किया गया ।

सूची संलग्न है ।

(2) सूची संलग्न है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

जयपुर में जिला अस्पताल बनाने की रूपरेखा

71. श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है की राज्य सरकार ने जयपुर में जिला अस्पताल बनाने के बारे में अन्तिम रूपरेखा तैयार कर ली है ? यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ? तथा यह अस्पताल कब तक बन कर तैयार हो जावेगा ?

उत्तर

जी नहीं । ऐसी कोई योजना तैयार नहीं की गई है । केवल यह निर्णय लिया गया है कि सवाई मानसिंह अस्पताल के निकट नया जनाना अस्पताल भवन दान द्वारा पूर्ण हो जाने पर वर्तमान जनाना अस्पताल भवन में, योजना मद की वार्षिक सुविधानुसार एक जिला अस्पताल स्थापित करने पर विचार किया जायेगा ।

बाड़मेर जिले में चिकित्सा केन्द्र

72. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर जिले में किन किन स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र एवं उपकेन्द्र हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उन चिकित्सा केन्द्रों एवं उपकेन्द्रों पर कितना स्टाफ है और स्टाफ में कितनी कमी है तथा स्टाफ की कमी की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी ?

(3) उक्त केन्द्रों एवं उपकेन्द्रों पर प्रतिवर्ष कितनी दवाई का प्रावधान किया जाता है ? क्या प्रावधान के आधार पर उक्त केन्द्र में दवाई भेजी जाती है ? यदि नहीं तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि केन्द्रों एवं उपकेन्द्रों में जो दवाइयों का प्रावधान किया गया है वह पर्याप्त नहीं है ? यदि हां, तो पर्याप्त मात्रा में दवाई की व्यवस्था करने के लिये कब तक कदम उठाये जायेंगे ?

(5) उक्त केन्द्रों एवं उपकेन्द्रों में कहां-कहां भवन तैयार हो चुके हैं एवं अधूरे हैं ? और जहां अधूरे है वे कब तक तैयार हो जायेंगे ?

उत्तर

(1) सूची में अंकित है।

(2) प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व उपकेन्द्रों के लिए निम्न स्टाफ स्वीकृत है :—

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र		उपकेन्द्र
1—चिकित्सा अधिकारी	—1	ए.एन.एम.—1
2—एल.एच.वी.	—1	अंशकालीन च.के.क.—1
3—ए.एन.एम.	—1	
4—कम्पाउण्डर द्वितीय श्रेणी	—2	
5—च.के. कर्मचारी	—4	
6—स्वा. निरीक्षक	—1	
7—वाहन चालक	—1	
8—ए.एच. डब्लू	—1	

स्टाफ की कमी का विवरण सूची में अंकित है। इस कमी को पूरी करने का प्रयास किया जा रहा है।

(3) प्रतिवर्ष प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 12,000/— रु. व उपकेन्द्र पर 2,000/ = रु. की दवाइयों का प्रावधान किया जाता है।

(4) जी नहीं। पर्याप्त प्रावधान है।

(5) समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 16 उपकेन्द्रों के भवन पूर्ण हैं। शेष 8 उपकेन्द्रों के भवन निर्माण हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति दि. 16-6-75 को प्रसारित की जा चुकी है जिनका निर्माण कार्य चल रहा है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

जयपुर जिले में वृद्धावस्था पेन्शन के प्रार्थना-पत्र

73. श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर जिले में 1970 से अब तक वृद्धावस्था पेन्शन के कितने प्रार्थना,

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

पत्र प्राप्त हुए ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इनमें से कितने व्यक्तियों की वृद्धावस्था पेन्शन मन्जूर हो चुकी है और कितनों के प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत किये जा चुके हैं तथा अब कितने प्रार्थना-पत्र पेंडिंग हैं और उनका निपटारा कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में वर्ष 1970 से अब तक वृद्धावस्था पेन्शन के लिए 2074 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इनमें से 1677 व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेन्शन स्वीकृत हो चुकी है और 102 प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत किये जा चुके हैं। अब 295 प्रार्थना-पत्र पेंन्डिग हैं। इनमें से जितने भी मामले नियमान्तर्गत योग्य होंगे उनका यथाशीघ्र निपटारा कर दिया जावेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नोखा नगरपालिका के कर्मचारियों के एरियर का भुगतान

74. श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान श्रम न्यायालय, जयपुर के मुकदमा नम्बर एल.सी. 93/70 में दिए गये निर्णय के अन्तर्गत नोखा नगरपालिका के तीन कर्मचारियों को इसी पद पर नियुक्त करना, वेतन भुगतान तथा अब तक की वेतनवृद्धि व मेडिकल एलाउन्स का एरियर का भुगतान करना था? यदि हां, तो नगरपालिका, नोखा ने उक्त निर्णय को अभी तक लागू क्यों नहीं किया ?

(2) क्या यह सही है कि श्रमिक संघ द्वारा उक्त निर्णय के अन्तर्गत बनने वाली राशि को दो बार कुर्की आदि द्वारा वसूल भी किया गया है परन्तु आगे के भुगतान नगरपालिका द्वारा नहीं किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो नगरपालिका के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां, उक्त अवार्ड को क्रियान्वित न करने तथा उसका उल्लंघन करने के फलस्वरूप यूनियन ने नियोजक का चालान करने की स्वीकृति चाही है, जो सरकार के विचाराधीन है। यद्यपि उक्त प्रार्थना-पत्र दिनांक 24-8-74 को प्राप्त हुआ था उसके उपरांत भी रकम को वसूल कर लेने के कारण मुकदमा चलाना उचित नहीं समझा गया।

(2) उक्त अवार्ड के तहत दी जाने वाली राशि का नियोजक द्वारा भुगतान न करने के कारण औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33 (सी) (1) के अन्तर्गत तीनों कर्मचारियों द्वारा सक्षम अधिकारी, श्रम आयुक्त एवं अतिरिक्त शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर के समक्ष क्लेम दायर किये गये, जिनकी सुनवाई की जाकर कुल रुपया 7,967-41 के रिकवरी सर्टिफिकेट जिलाधीश, बीकानेर को जारी किये गये। जिसकी वसूली जिलाधीश द्वारा की

(श्रम मन्त्री)

गई है तथा उक्त तीनों कर्मचारियों को बैंक ड्राफ्ट द्वारा भुगतान भी किया जा चुका है। इस क्लेम के पश्चात् इन कर्मचारियों ने और कोई अभी तक प्रस्तुत नहीं किया है। अतः आगे की वसूली करने का प्रश्न नहीं उठता।

अलवर शिक्षक संघ द्वारा ज्ञापन

75. **श्री रतीराम यादव** (तिजारा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि अलवर जिला शिक्षक संघ द्वारा गत वर्षों में जिला शिक्षाधिकारियों के विरुद्ध एवं शिक्षकों की समस्याओं के क्रम में ज्ञापन दिए गये थे? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई है? यदि कार्यवाही नहीं हुई तो क्यों?

उत्तर

शिक्षक संघ की ओर से जब जब भी अध्यापकों के विषय में समस्याएं जिला कार्यालय को प्रस्तुत की गई तब तब उनका यथासम्भव निवारण किया गया है। अध्यापकों की समस्याएं मुख्यतया मेडिकल, टी.ए. तथा वेतन आदि के सम्बन्ध में होती हैं।

मेडिकल व टी. ए. बिलों का भुगतान प्राथमिकता के अनुसार बजट को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इस हेतु जिला कार्यालय में एक प्रायोरिटी रजिस्टर बनाया गया है। जब बजट समाप्त हो जाता है तो निदेशक, बीकानेर से अतिरिक्त ग्रान्ट प्राप्त कर भुगतान कर दिया जाता है। गत वर्षों के टी. ए. व मेडिकल के प्रकरण जिला कार्यालय में भुगतान हेतु शेष नहीं हैं।

वेतन—जिले के समस्त अध्यापकों का वेतन बिल सब-ट्रेजरी पर भुगतान हेतु प्रत्येक माह की 5 तारीख तक निश्चितरूप से पहुंचा दिये जाते हैं। इस व्यवस्था के अनुसार लगभग सभी शिक्षकों को यथासम्भव प्रत्येक माह की 5 तारीख तक भुगतान हो जाता है। शिक्षकों की परिवेदनाओं को निपटाने के लिये प्रत्येक तहसील हैडक्वार्टर पर परिवेदना पंजिका खोली गई है जिसको जिला उप-शिक्षा अधिकारी मौके पर ही सुनकर यथाशीघ्र उनका निपटारा कर देते हैं। अध्यापकों की अन्य समस्याएं शिक्षक संघ द्वारा जैसे जैसे ध्यान में लाई जाती हैं या अध्यापकों द्वारा ध्यान में लाई जाती हैं उनका तत्काल निपटारा किया जाता है।

हायर सैकेण्डरी केन्द्र श्री डूंगरगढ़ के विद्यार्थियों को पास कराने का ठेका

76. **श्री लूणाराम** (डूंगरगढ़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर की हायर सैकेण्डरी केन्द्र, श्रीडूंगरगढ़ (चूरू) के विद्यार्थी जिनको परीक्षा में पास कराने का सत्र 1973-74 में किन्हीं व्यक्तियों द्वारा ठेका लिए जाने आदि की शिकायत की गई थी? यदि हां, तो पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या इस सम्बन्ध में बोर्ड ने कोई जांच की है? यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा कब जांच की गयी और जांच का क्या परिणाम रहा?

(3) यदि नहीं, तो क्यों और क्या अब जांच करायी जायेगी?

(स्थगित किया गया)

Page No 31

(31)

लालसोट तहसील की उच्च प्राथमिक शालाओं में अध्यापिकाएं

77. श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर जिले की लालसोट तहसील की किस किस उच्च प्राथमिक कन्या शालाओं में कितनी कितनी अध्यापिकाएं हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग ने छात्राओं की संख्या, कक्षाएं व सेक्शनों के अनुसार अध्यापिकाओं की संख्या निर्धारित कर रखी है ? यदि हां, तो कितनी कितनी ? अलग अलग स्कूल की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि छात्राओं के हिसाब से अध्यापिकायें काफी कम हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार कब तक पूर्ति करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) लालसोट तहसील की बालिका उ० प्रा० शाला में अध्यापिकाओं की संख्या निम्न प्रकार है :—

नाम शाला		अध्यापिका की सं०
रा० उ० प्रा० शाला	लालसोट	8
,, ,, ,,	मूंडावरी	5
,, ,, ,,	डिडवाना	4
,, ,, ,,	रामगढ़ पचवारा	3

(2) जी हां।

प्राथमिक वर्ग (कक्षा 1 से 5 तक) के लिये 40 छात्राओं में एक अध्यापिका तथा उ० प्रा० वर्ग के लिये (कक्षा 6 से 8 तक) एक वर्ग पर 1 अध्यापिका।

नाम शाला	कक्षा 1 से 5	कक्षा 6 से 8
(1) उच्च प्राथमिक शाला, लालसोट	237	76 (3 वर्ग)
(2) ,, ,, ,, मंडावरी	177	28 (3 वर्ग)
(3) ,, ,, ,, डीडवाना	97	11 (3 वर्ग)
(4) ,, ,, ,, रामगढ़ पचवारा	90	12 (3 वर्ग)

(3) जी हां। कमी का विवरण निम्न प्रकार है। इन कमियों को पूरा करने का प्रयत्न किया गया है किन्तु अध्यापिकाओं के कार्यभार न सम्भालने के कारण वह स्थान रिक्त पड़े हैं, जिनकी पूर्ति शीघ्र ही की जायेगी।

(शिक्षा मन्त्री) अध्यापिकाओं की कमी का विवरण

नाम शाला	अध्यापिकाओं की संख्या	अध्यापिकाओं की आवश्यकता	कमी
उच्च प्राथमिक शाला, लालसोट	8	9	1
उच्च प्राथमिक शाला, मंडावरी	5	7	2
उच्च प्राथमिक शाला, डीडवाना	4	5	1
उच्च प्राथमिक शाला, रामगढ़ पचवार	3	5	2

(1) **उच्च प्राथमिक शाला, लालसोट** :—इस शाला में दो नये आशार्थियों की नियुक्ति की गई थी लेकिन उसने कार्यभार ग्रहण नहीं किया। कमी की पूर्ति करने का शीघ्र प्रयत्न किया जा रहा है।

(2) **उच्च प्राथमिक शाला, मंडावरी** :—इस शाला में भी एक आशार्थी की नियुक्ति की गई थी उसने कार्यभार ग्रहण नहीं किया।

(3) **उच्च प्राथमिक शाला, डीडवाना** :—इस शाला में प्र० अ० की कमी थी जिसकी पूर्ति संयुक्त निदेशक शिक्षा (अ) जयपुर के आदेश संख्या सनि/शिविम/जव/संस्था-1/फ 74/33/75-76 दि० 27-12-75 द्वारा की जा चुकी है।

(4) **उच्च प्राथमिक शाला, रामगढ़ पंचवार** :—इस शाला में दो आशार्थियों की नियुक्ति की गई थी लेकिन दोनों ने ही कार्यभार ग्रहण नहीं किया।

लालसोट तहसील की स्कूलों में अध्यापकों की कमी

78. **श्री मीठालाल मीणा** (लालसोट): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर जिले की लालसोट तहसील के किस किस उच्च प्राथमिक सैकेन्डरी स्कूलों में कितने कितने अध्यापक व छात्र हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग के छात्रों की संख्या व कक्षायें तथा सैक्शनों के अनुसार अध्यापकों की संख्या निर्धारित कर रखी है? यदि हां, तो कितनी कितनी? कृपया अलग अलग स्कूल की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि छात्रों की संख्या के हिसाब से अध्यापकों की काफी कमी है? यदि हां, तो राज्य सरकार कब तक पूर्ति करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि उच्च प्राथमिक शाला, देवली व उच्च प्राथमिक बेसिक शाला

(श्री मीठालाल मीणा)

लालसोट में सत्र के प्रारम्भ से ही अध्यापकों की कमी है ?

(5) क्या यह सही है कि उच्च प्राथमिक बेसिक शाला लालसोट में लगभग 16 सेक्शन के लिए 11 अध्यापक ही हैं ?

उत्तर

(1) लालसोट तहसील के उच्च प्राथमिक एवं संकेण्डरी स्कूलों में कार्यरत अध्यापक व छात्रों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, छात्रों के अनुपात में अध्यापकों की संख्या निर्धारित कर रखी है। कक्षा 1 से 5 तक 40 छात्रों पर एक अध्यापक एवं कक्षा 6 से 8 तक प्रत्येक विभाग के लिए एक एक अध्यापक दे रखा है। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बोर्ड के नियमों के अनुसार निदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा बजट आवंटित किया हुआ है, उसी के अनुसार अध्यापक लगा रखे हैं।

(3) जी हां, कुछ स्थानों पर अध्यापकों की कमी है जिसकी शीघ्र पूर्ति कर दी जावेगी।

(4) यह सही नहीं है। उच्च प्राथमिक शाला देवली में 130 छात्र हैं और 5 अध्यापक कार्य कर रहे हैं, एक अध्यापक और शीघ्र दिया जा रहा है। उक्त विद्यालय में अध्यापकों की नियुक्तियां की गई थीं लेकिन दूरस्त स्थान पर स्थित होने के कारण नये अध्यापक उपस्थित नहीं हुए। उच्च प्राथमिक बेसिक विद्यालय लालसोट में अध्यापकों की कमी नहीं है।

(5) यह स्थिति सही नहीं है। बेसिक उच्च प्राथमिक विद्यालय, लालसोट में 15 विभाग हैं और 16 अध्यापक कार्यरत हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

बीकानेर जिले के विद्यालयों में छात्रों का एडमीशन

79. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बीकानेर जिले की विभिन्न उच्चतर व उच्च शालाओं एवं महाविद्यालयों में किस किस छात्र को एडमीशन नहीं दिया गया तथा एडमीशन न देने के क्या कारण थे।

(2) क्या सम्बन्धित अधिकारियों ने कतिपय छात्रों के विरुद्ध किसी प्रकार की अनुशासनहीनता, शान्तिभंग करने आदि के आरोप नहीं होते हुए भी व्यक्तिगत कारणों से उन्हें विद्याध्ययन से वंचित करके अपने प्रापात अधिकारों का दुरुपयोग नहीं किया है ?

उत्तर

(1) बीकानेर शहर की राजकीय सिटी उच्च माध्यमिक विद्यालय, बीकानेर में छात्र श्री त्रिलोकचन्द पुत्र श्री केसुराम को सत्र 75-76 में प्रवेश से वंचित रखा गया क्योंकि सत्र 74-75 में छात्र का आचरण सन्तोषप्रद नहीं रहा।

(2) सत्र 1974-75 में छात्र का आचरण सन्तोषप्रद नहीं रहा। उसने अध्यापकों के साथ कई बार दुर्व्यवहार किया। विद्यालय संसद की कार्यवाही का रजिस्टर अपने घर ले गया जिसे अब तक

Page No 34

(३४)

(शिक्षा मंत्री)

नहीं लौटाया। किसी अधिकारी द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जयपुर जिले में पंचायत घर

80. श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा (फागी) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर जिले में कितने पंचायत घर बने हुए हैं?

(2) पंचायत समिति चाकसू एवं फागी में किस किस पंचायत का भवन बना हुआ है और किस किस का नहीं बना हुआ है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य सरकार जहां पर पंचायत भवन नहीं बने हुए हैं वहां कब तक भवन बनाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में 204 पंचायत भवन बने हुए हैं।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को अभी हाथ में लिया जाना संभव नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

अनुसूचित जाति/जन जाति एवं पिछड़े वर्गों को आवासीय भू-खण्ड

81. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अनुसूचित जाति/जन जाति भूमिहीनों, लघु एवं सीमांत कृषकों, ग्रामीण दस्तकारों एवं समाज के अनेक पिछड़े वर्गों को अब तक कितने आवासीय भू-खण्डों का आवंटन किया गया? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उनमें से कितनों को गृह निर्माण के लिए अब तक कितनी राशि लोन एवं सहायता के रूप में विभिन्न जिलों में दिलाई गई? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उनमें से कितनों ने आवंटित आवासीय भू-खण्डों पर कब्जा कर अपने परिश्रम से कच्चे या पक्के मकान बनाये? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) सन् 75-76 में राज्य सरकार और कितने लोगों को गृह निर्माण के लिये कितनी राशि विभिन्न जिलों में ऋण या सहायता के रूप में वितरित करेगी? जिलेवार विवरण सदन में प्रस्तुत करने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

जालोर जिले में सहकारी बैंकों द्वारा ऋण

82. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला जालोर में 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत अभी तक

Page No 35

35

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

कमजोर वर्ग के लोगों को सहकारी बैंकों द्वारा पर्याप्त मात्रा में ऋण नहीं दिया गया है ? अगर हां, तो क्यों ?

(2) सहकारी समितियों की सदस्यता भर्ती में कमजोर वर्ग के लोगों की सदस्यता भर्ती, किस किस समिति में कितनी की गई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। अब निकट भविष्य में कब तक क्या क्या कार्यवाही की जावेगी ?

(3) जिला जालौर में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की कितनी गृह निर्माण समितियां कहां कहां बनवाई गई हैं एवं कितना कितना ऋण किस किस समिति को कब कब दिया गया है ? भविष्य में कब तक कितनी सहकारी समितियां बनवा दी जावेंगी ? क्या सरकार जिला जालौर में ऐसी सहकारी समितियां बनवा कर गृह निर्माण के लिए पंचायत समितिवार कोई लक्ष्य निर्धारित करना उचित समझेगी ? अगर हां, तो क्या क्या ? लक्ष्य निर्धारित कब कर दिए जावेंगे एवं उनकी क्रियान्विति कब तक कर दी जावेगी ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि सहकारी बैंकों द्वारा सीमान्त कृषकों एवं अनुसूचित जाति एवं जन जाति कृषकों को इस रबी फसल के लिए बीज, खाद एवं पम्पिंग सैट्स आॅयल, ऋण वितरण करने का लक्ष्य जिला जालौर के लिए निर्धारित किया गया है ? अगर हां, तो इस स्कीम के तहत किस किस पंचायत समिति में कब तक कितना कितना ऋण किस किस को कब कब वितरण कर दिया गया है एवं भविष्य में कितना कितना ऋण कहां कहां पर किस किस को कब तक वितरण कर दिया जायेगा ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति सांचोर क्षेत्र में सबसे कम ऋण इस स्कीम के तहत वितरण किया गया है ? अगर हां, तो क्यों ? अगर नहीं, तो कितना ?

उत्तर

(1) जी हां। बैंक डिफाल्टर होने के कारण पर्याप्त मात्रा में शीघ्र बैंक से ऋण प्राप्त नहीं कर सका।

(2) सूची परिशिष्ट 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है। बैंक की वार्षिक हालत सुधरते ही ऋण वितरण करा दिया जावेगा।

(3) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है, भविष्य में नई गृह निर्माण सहकारी समितियां बनाने व पंचायत समितिवार लक्ष्य निर्धारित करने की योजना बनाने का प्रश्न आर्थिक साधनों की उपलब्धि पर निर्भर करता है। और इस सम्बन्ध में उचित समय पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। वर्तमान में इस प्रकार का कोई कार्यक्रम संभव नहीं है।

(4) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। भविष्य में ऋण वितरण बैंक की वार्षिक हालत पर निर्भर है।

(5) जी हां। बैंक की आर्थिक हालत कमजोर होने के कारण।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

Page No 36

(36)

टोंक जिले में सहकारी भण्डारों द्वारा सामान का वितरण

83. श्री अजीतसिंह (टोंक) - क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान को कन्ट्रोलर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नई दिल्ली से सहकारी भण्डारों के माध्यम से वितरण हेतु 1975 में क्या सामान प्राप्त हुआ ?

(2) उक्त सामान को प्रान्त के किस किस सहकारी भंडार के माध्यम से जनता में वितरित किया गया ?

(3) क्या जिला टोंक में भी उक्त सामान दिया गया है ? यदि हां, तो कितना और कब कब ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान को कन्ट्रोलर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नई दिल्ली से सहकारी भण्डारों के माध्यम से वितरण हेतु वर्ष 1975 में किसी प्रकार का सामान प्राप्त नहीं हुआ है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता है।

बाड़मेर जिले की सहकारी समितियों में गबन

84. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर जिले की कौन कौन सी सहकारी समितियों में ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार कितना कितना गबन हुआ है और कब-कब ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या उक्त गबन वाली समितियों में जिन लोगों ने गबन किया है वे ही अब भी काम कर रहे हैं ? इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ? अगर नहीं की गई तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) कुछ एक समितियों में गबनकर्ता अब भी कार्य कर रहे हैं। उनके खिलाफ अधिनियम की धारा 34 (6) के अंतर्गत आदेश पारित किये जा चुके हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अनुपस्थिति के लिये अनुमति

श्री शांति लाल कोठारी को सदन से अनुपस्थिति की अनुमति

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री शान्तिलाल कोठारी, सदस्य, राजस्थान विधान सभा ने 5 जनवरी, 1976 से सत्र के अन्त तक और श्री सहदेव शर्मा, सदस्य, विधान सभा ने 12 जनवरी, 1976 से सत्र के अन्त तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

(श्री उपाध्यक्ष)

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान कर दी जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी ।

(विराम)

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव

किसानों की 14 सूत्री मांगों पर राज्य सरकार द्वारा दिये गये कथित आश्वासन

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ गलतफहमी के कारण इसका उत्तर आज हो नहीं सकेगा । आपके सेक्रेटेरियेट से 16 तारीख को कृषि मंत्री जी के पास पत्र गया । कृषि मंत्रीजी ने 17 तारीख की शाम को, चूंकि इसमें दो तीन दफ्तर मिले हुए हैं इसलिये मुख्य मंत्रीजी उत्तर देंगे, मेरे पास भेज दिया । चूंकि 18 तारीख की छुट्टी थी इसलिये आज इसका उत्तर नहीं हो सकेगा और 21 व 22 को प्रेसिडेन्ट यहां पधार रहे हैं इसलिये मैं उसमें व्यस्त रहूंगा । अतः इसका उत्तर 23 तारीख को रख दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : इसका उत्तर 23 तारीख को दिया जावेगा ।

समिति का प्रतिवेदन

अनुसूचित जाति कल्याण समिति का तृतीय प्रतिवेदन

श्री भीखा भाई ।

(अनुपस्थित)

श्री दिनेश डांगी ।

(अनुपस्थित)

श्री जेठमल बरवड़ (परबतसर) : मुझे अधिकार दिया है इसको पेश करने का ।

श्री उपाध्यक्ष : सेक्रेटरी के पास तो इसकी सूचना नहीं है ।

श्री जेठमल बरबड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा किये गये कृषि भूमि आवंटन के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति कल्याण समिति का तृतीय प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रतिवेदन का उपस्थापन किया गया ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सभापति की ओर से कहिये ।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान भवन (किराया और बेदखली नियंत्रण) (संशोधन) विधेयक, 1976

श्री उपाध्यक्ष : विधायी कार्य ।

पुरःस्थापित किये जाने वाला विधेयक ।

माननीय मंत्रीजी ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (राज्य मंत्री गृह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भवन (किराया और बेदखली नियंत्रण) (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

(विराम)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान भवन (किराया और बेदखली नियंत्रण) [संशोधन] अध्यादेश, 1975 (अध्यादेश संख्या 26 सन् 1975) को जारी करने के कारणों के विवरण की प्रति भी सदन की मेज पर रखता हूं।

विधेयक पर विचार

राजस्थान सहकारी संस्था (संशोधन) विधेयक, 1976

श्री उपाध्यक्ष : विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक।

राजस्व मंत्रीजी।

(अनुपस्थित)

राजस्थान सहकारी संस्था (संशोधन) विधेयक, 1976.

सहकारिता मंत्रीजी।

श्री रामनारायण चौधरी (सहकारिता मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सहकारी संस्था (संशोधन) विधेयक, 1976 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (राज्य मंत्री गृह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक 1976 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान सहकारी संस्था (संशोधन) विधेयक, 1976 पहले लिया जायगा।

श्री मीठालाल : आपको बोलना हो तो बोलो।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव

[निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

'राजस्थान सहकारी संस्था (संशोधन) विधेयक, 1976 को एक माह/एक सप्ताह के लिए जनमत जानने हेतु परिचलित किया जाये।"]

श्री दीपंकर (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय,

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति कल्याण समिति की जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको स्टेज तो मालूम होना चाहिये।

श्री दीपंकर : जो विधेयक विचारार्थ है उसमें संशोधन किये गये हैं, बड़ा क्रांतिकारी

(श्री दीपंकर)

संशोधन है और उसके लिये मैं राज्य सरकार को बधाई देना चाहता हूं। चूंकि यह संशोधन भी है और 21 सूत्री कार्यक्रम के अन्दर है इसलिये यह और भी अधिक प्रगतिशील है।

श्री उपाध्यक्ष : (हाउस में आपसी वार्तालाप होने पर) आर्डर प्लीज।

श्री दीपंकर : 21 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार द्वारा जहां कहीं भी कदम उठाये गये हैं, दूसरे कदम भी साथ साथ उठ जायं तो वह कार्यक्रम त्वरित गति से पूरा हो सकता है और कोआपरेटिव सेक्टर में संशोधन लाकर कदम उठाया है वह कमजोर वर्ग के लिये लाभकारी सिद्ध होगा। उनको कर्जा मिलने में सुविधायें होंगी।

कोआपरेटिव सोसाइटीज बनायी हैं और बैंक भी बनाये हैं। जिस तरह से कमजोर तबके को ऋण दिया जाना चाहिए कोआपरेटिव संस्थाओं की ओर से, बैंकों की ओर से, उसकी संख्या कम है। कोआपरेटिव सोसायटी और बैंक जब से यह सिस्टम इन्स्टीट्यूट हुआ है हमारे देश और प्रदेश में गांवों के लोगों के नाम, कुछ लोगों का उनमें कब्जा हो गया है और उस कारण प्रतिवर्ष खर्चा करके महंगी चुनाव प्रणाली के कारण उनके अन्दर घुस गये हैं और जो व्यक्तिगत रूप से पैसा कमाते थे वे अब इन संस्थाओं के अन्दर घुस कर कमाते हैं। उनकी रोकथाम नहीं की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य (श्री रामसिंह विश्नोई) सदन में खड़े होने का यह तरीका नहीं है।

श्री दीपंकर : कोआपरेटिव सोसाइटी के जरिये जब एक तरफ आप ऋण दिला रहे हैं तो हमारे पास कौनसा जरिया रह गया है, इसमें परिभाषा दी है गांव में रहने वाला कारीगर भी इसमें आता है, कलाकार भी इसमें आता है, वे लोग भी आते हैं जो कि भूमिहीन हैं और वे लोग भी आते हैं जिनको भूमि मिली है या पिछड़े हुए हैं, आर्थिक दृष्टि से जिनकी हालत गिरी हुई है, राजस्थान सरकार ने कानून में परिवर्तन लाने का प्रयास किया उससे लोगों में आस्था है लेकिन यह आस्था तब तक पूर्ण नहीं हो सकेगी जब तक कि उनको उचित रूप से ऋण उपलब्ध नहीं करते और उचित कार्य उनके सही तरीके से सम्पन्न नहीं होते। बैंकों में छोटी सी रकम है और आप कितने लोगों को वह दे पायेंगे? औसतन आमदनी के नीचे 30/40 परसेन्ट लोग रहते हैं, 40 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिनके पास भूमि नहीं है। आर्थिक दृष्टि से गिरे हुए हैं। उनका शोषण होता आया है और होता है, कोओपरेटिव सोसायटी के जरिये उनको ऊपर उठावें और यह जरिया इसलिए बनाया गया था। लेकिन सवाल यह है कि कोआपरेटिव सोसाइटी के जरिये कितने लोगों को दे पायेंगे। उस व्यक्ति की आवश्यकता क्या क्या है, हल बैल आदि। उन सब को देखते हुए आपको एक साल का पीरियड ऐसा मानना चाहिए कि इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये एक साल तक इन्हीं को लोन देंगे। सहकारी समिति कहती है कि मांगें तो दें। लेकिन जो व्यक्ति दरख्वास्त देता है वह उसी आशा के साथ देता है कि मुझे भी मौका मिलेगा आर्थिक दशा सुधारने का। कौन सी आशा के साथ वह कर रहा है?

(श्री दीपंकर)

और आपने यह बहुत अच्छा मौका दिया है। उसको हिस्सेदार बनाया है परन्तु इसके साथ समुचित व्यवस्था नहीं की। कोई बैंक नहीं, कोई एजेन्सी नहीं और वह गरीब आदमी रात को छिप कर साहूकार के पास जाता है और उससे मिन्नतें करे कि सरकार ने कानून तो बना दिया लेकिन मेरा काम नहीं चलेगा। यह मौका क्यों देना चाहते हैं? इसलिए इसे जनमत जानने हेतु, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है और प्रार्थना है कि इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिये कि अधिक से अधिक ऐसे लोगों को मौका दें जिससे यह ठीक हो सके...

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

इसमें कोई शक नहीं कि सदस्यों की गलती पर बाज-वक्त दण्ड मिलना चाहिये, यह व्यवस्था ठीक है परन्तु कुछ व्यक्तियों की गलतियों पर बहुत सी संस्थाओं को बैंकों के मारफत लोन नहीं मिलता है और लोन नहीं मिलने से लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो संस्थाओं के पदाधिकारी थे जिन्होंने समय पर पैसा लेकर राज्य में पैसा जमा नहीं कराये। वे संस्थायें डिफाल्टर नहीं हैं और उनको लोन स्वीकार नहीं कर रहे है तो जो, उपाध्यक्ष महोदय, लाभ से वंचित हो रहे हैं उनकी कोई व्यवस्था करें तो अन्त में, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि प्रभावशाली कदम के लिए तो बधाई की पात्र है सरकार परन्तु इसके साथ समाज की पुरानी परम्पराओं से शायद डर गई। जब आप नया समाज बना रहे हैं तो पुराने समाज की परम्परा को भी समाप्त करना होगा। आप आज यह मानकर चलें कि जिनका वर्चस्व है, जिनके पास भूमि है, जिनके पास धन सम्पत्ति है या जिनके पास अधिक भूमि है ऐसे लोगों को लोन देने से इन्कार नहीं कर सकते हैं। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ी मात्रा तय करनी होगी और इस रकम से चाहे जो कुछ करें चाहे हवेली चुनावें। जिन लोगों ने बैंकों और सहकारी संस्थाओं पर जो कब्जा कर लिया वे लखपति बन गये हैं-बड़ी बड़ी हवेलियां उन्होंने कायम कर ली हैं और समाज में अपना वर्चस्व कर लिया है। गरीब उससे आज भी डरता है उससे भय खाता है...

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

तो, उपाध्यक्ष महोदय, जब आप समाज में क्लास लेस सोसायटी बना रहे हैं तो इसे भी करना होगा वरना यह भय दूर नहीं होगा और गरीब आदमी ऊंचा उठ नहीं सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप कम से कम उन पर नहीं छोड़ें कि इतने आदमी ले लिए हैं। अन्त में मेरा इतना ही निवेदन है जो प्रतिनिधि का सवाल है उसका चयन सहकारी समितियों पर नहीं छोड़ें क्योंकि गलत आदमियों का सहकारी समितियों पर कब्जा है, अपनी ओर से नियुक्ति कर दीजिये। अगर हरिजनों में से प्रतिनिधि लिये जायेंगे तो वह वही लिये जायेंगे जिनका प्रभाव है, कोआपरेटिव सोसायटी पर जिनका पहले से कब्जा है। वह हरिजन समाज को लाभ पहुंचाने के बजाय उन लोगों की हां में हां भरता जायगा तो वह बता देगा कि रात में उठाकर न जाने कब दस्तखत करा लिये और मुझे याद नहीं है। इसलिए मैं मंत्री महोदय का ध्यान, उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये आकर्षित करना चाहता हूं कि जो 21 सूत्री कार्यक्रम में कोआपरेटिव बेसिस पर जो सन्देश पहुंचाने

(श्री दीपंकर)

के लिए और ग्रामीण शिल्पी को ऊंचा उठाने के लिए जो कदम उठाया है उसके लिये तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं परन्तु थोड़ी सी मेरी बात जान लें और इसे जनमत जानने के लिए प्रसारित करदें ताकि अधिक लोग समझ जायं और किसी प्रादमी की · · ·

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री दीपंकर : लूट न हो ऐसी व्यवस्था करायेंगे।

श्री बेगाराम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इसका समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : यहां समर्थन की कोई बात नहीं है। आप थोड़े नियमों को भी पढ़ लिया करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव।

(अनुपस्थित)

श्री मीठालाल।

श्री मीठालाल (लालसोट) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जो यह बिल लाये हैं और इसके पीछे जो उद्देश्य है उसकी तो मैं सराहना करता हूं। जिस उद्देश्य से यह लाये हैं अगर सही तरीके से ईमानदारी से क्रियान्वित करें तो अच्छा है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, यह सहकारी समिति एक ऐसा कोआपरेटिव विभाग नहीं है, परन्तु इस ढंग का हो गया है कि माननीय मंत्री जी ने काफी घोषणायें की थीं कि मैं इसमें सुधार करूंगा। जिन सहकारी समितियों का धन हड़प करके प्रभावशाली लोग बैठे हैं उनसे वसूल करूंगा लेकिन आज तक कोई बात नजर नहीं आई जिससे सुधार होसके। बल्कि दिनोंदिन ये हड़पते जा रहे हैं और मेरी मान्यता है कि सहकारी समिति, जो व्यक्ति या विशेष वर्ग इस संस्था को बनाने के बारे में बात करना जरूरी है कि वे उसे हड़प करके खाना चाहते हैं। कुछ हो सकता है, सहकारी समिति अच्छा काम करती हो लेकिन जितनी सहकारी समितियां हैं पिछले रुपयों को लेकर नया पैसा भी अगर जमा कराया जाता है तो पुराने के साथ नये लोन को लेकर उसमें एडजेस्ट कर देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे माननीय मंत्री जी के पास बहुत से मामले आये हैं जिनमें जो अध्यक्ष है, मंत्री हैं उन्होंने ही आपस में मिलकर पैसे उठा लिये और फर्जी बॉन्ड देकर लाखों रुपये हड़प लिये और व्यक्तिगत रूप से माननीय मंत्री जी से भी मिले हैं लेकिन आज तक क्या किया? कुछ भी उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की और ऐसा समझने लगे हैं कि सहकारी समिति का पैसा एक दफा लेकर वापिस लौटाया नहीं जायगा, यह आज आम धारणा है और इसी प्रकार धान्धलेबाजी का चुनाव होता है। जब चुनाव होता है तो प्रभावशाली व्यक्ति किसी भी सहकारी समिति का चुनाव कराना चाहे तो करा सकता है और समय के दो-तीन साल बाद भी अगर चुनाव कराना चाहे तो वह भी करा सकता है, यदि नहीं चाहे तो नहीं केवल उस प्रभावशाली आदमी का मतलब बनना चाहिये और मंत्री महोदय का थोड़ा इशारा होना चाहिये।

जिस संस्था को सरकार आगे बढ़ाना चाहती है लेकिन उसकी जो बुराइयां हैं उसको भी साथ में दूर करने की कोशिश करनी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, जो तिहाई व्यक्ति पिछड़े तबके से मनोनीत

(श्री मीठालाल)

करने का सवाल है या कर रहे हैं मंत्री महोदय, यह बिलकुल सही है लेकिन इसके साथ यह भी देखा जाय कि जो नियुक्ति करते हैं या जो मनोनीत करते हैं उसमें प्रभावशाली व्यक्ति या किसी नेता महोदय के रिश्तेदार या भाई भतीजे नहीं होने चाहियें। आखिर में यह होगा कि इन भूमि विकास बैंकों में, को-आपरेटिव सोसायटी अथवा को-आपरेटिव बैंकों में बड़े नेताओं के भाई, भतीजे या रिश्तेदार ले लिये जायेंगे और जो उद्देश्य है, गरीब तबके को लेना वह एक प्रतिशत भी नहीं आ सकेगा। इस प्रकार का प्रावधान रखें कि बड़े नेताओं के भाई, भतीजे रिश्तेदार वगैरह नहीं आ सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सी सरकारी समितियां ऐसी हैं जिसमें एक व्यक्ति पर संस्था का कर्जा है, या को-आपरेटिव बैंक का कर्जा है या लोन वगैरह दबा कर कोषाध्यक्ष बैठ गया है और आपने सम्पूर्ण सोसायटी को डिफाल्टर कर दिया, उसको आज तक लोन नहीं देते हैं। उसकी वसूली ढंग से करें इसमें कोई ऐतराज नहीं है लेकिन सारी की सारी सोसायटी को चार चार साल तक डिफाल्टर करके उसको टालते रहे हैं यह उचित नहीं है। एक व्यक्ति होता है और उसका खमियाजा सारी सोसायटी को उठाना पड़ता है। इसलिए इन लोगों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। सहकारी समितियों का जिस तरीके से पैसा दबा कर प्रभावशाली लोग बैठे हैं, हो सकता है कि उनमें से कोई विधायकों में से हो, मंत्रियों में से हो, राज्य मंत्रियों में से कोई भी हो, आप हिम्मत बांधकर उसको एक दफा निकालने की कोशिश करें तो वह भी एक सौभाग्य की बात ही होगी। मंत्री या विधायक जो भी बैठे हैं उनसे पैसा वसूल कर लेते हैं तो जनता को भी सोचना होगा कि जब एक मंत्री ने पैसा वापस लौटा दिया है, हम भी वापस लौटा दें। एक बार हिम्मत बांध कर यह करिये फिर चाहे सत्ता में बैठे हुए लोग भले ही नाराज होजायं लेकिन आपकी वसूली हो जायगी। इसलिए जो लोग बीस बीस साल से पैसा दबा कर सरकार में बैठे हैं उनसे कम से कम वापस ले लीजिए।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया।

(अनुपस्थित)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान को-आपरेटिव अमेन्डमेंट बिल, 1976 जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जावे इसी सम्बन्ध में, मैंने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है, मैं इस संबंध में मेरे विचार सदन के समक्ष रखना चाहूंगा।

यह राजस्थान को-आपरेटिव सोसायटी एक्ट 1965 में पास हुआ। 1965 में पास होने के बाद में अब जो है करीब दस साल हुए हैं। इस दस साल के बीच में काफी परिवर्तन हुए हैं और हमारी प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जो बीस सूत्री कार्यक्रम हमारे देश के सामने रखा है तब इस को-आपरेटिव मूवमेंट का महत्व और भी विशेषतौर से बढ़ गया है जब तक को-आपरेटिव मूवमेंट स्ट्रेंथन नहीं कर सकते हैं कभी भी किसी भी सूरत में भी गरीबी दूर नहीं कर सकते। तो को-आपरेटिव मूवमेंट के द्वारा हम गरीबी को दूर कर

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

सकते हैं और इस सम्बन्ध में हमारे मन्त्री महोदय ने कुछ अमेंडमेंट्स प्रस्तुत किए हैं और वह गरीबी को दूर करने से सम्बन्धित है, वे वीकर सैक्शन्स से सम्बन्धित हैं और इन अमेंडमेंट्स की मैं सराहना करता हूं, प्रशंसा करता हूं। क्योंकि पहले तो यह स्थिति थी कि को-आपरेटिव सोसायटी का सदस्य बनने के लिए बड़ी कठिनाई थी, अब उसको सरल किया जा रहा है कि प्रत्येक सदस्य अगर को-आपरेटिव सोसायटी के ऑफिस में जाकर एप्लीकेशन दें तो वह उसी वक्त सदस्य बन जाता है। यह एक रिवोल्यूशनरी चेंज है। इस प्रकार का कोई भी, अभी तक किसी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने डिसिजन नहीं लिया है। यह जो निर्णय लिया गया है वाकई में इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। परन्तु यह भी प्रश्न है कि आज एप्लीकेशन न दें, को-आपरेटिव सोसायटी के डिपार्टमेंट में और वह अगर एप्लीकेशन न लें तो उसके बारे में भी कोई सख्त कदम उठाया जाय, इसका इम्प्लीमेंटेशन सख्ती से हो सकेगा? इस सम्बन्ध में भी, राज्य सरकार को सोचना चाहिए कि अगर आफिस में जो है, एप्लीकेशन प्रस्तुत कर दें और उसको एण्टरटेन नहीं करें तो उन सदस्यों के खिलाफ में, मैनेजमेंट के सदस्यों के खिलाफ में, अध्यक्ष के खिलाफ में, सैक्रेट्री के खिलाफ में क्या कदम उठाना चाहिये? यह सोचने की बात है।

दूसरा जो कदम उठाया गया है वह इन मैनेजिंग कमेटीज में जो को-आपरेटिव क्रेडिट सोसायटी से, जो को-आपरेटिव बैंक्स हैं, उनकी मैनेजिंग कमेटीज में शिड्यूल्ड कास्ट के रिजर्वेशन का जो कदम उठाया गया है, वह वाकई में सराहनीय कदम है। पर प्रश्न है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना चाहिए। शिड्यूल्ड कास्ट.....

श्री रामानन्द अग्रवाल: शिड्यूल्ड कास्ट नहीं है, वीकर सेक्शन है। शिड्यूल्ड कास्ट का तो नाम भी नहीं है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन: I agree with you. वीकर सेक्शन के लिए जो रिजर्वेशन किया गया है, शिड्यूल्ड कास्ट जनरली वीकर सेक्शन में आता है इसलिए मैंने शिड्यूल्ड कास्ट्स पर जोर दिया है। तो इसके अन्दर जो मैनेजिंग कमेटी के सदस्य हैं उनमें रिजर्वेशन किस कदर होगा यह सोचने की बात है। जैसा अभी मेरे दोस्त फर्मा रहे थे, ऐसा न हो कि इस प्रकार से और कभी अपने बारे में केस फाइट नहीं कर सके। अपना प्रस्ताव नहीं रख सके, अपने हितों की सुरक्षा नहीं कर सकें, अपने हितों के लिए फाइट नहीं कर सकें, तो ऐसी स्थिति में सोचना चाहिये। इस बारे में ध्यान रखने की जरूरत है और मैं समझता हूं कि सम्बन्धित एम.एल.ए. से परामर्श कर सकते हैं, उनकी राय ले सकते हैं, प्रधान से राय ले सकते हैं। इस प्रकार करके ऐसे सदस्य मैनेजमेंट कमेटी के लिए जायें जो प्रभावशाली व्यक्ति हों और वह वीकर सेक्शन को, कमजोर वर्ग को लाभ दे सकें तभी जाकर परपज सर्व हो सकेगा।

सदस्यों के बारे में निवेदन करूं कि करीब ढाई लाख सदस्य इस वक्त हैं अब तक ढाई लाख सदस्य को-आपरेटिव के होगए हैं यह बड़ा अचीवमेंट है जिसकी हम प्रशंसा करते हैं। परन्तु ढाई लाख सदस्य जो हुए हैं, मैं यह भी चाहता हूं कि यह को-आपरेटिव मूवमेंट ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार का फैले

Page No 44

(४४)

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

कि 75 प्रतिशत परिवार जो हैं इस को-आपरेटिव मूवमेंट में आजायं और इसका जो सिस्टम है इलेक्शन का, उसमें भी रिवोल्यूशनरी चेन्ज की आवश्यकता है। इसके लिए सोचने की आवश्यकता है। यह जितनी भी गड़बड़ियां होती हैं वह इलेक्शन सिस्टम ठीक नहीं होने के कारण होती हैं। वे ही मेम्बर जो को-आपरेटिव सोसायटीज़ के हैं, असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, इन्सपेक्टर, सब इन्सपेक्टर, अपने आप इलेक्शन करा देते हैं और इलेक्शन का पता भी नहीं पड़ता। तो इसलिए मैं तो यह चाहता हूं कि इसी को-आॅपरेटिव मूवमेंट को स्ट्रेन्थन करने के लिए उनकी लार्ज स्केल पब्लिसिटी दी जानी चाहिए और कोशिश तो यह भी करनी चाहिये कि इलेक्शन जो है, वह इलेक्शन विभाग द्वारा कराया जाना चाहिये। जिस प्रकार पंचायतों के होते हैं उसी प्रकार इस बहुत ही इम्पोर्टेन्ट कार्य में, आर्थिक कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए एक मुद्दा यह भी है, इसलिए इसका इलेक्शन भी इलेक्शन विभाग से कराया जाना चाहिये और मैं तो यहां तक कहता हूं कि वार्डवाइज इनके इलेक्शन हों। नहीं तो क्या होता है कि एक पक्ष के लोग जिसको खूब ताकत है वह मैनेजिंग कमेटी में आ जाता है और उनका जो है, प्रभाव हो जाता है। तो वार्ड सिस्टम से अगर इलेक्शन होगा तो और अच्छी तरह से हो सकेगा। उनके डिसेन्टिंग दो तीन एग्जीक्यूटिव कमेटी में आयेंगे, मैनेजमेंट कमेटी में आयेंगे और उनको अनियमितता नहीं करने देंगे। कोई न कोई विरोध में बोलने वाला होगा, इसलिए इलेक्शन सिस्टम के बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिये। जिस प्रकार का सदस्यता के बारे में गवर्नमेंट ने रिवोल्यूशनरी निर्णय लिया है, जिस प्रकार का गवर्नमेंट ने इन वीकर सेक्शन्स के बारे में निर्णय लिया है, उनके रिजर्वेशन का अधिकार दिया है उसी प्रकार इलेक्शन सिस्टम में भी परिवर्तन करेंगे तो बड़ा भारी रिवोल्यूशनरी चेन्ज होगा।

अब क्वेश्चन आता है करप्शन के बारे में कि बहुत ज्यादा करप्शन है। यह बात सही है कि करप्शन है। करप्शन के बारे में भी इसमें कुछ उपाय बताए हैं। जो मैनेजिंग कमेटी है उस मैनेजिंग कमेटी को हटाने के बारे में कदम है। मैनेजिंग कमेटी के सदस्यों को हटाने के बारे में कदम है। जो भी कदम उठाए हैं, वह वाकई में सराहनीय कदम हैं। प्रश्न यह उठता है कि जो सदस्य हैं उनको एन्युअल मीटिंग बुलानी चाहिए। वे नहीं बुलाते हैं तो कार्यवाही होनी चाहिये। एन्युअल मीटिंग अगर बुलाते हैं तो बहुत सी स्थिति साफ हो जाती है। पंचायतों की ग्राम सभाएं होती हैं परन्तु यह जो को-आपरेटिव सोसायटी है इनके बारे में मिनिस्टर साहब को ध्यान देना चाहिये और इसकी इम्पार्टेन्स को देखते हुए एन्युअल मीटिंग बुलाई जानी चाहिये। मैं तो कहता हूं कि साल में दो मीटिंगें बुलाई जायं और दो मीटिंगें होती हैं तो जितने भी मसले हैं सामने आजायं। नहीं तो स्थिति ऐसी है कि लोगों ने जो लोन लिए हैं दूसरों के नाम पर लोन ले लिए हैं और उन बेचारों को पता भी नहीं है। यह स्थिति सामने आई है, केसेज सामने आए हैं। यह जो एन्युअल मीटिंग होती हैं, साल में दो दफा मीटिंग होगी तो सिक्स मंथली मीटिंग होगी उन मीटिंगों में सब मामले सामने आ जायेंगे और जो है सदस्यों को अपनी स्थिति की पूरी

Page No 45

(45)

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

जानकारी हो जाएगी। तो इसके बारे में एन्यूग्रल मीटिंग के बारे में भी प्रोविजन होना चाहिए। अगर एन्यूग्रल मीटिंग न बुलावें तो मैं समझता हूं कि जो मीटिंग नहीं बुलावें, मैनेजमेंट कमेटी मीटिंग नहीं बुलाती हैं तो उनके खिलाफ कदम उठाने का प्रोविजन होना चाहिए पीनल प्रोविजन होना चाहिये तो मुझे कुछ मुद्दे इस प्रकार के कहने हैं जो को-आपरेटिव के इन्सपेक्टर्स हैं, उनके बारे में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि वे अपने डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहने चाहिये तो इसका इम्प्लीमेन्टेशन होना चाहिये। इसका इम्प्लीमेन्टेशन करना होगा और को-आपरेटिव सोसायटी के कानून को कन्सोलिडेटेड फार्म के अन्दर जितने भी चेन्जेज हो सकते हैं, जो भी प्रोग्रेसिव चेन्जेज हो सकते हैं, उनको लाकर इस सदन में प्रस्तुत करना चाहिये। यही मैं कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती निर्मला कुमारी।

(अनुपस्थित)

श्री लूणाराम ।

(अनुपस्थित)

श्री मोहरसिंह । (सादुलपुर)

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सहकारी आंदोलन राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा फैले और इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा जनता को मिले इसके निमित्त आज यह विधेयक लाया गया है, मैं इसका स्वागत करता हूं और इसको काफी प्रोग्रेसिव मानता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के अंदर जो प्राविजन किये गये हैं उनको सही ढंग से और इस प्रकार से लागू करवाये जा सकें, इसके लिए हमें ज्यादा सचेष्ट रहना होगा। जहां तक गरीब लोगों को इसमें प्रतिनिधित्व देने का प्रश्न है एक बटा तीन का प्रावधान उत्तम रखा है लेकिन अब तक की परिपाटी के अनुसार किस प्रकार से सहकारी आंदोलन खराब रहा है, असफल रहा है, उसको भी हमें नहीं भूलना चाहिये कि आज तक किस प्रकार सहकारी आंदोलन को कुछ लोगों ने अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया है और आम जनता के फायदे के लिए वह अभी तक सही रूप से काफी मात्रा में सफल सिद्ध नहीं हो सका है। जो प्रबंध समितियों में 1/3 का प्राविजन रखा है इसके लिए यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि अब तक की परिपाटी के अनुसार जो लोग मजबूत हैं, ज्यादा धनवान है वे कहीं से भी 1/3 हरिजन या आदीजन, कमजोर वर्ग के लोगों को जो उनकी हां में हां मिलाने वाले हों, उनको पकड़ कर डलवा सकते हैं। इसलिए इलेक्शन का जो प्रावधान बतलाया है मेरे साथी ने वही वास्तव में कारगर सिद्ध होगा, सही ढंग से प्रबन्ध समिति का निर्माण करने के लिए, उनको बढिया बनाने के लिए और उसमें सही रिप्रजेन्टेटिव दे सके ताकि गरीब तबके के लोग जा सकेंगे। इस तरह से इस इलेक्शन के मसले पर सावधानी से काम लेना चाहिये अभी तक जिस तरह से को-आपरेटिव सोसायटी का आंदोलन राजस्थान में बढ़ा है, अब तक का इतिहास यह बतलाता है कि वास्तव में कुछ लोगों ने इसका इस्तेमाल गलत रूप से किया है कितने ही मेम्बर्स बना लिये और उनको पता नहीं है। खुदने नकली बनकर के दस रुपये का शेयर जमा करा दिया और उनके नाम का फायदा ले लिया। कई घटनाएं ऐसी हुई हैं। जहां तक इनकी प्रबंध समितियां बनाने का सवाल है,

Page No 46

(46)

(श्री मोहरसिंह)

उनके अंदर भी इस प्रकार की रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिये कि जिन लोगों ने आज तक यह को-आपरेटिव सोसायटी अपने फायदे के लिए बना ली उसको तो कम से कम हटा दिया जाए। काफी दफा यह देखा गया है कि प्रबन्धकारिणी ने सदस्यों को कर्जा दिलाया। वह कर्जा उन्होंने वापिस दे दिया पर रोजनामचे में उस कर्ज को वापिस जमा नहीं कराते हैं। वे उस पैसे को खागये। इस प्रकार की बहुत सी बेईमानियां गरीबों पर हुई हैं जिससे यह आन्दोलन बदनाम हुआ। इसलिए यह विशेषतौर से ध्यान दिया जाना चाहिये कि जो बेईमानी हुई है, या जो बेईमान सिद्ध हो चुके हैं, जो किसी प्रकार से सोसायटी के पैसे को खागये हैं, जो दो, तीन, पांच साल तक किश्तों को जमा नहीं कराते हैं, पैसा किस काम के लिए लेते हैं और किसी दूसरे काम में उसको गलत ढंग से उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं, उस तरह के आदमियों को आइन्दा किसी तरह से इनमें न आने दिया जावे, इसके लिए सख्त इन्स्ट्रक्शन होनी चाहिये तो वास्तव में हमारा आंदोलन काफी आगे बढ़ सकेगा।

इसके साथ साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं। अभी तक कर्जा देने का जो तरीका था, कर्जा वसूल करने का जो तरीका था, वह काफी गलत रहता आया है। ज्यादा तो मुझे अपने इलाके का अनुभव है। गरीब आदमियों पर जिन पर को-आपरेटिव का कर्जा है और उसके यहां पर दो-दो साल से अकाल पड़ा, अकाल पड़ने के बाद गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है, तो सारे का सारा कर्जे का पैसा वसूली का बोझ एक साथ उस पर लाद दिया गया। वह आदमी बेरहमी से चिल्लाता है कि वह इस कर्जे को नहीं दे सकता है, अगली फसल तक इस कर्ज की वसूली रोक दी जाय उसके बावजूद भी बेरहमी से वह वसूली की जाती है। पिछले साल का मुझे मालूम है। आषाढ़ का महीना आया, लोग खेत जोतने की तैयारी करते हैं, बीज, दाने के लिए वे मोहताज हो रहे है क्योंकि बारिस होगयी है इसलिए जमाना होगा, वे बीज के लिए इधर उधर चक्कर लगाते हैं और उसी महीने में को-आपरेटिव के कर्जे की वसूली का तकाजा आ जाता है। तो वे अपने खेतों को बोने का काम करे या को-आपरेटिव का कर्जा चुकावे इस प्रकार को-आपरेटिव सोसाइटी मदद देने के बजाय उल्टा लोगों को परेशान करती है। इसलिए यह ध्यान रखा जाना चाहिये कि किस वक्त तो किसानों से को-आपरेटिव का कर्जा वसूल किया जाये, किस टाइम पर उनको कर्जा दिया जाये, टाइम पर वसूल हो तो उन गरीब लोगों को जो अकाल के इलाके में रहते हैं, फायदा होगा। इसलिए उनके साथ रियायत की जानी चाहिये और उनसे इन्स्टालमेंट में कर्जा लेना चाहिये।

साथ ही साथ इसमें उपाध्यक्ष महोदय, एक चीज का ध्यान रखना चाहिये कि वास्तव में जो को-आपरेटिव सोसाइटी के अन्दर कर्जा दिया जा रहा है, तो वह कर्जा उसी को दिया जाये जिसके नाम से वह दिया जा रहा है। होता यह है कि किसी के नाम से कोई दूसरा कर्जा लेता है याने गलत नाम से और फिर नामांकित व्यक्ति से वसूल करने की कोशिश की जाती है, इसकी काफी शिकायतें आयी हैं। इसलिए यह जो कर्जा देने का सिस्टम है इस सारे

(श्री मोहरसिंह)

का हमें ओवरहालिंग करना चाहिये। कर्ज की टाइम से वसूली हो, इसका एक अच्छा तरीका निकाला जाये। इन सबको ध्यान में रख कर चलेंगे तो हमें सहकारी आन्दोलन को सफल बनाने में कामयाबी मिलेगी। परन्तु गरीबों को बीज दिया गया था उसका उनसे 303/- रुपया लिया जा रहा है और ब्याज भी उस पर काफी लगाया गया है। यह शिकायत आयी है कि जो गंवार का बीज उस वक्त दिया गया था तो उस वक्त का पैसा लगा दिया और इस फसल के मौके पर उसके भाव में गिरावट आ गयी। अब आप उससे 303/- रुपये प्रति क्विन्टल का लेंगे और उस पर ऊपर से ब्याज अलग से लगाया जा रहा है। तो इस पर भी सरकार को सोचना होगा कि यह आन्दोलन किस तरह से गरीबों के लिए हितकारी सिद्ध हो।

इसके साथ साथ उपाध्यक्ष महोदय, एक दो चीजें और जरूरी है। जो 1/3 आदमियों को गरीब तबके में से नामीनेट करने का प्राविजन रखा गया है यह ठीक है। लेकिन इनको कर्जा मिले तब उनको पटवारी से तस्दीक कराना पड़ता है। परन्तु देखने में यह आता है कि कई ऐसे व्यक्ति हैं जो भूमिहीन है, जो आर्टीजन है, उनके पास जमीन नहीं है तो पटवारी कैसे उनकी सिफारिश करेगा क्योंकि को-आपरेटिव से कर्जा उसकी ही सिफारिश पर दिया जाता है। अत: जो आर्टीजन है, जो भूमिहीन है जिनके पास जमीन नहीं है उनकी पटवारी कैसे तस्दीक करेगा और नहीं करेगा तो उसको कर्जा नहीं मिलेगा। इसलिए इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। जहां तक मेम्बरशिप का सवाल है दरख्वास्त के साथ ही मेम्बरशिप मिल जाएगी यह ठीक है। इसमें तो कोई बाधा नहीं है। इससे मेम्बरशिप बढ जायेगी और हमारा आन्दोलन भी बढ़ेगा। जो छोटी मोटी कठिनाइयां हम इस आन्दोलन में अब तक देखते आये हैं उनको हम सही ढंग से हल करने का भी, इसमें प्रावधान रखें जिससे हमारे इस सहकारी आन्दोलन का ज्यादा से ज्यादा लाभ गरीब और ग्रामीण जनता उठा सके और हमारे शहरी भाई भी इसका फायदा उठा सके इस तरह के प्रावधान इसमें और होने चाहिये जिससे हमारा सहकारी आन्दोलन आगे से आगे बढ सके। इन्हीं शब्दों के साथ यह जो आपका विधेयक है, उसका मैं स्वागत करता हूं और साथ ही साथ यह निवेदन करता हूं कि इस विधेयक से अधिक से अधिक जनता को लाभ मिले इसलिये इसे उसकी राय जानने के लिए प्रसारित किया जाए ताकि जो कुछ नुक्स इसमें रह गये हैं, उनको भी दूर किया जा सके ऐसी मेरी मान्यता है।

विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव

[निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया : "राजस्थान सहकारी संस्थान विधेयक, 1976 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाये, जो अपना प्रतिवेदन तीन दिन/एक सप्ताह/तीन दिन में प्रस्तुत कर (समिति के सदस्यों को नामावली दबा में प्रस्तुत कर दी जायेगी)।"]

श्री रामानन्द अग्रवाल : एटीट्यूड में चेन्ज हुआ है क्या ?

श्री विजयसिंह (मांडल) : उपाध्यक्ष महोदय, जो यह बिल यहां पर आज प्रस्तुत किया गया है यह बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही समय के अनुकूल और गरीबी को मिटाने की तरफ एक कदम आगे बढ़ाने वाला है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल में और भी कमियां रह गई हैं उन पर विचार करके कुछ और प्रावधान इसमें किये जायं तो वह ज्यादा अनुकूल होगा। इसलिये इसको प्रवर समिति को सौंप दिया जाय जो इस पर अच्छी तरह से विचार करके अपने सुझाव दे सके और इसको ज्यादा एक्जास्टिव और ज्यादा अच्छा रूप दे सके। अभी इस वक्त जो कानून बनाया है यह प्रोग्रेसिव कदम है। इसमें कमजोर तबके के लोगों को जिनको आज दिन तक भुलाया जाता था, जिनको प्रभावशाली जगहों पर जहां कम से कम पैसा वितरण करने का सवाल आता था, उन पर उनको नहीं लिया जाता था। अब 1/3 कार्यकारिणी में उनके सदस्य होंगे। यह बहुत बड़ी चीज है, लेकिन इसके अन्दर जो कार्यकारिणी है उसमें जो व्यापार करने वाले आदमी हैं, ट्रेडर्स हैं उनको ऋण देने वाली सहकारी समितियों में नहीं घुसने देना चाहिए। इस प्रकार का प्रावधान इन कानून में लाना चाहिए। वह ज्यादा बेहतर होगा।

इसके अलावा सरकार द्वारा नियंत्रित वस्तुओं का व्यापार इन संस्थाओं को देने का प्रावधान इसमें होना चाहिए। आज जहां पर दिया जाता है उसमें सरकार पहल करता है, लेकिन कई जगह ऐसे स्वार्थी लोग रहते हैं जो स्थानीय ऑफिसरों से मिल कर व्यक्ति विशेष से उस चीज का वितरण अपने हाथ में ले लेते हैं और वह सहकारी समितियों को नहीं मिल पाता है और इससे न तो गरीब लोगों को जो चीजें मुहैया होनी चाहिए वह मिल पाती है। सस्ता कपड़ा, सस्ती शक्कर, सस्ता अनाज और सस्ता केरोसीन, गवर्नमेंट कन्ट्रोल्ड जो भी कॉमोडिटीज हैं वह उनको नहीं मिल पाती हैं, और आज भी बड़ी गड़बड़ होती है। इसलिए इस कानून में यह प्रावधान होना चाहिए कि सरकार जिन पर नियंत्रण करें और उस चीज के डिस्ट्रिब्यूशन को अपने हाथ में ले तो वह डिस्ट्रिब्यूशन सहकारी समितियों के माध्यम से होना चाहिए। इतनी रकम उन के पास नहीं होती है कि वह सारी की सारी चीजों को थोक में खरीद सकें और वितरण करें तो अपने पास में रख सकें। इसके लिए इन संस्थाओं को और ज्यादा पैसे के मायने में सबल बनाया जाना चाहिए। जो बैंक्स हैं, को-आपरेटिव बैंक्स हैं, एपेक्स बैंक्स हैं उनको केवल ऋण देने के लिए ही नहीं बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा भी दूसरी तरह से भी उनको सक्षम बनाने के लिए, व्यापार के लिए भी और अधिक से अधिक ऋण दिया जाना चाहिए मैं समझता हूं कि इस वक्त जो रकम ऋण वगैरह के लिए सहकारी समितियों का रखा है वह 50 करोड़ के करीब है। यह बहुत कम है। इन 50 करोड़ के बजाय गवर्नर साहब के अभिभाषण पर बोलते समय माननीय गिरधारीलाल व्यास ने कहा था कि 500 करोड़ रखना चाहिए, तो 500 करोड़ रखने में हम सक्षम होंगे तब देंगे, लेकिन 50 करोड़ तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। इसको बढ़ाकर ज्यादा करेंगे तब कभी जाकर यह सोसाइटीज और दूसरे काम करने के लिए, उत्पादन में सहयोग देने के

(श्री विजयसिंह)

लिए और दूसरे व्यापार को हाथ में लेने के लिए कुछ सक्षम हो सकते हैं ।

इसके अलावा आज इनके चुनाव समय पर नहीं कराये जाते हैं, वह इसके अन्दर बड़ी भारी कमी है । कई जगहों पर चुनाव असिस्टेंट रजिस्ट्रार और इन्सपेक्टर्स के ऊपर निर्भर करते हैं । अगर वे चाहें तो किसी भी कार्यकारिणी को सालों तक चलाये जायं, और अगर न चाहें तो किसी बहाने से भंग कर डालें और दूसरों को रिप्लेस कर सकते हैं । चुनाव प्रभावशाली नहीं होते हैं और न चुनावों के माध्यम से वह व्यक्ति, जो मेम्बर तो हैं और कार्यकारिणी में आना चाहिएं, नहीं आ पाते हैं, और उनके न आने की वजह से कुछ वेस्टेड इन्ट्रेस्ट के लोग होते हैं वह लोग सारी रकम का और सहकारी समिति से जो भी फायदे होने चाहिएं उनका यह फायदा उठाते हैं । चुनाव और ज्यादा प्रभावशाली बनाने चाहिएं, और असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार और को-आपरेटिव इन्सपेक्टर्स इनको जो पावर्स हैं इस मायने में, चुनाव के मायने में उनको कर्टेल करके एक पालिसी निर्धारित कर दी जानी चाहिए कि सोसाइटीज के फलां तारीखों को आम चुनाव सारे राजस्थान में एक साथ हों । इस तरह का प्रावधान इसमें जरूर होना चाहिए और चुनाव के अन्दर जो दूसरे ऑफिसर्स, रिटर्निंग आफिसर्स बनाये जाते है वह इस डिपार्टमेंट के बनाये जायं, क्योंकि इस डिपार्टमेंट के लोगों के वेस्टेड इन्ट्रेस्ट कार्यकारिणी के साथ हो जाते हैं, तो इनके अन्दर पंचायत समिति के अधिकारियों जो एक्सटेन्शन्स आफिसर्स होते हैं अथवा और तहसील के दूसरे लोगों को उनमें रखना चाहिए । यह प्रावधान इस कानून में नहीं है । यह जरूरी प्रावधान है इसको इसमें रखा जाना चाहिए ।

इसके अलावा, डिफाल्टर्स आज इतने हैं कि करोड़ों रुपयों का बकाया आज लोगों के अन्दर हैं । जैसा कि मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि उन लोगों से यह पैसा वसूल किया जाता है जो कि गरीब हैं । गरीबों को मार पीटकर, डंडे के जोर से यह पैसा वसूल किया जा रहा है, पठान वसूली होती है, लेकिन जो लोग सम्पन्न हैं और जिनके अन्दर लाखों रुपयों की रकम बाकी है, एक एक आदमी एक एक लाख रुपया लेकर बैठा है और या तो राजनैतिक दृष्टिकोण से या सामाजिक दृष्टि से सशक्त हैं वह प्रभावित कर सकता है सरकारी ऑफिसरों को तो उससे वह वसूल नहीं किया जा सकता है, और बड़ी बड़ी रकमें उनमें बाकी हैं । राजस्थान के अन्दर और खासतौर से भीलवाड़ा के अन्दर बहुत ज्यादा वसूली हो रही है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वसूली जो हो रही है वह उनसे ही हो रही है जो मजबूर होकर रकम दे देते हैं, और जो मजबूर नहीं होते हैं किसी से वह कानून की गिरफ्त में नहीं आते हैं और ऑफिसरों को राजी करके इस साल नहीं तो आयन्दा साल वसूली को मुल्तबी करवा देंगे । तो इस कानून में यह प्रावधान होना चाहिए कि जो डिफाल्टर हैं चाहे वह किसी तरह का प्रभाव रखते हों उसका असर नहीं होने दें ।

इसके अलावा, आज ओपन मीटिंग में ऋणों का वितरण किया जाना चाहिए । आज क्या होता है कि ऋण सैक्रेटरी और

(श्री विजयसिंह)

अध्यक्ष जाकर जो भी लोनीज होते हैं उनके खिलाफ पर ले आते हैं और वह रकम उन लोनीज तक नहीं पहुंचती है जिनके कि नाम की दरख्वास्त बनाकर फार्म भरा जाता है। इसलिए ओपन मीटिंग के अन्दर ऋण तकसीम किये जाने चाहिएं, और ओपन मीटिंग में ऋण तकसीम करने से कम से कम यह हो जायगा कि मानलें किसी आदमी से निशान अंगूठा करवाया है उसको मालूम हो कि उसमें पहले की कोई रकम बाकी नहीं है और रुपया लेना चाहता है और उसके नाम से यह रकम लाये हैं तो उसे मिली है या नहीं। यह ओपन मीटिंग में बात सामने आ सकती हैं। आज जिस तरह से एलाटमेंट होता है ओपन मीटिंग में जमीनों का इसी तरह से ऋण तकसीम किया जाय, वितरित किया जाय, तो यह बहुत अच्छी प्रणाली होगी। इसका इस कानून में प्रावधान होना चाहिए।

इसके अलावा, जो एक दिक्कत पैदा होती है जैसा कि माननीय सदस्य, मोहर सिंह जी ने कहा कि पटवारी के पास तस्दीक कराना जरूरी है तो पटवारी निश्चितरूप से अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए हरएक माध्यम से अटकाता है। इसको हम महसूस करते हैं। जब पास बुकें वितरित हो चुकी हैं इसलिए पास बुकों के आधार पर क्रेडिट लिमिट जो है वह तय कर दी जानी चाहिए और पटवारी की तस्दीक की आवश्यकता नहीं रखी जानी चाहिए। यह बहुत बड़ी दिक्कत है जो कि मिट सकती है।

इसके अलावा, मैं तो यह निवेदन करूंगा कि आज जो यह एक-तिहाई रखे हैं दलित वर्ग या वीकर सेक्शन के लिए तो यह आपने वीकर सेक्शन के नाम से रखे हैं। उसके अन्दर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के खासतौर से होने चाहिएं। इसलिए वीकर सेक्शन को जो इसमें परिभाषित किया गया है उसकी परिभाषा को परिमार्जित करके शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के दो मेम्बर्स और कर दिये जायं। ऐसी बात इसमें नहीं है वीकर सेक्शन में दूसरे लोग भी अपना नाम लिखा सकते हैं यानी स्थानीय लोग जो इस परिभाषा में दूसरे लोग आते हैं उनको रख लेंगे, और इन दोनों जातियों को मैं समझता हूं कि इग्नोर किया जायगा, और यही दिक्कत फिर आयेगी। जब आज शासन और राज्य-व्यवस्था की आंखें इस तरफ हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को ऊंचा उठाया जाय। वह सैकड़ों पीढ़ियों से दलित हैं और उनको दबाया गया है और उनको जानवरों की जिन्दगी बसर करने के लिए मजबूर किया गया है, इसलिए उनको उठाया जाना चाहिए। शासन की दृष्टि उस तरफ है। इसका फायदा उनको नहीं हो सकेगा तो इसमें यह जोड़कर-as well as two persons-one from scheduled castes one from scheduled tribes इस तरह का प्रावधान इसमें कर दिया जाय तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। बस मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा।
(अनुपस्थित)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली।
(अनुपस्थित)

(श्री शंकरलाल)

श्री शंकरलाल (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने राजस्थान सहकारी संस्था (संशोधन) विधेयक, 1976 को प्रवर समिति को सुपुर्द करने का संशोधन रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, यह तो निस्सन्देह ठीक है कि इससे राजस्थान के अन्दर सहकारी-क्षेत्रों के अन्दर पिछड़े हुए वर्ग के जो मनुष्य हैं उनके लिए एक द्वार खुला है, उनको ऋण देने का मार्ग खुला है, और उनके कुछ अपने अधिकार इस तरह से बने हैं। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, कानून बनते हैं, उनका पालन होता है या नहीं, और उनका पालन कैसे कराया जाय, सबसे बड़ी दिक्कत और सबसे बड़ी अड़चन जो हमारे सामने आती है वह उस बात की है।

इसलिए कानून बनाते समय इस बात का पूरा ध्यान रखें कि वास्तव में इसका पालन हो सकेगा, वास्तव में इसकी क्रियान्विति हो सकेगी, यह मैं समझता हूं बहुत ही जरूरी है और इसीलिये मैंने इसको प्रवर समिति के सामने रखने के लिये प्रस्ताव रखा है। उदाहरण के तौर पर मैं आपके सामने यह रखूं कि इस बिल में यह बताया गया है कि जिस दिन कोई भी सदस्य सोसायटी के अन्दर दरख्वास्त देगा उसी दिन से वह सोसायटी का सदस्य मान लिया जायगा। आपका क्लाज 4 है जिसके द्वारा आपने सैक्शन 19 के अन्दर संशोधन करना चाहा है कि—"every person including one belonging to weaker sections who applies for membership shall be deemed to have been admitted to such membership."

अब प्रश्न यह आता है, उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार सहकारी समितियां कार्य करती हैं, आज एक कमजोर वर्ग का मनुष्य अपनी दरख्वास्त लेकर गया कि मैं इस सोसायटी का सदस्य बनना चाहता हूं। आज हालत यह है कि क्या आप यह समझते हैं कि उसकी दरख्वास्त एन्टरटेन होकर के उसको कहा जायगा कि वह सदस्य बन जायगा। होता दरअसल में यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि उसकी दरख्वास्त भी नहीं ली जाती है और जब दरख्वास्त नहीं ली जाती है तो आपकी यह जो बात है कि दरख्वास्त लेते ही सदस्य मान लिया जायगा, यह ठीक नहीं होगी। सोसाइटियों के अन्दर आप जानते हैं कितनी राजनीति और ग्रुपबाजी चलती है। आज सोसाइटियों के अन्दर कितने ही ऐसे लोग हैं जो पदाधिकारी बने रहना चाहते हैं, वह चाहते हैं कि उनको ही पदाधिकारी बने रहने दिया जाय, उनको ही सैक्रेट्री और अध्यक्ष बनाया जाय और सारी सत्ता उन्हीं के हाथों में रहे और उन्हीं के आदमियों को ऋण मिलता रहे और सारे काम वे अपनी मर्जी के अनुसार करते रहे। इसलिए आपने जो मेम्बरशिप का द्वार खोला है उसमें कमजोर वर्ग के लोगों की दरख्वास्तें कैसे एन्टरटेन हो सकेंगी, इसका क्या इलाज होगा यह इसमें नहीं बताया गया है। इसलिए यह विचार किया जाना चाहिए कि अगर कमजोर वर्ग के लोगों की दरख्वास्तें एन्टरटेन नहीं की जाती हैं तो वह सहायक रजिस्ट्रार या इन्स्पेक्टर के पास जा सकेगा और उसकी सुनवाई नहीं होती है तो आगे भी वह दरख्वास्त दे सकेगा। इसलिए अगर इस बिल को प्रवर समिति को भेज दिया जाता तो इस पर विचार किया जा सकता था कि

(श्री शंकरलाल)

इस दिक्कत को कैसे दूर किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाली जिले के अन्दर भूमि विकास बैंक के चुनाव आ गये और उस समय तक जिले की फार्मिग सोसाइटियों को उसमें मेम्बरशिप नहीं मिली और यह उनके अधिकार की बात थी तो इसके लिए सहायक रजिस्ट्रार को कहा गया और डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी, जो ट्वन्टी प्वाइन्ट प्रोग्राम की है, की मीटिंग में भी इस बात को उठाया गया। उपाध्यक्ष महोदय, फार्मिग सोसाइटीज में बहुत से प्रोग्रेसिव फार्मर्स होते हैं और उनको भूमि विकास बैंक की मेम्बरशिप नहीं मिले तो मेरी समझ में नहीं आता कि वहां पर कमजोर वर्ग की सुनवाई कैसे होगी। सुनवाई नहीं होती इसलिए मैं इस समस्या को दूर करने के लिये इस बिल को प्रवर समिति को भेजना चाहता हूं।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, जो इसमें नोमीनेशन की रखी है यह सही बात है कि सोसाइटियों में चुनाव नहीं होते हैं तो नोमीनेशन करेंगे। लेकिन हमारे पाली जिले में भूमि विकास बैंक में नोमीनेशन का प्रस्ताव रखा और चुनाव हो रहे हैं 20 जनवरी को और को-आपरेटिव बैंक के चुनाव हो रहे हैं 13 जनवरी को। लेकिन चुनाव के बाद में नोमीनेशन होगा, यह बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा माननीय मन्त्री महोदय को कि कम से कम राजनीति और ग्रुपबाजी को घुसने दें सहकारिता में। तभी क्रियान्विति के लिए सहकारिता सफल हो सकेगी। अगर सरकारी इन्स्टीट्यूशन्स हो जायगी तो फिर कानून बनाने से कोई समस्या हल होने वाली नहीं है। आखिर क्यों भूमि विकास बैंक के चुनाव स्थगित किये, क्यों को-आपरेटिव बैंक के चुनाव स्थगित किये? यह कारण बताया गया कि अभी सत्र चल रहा है, तो मैं यह पूछना चाहता हूं कौन माननीय सदस्य ने यह मांग की कि चुनाव को स्थगित किया जाय और माननीय सदस्य उसमें भाग नहीं लेना चाहते हैं? कौन माननीय सदस्य कहते हैं कि वे स्वयं चुनाव कराना चाहते हैं? किस व्यक्ति के कहने से, मुझे मालूम है मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता जो स्वयं मेम्बर नहीं है और वहां पर केवल राजनीति की वजह से, अपने प्रभाव से और यह बताने के लिए कि सरकार में उनकी कितनी चलती है और व्यक्तिगत आदमी को भी ले सकते हैं, उनको समय चाहिए इसलिए चुनाव स्थगित कर दीजिये। अगर इस तरह की क्रियान्विति हुई तो कोई मकसद हल नहीं होगा। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि चुनाव आपने स्थगित किये परन्तु जब आपने कोई आगे की तारीख भी मुकर्रर नहीं की तो नोमीनेशन भी स्थगित कर दीजिये। एक तरफ तो कमजोर वर्ग को सदस्य बनाकर उसको राहत पहुंचाना चाहते हैं और दूसरी तरफ चुनाव स्थगित करते हैं, यह समझ में नहीं आता।

दफा 36 के अन्दर आप अमेन्डमेंट लाये हैं और 36 के अमेन्डमेंट के अन्दर आपने इस बात का प्रावधान रखा है कि पेज 5 के ऊपर अगर कोई नोमीनेटेड कमेटी करेंगे और उस नोमिनेटेड कमेटी की जगह इलेक्शन नहीं होगा तब तक चलेगी। मगर इसमें भी एक प्रोविजन लगा दिया। यह

(श्री शंकरलाल)

पेज फाइव के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं:—

"Provided that the State Government may, by order, extend the period of office of a nominated committee for such time not exceeding one year as may be specified in the order;"

यहां जो पहली बात है वह यह है कि नोमीनेटेड कमेटी भंग करेंगे नहीं, इलेक्टेड कमेटी होनी चाहिए। पहले उसको भंग करके, भंग करनी पड़ेगी तो उसके बाद में उसके पीरियड को बढ़ाना उचित नहीं है। आपका जो डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपल है और जो कि को-आपरेटिव मूवमेंट का आधार है उसको तो आपको मानना पड़ेगा आप चाहे कितने ही ऐसे कानून बनाते चले जायं, यदि आप डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपल से हट जायेंगे तो जितनी भी सहकारी संस्थायें हैं वह डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन्स नहीं रह कर गवर्नमेन्ट की इन्स्टीट्यूशन्स रह जायेंगी चाहे आप नोमीनेटेड सदस्यों को निकाल ही दें, इसलिए मेरा निवेदन है कि यह प्रोविजन गलत है। इस बार जब पीरियड एक्सपायर हो जाय तो चुनाव कराये जाने चाहिएं, इसमें क्या दिक्कत आती है।

दूसरा क्लॉज 8 के अन्दर जो सेक्शन 65 का है उसके अन्दर आपने प्रक्रिया की बात कही है। उसके अन्दर यह कहा गया है कि वीकर सेक्शन को प्राइमरी सोसाइटीज में 1/3 लोन दिया जायगा, यह सही है और कई माननीय सदस्यों ने इसकी तारीफ भी की है और मुझे भी इसकी तारीफ करनी पड़ेगी सरकार की और माननीय मन्त्री महोदय की, कि 1/3 लोन वीकर सेक्सन को मिले लेकिन आगे जाकर यह कहा है कि लैण्ड डवलपमेंट बैंक का लोन 25 पर्सेन्ट दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कमजोर वर्ग जो है उसको तो लैण्ड डवलपमेंट बैंक से जो लोन मिलता है उससे ही राहत मिल सकती है, को-आपरेटिव बैंक से तो उनको शार्ट टर्म लोन मिलता है और लैण्ड डवलपमेंट बैंक से 25 पर्सेन्ट जो रखा है उसका क्या आधार है यह समझ में नहीं आता जबकि लैण्ड डवलपमेंट बैंक से ही उनको ज्यादा राहत मिल सकती है और सोसाइटीज के लिए तो 1/3 और लैण्ड डवलपमेंट बैंक के लिए 25 पर्सेन्ट, ऐसा क्यों? इस बात की चर्चा प्रवर समिति में आवे और इस पर विचार करें तो इसका हल निकाला जा सकता है कि लैंड डवलपमेंट बैंक से भी वीकर सेक्शन को 1/3 ही ऋण दिया जाना चाहिए। इसका सेक्शन है 78ए, इम्प्लोइं को-आपरेटिव बैंक्स के बारे में। इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटर अपाइन्ट करने का है, वह मैं बताना चाहता हूं। इसमें है:

"...appointment of an administrator therefor for such period or periods, not exceeding five years in the aggregate. ."

पांच साल तक प्रशासक को मुकर्रर रखने का अधिकार रखना चाहते हैं। इस प्रकार आप डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन्स को राजस्थान में पनपाना चाहते हैं? इससे पता चलता है कि किस तरह का विचार है आपका

(श्री शंकरलाल)

लोकतंत्र के लिए। पांच साल के लिए एडमिनिस्ट्रेटर, इसके बजाय एडमिनिस्ट्रेटर साल भर के लिए रखें या ज्यादा से ज्यादा चुनाव नहीं हों तब तक रखें। इस बिल में एक तरफ कमजोर वर्ग के लिए लिखा है, साथ ही इसमें आप डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपल से डेविएट हो रहे हैं। इस ओर आपको गम्भीरता से ध्यान देना चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह प्रवर समिति में बिल जाय तो वहां इस पर ध्यान दिया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था, आज को-आपरेटिव मूवमेंट को पब्लिक मूवमेंट, जनता का आन्दोलन बनाने की जरूरत है। इसके लिए हमको यह देखना पड़ेगा कि जहां हम इस बिल की तारीफ करें, साथ ही साथ राजस्थान के अन्दर जिस प्रकार को-आपरेटिव मूवमेंट के बारे में जिस प्रकार की चर्चायें हो रही है, जिस प्रकार के प्रतिदिन अखबारों में समाचार पढ़ने को मिलते हैं वह वास्तव में खेदजनक स्थिति सामने आती है। इस बात से हमको आंख नहीं मूंदनी पड़ेगी। राजस्थान पत्रिका 17 जनवरी – सहकारी बैंक की ··

(1.02 म. प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पीठासीन)

दुर्दशा राजस्थान पत्रिका में एडीटोरियल है, जयपुर की मर्केन्टाइल बैंक की दुर्दशा के बारे में उन्होंने लिखा है। उन्होंने लिखा है कि बैंक में 21 लाख रुपये की राशि जमा थी और ऋण दिया है 41 लाख रुपये का। इस प्रकार की आपकी यह को-आपरेटिव बैंक है। यह भी सुना गया, इस बैंक के लिए आप यह कहेंगे कि स्टे आर्डर आगया है····

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, इस बैंक के अध्यक्ष माननीय सहकारी मंत्री के कृपापात्र हैं। सुबह आकर वह मंत्रीजी को उठाया करते थे।

श्री शंकरलाल : यह जानकारी मंत्री जी को होगी, या आपको होगी। वह बता देंगे। यह सही बात होगी तो मंत्री जी बता देंगे, कृपापात्र थे, क्या बात थी यह बात जरूर है, कृपापात्र····

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय सदस्या ने काफी विजिलेंस रखा है, माननीय मंत्री जी की एक्टिविटीज पर, कौन उठाता है, कौन जगाता है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज !

श्री शंकरलाल : मंत्रीजी जवाब देंगे कि वह कृपापात्र थे, क्या थे। अब जेल में हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इस आधार पर कह सकती हूं कि माननीय मंत्री के बहुत नजदीक के हैं उनको रस्क था, वह चाहें जब उनके पास जा सकते थे और उनके इलाके के लोगों का मिलना नहीं होता था डाइरेक्टर पुष्प कुमार नेगी, मर्केन्टाइल बैंक के, बिना रोकटोक के जा सकते थे।

श्री शंकरलाल : माननीय सदस्या को पता है····

श्री सभापति : आप अपनी बात कहिये।

Page No 55

(55)

श्री शंकरलाल : चेयरमैन जेल में है। सभापति महोदय, आज वहां के डाइरेक्टर नन्दलाल भाटिया जेल में हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वह जेल में बैंक की वजह से नहीं हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल - आर.एस.एस. की वजह से है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जेल में भेजने का कारण बैंक की दुर्दशा नहीं है, और कारण है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ! No interruption ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं सदन को जानकारी दे रही हूं। आप कह रहे हैं, No interruption !

श्री सभापति : जानकारी दे दी है। जानकारी के हिसाब से आप जानकारी दे सकती हैं।

श्री शंकरलाल : बैंक में दुर्दशा के कारण जेल में हैं या नहीं – यह माननीय मंत्री जी बतायेंगे, मैं नहीं बता सकता हूं। माननीय अग्रवाल साहब ने कहा कि आर. एस. एस. के एक्टिव मेम्बर हैं, इसका भी स्पष्टीकरण मंत्री महोदय करेंगे।

मैं कहना चाहता था कि बैंक, को-आपरेटिव आधार पर चलने वाली बैंक है उसकी दुर्दशा के समाचार अखबारों में आ रहे हैं, इसलिए केवल कानून बना कर वाहवाही नहीं लेनी है। आप कानून बना रहे हैं, अच्छा कानून बना रहे हैं, लेकिन उसका अच्छा इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। आज पब्लिक में कैसी इमेज हो रही है इस मूवमेंट की – इसको ध्यान में रखना चाहिए।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

पाली जिले का एक असेम्बली क्वेश्चन था जो समयाभाव के कारण नहीं आ सका, शिड्यूल्ड कास्ट के श्री बिरदाराम ने वह प्रश्न उठाया था। बिसलपुर सोसाइटी पाली डिस्ट्रिक्ट के अन्दर है, मैं कहना चाहता हूं कि इस सोसाइटी की हालत देखिये। शिड्यूल्ड कास्ट के अध्यक्ष हैं, गोमाराम जटिया, वह खुद मेरे से मिले और उन्होंने पत्र दिये हैं। 1 लाख 68 हजार बैंक से सदस्यों के लिए मन्जूर हुए 87 मेम्बरों के लिए। विशनसिंह उसके मंत्री हैं। इसमें से रुपया वितरित कितना हुआ, 17807, बाकी रुपया है वह सोसाइटी के मेम्बरों के नाम पर फर्जी अंगूठे लगा कर वितरित-शुदा बता दिया गया। उसकी यह असल कापी है, सभापति महोदय, जो मुझे दी है। माननीय मन्त्री महोदय चाहेंगे तो मैं बता दूंगा। अध्यक्ष लिखा हुआ है लेकिन दस्तखत नहीं हैं। बेलाराम, मगनसिंह हैं वह कह रहे हैं कि हमारे दस्तखत नहीं हैं, यह फर्जी दस्तखत हैं। 1 लाख 68 हजार का ऋण मंजूर हुआ है उसमें से केवल 17807 वितरित हुए। एक तरफ आप शिड्यूल्ड कास्ट्स को मदद देने की बात करें, दूसरी तरफ शिड्यूल्ड कास्ट्स की सोसायटी है, शिड्यूल्ड कास्ट के उसमें अध्यक्ष हैं लेकिन विशनसिंह मंत्री और दूसरे मिल कर इतना घोटाला करें तो, सभापति महोदय, सहकारी आन्दोलन के बारे में हमारा और जनता का क्या विचार हो सकता है। आप जो कानून बनायें, उसको क्रियान्वित करें और सहकारी आन्दोलन में

(श्री शंकरलाल)

घुन लगा हुआ है, जो आदमी व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण कितने ही वर्षों से बैठे हुए हैं और लोगों के फर्जी नाम से, बेनामी ऋण लेकर अपना धन्धा चला रहे हैं, उनको जब तक नहीं रोकेंगे, तब तक केवल कानून बना देने से ही गरीब तबके के लोगों को राहत नहीं मिल सकती है। गरीब लोग जायेंगे, सोसायटी का दरवाजा खटखटायेंगे लेकिन उनको अन्दर नहीं आने देंगे। जब तक वह लोग बैठे हुए हैं, जो इस सहकारी आन्दोलन का नुकसान करने वाले हैं। इसलिए सबसे पहली जरूरत यह है इसलिए इसको प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव रखा था ताकि इस कानून में यह प्रावधान रखेंगे। आप कहेंगे कि मर्केन्टाइल बैंक के बारे में स्टे ऑर्डर आगया है। जैसे तस्कर लोग कानून से बचते थे, इसलिए आपने उन पर मीसा लगा दिया। उसी तरह जो लोग जनता के धन का दुरुपयोग कर रहे हैं और हाईकोर्ट से स्टे लाते हैं वह कानूनी अड़चन न लगायें, इसके लिए आप मीसा के अन्दर उनको बन्द करके सहकारी आन्दोलन का शुद्धिकरण कीजिये। जब तक आप इस को-आपरेटिव मूवमेंट का शुद्धिकरण नहीं करेंगे तब तक एक कानून बना देने से या बातों से समस्या हल नहीं होने वाली है। इसलिए सभापति महोदय, बहुत जरूरी है कि राजस्थान के अन्दर सहकारी आन्दोलन का शुद्धिकरण करें और इसके अन्दर जो लोग बैठे हुए हैं गबन करने वाले और गलत लोग उनके खिलाफ कार्यवाही करें तब जाकर गरीब लोगों के लिए दरवाजा खुलेगा। यह तभी सम्भव हो सकता है जब मंत्री महोदय इस बात को स्वीकार कर लें और तीन चार दिन में प्रवर समिति में इस बिल पर विचार होने के बाद एक ऐसा कानून बनायें जिससे सहकारी आन्दोलन का शुद्धिकरण हो सके।

मैं केवल एक बात और कहना चाहूंगा एक बात केवल, और वह यह है कि आज सहकारी आन्दोलन जिस प्रकार चल रहा है, इसमें पहले हमारी सहकारी शिक्षा और सहकारी यूनियन को ज्यादा इम्पार्टेंस दी जाती थी ताकि इसको पब्लिक मूवमेंट बनाने में सफल हों। अब वह खत्म हो रही है। मैं यह कहना चाहूंगा मंत्री महोदय को और यहां के प्रशासन को कि वह सोशलिस्ट कन्ट्रीज में जाकर देखें कि को-आपरेटिव मूवमेंट कौन चला रहा है। वहां सरकार नहीं चलाती है। वहां कानून से सहकारी आन्दोलन नहीं चलता है। यूगोस्लाविया में देखिये, दूसरे देशों में देखिये, वहां कम्यून्स बने हुए हैं, यूनियन बनी हुई है। सोसायटी के नान ऑफिशियल यूनियन के आदमी हैं, उनके नीचे प्रशासन के लोग काम करते हैं और इस प्रकार जन-आन्दोलन बना हुआ है। आज यहां जन-आन्दोलन न बना कर सहकारी आन्दोलन को सरकारी आन्दोलन बना रहे हैं। इस पर गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा। तभी जाकर समाज के उन लोगों को, 21 पाइन्ट कार्यक्रम के अनुसार मदद दे सकेंगे। उनको मदद देनी चाहिए और खुल कर मदद देनी चाहिए। इतना ही कह कर मैं क्षमा चाहूंगा माननीय मन्त्री महोदय से।

श्री सभापति : श्री झाबरमल सूण्डा।

श्री झाबरमल सूण्डा (फतेहपुर) : सभापति महोदय, जो को-आपरेटिव अमेंडमेंट बिल रखा गया है इसके आब्जेक्ट्स देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इसके अन्दर तरमीम करने के लिए इसको जनमत

(श्री झाबरमल सुण्डा)

जानने के लिए प्रसारित किया जाय। को-आपरेटिव मूवमेंट में, जब इन्दिरा गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष थी 1959 में तब से मेरा बहुत नजदीकी का सम्बन्ध है। मद्रास में सारे देश के लोग थे, राजस्थान से जो गए उनमें मैं भी था। इसके बाद ए. आई. सी. सी. की रिपोर्ट आई। श्री मांगीराम भी उसमें थे। तब से को-आपरेटिव मूवमेंट के लिए मुझे काफी जानकारी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो मन्त्री को-आपरेटिव के मामले में 1948 से जागरूक हैं उन्होंने 1948 में जो अपने क्षेत्र में सहकारी भण्डार बनाया था और उसमें लगन से काम किया था, उनकी जानकारी मुझसे भी पुरानी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस मामले को और गहराई से देखें। हमारी जो इकानामी है उसमें प्राइवेट सैक्टर और पब्लिक सैक्टर हैं, हमने बीच में कोआपरेटिव सैक्टर मंजूर किया था, वह इसलिए कि बहुत भारी चीजें जो हम प्राइवेट तो नहीं दे सकते परन्तु ऐसी चीजें जिनमें मास इन्वाल्वमेंट हो। हम सहकारी आन्दोलन को अपनाते हुए भी बहुत पिछड़ गए। इसका कारण यह है कि डेडीकेशन की भावना जिन लोगों में थी, जो लोग निष्ठा से इसमें रहना चाहते थे, उनको पूरा मौका नहीं मिला और वे लोग जो दिल से पसंद नहीं करते थे और मौके का फायदा उठाना चाहते थे वे जल्दबाजी में हावी हो गए और वे लोग जिनके लिए हम चालू करना चाहते हैं, वे दूर हो गए। कुछ तो हमारे लेजिस्लेशन में कमी रही, कुछ निष्ठा-वान लोगों को मौका नहीं दिया। इसलिए मेरी गुजारिश है कि इस एक्ट को काफी डेमोक्रेटिक बनाया जाय लेकिन अगर को-आपरेटिव मूवमेंट को सबल बनाना है, तो हमें इस दिशा में सोचना पड़ेगा। जो गरीब देश है जो विकास की तरफ जा रहे हैं, उनका एक रास्ता हमारा को-आपरेटिव है, उसको इससे धक्का न दिया जाए, उसके लिए इसमें काफी गुंजाइश रखी जाए। इस कानून में जो नए संशोधन हुए हैं, जिनके तहत यह बिल आया है, यह काफी प्रोग्रेसिव है। राजस्थान में इसके लिए शोभाराम कमेटी भी बनी थी। लेकिन इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया कि आखिर लोगों को इसमें किस तरह से इन्वाल्व करें और हमने इसमें यह बात रखी कि दरख्वास्त देते ही सदस्य बनाया जाए। दरख्वास्त देकर सदस्य बन जाता है लेकिन हमारे आॅफिसर्स स्टाफ जिनके भरोसे हमने उनको छोड़ा हुआ है, वे इसमें रुचि नहीं लेते हैं। श्रीमाधोपुर में एक गांव है, 100 आदमियों ने दाखिल होने की दरख्वास्त दी, रुपए जमा करा दिए, उसके बाद भी उनको नहीं लिया गया तो वे जयपुर आए। उनको विलेज लेविल पर टरकाया जा सकता था लेकिन उनको यहां आना पड़ा।

मैं चाहता हूं कि यह जो लेजिस्लेशन लाया जा रहा है कि दरख्वास्त देते ही सदस्य बन जाएगा, उनको बनाया जाना चाहिए। राजस्थान में 2,60,000 मेम्बर हैं। सीकर में मैंने देखा 35 के एवरेज में एक गांव आता है, कई पंचायतों में ज्यादा गांव हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बहुत कम सदस्य हम बना पाए हैं। जो 1971 मुर्दुमशुमारी की लिस्ट बनी हुई है, उसके हिसाब से तो अब और सदस्य हो जायेंगे। जिसके पहले 50 सदस्य थे उन्होंने 5 और भी जोड़ लिए। तो यह ऐपरंट सदस्य हैं, रीयल नहीं है। कुछ लोग, जिनको मेनेजमेंट से एलर्जी है, चाहते हैं कि हमारा भला नहीं

(श्री झाबरमल सूण्डा)

हो सके। मैं चाहता हूं कि ऐसी सोसाइटीज जिनमें लम्बे समय से वही मैनेजिंग कमेटी बैठी है जिसको लोग नहीं चाहते हैं उसको भंग किया जाय। किसको बिठाया जाय मैं न सरकार पर छोड़ना चाहता न उन पर। जैसे ग्राम सभा होती है वहां वेही लोग आयेंगे जो वास्तविकरूप से उस गांव का भला करना चाहते हैं। मैं इस मामले में यह अपेक्षा करता हूं, आवश्यकता महसूस करता हूं कि सारे ग्रामीण शत-प्रतिशत जब तक सदस्य नहीं बनाए जायेंगे ग्रामीण सोसाइटीज के तब तक यह मूवमेंट आगे नहीं बढ़ेगा। राजनैतिक उत्पीड़न है, पंचायतों में तीन दल हैं। आए दिन हम पंचायतों के चुनाव की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की चीजें को-आपरेटिव सेक्टर में 40 पर्सेन्ट है। सीकर सोसाइटी में 55 प्रतिशत है लेकिन एक तो डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हम चाहते थे तो भी दूसरों को मौका न देने से बात ठीक नहीं हुई। एस० डी० ओ० या तहसीलदार ने रिकमेंड कर दिया, सोसाइटी बना दी। उसका कारण यह है कि सोसाइटी के पास फण्ड्स नहीं है, कुछ आदमियों से उधार लेकर सोसाइटी अपना काम चलाती है, उसकी मन्शा के अनुसार उनको करना पड़ता है, उनकी मर्जी से मेम्बरशिप एलोउ होती है। इसलिए अगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को-आपरेटिव तरीके से करना है तो हमें को-आपरेटिव के लिए शत-प्रतिशत फण्ड्स इकट्ठे करने पड़ेंगे।

मैं चाहता हूं कि शेयर कैपिटल के चाहे 5 प्रतिशत फण्ड्स मिले, मेरी इच्छा तो ज्यादा कराने की है लेकिन न तो बाईंडिंग हो कि कुछ सदस्य उसमें से इतना पर्सेन्ट देंगे और अमुक पर्सेन्टेज को-आपरेटिव सोसाइटी में जमा होगा ताकि डे-टु-डे के काम में आएगा।

हम रूरल बैंक्स की बात करते हैं, गरीब को साहूकार के चंगुल से छुड़ाने की बात करते हैं तो हमें इसके लिए आल्टरनेटिव व्यवस्था करनी पड़ेगी। राजस्थान में ऐसे बैंक्स खुले हैं, छोटे ब्रांच भी खुले हैं लेकिन यह ऐसी चीज है जिसमें न तो भरोसा किया जा सकता है कि ऐसे बैंक्स सारे राजस्थान में पैसा दिला देंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आल्टरनेटिव व्यवस्था करें। आज हम साहूकार से गरीब का पिण्ड छुड़ाने की बात करते हैं, उसका भी यही रास्ता है और इस रास्ते को आगे बढ़ाने के लिए इसी बिल में जो बात कही गई है, वह एक मजबूत कदम है। इससे गांव के लोगों को अपना पैसा देने में झिझक नहीं होगी। इस तरह की परेशानियां हो रही है उनसे पिण्ड छुड़ाने के लिए अपना पैसा भी को-आपरेटिव्ज को देंगे, अमुक पर्सेन्टेज रखना चाहेंगे वह सेफ रह जायेगा, जो भी चीजें तेल, साबुन, वगैरह, वह पैसा हमारी सोसाइटी के पास सुरक्षित रहेगा। हम उसमें एक सेक्रेट्री रख सकेंगे''

श्री विजयसिंह : मंत्री महोदय तो सुन ही नहीं रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं सुन रहा हूं।

श्री झाबरमल सूंडा : हम सारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कायम रख सकेंगे इसके लिए हमें फण्ड्स एलॉट करने पड़ेंगे और तभी सारे सदस्य शामिल हो सकेंगे।

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री सभापति : 2-4 मिनट में समाप्त करें।

श्री झाबरमल सूंडा : आपकी यही मर्जी है तो मैं समाप्त करता हूं।

श्री रतीराम यादव (तिजारा) : सभापति जी, सदन में हमारे सामने राजस्थान सहकारी संस्था विधेयक, 1976 प्रस्तुत है। माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक को सदन में लाने का उद्देश्य जहां, तक मैं समझता हूं, वह इसी रूप में बताया है कि जो हमारे सामने 20 पॉइन्ट आर्थिक प्रोग्राम है उसे हमें लागू करना है तो जिस तरह से टिनेन्सी एक्ट में हम संशोधन कर रहे हैं या वेज लाज में हम संशोधन ला रहे हैं या हम सीलिंग कानून में संशोधन ला रहे हैं इसी प्रकार से मैं समझता हूं कि उन्होंने अपना कर्त्तव्यपालन केवल इसके अन्दर किया है क्योंकि इसमें जो मुख्य बात रखी है वह केवल उन सैक्शन्स के लिए जो कि वीकर हैं और जिनको अभी तक इस तरह का अधिकार प्राप्त नहीं था, सोसाइटियां अपने आप बना लीं, अपने आप बनाई जायें, अपने आप चलें उनको लोन अपने तरीके से मिलें, नहीं मिले यह तरीका जो अब तक था और उसमें वीकर सेक्शन को जो घाटा रहता था केवल उसको दूर करने के लिए उन्होंने इसमें इस तरह का प्रावधान रखा है। 1|3 मैनेजिंग कमेटी में मेम्बर वीकर सेक्शन में से लिये जायेंगे-इसी तरह लोन मिलेगा तो इतना पर्सेन्ट उनको हिस्सा मिलेगा और बाकी दूसरों को मिलेगा, यह मुख्यतौर से इन्होंने इसमें बहुत अच्छी बातें रखी हैं। लेकिन सभापति जी मैं समझता हूं कि केवल इतने से ही और जो, हमारा उद्देश्य है इस को-आपरेटिव मूवमेंट के पीछे यह को-आपरेटिव बनाने का अपने देश में और अपने राज्य में सहकारी आन्दोलन को शुरू करने का जो हमारा मूल उद्देश्य है वह तो यह है कि हमारे गांवों अथवा हमारी नजरों के अन्दर जो वीकर सेक्शन के लोग हैं जिनका अभी तक शोषण होता रहा, जिनको अभी तक ऊपर उठने का मौका नहीं मिला क्योंकि उनके पास आर्थिक साधन नहीं थे उनको हम इस को-आपरेटिव मूवमेंट के द्वारा कुछ आर्थिक साधन दे सकें, सहकारी बैंकों के जरिये उनको सस्ते ब्याज पर ऋण दे सकें, उनकी सोसाइटीज बनवाकर उनको कुछ उद्योग धंधे सिखा कर उनको भी समाज के अन्दर ऊंचा उठा कर कोई सम्मानित स्थान दे पायें यह सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए इस को-आपरेटिव मूवमेंट को हाथ में लिया। तो सभापति महोदय, यह जो अमेंडमेंट हम इसमें ला रहे हैं उससे क्या वह हमारा उद्देश्य पूरा हो सका ? मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह अमेंडमेंट वह लाये हैं वहां तक तो ठीक है, स्वागत की बात है कि 20 पाइन्ट प्रोग्राम को उन्होंने भी अपना कर्तव्य मान कर उसे पूरा करना है इसमें अमेंडमेंट ले आये लेकिन जो उद्देश्य इस को-आपरेटिव एक्ट का है जो उनके नियंत्रण में है यह सहकारी आन्दोलन राज्य के अन्दर उसको और आपको समुचित सफल बनाना है और उसके प्रति जो आम लोगों में धारणा फैली हुई है, क्या कारण हैं कि क्यों इतने अच्छे मूवमेंट के प्रति जनता में विश्वास होने के बजाय अविश्वास बढ़ता जा रहा है उन कारणों की आपको गहराई में जाना पड़ेगा और उनको दूर करना पड़ेगा तब जाकर जो इसका उद्देश्य है वह सफल होगा, जो हम इससे समाज में परिवर्तन करना चाहते हैं वह तभी जाकर सही माने में हो पायेगा।

सभापति महोदय, जो हालात हमारे सामने हैं मैं माननीय मंत्री जी के नोटिस में कुछ कारण लाना चाहूंगा। कौन से कारण हैं और कौनसी बुराइयां हैं जो रोजमर्रा

(श्री रतीराम यादव)

हमारे सामने आती हैं वह मैं उपस्थित करना चाहूंगा। सभापति महोदय, कर्ज का ही सवाल हम लें कि कर्जा किस तरह से लोगों को मिलता है। लोन हम उनको देकर उनका विकास करना चाहते हैं। उस लोन की स्थिति को जांचें तो मैं निवेदन करूंगा कि उसमें भारी निराशा हमारे सामने आती है। जब हमने इस एक्ट के अन्दर पहले से रखा हुआ है कि सोसाइटीज का मेम्बर एक पूंजीपति और धनी आदमी भी हो सकता है चाहे हमने यह रखा हुआ है कि उसको लोन नहीं मिलेगा लेकिन वह सोसाइटी का मेम्बर हो सकता है। आप जानते हैं गांवों में उसका क्या हिसाब है। वह सोसाइटी का अध्यक्ष बन जाता है, सेक्रेटरी बन जाता है, पदाधिकारी बन जाता है और जब लोन आता है तो वह उस सारे लोन का खुद ही फायदा उठाने की कोशिश करता है। उन गरीबों को मालूम ही नहीं हो पाता कि कब तो लोन आया और कब बंटा और कब वापिस बैंक में जमा हो गया। आपने तो बैंकों से लोन दे दिया, सस्ते ब्याज पर दे दिया और उसी लोन को वह धनी आदमी गरीबों को नहीं बतायेगा और जब जरूरत होगी अपना पैसा करार देकर उसको दुगने और तिगुने ब्याज पर देता है। यह फैक्ट है जो आज हम रोजमर्रा सोसाइटीज में देखते हैं। अगर माननीय मंत्री जी इस बात के लिए यह चाहेंगे कि ऐसा हमारे सामने सबूत आये कि किन सोसाइटीज के अन्दर लोन नहीं मिलता है या ऊपर से आ जाता है और बंटता नहीं है तो मैं ऐसे उदाहरण भी उनके सामने रखने को तैयार हूं।

इसी तरह से, सभापति जी, कुछ सोसाइटीज के अन्दर लोन ले आते हैं और फर्जी अंगूठे गरीबों के लगाकर, उनके ही नहीं बल्कि किसी के भी अंगूठे हाथ से लगा लिये पैरों के लगा लिये और लोन ले आये और फायदा उठा लिया और लिख दिया उनके नाम पर। साल दो साल लोन की वसूली नहीं हुई और उसके बाद फिर उनके नाम पर एरियर निकाल कर नोटिस निकालते हैं, कुर्की निकालते हैं। मैं एक ही उदाहरण दूंगा क्योंकि समय बहुत कम है। माननीय मंत्री महोदय जब कभी भी चाहेंगे और उनकी तैयारी होगी कि ऐसे केसेज में इन्क्वायरी करेंगे और सजा देंगे तो उनके सामने लम्बी लिस्ट भी लाई जा सकती है लेकिन समय की बचत के लिए एक ही उदाहरण उनके सामने रखता हूं। मेरे जिले में सिकरानी लार्ज स्केल सोसाइटी है जिसमें लाखों रुपयों का घोटाला हुआ। अखबारों में शायद माननीय मंत्री जी ने पढ़ा होगा, कम्प्लेन्ट्स भी हुई हैं कि वहां से कुछ लोग बैंकों से पैसा ले रहे हैं पम्पिंग सेट के नाम पर और बेचारे दूसरे किसानों के नाम पर लिख दिया गया। उनको नहीं दिया। पम्प खरीद कर महंगे भाव पर बेच दिये गये और उसके बाद आज उनके नाम पर नोटिसेज निकल रहे हैं। बेचारे गांव वाले मारे मारे फिर रहे हैं और उन्हें पता ही नहीं कि उनको कब लोन मिला था। यहां पर इंजनों की रसीदें वगैरह तक दिखला दी गयीं। यह मैं संक्षेप में इसलिए कह रहा हूं कि मुझे बहुत कुछ कहना है और समय बहुत कम है।

इसी तरह से, सभापति महोदय, आप दूसरे हालात और देखिये। यह तो मैंने एक तरह की मिसाल लोन की बताई। मेरे ही क्षेत्र के अन्दर दिबोसी लार्ज स्केल सोसाइटी

(श्री रतीराम यादव)

है जो कि शाहबाद के अन्दर है, उस सोसाइटी के अन्दर लोन नहीं मिला। पहले लोन मिला था, उस लोन की वसूली नहीं हो पाई। जब चुनाव हुए, कुछ अच्छे लोग उसमें आगये उन्होंने लोन वसूल करना शुरू कर दिया लेकिन जिन लोगों ने लोन गलत ढंग से खाया हुआ था, डकारा हुआ था और जो देना नहीं चाहते थे और उनकी एप्रोच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में और राज्य सरकार में थी इसलिए लोन वसूल नहीं हो इस बात के लिए वह लोग ऊपर तक पहुंचे और उसका नतीजा यह हुआ कि उस को-आपरेटिव सोसाइटी को मैनेजमेंट को ही समाप्त कर दिया गया। ऐसिस्टेंट रजिस्ट्रार ने अपनी रिपोर्ट दी और उसके उपर रजिस्ट्रार की छाप लग गयी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि गलत आदमियों के खिलाफ में कार्यवाही मत करो, अगर आप उन लोगों से लोन की वसूली करते हैं तो वह लोग उस को-आपरेटिव के मैनेजमेंट को ही बरखास्त करा देते हैं। वहां दो दो बार एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति हुई। रजिस्ट्रार को अपील की गई तो बाद में वह को-आपरेटिव सोसाइटी बहाल हुई। फिर वही मैनेजमेंट पावर में आगया। सभापति महोदय, उसको फिर भंग कर दिया गया एक बार नहीं अनेक बार ऐसा हुआ है। इसके अलावा मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित इस ओर विशेषतौर से करना चाहता हूं कि इस प्रकार की कार्यवाहियां सिर्फ एक सहकारी समिति की नहीं बल्कि हमारे राजस्थान में ऐसी कई सहकारी समितियां हैं जिनके साथ इस प्रकार का व्यवहार होता है।

इसके अलावा एक बात मैं, सभापति महोदय, आपको और अर्ज करना चाहता हूं लोन देने में किस प्रकार की गड़बड़ी हो रही है। उसी को-आपरेटिव सोसाइटी ने 82 पर्सेन्ट कर्जा वसूल करके बैंक में जमा करा दिया गया। जब कि कानून यह है कि अगर आप सिक्स्टी पर्सेन्ट लोन वसूल करके जमा करा देंगे तो आपको फ्रेश लोन और मिल जायेगा। लोग लोन लेने के लिये बैंक में पहुंचे क्योंकि इन्स्ट्रक्शन्स थे कि आप बैंक जाकर लोन ले लो। पर वहां जब लोन लेने पहुंचे तो स्थिति दूसरी होगयी। वहां पर उनको कहा गया कि इसमें यह कागज नहीं है, फलां कागज नहीं है इसके लिए नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहां इस प्रकार कई अड़ंगे लगाये गये और अन्त में उस अच्छी कोआपरेटिव सोसाइटी को किसी प्रकार लोन नहीं दिया गया। इसके लिये मन्त्री महोदय अगर चाहते हैं तो मैं अपने जिले की एक ही नहीं बल्कि कई ऐसी को-आपरेटिव सोसाइटी है जिनकी लिस्ट आपको दे सकता हूं जिन्होंने मोर देन 50 पर्सेन्ट दे के लोन टाइमली जमा करा दिया लेकिन उन सोसाइटीज को लोन नहीं मिला। ऐसे कई ज्वलंत उदाहरण मैं आपको पेश कर सकता हूं। आपके डिपार्टमेंट के अन्दर काफी गड़बड़ियां हैं इसको आपको ठीक करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, दूसरी बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि आप सारी वितरण व्यवस्था को-आपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से करना चाहते हैं वह तो एक बहुत अच्छी बात है इस बात के लिये मैं आपका समर्थक हूं और आपको इसके लिये धन्यवाद देता हूं आपको सहकारी

Page No 62

(62)

(श्री रतीराम यादव)

समितियों के माध्यम से ही वितरण व्यवस्था करनी चाहिये। पर मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं बहरोड़ तहसील में हमीदपुर को-आपरेटिव सोसाइटी है वह बहुत ही अच्छी को-आपरेटिव सोसाइटी है। उस को-आपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ में कोई चार्जेज नहीं है लेकिन वहां पर कुछ राजनैतिक कारणों से वहां के जो लीडर है वह उससे राजी नहीं है क्योंकि उस को-आपरेटिव सोसाइटी की लीडरशिप दूसरे पक्ष के लोगों के हाथ में है इसलिए वहां पर अपोजिट पक्ष के लोगों ने एस. डी. ओ. से मिल कर उस को-आपरेटिव सोसाइटी को सामान नहीं लेने दिया इसका नतीजा यह हुआ कि उस को-आपरेटिव सोसाइटी के लोग फूड कमिश्नर से मिले फूड कमिश्नर ने उन लोगों को स्टे आर्डर दे दिया और कलेक्टर को हुक्म दे दिया कि उनको कोटा दे दिया जाय ताकि वह लोग वितरण कर सकें। लेकिन इसके बावजूद भी आज एक साल से ज्यादा अर्सा होगया है उस को-आपरेटिव सोसाइटी को कोई कोटा नहीं नहीं दिया जा रहा है दो बार आर्डर हो चुके हैं फिर भी यह तो आपके डिपार्टमेंट की हालत है कि किस प्रकार की गड़बड़ियां की जा रही हैं। इसके लिए आपको ध्यान देने की आवश्यकता है।

इसके अलावा मैं आपको एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। को-आपरेटिव सोसाइटीज में ऐसे लोग बैठे हैं जो कि धनी हैं वह लोग कई बार इस प्रकार के धन्धे भी करते हैं कि मान लीजिये आपकी को-आपरेटिव सोसाइटी को पचास हजार रुपया जमा कराना है और आपके पास पैसे नहीं हैं तो वह धनी लोग आपको यह कहेंगे कि हम आपका लोन जमा करा देते हैं, आप हमें 5 पर्सेन्ट लोन आने पर पैसा दे देना इस प्रकार के यह धनी और खूटैल लोग या तो इन को-आपरेटिव सोसाइटीज में है या उन पर हावी है जो इस प्रकार का धन्धा करते हैं। पहले पचास हजार रुपया दे देते हैं फिर दस पन्द्रह दिन में जब पैसा आता है तो ऊपर के ऊपर पांच पर्सेन्ट ले लेते हैं। इस तरह मुफ्त में ही यह धनी लोग पैसा ले लेते है उसका नतीजा यह होता है कि जो असली आदमी है जिन्हें कि पैसा मिलना चाहिये उन गरीब लोगों को सेंक्शन किया हुआ पैसा नहीं मिलता। इसके अलावा ऐसा भी होता है कि लोग समय पर चुनाव नहीं कराते हैं, चुनाव करादें तो को-आपरेटिव की मीटिंग समय पर नहीं बुलाते हैं और काफी गड़बड़ियां करते हैं नतीजा यह होता है कि वहां पर काफी गड़बड़ियां होती हैं और लोगों में काफी असन्तोष है। इसके अलावा अगर उन लोगों के खिलाफ में चुनाव जीत कर आ जाते तो दूसरी पार्टी के लोग उन पर स्टे ले आते हैं और बाद में जमे रहते हैं और चुनाव नहीं होने देते हैं।

(समय-समाप्ति सूचक घन्टी)

सभापति महोदय, थोड़ा समय मैं लेना चाहूंगा। मुझे दो चार बातें कहनी हैं। मैं मन्त्री महोदय के सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी बातें तो मैं जब यह बिल क्लाज बाइ क्लाज चलेगा तब निवेदन करूंगा क्योंकि इसमें मैंने कुछ एमेन्डमेंट रखे हैं। चूंकि समय कम है इसलिए अभी मैं थोड़े में ही निवेदन करना चाहूंगा एक तो यह है कि आपने इसमें एक वीकर सेक्सन के बारे में कुछ स्पष्टतौर में

Page No 63

63

(श्री रतीराम यादव)

नहीं कहा आपने इसे गोल मोल करके रख दिया है सिर्फ यही कह दिया कि जब भी समय समय पर गवर्नमेंट इसको बता देगी कि वीकर सेक्शन कौन है। तो मेरा निवेदन यह है कि यह तो स्पष्ट होना चाहिये कि वह कौन लोग होंगे। उसका पता होना चाहिए कि अमुक लोग वीकर सेक्शन के लोग हैं। ताकि वह लोग अपने अधिकारों को समझ सकें। इस तरह से आपने यह भी छूट दे रखी है कि मनी लैण्डर्स भी उस को-आपरेटिव सोसाइटी के सदस्य हो सकते हैं। तो मेरा इसमें यह निवेदन है कि अगर आप किसी को-आपरेटिव सोसाइटी को सफल और सबल बनाना चाहते हैं तो आपको इसमें संशोधन करना पड़ेगा आपको इसमें यह अमेन्डमेंट करना पड़ेगा कि कोई भी मनी लैण्डर्स इसका सदस्य नहीं हो सकेगा। आपको इसकी आज ही बिल पास करते वक्त स्पष्ट घोषणा करनी चाहिये कि मनी लैंडर कोई भी इसका सदस्य नहीं हो सकेगा। इसी तरह से जो सोसाइटीज अपना कर्जा नहीं चुका पायेगी अथवा कोई को-आपरेटिव सोसायटी का सदस्य कर्जा नहीं चुका पायेगा तो उसको लोन नहीं दिया जायेगा। जिन को-आपरेटिव सोसाइटीज ने अपना कर्जा चुका दिया है उन्हे सबसे पहले लोन दिया जायेगा। इसके अलावा जिस सोसाइटीज को पहले कर्जा नहीं मिला उसको प्राथमिकता दी जावेगी।

इसके अलावा मैं एक बात और आपको निवेदन करना चाहूंगा।

(समय-समाप्ति सूचक घन्टी)

चूंकि आपने घन्टी बजा दी है तो मेरा यही कहना है कि मेरी पार्टी के लोग जब दूसरे बोलेंगे तो बाकी बातें वह निवेदन कर देंगे। मेरी कमी को वह पूरी कर देंगे। लेकिन एक बात मैं जरूर निवेदन करूंगा कि यह कोआपरेटिव मूवमेंट एक बहुत अच्छा मूवमेंट है और इसके पीछे मूल उद्देश्य बहुत ऊंचा है यह एक अच्छा कदम है और चूंकि राज्य सरकार देश में समाजवाद लाना चाहती है और उन समाजवादी देशों की नकल करना चाहती है जिससे जनता को अधिक से अधिक लाभ मिले और खासतौर से गरीब वर्ग को।

(घन्टी)

श्री सभापति : समय बहुत कम है। अब आप समाप्त करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, मेरा बोलने का समय मेरी पार्टी के सदस्य श्री रतीराम जी को दे दिया जाय मैं नहीं बोलूंगा।

श्री सभापति : ठीक है।

श्री रतीराम यादव : सभापति महोदय, मैं दो चार बात निवेदन करना चाहूंगा और उसके लिये मुझे रखने का मौका मेरे पार्टी के लीडर श्री रामानन्द जी ने दिया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसका मौका तो सभापति महोदय ने दिया है। उनका धन्यवाद दें।

श्री रतीराम यादव : उनको तो दे ही रहा हूं। तो, सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि मेरा एमेन्डमेंट इसमें यह है कि रजिस्ट्रार ऐसे को-आपरेटिव सोसाइटीज को या मेम्बर्स जो इन-केपेबल अकार्डिंग टू को-आप-

(श्री रतीराम यादव)

रेटिव रूल्स हो उसको समाप्त करना चाहिए उन्हें हटाया जाना चाहिए। इसके लिए मेरा निवेदन है कि गलत, सोसाइटीज को और गलत आदमियों को हटा दिया जावे ऐसे अधिकार होने चाहियें। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को हटाया जाता है तो उसमें एक ऐसा प्रोविजन होना चाहिए कि उनको एक मौका मिलना चाहिये जिससे वह अपना स्पष्टीकरण दे सकें। वह एक बार यह कह सके कि मुझे क्यों हटाया जा रहा है। वह सही है अथवा गलत इस बात का पता लग जायेगा। इसके अलावा सभापति महोदय, जो प्रबन्ध कमेटी अथवा जो अधिकारी इसके चुनाव समय पर नहीं करावें या एन्युअल मीटिंग नहीं करावें अथवा समय पर ऑडिट नहीं करावें या आडिट करवाकर भी रिपोर्ट आडिट पेश नहीं करावें तो उसके खिलाफ में एक्शन होना चाहिये। इसके लिए आप को सख्त से सख्त दोषी व्यक्तियों के खिलाफ में एक्शन होने की व्यवस्था रखनी पड़ेगी। इसके अलावा जो लोन एप्लीकेशन बैंक को गयी लेकिन बैंक द्वारा उन लोन एप्लिकेशन पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो उसके लिये भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। आज यह देखने में कई बार आता है कि किसान लोग अपनी लोन एप्लीकेशन्स देते हैं और जब उनको बीज खरीदने के लिये या खाद खरीदने के लिये अथवा बैल खरीदने के लिये या कोई औजार खरीदने के लिये तो उस वक्त तो उनको लोन सैंक्शन नहीं होता है और जब वह बेचारा इधर उधर से कहीं से उधार लाकर काम चला लेता है और फसल जब बड़ी बड़ी हो जाती है उस वक्त अगर आप उनको लोन दे देते हैं तो मैं समझता हूं कि उसका कोई लाभ नहीं है। और यह होता क्यों है? आपने खुला छोड़ रखा है। लोन कभी दें न दें। उनकी मंशा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपको इसमें प्रोविजन करना पड़ेगा कि अगर समय पर बैंक लोन न दें अथवा मैनेजिंग कमेटी के अधिकारी लोन सदस्यों में वितरण नहीं करते हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त एक्शन लिया जाय, यह प्रोविजन आपको इसमें करना चाहिये समय पर लोन वितरण हो और ये गड़बड़ियां दिखाई पड़ती है वे हमारे सामने न आयें।

इसी तरह से आपने यह अमेण्डमेन्ट रख दिया है कि वीकर सेक्शन को इतना परसैन्ट लोन मिलेगा। जितना टोटल लोन मिलेगा उसका एक तिहाई उनको मिलेगा। प्राथमिकता में एग्रीकल्चर सोसाइटी को मिलेगी। लैंड डवलपमेंट के कार्य हैं उनके लिये 25 परसेन्ट मिलेगा। लेकिन आपने यह कहीं गारन्टी दी नहीं है कि इतना न दें तो यह एक्शन होगा। आपने तो उनको खुला छोड़ दिया है फोर्मेलिटी दिखायी है।

अब तक क्या होता रहा है उसका नमूना आपके सामने होना चाहिये। उस तजुर्बे से आपको लाभ उठाकर अमेन्डमेन्ट लाना चाहिये कि इस अनुपात में, इस पर्सेन्टेज में लोन नहीं दिया गया तो मैनेजिंग कमेटी है सोसाइटी की या बैंक है उसको सख्त सजा मिलेगी।

इसलिये मंत्री महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस मूवमेन्ट में हमारे राजस्थान में जो गड़बड़ियां हैं या अनियमिततायें हैं या बीमारियां हैं उनका मैंने जिक्र किया है उसके लिये आपको

(श्री रतीराम यादव)

एक कमेटी बनानी चाहिये। आपको उन सारे मामलों का सर्वे करना चाहिये और उसी आधार पर आपको उसका इलाज सोचना चाहिये।

इसी तरह से, सभापति महोदय, यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज उन बीमारियों का क्या मुख्य कारण है? जो, मैं समझता हूं, वह क्या है? सबके निचोड़ रूप में मैं कहूं तो यह कहना चाहता हूं कि को-आपरेटिव सोसाइटी जिसमें मैं देखता हूं जगह जगह उनके साइन बोर्ड हैं, उनमें यह चित्र बना हुआ है, हाथ से हाथ मिला रखा है। सहकारिता को मिलकर चलाने की बात है। लेकिन सब जगह झगड़े हैं। सब जगह हाथ मिलाने के बजाय अलग अलग जूत बज रहे हैं, पार्टीबाजी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं क्षमा चाहूंगा आपसे कि आपको यह बात कड़वी भी लगे जिन शोषकों से आप मुक्त करना चाहते हैं जिस शोषित वर्ग को, यह सहकारी आन्दोलन चलाकर आप उन शोषकों को संरक्षण देते हैं। उनके हाथ आप उल्टे मजबूत करते हैं। आपके नोटिस में इस प्रकार के मामले लाये गये तो भी कोई उन पर एक्शन नहीं हुआ।

दूसरी बात, हर जगह को-आपरेटिव मूवमेंट को, मैं अपने राज्य की ही बात कह सकता हूं क्योंकि अन्य जगहों के बारे में कहना मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है, राजनीति का अखाड़ा बनाया गया है। अब कानून में यह प्रोविजन है कि इतने दिनों में चुनाव होंगे, इतने दिनों में बैठक होंगी, एक्जीक्यूटिव की मीटिंग होगी, साधारण सभा की मीटिंग होगी लेकिन इतने दिनों में, निर्धारित समय में ही, क्यों नहीं होती है? शायद आपके नालेज में न हो। लेकिन नालेज में लाने पर तो एक्शन हो। यदि आप दो चार जगह भी एक्शन ले लें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि डिपार्टमेंट पाक-शुद्ध हो जाय। कल यह बीमारी नहीं होगी। लेकिन आज राजनीति से प्रेरित होकर को-आपरेटिव मूवमेंट को देखा जा रहा है।

मेरे जिले की मैं एक नहीं अनेक मिसालें रख सकता हूं। सबसे बड़ी मिसाल मेरे दल के मेरे लीडर बैठे हुए हैं, अलवर जिले में जब राजस्थान में को-आपरेटिव सोसाइटीज के संघ बनाये गये थे तो उस समय सहकारी संस्थान के नाम से अलवर जिले में कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में संस्थान आया। उसके अध्यक्ष हमारी पार्टी के लीडर कॉमरेड रामानन्दजी बन गये और मैं सेक्रेटरी बन गया। उसके बाद क्या हुआ? हमने क्या काम करके दिखाया? मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूं कि आप रिकार्ड उठाकर देख लीजिये मंत्रीजी को चुनौती देकर कहना चाहता हूं कि सारे राजस्थान में जिला सहकारी संस्थान में जहां कांग्रेस के हमारे साथी हैं, अध्यक्ष सेक्रेटरीज हैं वे, लेकिन वहां पर काम नहीं हुआ है। सहकारी संस्थान के लिये तीन-तीन हजार रुपये के लोन दिये गये कि सहकारी मूवमेंट पर बढ़िया लायब्रेरी मेन्टेन की जाय। क्योंकि हम तजुर्बा लेकर काम करना चाहते थे तो हमने जगह जगह जा जा कर देखा। तो हमने देखा कि तोता मैना के किस्सों की पुस्तकें भरी हुई थी लायब्रेरी में। यह तो को-आपरेटिव मूवमेंट का पुस्तकालय बना और आज भी जाकर देख सकते हैं कि अलवर जिला सहकारी

(श्री रतीराम यादव)

संस्थान हमारे हाथ में नहीं रहा लेकिन इसमें आपको स्टेन्डर्ड की किताबें मिलेंगी और को-आपरेटिव मूवमेंट की मिलेंगी । आपको यहां भी अवैलेबल न हो लेकिन हमने खोज कर मंगाया है । हमारे अन्दर एक भावना थी । हम को-आपरेटिव मूवमेंट को हमारी पार्टी के सिद्धान्त के मुताबिक आम जनता का मूवमेंट बनाना चाहते थे और हमने यह कभी नहीं सोचा था कि कम्युनिस्ट पार्टी ने कब्जा करके रखा या सोसाइटी कांग्रेस की है या सोसलिस्ट पार्टी की है । जो भी आया समस्या लेकर हमने ईमानदारी से उसको हल किया है । नतीजा क्या निकला ? वह ही बात कहना चाहता हूं कि हमारा यह को-आपरेटिव मूवमेंट आज राजनीति से प्रेरित है । मीटिंग हमने बुलायी, बहुमत हमारा रहा । लेकिन ऊपर से टेलीफोन गया वहां कि इसको हटा दिया जाय । उन दोनों रजिस्ट्रार महोदय को हमने अपील की जब राजा निरंजनसिंह थे और उन्होंने हमारे पक्ष में बहुत बढ़िया जजमेंट दिया और कहा कि इसमें अव्यवस्था नहीं दिखायी देती और सबसे बढ़िया सहकारी संस्था है यह अलवर जिले में ।

आप इसको और भावना में न लीजिये । न उस तरफ ले जाने की मंशा है । आपसी लड़ाई की भी कोई बात नहीं है क्योंकि आज आम कांग्रेसमैन और तमाम प्रगतिशील आदमी कन्धे से कन्धे मिला कर देश और समाज के सामने जो खतरे हैं उनका मुकाबला करने के लिये एक होकर चल रहे हैं । पहले किसी ने की, कांग्रेसमैन ने की या मैंने की, उन सब कड़वी बातों को भूल जाना चाहिये और कन्धे से कन्धा मिला कर असली को-आपरेटिव मूवमेंट की भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिये और हम आगे बढ़ेंगे यह हमारा दृढ़निश्चय है । आप थोड़ा इस ओर ध्यान दीजियेगा और ये जो कड़वी बातें सामने आ रही हैं उनको निकाल दीजियेगा मूवमेंट से, जिससे सही रूप में सच्चे रूप में देश का निर्माण और हमारे समाजवादी समाज का निर्माण हो सके और समाज के पुनर्निर्माण के लिये बड़े क्रान्तिकारी कदमों की आवश्यकता है उनको सामने लाने दीजियेगा । इतना ही निवेदन करना चाहता हूं और बाकी सुझाव उस टाइम (खण्डश: विचार के समय) देना चाहूंगा ।

श्री सभापति : श्री लूणाराम ।

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : सभापति महोदय, राजस्थान सहकारी संस्था (संशोधन विधेयक, 1976 हमारे सामने विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है । इससे ऐसे संशोधन सामने आये हैं कि कुछ त्रुटियां थीं वे सुलझ करके इसका इतना सरलीकरण हुआ है जिससे ऐसी संस्थाओं में कारगर कदम उठाना आसान होगा ।

इसके साथ साथ मैं कुछ ऐसे सुझाव देना चाहूंगा जो कि इन संस्थाओं के लिये और भी आवश्यक हैं ।

पहला सुझाव तो यह है कि कमजोर वर्ग की तो व्याख्या की गयी है, व्यक्तियों की, व्यक्तियों के साथ साथ उस इलाके की भी व्याख्या करनी चाहिये जो सूखाग्रस्त 10 जिले हैं और हमेशा आपत्तियों से घिरे रहते हैं, आपत्तियों से ग्रसित हैं । उनको भी इस व्याख्या में स्थान दिया जाता और रियायत दी जाती तो उचित रहता ।

(श्री नूरणाराम)

क्योंकि इस क्षेत्र में प्राये साल अकाल के कारण दूसरे बोहरे ऋण देने को तैयार नहीं होते हैं सिवाय सरकार के, और इसलिये विशेष सहयोग की बात कही जाती, पर इसमें उसका उल्लेख नहीं आया है।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं—वह है ग्राम सेवा सहकारी समितियों की वर्तमान सीमा के संबंध में। सभापति महोदय, आज हमारी ग्राम सेवा सहकारी समितियां और ग्राम पंचायतों की एक समान सीमा है। ग्राम पंचायतें प्रशासनिक कार्य करती हैं। ग्राम की हर व्यवस्था से सम्बन्धित अर्थ व्यवस्था से वास्ता रखती हैं और यह एक ऐसा मामला है कि बहुत ज्यादा विश्वास होने पर ही लेन देन की बात होती है। तो आज एक गांव दूसरे गांव की विचारधारा से मेल नहीं खाये तो जो कई ग्रामों को मिलाकर ग्राम सेवा सहकारी समिति बनती है उसमें आपसी वैमनस्य और कई प्रकार के मनमुटाव की बाधायें हुई हैं। तो मेरा निवेदन यह है कि एक निर्धारित सीमा तक चाहे 20-25 ही सदस्य हों उससे ज्यादा सदस्य बन जायं तो एक अलग सहकारी समिति बन जाय। इससे, सभापति महोदय, कमजोर वर्ग को अधिक लाभ पहुंचेगा और कई समितियों में तो ऐसी ऐसी भी समस्या हैं कि एक गांव से दूसरे गांव की 10 किलो मीटर तक की दूरी है। इसलिये गांवों का आपसी मेल न बैठने के कारण उनकी सफलता में बाधा आती है, तो इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है माननीय मंत्री महोदय इस उपयुक्त सुझाव को मानकर सरलीकरण कर दें तो ज्यादा अच्छा हो।

तीसरी बात, मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, ग्राम सेवा सहकारी समितियों के मेम्बर के बारे में। आज मेम्बर के बारे में, सभापति महोदय, वास्तव में ये बातें सही हैं कि उनके दो तरह के मेम्बर बनते हैं—एक कमजोर और दबे हुये लोग और दूसरे चालाक और चतुर लोग जिनके द्वारा कमजोर वर्ग का शोषण होता है और जैसी कि चर्चा माननीय सदस्यों ने की है, माननीय सभापति महोदय, मेरा सुझाव है कोई भी चीज में जब तक अपनापन नहीं होगा तब तक वह सफल नहीं हो सकेगी। अगर इसके अन्दर कोई गलत मेम्बर है तो अपनापन नहीं आता है और फिर संस्था के अन्दर अनेक प्रकार की धोखेबाजी और कठिनाइयां उत्पन्न करने के अलावा कुछ नहीं होता है। तो मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि यह भी व्यवस्था कर दी जाती कि गांव के परिवार हैं, कम से कम परिवार का एक मेम्बर अनिवार्य कर दिया जाता तो उसमें और भी सफलता मिलती और साथ में यह भी हो जाता कि अनिवार्य करने का मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि सबको कर्ज देने के लिए शरीक किया जाय, लेकिन जितने मेम्बर हैं उनकी आवश्यकता है या आवश्यकता नहीं है लोन की, वे सारे के सारे लोन लेकर दुगने रुपयों में उठाते हैं तो मेरा निवेदन यह भी है कि एक कमेटी यहां की बनाई जाय और उसमें यह व्यवस्था हो कि लोन की सर्वे कराई जाय कि किसको आवश्यकता हो सकती है और किसको लोन की आवश्यकता नहीं हो सकती है। कमजोर वर्ग के लोगों को ही लोन मिलना चाहिये। 25 प्रतिशत लोन कमजोर वर्ग के लिये रिजर्व किया जा रहा है, यह बहुत अच्छी बात है

(श्री सूरगाराम)

लेकिन जो कठिनाई आयेगी वह यह आयेगी कि किसी किसी सहकारी समिति के अन्दर इतने कम मेम्बर हैं कि 25 प्रतिशत की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है और किसी में ज्यादा मेम्बर हैं तो 25 प्रतिशत से अधिक की भी आवश्यकता होती है तो सदस्यों के हिसाब से प्रतिशत का हिसाब लगाकर यह कोटा निर्धारित करते तो ज्यादा अच्छा होता। सभापति महोदय, इसी प्रकार ग्राम सेवा सहकारी समितियां जितनी आवश्यक हैं उनको मजबूत बनाना भी उतना ही आवश्यक है।

इसके साथ साथ हर प्रकार की जो हमारी वस्तु है उसको खरीदने के लिये मार्केटिंग सोसायटीज के ऊपर जोर डाला जा रहा है। सभापति महोदय, एक तरफ हम सारा काम इन संस्थाओं के माध्यम से कराना चाहते हैं वहां पर बहुत सी ऐसी संस्थायें हैं जिनसे हम यह काम करवा सकते हैं तो मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कोई तहसील व जिला हैडक्वार्टर इससे वंचित नहीं रखा जाय, जहां उपभोक्ता भण्डार, मार्केटिंग सोसायटी की स्थापना न हो और वहां उनसे ही नियंत्रित वस्तुओं का कार्य कराया जाय। साथ ही उस क्षेत्र में जितनी सहकारी समितियां हैं उन तमाम को अनिवार्य मार्केटिंग सोसाइटीज व उपभोक्ता भण्डार का मेम्बर बनाना चाहिये। इसी प्रकार, सभापति महोदय, हमारे जिला स्तर पर उपभोक्ता भण्डार हैं उनके बारे में कई ग्राम सेवा सहकारी समितियों को मालूम ही नहीं होता है कि हमारी कोई सहयोगी जिले वाली संस्था है और कौन मेम्बर होता है, यह भी पता नहीं होता है इसलिये उनको उसका फायदा नहीं मिलता है सिवाय चन्द आदमियों के और चन्द क्षेत्र को ही उसका फायदा होता है बाकी कोई फायदा नहीं उठाया जा सकता है।

आज एक जिले के अन्दर जो उपभोक्ता भण्डार खुलता है तो ग्राम सेवा सहकारी समितियों के मेम्बर वहां नहीं पहुंच पाते हैं कारण यह है कि सहकारी समितियां उनकी मेम्बर नहीं हैं इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा जितनी इस प्रकार की सहकारी समितियां हैं उन तमाम को उपभोक्ता भण्डार के मेम्बर बनना चाहिये जिससे सफलता मिल सके। अन्त में मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि हमारे सैन्ट्रल को, आपरेटिव बैंक्स अपने मुनाफे में से, आये वर्ष जो बचत होती है चुनिन्दा ग्राम सेवा सहकारी समितियां सहायता देकर अथवा लोन चुकाने में सहायता करने में असमर्थ रहती है तो इस प्रकार की जो सहकारी समितियों को विकास करने के लिये उनका जो कर्जा माफ कर देते हैं उस फण्ड में से तो उसमें जो आज प्रणाली है उसको सही रूप में नहीं रखा जा सकता है। सहकारी समितियों में ऐसे ऐसे सम्पन्न मेम्बर हैं जो जान-बूझकर कर्जा ले रहे हैं और इस प्रकार के लोगों का ही कर्जा माफ हो जाता है। तो इस सम्बन्ध में मेरा इतना ही निवेदन है कि सहकारी समिति को आधार न मानकर और कमजोर मेम्बर का, जिनके लिये ग्राम सेवा सहकारी समिति अपना प्रस्ताव पास करे कि वास्तव में यह सदस्य कर्जा चुकाने में असमर्थ है तब ही उस समिति का कर्जा माफ करें जिससे सारी सोसाइटियों में समानता हो सके। इतना ही मैं कह कर आपको धन्यवाद देता

(श्री लूणाराम)

हूं तथा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : सभापति जी, सरकारी अधिनियम के अन्दर संस्थाओं के लिए जो राज्यपाल महोदय ने अध्यादेश जारी किया था उसको कानूनी रूप देने के लिए यह बिल हमारे समक्ष उपस्थित है।

सभापति जी, यह बड़ा स्वागत योग्य कानून आया जा रहा है। जो हमारा वीकर सेक्शन है उसकी सुविधाओं के लिए हर सोसायटी में, बैंकों में, भूमि विकास बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंक और सहकारी संस्थाओं में कम से कम 1/3 हिस्से में वीकर सेक्शन के सदस्य होने चाहिएं और केन्द्रीय बैंकों द्वारा 1/3 उनको लोन देने का इसमें प्रावधान है और भूमि विकास बैंक से 1/4 लोन मिलने का प्रावधान है। सभापति जी, अगस्त महीने में गवर्नर महोदय ने अध्यादेश जारी किया था उस समय से लेकर आज दिन तक इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है यह मैं माननीय मन्त्रीजी से जानना चाहूंगा ? क्योंकि उस समय विधान सभा सेक्शन में नहीं थी इसलिए अध्यादेश जारी किया और अब इसको कानूनी रूप दिया जा रहा है। उस समय इमर्जेन्सी थी और प्रधान मंत्री के 21 पोइन्ट प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन में जो अड़चन पैदा होती थी उसको दूर करने के लिए यह कदम उठाया गया है, परन्तु, सभापति जी, मुझे आपको जानकारी देते हुए दुःख होता है कि दूसरे जिलों का तो मैं नहीं कह सकता लेकिन हमारे जिले जालोर के अन्दर अभी तक सहकारी समितियों में 1/3 सदस्य वीकर सेक्शन के नहीं बनाये गये हैं और जब वह सदस्य नहीं होंगे तो वह किसको लोन देंगे ? तो इस बारे में माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा कि जो भी केन्द्रीय सहकारी बैंक और जितनी भी सहकारी संस्थायें हैं यह अध्यादेश जारी होने के बाद से लेकर आज दिन तक कितनी तो जिला लेवल पर कार्यवाही की गई हैं और कितना इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, इस बारे में, मैं मंत्री जी से जानकारी चाहूंगा। जहां तक मेरा ख्याल है इसके अन्दर जिला लेवल पर बहुत कम कार्यवाही हुई है। जिन सहकारी समितियों में 1/3 सदस्य बनने चाहिए थे मेरे ख्याल से 10-15 पर्सेन्ट भी उसमें नहीं बने होंगे और अभी बैंकों में नये आधार पर जो को-आपरेटिव बैंक और भूमि विकास बैंक है उनमें डाइरेक्टर का 1/3 का हिस्सा वीकर सेक्शन का होना चाहिए दूसरी तरफ इलेक्शन्स होने जा रहे हैं और उसमें सदस्य हैं ही नहीं और न वीकर सेक्शन के लिए निर्वाचन क्षेत्र हैं। सभापति महोदय, मैं जालोर जिले का उदाहरण देना चाहूंगा। भूमि विकास बैंक का 17 फरवरी को चुनाव होने जा रहा है जब कि एक भी वीकर सेक्शन का निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। मानलें कि वहां से सूचना भी भेजें तो कह देंगे कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और हम नामीनेट कर देंगे। तो आप नामीनेट करेंगे तो बोर्ड के अन्दर जितने भी इलेक्टेड मेम्बर हैं या नामीनेटेड मेम्बर हैं उस का 1/3 ही करेंगे या इलेक्टेड का करेंगे या क्या करेंगे ? कुल मिलाकर बोर्ड कितनों का होगा ? तो इस तरह के कन्फ्यूजन्स ऐसे हैं कि आपने अध्यादेश जारी कर दिया लेकिन जिस मुस्तैदी के साथ कार्यवाही होनी

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

चाहिए थी वह नहीं हुई। अगर माननीय मंत्री जी फिगर्स मंगवा कर देखें तो मालूम होगा कि आपने अब तक क्या कार्यवाही की है। तो इस बारे में जो आपकी मंशा है वीकर सेक्शन को फायदा देने की वह तभी पूर्ण हो सकती है जब कि हर सहकारी समिति के अन्दर 1/3 सदस्य ऐसे लोगों को बनाया जाये जो कि वीकर सेक्शन से आते हैं वरना फिर उनको कैसे फायदा होगा? भूमि विकास बैंक में 25 पर्सेन्ट लोन देने का है तो उनकी सीटें कैसे सुरक्षित होंगी? मान लें कि लोन का वितरण नहीं करें तो उसमें पीनल एक्शन क्या है? इसलिए इस बारे में पीनल एक्शन की और कार्यवाही नहीं करें तो कोई न कोई डर रहना चाहिए। अगर नहीं रहा तो कोई कार्यवाही नहीं होगी। क्योंकि आज तक की कार्यवाही देखें तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा और जिस मुस्तैदी के साथ 21 सूत्री प्रोग्राम को हमें कार्यान्वित करना था वह नहीं हो रहा है। इसलिए, सभापति जी, मैं माननीय मन्त्री जी से चाहूंगा कि आप इस बारे में में कान्क्रीट आंकड़े देकर हमको कन्विन्स कर दें कि 25 पर्सेन्ट का जो वीकर सेक्शन के लिए ऋण देने का प्रावधान है आप इस पर कार्यवाही करेंगे और आगे भविष्य में कितने अर्से तक सारा इम्पलीमेंटेशन हर जिला लेवल पर किस तरह करेंगे? यह सदस्य कब तक बन जायेंगे और डाइरेक्टर्स कब तक नामीनेट हो जायेंगे? कान्स्टीटुएन्सीज का भी कन्फ्यूजन है। यह कन्फ्यूजन डिप्टी रजिस्ट्रार के विभाग में भी है। तो जिला लेवल पर भी कन्फ्यूजन है उसको साफ करने की आवश्यकता है। इस प्रोग्राम को कार्यान्वित करना है तो इस पर कोई इम्पेक्ट नहीं होना चाहिए। आपके, हमारे और अधिकारियों के दिमागों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो अब तक इम्प्ली-मेंटेशन करना है उस पर कार्यवाही संतोष-जनक हुई है या नहीं और इसे आगे भी देखने की आवश्यकता है।

सभापतिजी, इसके अलावा जो मौजूदा को-आपरेटिव स्ट्रक्चर है और जो आपके आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में है यह बहुत अच्छा है और दुबारा जो शुरू से वायेबल युनिट बनाने का कार्य पूरा नहीं हुआ उसको बनाकर सोसाइटीज को सशक्त बनाकर हर परिवार का एक सदस्य, जिस परिवार में 5 सदस्य हैं उनको ज्यादा फायदा हो। और हम चाहते हैं कि हर फेमिली को फायदा मिले इस बारे में क्या कार्यवाही कर रहे हैं? इस तरह से आपका विभाग और हम सब मिलकर सोसाइटीज का रीआर्गनाइजेशन करें और को-आपरेटिव उपभोक्ता भण्डार में कार्य करना चाहते है तो राजस्थान में मुझे भविष्य कुछ डार्क नजर आ रहा है पहले के हालात को देखते हुए। तो नये तौर से कितने अर्से में कार्यवाही करके सशक्त मार्केटिंग सोसायटी, मार्केटिंग संघ और फाइ-नेन्शली स्ट्रांग बना दें ताकि कपड़ों का वितरण और हर कन्ट्रोल्ड कमोडिटी का वितरण हो सके और कमजोर तबके को बेनिफिट दे सकें। वास्तव में अपने पैरों पर खड़े होकर समितियां इस बारे में कोई कार्यवाही करेंगी यह मैं आपकी मार्फत जानना चाहूंगा। इतने ही शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं परन्तु हम को इस बारे में बिल्कुल संतोष नहीं है। आप संतोष दिलाने की कृपा करें।

श्री सभापति : श्री प्रद्युम्नसिंह।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : सभापति जी, माननीय मंत्री महोदय ने जो बिल प्रस्तुत किया है यह स्वागत के योग्य है लेकिन इस मामले के अन्दर, मैं दो तीन सुझाव मंत्री महोदय को इस मौके पर देना चाहता हूं। एक तो आपने इसके अन्दर प्रॉवीजन किया है कि : Reservation of one third for the weaker sections. Then, one third of the total amount of loan to be sanctioned,

सेंक्शन का मतलब तो यह हुआ कि लोगों की एप्लीकेशन्स आ सकती है लोन के लिए और आप लोन सेंक्शन कर दें और रुपये नहीं बंटे तो उस स्थिति में क्या होगा ? आपका अभिप्राय बिल लाने का यह है कि लोगों को हकीकत में रुपया बांटा जाना चाहिए। अगर आपने कागज के ऊपर सेंक्शन कर दो और उस रुपये को रख दिया तो स्थिति साफ होने वाली नहीं है और न ही लोगों को इससे राहत मिलने वाली है। हो सकता है कि बैंक कानून की मंशा पूरी करने के लिए कागज पर सैंक्शन कर दे। तो मेरा निवेदन करना यह है कि इसके लिए मैंडेटरी प्रोविजन होना चाहिए। लोगों को रुपया चाहे आप एक तिहाई की जगह कम कर दीजिए लेकिन आपको रुपया बांटना पड़ेगा हकीकत के अन्दर। क्योंकि इससे बड़ा कन्फ्यूजन फैलने वाला है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप इसके बारे में जानकारी करें कि इसके लिए क्या करना चाहते हैं। इस रुपये को किस तरह से बंटवायेंगे।

दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने प्रावधान किया कि रिजर्वेशन किया जाएगा, reservation of one-third for the weaker sections, इसके लिए आपको कांस्टीट्यूएंसीज बनानी पड़ेंगी। इससे तो कोई लाभ नहीं होगा कि बोर्ड में उनका रिप्रेजेण्टेशन नहीं आया तो सरकार मनोनीत कर देगी, लेकिन इससे जो भावना जागृत होनी चाहिए वह भावना जागृत होने वाली नहीं है। जिस प्रकार से विधान सभा की सीट्स में रिजर्वेशन होता है, उसी प्रकार उस एरिया के अन्दर आप तहसील वाइज, रेवेन्यू इन्सपेक्टर सर्किल वाइज आसानी से रिजर्वेशन कर सकते हैं। इससे लोगों के अन्दर चेतना बढ़ेगी और मैं ऐसा समझता हूं कि इससे लोगों में जागृति आएगी, ऐसा मैं मान कर चलता हूं।

दूसरी बात, माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक बात आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए किसी बोर्ड की मेम्बरशिप है 12 की। 9 इलेक्टेड हैं और 3 सरकारी प्रतिनिधि हैं। अब 12 में से आप एक चौथाई को नोमीनेट करेंगे, एक तिहाई को, तो चार मेम्बर होगए। आप चार मेम्बर नोमीनेट करेंगे 9 में से या 12 में से करेंगे ? यह चीज देखने वाली है कि वहां स्थिति क्या बनेगी ?

श्री रामनारायण चौधरी : टोटल स्ट्रेन्थ का होगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अब मैं टोटल स्ट्रेंथ के बारे में निवेदन करूंगा कि आपके लिए इसमें भी पोलिटिकल कोम्प्लीकेशन बढ़ने वाला है। चार आपके साधारण प्रतिनिधि होंगे और सरकारी, कुल सात प्रतिनिधि हो गए। अब 9 में से पांच सीटें ले आए तो

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

आज मैं माननीय मंत्री जी आप पर आक्षेप नहीं करता हूं लेकिन भविष्य के लिए majority can be reduced to minority. उस स्थिति में क्या होगा ? उसके लिए सरल उपाय, प्रजातांत्रिक उपाय करना चाहिए, आपको कांस्टीट्यूएंसीज का डिमार्केशन करना चाहिए। तो माननीय मंत्रीजी दो मुद्दे हैं, एक तो टोटल अमाउण्ट ऑफ लोन और दूसरा बोर्ड में प्रतिनिधित्व। इनके बारे में आपको विचार करना चाहिए। खाली सैंक्शन करने से कुछ नहीं होगा। सैंक्शन तो आप दस हजार कर दें और दस रुपया भी नहीं बांटें तो क्या फायदा होगा ? इसलिए इस बारे में क्या विचार रखते हैं और सरकार क्या करने जा रही है, मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्रीजी इनके बारे में प्रकाश डालेंगे।

तीसरी बात, माननीय सभापति जी, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, वह यह बात है कि आपने जिस प्रकार ग्राम पंचायतों में पंच, सरपंच के जो चुनाव होते हैं, आपने कुछ शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं की है। आज सबसे बड़ी खराबी है ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कि गबन के बहुत मामले हैं। मुझे अपने जिले की जानकारी है, और जिलों के बारे में नहीं कह सकता लेकिन मेरे जिले की बहुत सी ग्राम सेवा सहकारी समितियों में भयंकर गबन है, लाखों रुपयों का गबन है। एक ग्राम सेवा सहकारी समिति में जो पदाधिकारी होते हैं, कोषाध्यक्ष है, सभापति है, उनकी शैक्षणिक योग्यता कुछ भी होती नहीं। पढ़े लिखे नहीं होते और सेक्रेट्री मर्जी आती है वैसे लिख देता है और वह खाली दस्तखत करना जानता है सो दस्तखत कर देता है। गांव में लोग कहते हैं कि पदाधिकारी तो बड़ा भला आदमी है इसने कुछ नहीं खाया लेकिन उसके खिलाफ आरोप लग जाते हैं। इसके अलावा यह जो स्थिति है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कम शिक्षा के बारे में, आप यह कह सकते हैं कि पीपुल्स रिप्रेजेण्टेशन एक्ट में विधान सभा सदस्यों के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, हम इसमें किस प्रकार कर सकते हैं। यह सवाल उठेगा आखिर को, तब भी आपको पहल करनी चाहिए। क्योंकि सहकारिता आन्दोलन को सुचारुरूप से चलाना है तो आपको कुछ सोचना पड़ेगा। चाहे आप प्राइमरी एजूकेशन कर दीजिए, चौथी क्लास कर दीजिए पांचवीं कर दीजिए, लेकिन कम से कम हिन्दी लिखने पढ़ने की योग्यता नहीं होगी तो अकाउण्ट्स सही स्थिति में नहीं रख सकेगा। जो सेक्रेट्री, सचिव लिखकर लाता है, खाली दस्तखत करना सीख गया है इसलिए दस्तखत कर दिए। इसलिए गबन रोकने के लिए, धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह बहुत आवश्यक है।

इस प्रकार इन तीन मुद्दों की तरफ माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती निर्मला कुमारी।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सहकारी संस्था (संशोधन) विधेयक, 1975 आज पेश किया गया है। वास्तव में गरीबी हटाने का प्रयास है उसमें यह महत्वपूर्ण कदम कहा जा सकता है।

(श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत)

क्योंकि इसमें कई खास पहलुओं पर, कई विशिष्ट पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है।

पहली बात यह है कि सहकारी संस्थाओं में एक तिहाई सदस्यों के स्थान जो हैं वह कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित होंगे। साथ ही दूसरी बात यह कही गई है कि इसमें प्रबन्ध समिति में एक तिहाई सदस्य कमजोर वर्ग के होंगे और यदि इस वर्ग के नहीं आए तो उनको मनोनीत किया जाएगा, नोमीनेट किया जाएगा। साथ ही तीसरी बात यह कही गई है कि ऋण जो वितरित किया जाएगा वह एक तिहाई जो है वह कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को दिया जाएगा, भूमि विकास बैंक ऋण भी 25 प्रतिशत कमजोर वर्ग को दिया जाएगा। इस प्रकार के विशिष्ट प्रावधान दिए गए हैं जिनका, मान्यवर, मैं तहेदिल से स्वागत करती हूं। परन्तु साथ ही यह भी कहना चाहती हूं कि राजनैतिक स्वतन्त्रता के बाद जब हमने आर्थिक स्वतन्त्रता सहकारिता के माध्यम से प्राप्त करने की बात सोची और उसके लिए जिस आशा, जिस उमंग और जिस उत्साह से हमने कदम उठाए वह कदम वास्तव में हमारे जो हैं वह सही नहीं हो सके। हमारा आर्थिक स्वतंत्रता का जो स्वप्न था वह केवल मात्र स्वप्न बन कर रह गया। सहकारिता के माध्यम से समाज और समुदाय के विकास की बात हमने सोची थी परन्तु आज समाज और सामुदायिक विकास के स्थान पर वर्ग विशेष तथा व्यक्ति विशेष के स्वार्थों का सहकारिता एक अस्त्र मात्र होकर रह गया। अब प्रश्न यह उठता है, मान्यवर कि ऐसा क्यों हुआ? क्या कारण है? मान्यवर, जहां तक मेरा अनुभव है इस क्षेत्र में, मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इसकी जो चुनाव पद्धति है वह बहुत अधिक डिफेक्टिव है। आपने यह बिल आज पेश किया इसमें चुनाव पद्धति में सरलता लाने के लिए, चुनाव पद्धति में निष्पक्षता लाने के लिए आपने किसी प्रकार के कोई कदम नहीं उठाए हैं। क्या ही अच्छा होता कि यदि आप चुनाव पद्धति के बारे में और खासतौर से जो पदाधिकारी हैं उनके कार्यकाल के बारे में एक सही रूपरेखा, एक सही निर्णय इस बिल के माध्यम से लेते। चुनाव प्रणाली इतनी अधिक दोषपूर्ण है मान्यवर, कि सारे राजस्थान की आप बात ले लीजिए, एक छोटे छोटे गांव की बात आप ले लीजिए, इस संदर्भ में इस क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति पहुंच गए हैं जिन्होंने केवल निहित स्वार्थों की बात सोची है। यही कारण है कि सामुदायिक कृषि और सहकारी उद्योग जो हैं उनकी असफलता इसके जीते जागते प्रमाण हैं। ग्रामस्तर पर भी घोटाले, भ्रष्टाचार, भाई भतीजेवाद, यह सारी प्रक्रिया बहुत अधिक उग्र हो उठे हैं। इसलिए हमने शोषण रहित समाज की जो परिकल्पना की थी वह शोषण रहित समाज की नहीं बल्कि सहकारिता के माध्यम से शोषण की ओर अधिक रास्ता खुल गया है। इस बिल में सदस्यता आपने और अधिक सुलभ बना दी। जिस जिस व्यक्ति ने आवेदन-पत्र दिया उसके साथ ही उसकी सदस्यता मान ली जाएगी, यह सही दिशा में उठाया गया कदम है और मैं इस कदम का स्वागत करती हूं। इससे सम्भव है कि आज सहकारिता में जो विकृतियां दिखाई देती हैं, जो दोष दिखाई देते हैं उनके ऊपर कुछ कुठाराघात अवश्य

(श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत)

होगा परन्तु, मान्यवर, खासतौर से सतर्कता इस बात की बर्तनी है कि एक तिहाई यानि एक तिहाई ऋण जो हम कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को देंगे, वह वास्तव में कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को मिलेगा या नहीं, यह एक प्रश्न चिन्ह हमारे सामने खड़ा होता है। क्योंकि संभवतः इन सहकारी समितियों में साहूकार या भूपति पहुंच गए हैं जो कि बिना लाइसेंस के मनीलैंडिंग का धन्धा बहुत लम्बे समय से करते आ रहे थे, आज वह अपना ऋण किस प्रकार से वसूल करें, इसके लिए खेमा, देना, नामा के नाम के अंगूठे लगा कर उगाई, अपने ऋण की तो वसूली नहीं करेंगे। कोई अपने ऋण की वसूली ब्याज सहित या ब्याज रहित उगाने का सहकारिता को जरिया तो नहीं बना रहे हैं, इन सारी की सारी बातों को हमें देखना होगा। और मैं यह भी सुझाव देना चाहती हूं इस बारे में कि यह भी प्रावधान होना चाहिए कि जिन व्यक्तियों के पास पन्द्रह बीघा से अधिक जमीन हो उनको इन सहकारी समितियों से ऋण नहीं मिलना चाहिए और खासतौर से उन्हीं व्यक्तियों को ऋण मिलना चाहिए जो कि लघु कृषक हैं, जो कि सीमान्त कृषक हैं, जो भूमिहीन कृषक हैं, इन्हीं लोगों को यदि ऋण देने की व्यवस्था करते तो अधिक उपयोगी होता। क्योंकि यदि सहकारिता के माध्यम से हम खुला छोड़ देते हैं और वर्तमान स्थिति को देखते हुए हमें यह अनुभव हुआ कि इससे गरीब अधिक गरीब होते जा रहे हैं और पैसे वाले व्यक्ति जो हैं वह बराबर और अधिक पैसे वाले होते जा रहे हैं, कम ब्याज कर सहकारिता का ऋण मिल जाता है और उस ऋण का बड़े भूमिपति, जमीन्दार अपनी भूमि में अन्य वैज्ञानिक या तकनीक आधार पर कृषि करने की बात सोचते हैं या व्यापारी व्यापार बढ़ाने की बात सोचता है। तो इस प्रकार गरीबों के शोषण मुक्त समाज की रचना करने की हमारी कल्पना निरर्थक हो जाती है।

मेरा यह सुझाव है कि यह बिल में जो प्रावधान रखा है कि एक तिहाई सदस्यता गरीब और कमजोर तबके के लोगों के लिए आरक्षित होगी इसके स्थान पर यह रखते कि पचास प्रतिशत स्थान इनमें इन कमजोर तबके के लोगों के लिए आरक्षित होंगे तो अधिक उपयुक्त होता। आज सहकारिता में एकाधिकारवाद की प्रवृत्ति है और एकाधिकारवाद के आधार पर जो कार्य इसमें हो रहा है उससे ही सहकारिता में विकृतियां पैदा हो रही हैं, उनमें कुछ समाधान हो सकता था। परन्तु सहकारिता के बारे में आज एक सामान्य व्यक्ति को बहुत अधिक जानकारी नहीं है। यह सहकारिता एक भूल-भूलैया मात्र दिखाई देती है। इस भूल-भूलैया में उसका पहुंचना, उसके लिए रास्ता ढूंढना बहुत कठिन है। उसको रास्ता नहीं मिल पाता है इसलिए मैं यह सुझाव देना चाहती हूं कि केवल कागजों में ही हम निर्देश दे दें, केवल बिल पास कर दें कि इस प्रकार कमजोर वर्ग के लोगों को हम प्रतिनिधित्व देंगे, और लोगों को सदस्य बनाया जायेगा, या ऋण देंगे तो इससे काम नहीं चलेगा। अगर हमें वास्तव में सहकारी आन्दोलन से आर्थिक स्वतन्त्रता का एक माध्यम बनाना है, आर्थिक स्वतन्त्रता दिलाना है तो इसके लिए हमको इसे स्वच्छ और साफ आकार देना पड़ेगा तब जाकर के यह सहकारिता आन्दोलन सफल

(श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत)

हो सकता है। मैं इसके सम्बन्ध में केवल इतना ही कहना चाहती हूं कि इस बिल में जो खास खास मुद्दे आपने रखे हैं या जो धाराएं रखी हैं, उनमें और संशोधन करने की आवश्यकता है जिससे कि वास्तव में गरीब तबके तक सहकारिता की पहुंच हो सके। इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी।

श्री रामनारायण चौधरी (सहकारिता मंत्री) : सभापति महोदय, जो बिल, राजस्थान सहकारी संस्था (संशोधन) विधेयक, 1976 सदन के सामने है, उस पर माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। आज की बहस में काफी माननीय सदस्यों ने भाग लिया और सहकारी आन्दोलन के प्रति अपनी दिलचस्पी जाहिर की और अपने सुझाव प्रस्तुत किए। मैंने सभी माननीय सदस्यों की बहस को सुना है और मुझे प्रसन्नता है मान्यवर कि सभी माननीय सदस्यों ने जो विधेयक आज हमारे सामने है उसकी प्रशंसा की है, सराहना की है कि जो कदम राज्य सरकार ने सहकारी आन्दोलन को मजबूत बनाने, उसे कमजोर वर्ग तक, सामान्य लोगों तक पहुंचाने के प्रयत्न किए हैं, उनकी सराहना की गयी है। इसलिए मैं इस बात से सहमत नहीं हो सकता कि माननीय सदस्यों ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं जनमत जानने हेतु और प्रवर समिति के सुपुर्द करने हेतु, इसको भेजा जाए। जो मुद्दे सदन के समक्ष विचारार्थ हैं, उसका लक्ष्य मान्यवर, बहुत सीमित है। हम इस बिल के द्वारा, open memberships' reservation of weaker sections on the Managing Committee की व्यवस्था करना चाहते हैं और माननीय सदस्यों के सुझावों के अनुसार, माननीय श्री शोभाराम जी की अध्यक्षता में गठित सहकारिता के लिए उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट आने पर, उस पर विचार करेंगे और उसी समय माननीय सदस्यों के सुझावों पर भी गंभीरतापूर्वक विचार किया जाकर और इस समिति की रिपोर्ट आने पर उस पर भी विचार किया जाकर उस पर एक कम्प्रेहेंसिव बिल सदन के सामने लाया जायेगा। लेकिन जहां तक इन मुद्दों का प्रश्न है, ये मुद्दे बहुत ही सीमित हैं और इनका उद्देश्य तुरन्त हमें उन लोगों को राहत पहुंचाने का है जो कि समाज में पिछड़े हुए हैं, कमजोर हैं और उपेक्षित हैं और इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह आर्डिनेन्स लाया गया था और आज बिल की शकल में सदन में प्रस्तुत है। मान्यवर, जो व्यवस्थाएं इसके अन्दर हैं, वे बहुत ही सीधी और स्पष्ट हैं और उनमें कहीं कोई एम्बीगुइटी नजर नहीं आती है। जो मकसद, उद्देश्य दिये गये हैं वे बहुत ही साफ हैं—ग्राम सेवा संस्था, प्राथमिक भूमि विकास बैंक और कृषक सेवा संस्था की सदस्यता उन सभी के लिए खुली रहे जो उसके लिए आवेदन करें जिनमें जनता के कमजोर तबकों के सदस्य भी सम्मिलित हैं, ग्राम सेवा संस्था, कृषक सेवा संस्था, प्राथमिक भूमि विकास बैंक और केन्द्रीय सहकारी बैंकों की प्रबन्ध समिति में कम से कम एक तिहाई सदस्यता का जनता के कमजोर तबकों के लिए आरक्षण होगा, पूर्वगामी संस्थाओं में से किसी की भी प्रबंध

(श्री रामनारायण चौधरी)

समिति में कमजोर तबकों के व्यक्तियों का नाम निर्देशन जिसमें कमजोर तबकों के प्रतिनिधित्व में कमी, यदि कोई हो तो सदस्यों के एक तिहाई विस्तार तक पूरा कर लिया जायेगा, और ऐसी प्रबंध समितियों को हटाना जो धारा 36 में उल्लिखित कार्य एवं अकार्य की दोषी हो तथा उनके मामलों का प्रबंध करने के लिये प्रशासक नियुक्त करना होगा। इसमें कहीं कोई एम्बीगुइटी, संशय नहीं है जिसके बारे में अधिक कहने की आवश्यकता हो। फिर भी मान्यवर, जो मुद्दे उठाये गये हैं उन के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहूंगा।

मान्यवर, यह देखा गया है कि जिन संस्थाओं में जो जो लोग पदाधिकारी बनकर बैठ जाते हैं, प्रबंध समितियों में जिनका बहुमत हो जाता है वे समाज के ऐसे लोगों को सदस्य नहीं बनाते हैं जो कमजोर तबके के होते हैं, वे उसमें दिलचस्पी नहीं लेते हैं—जिस मूवमेन्ट, जिस आन्दोलन और जिस संस्था से उनको लाभ उठाना चाहिये। तो राज्य सरकार ने यह महसूस किया है कि राजस्थान के प्रत्येक नागरिक के लिए जो जिस गांव का रहने वाला है, उस गांव की ग्राम सहकारी संस्था का सदस्य बन सके, तो यह सोचा गया और काफी विचार-विमर्श के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए सहकारी की सदस्यता ओपन हो। ओपन के लिए सोचा गया। जो व्यक्ति सहकारी समिति के लिए जिसे सदन आवेदन पत्र दे, ज्योंही आवेदन पत्र दें त्योंही ऑटोमेटिक वह सदस्य बन जायेगा। यह स्पष्ट प्रावधान है। लेकिन मान्यवर, यह आशंका व्यक्त की गयी कि ऐसा हो सकता है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति के पदाधिकारी, मंत्री किसी व्यक्ति का आवेदन-पत्र लेवें ही नहीं, लेने से इन्कार कर दें, रसीद न दें, कोई प्रमाण पत्र न दें तो उस स्थिति में क्या हो? वैसे यह बात स्पष्ट है, ऐसी स्थिति में रजिस्ट्रार को अधिकार है, वह सक्षम है और उस व्यक्ति को वह राहत पहुंचा सकता है। रजिस्ट्रार जांच के बाद सहकारी समिति को निर्देश दे सकता है कि उस व्यक्ति को सदस्य बनाया जाये। फिर भी ऐसी आशंका हो सकती है। यह नहीं कहता कि यह आशंका निर्मूल है। इसके पीछे भी आधार हो सकता है और काफी वजन भी इस बात में है। इस प्रश्न को मैंने सोचा है और आगे चल कर विस्तार से बताऊंगा और इसके लिए मैं बिल में आवश्यक संशोधन भी प्रस्तुत कर रहा हूं।

मान्यवर, यह महसूस किया गया कि सहकारी समितियां, सहकारी संस्थाएं कमजोर वर्ग के लोगों की आमतौर से उपेक्षा करते हैं तो यह जरूरी किया गया, लाजिमी किया गया कि प्रत्येक सहकारी संस्था की मैनेजिंग बोडी, प्रबन्ध समिति में एक तिहाई सदस्य कमजोर तबके के होंगे। यदि चुनाव में जीतकर नहीं आये तो इस कमी की पूर्ति राज्य सरकार मनोनयन के द्वारा, नामीनेशन के द्वारा पूर्ति करें। इस बारे में कई माननीय सदस्यों ने काफी आशाएं व्यक्त की हैं कि यह काफी अस्पष्ट है। इसमें अस्पष्टता की कोई बात नहीं है। जितनी सदस्य संख्या है मैनेजिंग कमेटी की तो उसका एक तिहाई, यानि यदि 12 है तो 4 यदि कोई चुनाव में नहीं आये तो उस कमी को राज्य सरकार मनोनयन के द्वारा पूर्ण करेगी और जो संस्थाएं एक तिहाई ऋण कमजोर

(श्री रामनारायण चौधरी)

तत्वकों को नहीं देंगी उनके लिए लाजिमी किया गया है। उसके लिए यह लाजिमी है। माननीय सदस्यों ने विशेषतौर से तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य ने और दूसरे माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया कि यदि जो संस्थाएं इसका पालन नहीं करेंगी, जो प्रावधान है उन प्रावधानों के अनुसार अपने कर्त्तव्य की पूर्ति नहीं करेंगी तो इसमें कोई व्यवस्था नहीं की गई कि उनको क्या सजा मिलेगी। मान्यवर, इस संबंध में राजस्थान कोआपरेटिव सोसाइटी एक्ट की धारा 36 में स्पष्ट है। यदि कोई भी सहकारी संस्था, उसका पदाधिकारी अथवा उसकी मैनेजिंग बोडी नियमानुसार कार्य नहीं करती है, जो अधिकार उसे दिये गये हैं, जो कर्त्तव्य उन्हें सौंपे गये हैं उनकी पूर्ति नहीं करती है तो रजिस्ट्रार को व्यापक अधिकार इसमें दिये गये हैं—

"36. Removal of Committee or member thereof :—(1) If, in the opinion of the Registrar, the committee of any co-operative society or any member of such committee persistently makes default or is negligent in the performance of the duties imposed on it or him by this Act or the rules or the bye-laws or commits any act which is prejudicial to the interests of the society..."

यह धारा 36 का प्रावधान ऐसा प्रावधान है कि इन प्रावधानों की अवहेलना करने वाला कोई पदाधिकारी, कोई भी कमेटी इसकी अवहेलना करेगी, इनका आदर नहीं करेगी, इसकी पालना नहीं करेगी तो उसके खिलाफ रजिस्ट्रार को व्यापक अधिकार हैं। उसको हटाया जा सकता है और दूसरे आल्टरनेटिव अरेन्जमेंट हो सकते हैं—

श्री रतीराम यादव : Removal is not the punishment.

श्री रामनारायण चौधरी : रिमूवल बहुत बड़ी सजा है। इससे बड़ी कोई सजा नहीं हो सकती है। जो काम जिनको सौंपा है उसे कोई अधिकारी या कमेटी नहीं करती है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करके उनको उस पद से हटाया जा सकता है। इससे बड़ी और क्या सजा हो सकती है?

श्री रतीराम यादव : एक लाख का गबन कर लूं तो मुझे हटा दें तो यह सजा हो गई क्या?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये थे तो मैंने बड़े ध्यानपूर्वक आपको सुना था और मैंने कोई हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं की है।

श्री रतीराम यादव : मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : मेरे उत्तर को भी माननीय सदस्य ध्यानपूर्वक सुनें, और कोई शंका हो तो बाद में पूछ लें। मैं उसका स्पष्टीकरण करूंगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह आपत्ति उठाई, अपने विचार भी व्यक्त किये कि अभी तक इन व्यवस्थाओं से अधिक लाभ नहीं हुआ है और जिस हद तक इसकी

(श्री रामनारायण चौधरी)

लक्ष्य-पूर्ति हुई है इस बात की कोई जानकारी नहीं है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को एक जानकारी देना चाहता हूं कि जब से यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक सहकारी समिति को जो केन्द्रीय सहकारी बैंक ऋण देगा उसका एक-तिहाई कमजोर वर्ग के लोगों के पास में जायगा। इन व्यवस्थाओं की उनको पूर्ति करनी पड़ेगी इस संबंध में इन पिछले दिनों के अंदर काफी प्रगति हुई है, और एक अभियान के रूप में कि कमजोर वर्ग के लोगों को सहकारिता के क्षेत्र में लाया जाय राजस्थान सहकारी विभाग ने कार्य चलाया। उस अभियान के दरम्यान में 2,70,000 व्यक्ति सहकारिता के क्षेत्र में लाये गये, नये सदस्य बनाये गये। इन सदस्यों में से 60 प्रतिशत व्यक्ति कमजोर तबके के भर्ती किये गये, और जब से यह व्यवस्था हुई है कि एक-तिहाई ऋण कमजोर वर्ग के लोगों को जाय उसके बाद इसकी पूर्ति के लिऐ सभी संस्थाओं ने प्रयत्न किये हैं। मैं आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि राजस्थान में अब तक 23 करोड़ 22 लाख का ऋण वितरण किया गया है जिसमें से 30 प्रतिशत कमजोर वर्ग के पास में गया है। आप यह कहेंगे कि 33 प्रतिशत के लक्ष्य की पूर्ति नहीं हुई है। यह मैं जानकारी आपको देना चाहता हूं कि यह जो ऋण का वितरण इसमें किया गया है यह 1 जुलाई, 1975 से चालू हुआ है और यह व्यवस्था 23 अक्टूबर, 1975 को की है। तो एक जुलाई, 1975 से 23 अक्टूबर, 1975 तक इस प्रकार की कोई व्यवस्था, कोई भी बन्धन संस्थाओं पर नहीं था ताकि लक्ष्य की पूर्ति वह करते। इस दरम्यान में जो राशि दी गई है तो वह सिर्फ शुरू से टोटल पर्सेन्टेज के अन्दर गिनी जाती है तो 30 प्रतिशत कर सकते हैं...

श्री ओंकारलाल चौहान : माननीय सभापतिजी, क्या माननीय मंत्रीजी यह कृपा करेंगे कि जिलेवार इसका ब्रेकअप बता दें ताकि कि प्रत्येक जिले में कितना कितना दिया गया ?

श्री सभापति : बाद में जानकारी कर लें।

श्री रामनारायण चौधरी : लेकिन जो प्रयत्न इस आर्डिनेन्स के बाद में हमने किये हैं वह काफी सराहनीय है, काफी महत्वपूर्ण हैं। माननीय सदस्य ने जानना चाहा कि जिलेवार क्या स्थिति रही तो मुझे जिलेवार भी बताने में कोई आपत्ति नहीं है। अजमेर जिले में 75,39,000 रु दिये गये जिसमें से 23,71,000 रु. कमजोर वर्ग को दिये गये और 31 प्रतिशत वहां का लक्ष्य रहा। अलवर में कुल 1,85,00,000 रु. दिये गये जिसमें से 32,84,000 रु. कमजोर वर्ग को दिये गये और 18 प्रतिशत लक्ष्य रहा। बांसवाड़ा में 15,54,000 दिये गये जिसमें से कमजोर वर्ग को 4,32,000 रु. दिये गये और 27 प्रतिशत वहां का रहा। भरतपुर में 2,78,66,000 रु. दिये गये जिसमें से 61,98,000 रु. कमजोर वर्ग को दिये गये जिससे 23 प्रतिशत वहां पर रहा। भीलवाड़ा में 97,86,000 रु. कुल दिये गये जिसमें से 49,53,000 रु. कमजोर वर्ग को दिये गये तो 51 प्रतिशत कमजोर वर्ग का रहा। बीकानेर में 21,62,000 टोटल दिये गये जिसमें से 6,87,000 रु. कमजोर वर्ग को मिले, प्रतिशत 32 रहा। बूंदी में 1,7840,,000 रु. दिया गया जिसमें से 85,57,000 रु.

Page No 79

79

(श्री रामनारायण चौधरी)

कमजोर वर्ग को मिले और प्रतिशत वहां पर 49 रहा। चित्तौड़गढ़ में 93,00,000 रु. दिये गये टोटल उसमें से 38,00,000 रु. कमजोर-वर्ग को दिये गये, 41 प्रतिशत वहां पर कमजोर वर्ग का रहा। चूरू में 16,68,000 रु. दिये गये उसमें से 5,56,000 कमजोर वर्ग को दिये गये और 21 प्रतिशत वहां पर रहा। डूंगरपुर में 35 लाख का टोटल दिया गया जिसमें से 10,87,000 रु. कमजोर वर्ग को दिये गये, प्रतिशत 31 रहा। जयपुर में 1,59,48,000 रु. दिये गये टोटल जिसमें से 50,86,000 कमजोर वर्ग को दिये गये, प्रतिशत 32 रहा। जालोर में 60,67,000 रु. कुल दिये गये जिसमें से 18 लाख कमजोर वर्ग को दिया गया, प्रतिशत 30 रहा। झालावाड़ में 80,59,000 रु. टोटल दिया गया जिसमें से 11,44,000 रु. कमजोर वर्ग को दिया गया, प्रतिशत 14 रहा। झुन्झुनूं में 21,47,000 कुल दिया गया जिसमें से कमजोर वर्ग को 8,62,000 रु. दिया गया, प्रतिशत 40 रहा। जोधपुर को 60 लाख 14 हजार, जिसमें से वीकर सेक्शन को दिया 11 लाख 48 हजार, 19 पर्सेंट। इसी प्रकार से कोटा के अन्दर 28 पर्सेन्ट, नागौर के अन्दर 25 पर्सेन्ट, पाली के अन्दर 28 पर्सेन्ट, सवाई माधोपुर के अन्दर 37 पर्सेन्ट, सीकर के अन्दर 28 पर्सेन्ट, सिरोही के अन्दर 31 पर्सेन्ट, श्रीगंगानगर के अंदर 15 पर्सेन्ट, टोंक के अन्दर 19 पर्सेंट और उदयपुर के अन्दर 51 पर्सेन्ट···

श्री शंकरलाल : जोधपुर में बहुत कम रहा है।

श्री रामनारायण चौधरी : जोधपुर, कोटा, झालावाड़ में प्रतिशत निश्चित रूप से कम रहा है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं, ज्यादा बड़ा ऋण राजस्थान में खरीद फरोख्त का होता है। खरीद-फरोख्त में लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायगा। जो व्यवस्था में है कि 33 पर्सेन्ट कमजोर वर्ग के लोगों को जायगा, निश्चित-रूप से उसकी पूर्ति की जायगी।

मान्यवर, दूसरा माननीय सदस्यों ने, विशेषतौर से माननीय रतीराम ने सहकारी समितियों का जिक्र किया कि सहकारी समितियां ऋण आवेदन-पत्र बनाकर सी.सी. बैंक में प्रस्तुत कर देती हैं और फिर बैंक्स दलबन्दी के आधार पर अथवा अपनी गैर-दिलचस्पी से उन सहकारी समितियों को परेशान करती हैं और उन्हें उनका वाजिब ऋण नहीं चुकाया जाता है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर एक ग्राम सेवा सहकारी समिति का जिक्र किया, वह अच्छा काम कर रही है, ऋण वसूल करना चाहती है। लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि ऋण वसूल हो। उनकी शिकायत की गई। उनके खिलाफ कार्यवाही की गई। सहकारी समिति का मैनेजमेंट भंग किया गया। एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया। फिर चुनाव हुए और वह लोग जीते। और अब ठीक काम कर रहे हैं। माननीय सदस्य यह बात ठीक समय पर ध्यान में लाते तो मैं मदद कर सकता था। जो सहकारी समिति, अच्छा काम कर रही है, जो कर्तव्य को निभा रही है, जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उस जिम्मेदारी को पूरा कर रही है, ऐसी सहकारी समिति को प्रोटेक्ट करना, उसकी हिफाजत करना, ठीक प्रकार से सहयोग देना यह राज्य सरकार का कर्तव्य है। माननीय सदस्य स्पेसिफिक तौर पर ध्यान में बात लायेंगे तो मैं जांच कराऊंगा और देखूंगा

(श्री रामनारायण चौधरी)

कि उनके साथ किसी प्रकार की ज्यादती हुई है क्या और जांच के निर्णय से माननीय सदस्य को अवगत कराऊंगा।

मान्यवर, सहकारी आन्दोलन एक ऐसा आन्दोलन है, ऐसा मूवमेंट है कि वह न कानून से, न कलम के झटके से दुरुस्त किया जा सकता है, मजबूत किया जा सकता है अथवा उसको व्यापक किया जा सकता है। यह हमारी निष्ठा का, हमारे प्रयत्न का, हमारी भावनाओं का प्रतिफल है कि इसको मजबूत बना सकें, व्यापक बना सकें। सतत प्रयत्न करने के बाद ही इस आन्दोलन को मजबूती और व्यापकता का रूप दे सकते हैं। इसमें राज्य सरकार का कर्तव्य जहां तक है, कानून में आवश्यक सुधार करने का, कानून को इस प्रकार मजबूर किया जाय कि कमजोर वर्ग को, प्रदेश के प्रत्येक वाशिन्दे को, प्रति निवासी को मदद मिल सके– यह राज्य सरकार का काम है। उसके बाद यह हमारे ऊपर निर्भर करता है, जो हम पब्लिक लाइफ में हैं इस मूवमेंट को किस प्रकार से मजबूत किया जाय। हम इसमें दिलचस्पी लें, इन संस्थाओं में भाग लें और दिलचस्पी लेकर मजबूत करें। यह आरोप, कि हमको आने नहीं देते है, अब नहीं रहा है क्योंकि किसी की इजारेदारी या ठेकेदारी नहीं रही है। जो व्यक्ति जिस संस्था में जाना चाहेगा उसकी ओटोमैटिक मेम्बरशिप रहेगी। उसको आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना होगा और अगर वह तमाम कन्डीशन्स फुलफिल करता है तो किसी को उसे रद्द करने का अधिकार नहीं है। हमने यहां तक रखा है कि कोई व्यक्ति आवेदन करता है कि भूमि विकास बैंक का सदस्य बनना चाहता हूं तो वह कन्डीशन्स फुलफिल नहीं करता है तब भी बनेगा। किसी के प्रति सहकारी समिति के मेम्बर की शिकायत है तो मेम्बर अपील में जाकर उसको रद्द करवा सकेगा....

श्री रघुनाथ विश्नोई : आवेदन-पत्र न दें।

श्री रामनारायण चौधरी : आवेदन-पत्र न दें तो बिना प्रयत्न के न गंगा पहले आयी है और न अब आ सकती है। मेम्बर बन सकता है लेकिन अगर वह प्रवाह के पास नहीं जायगा तो प्रवाह आकर नहीं कहेगा कि सदस्य बनाया गया। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि जो यह व्यवस्था की गई है कि ओटोमैटिक मेम्बरशिप हो इसका पूरा लाभ हमें उठाना चाहिये।

वन थर्ड लोन संस्थाओं के द्वारा निश्चितरूप से कमजोर वर्ग के पास जाय, इसका प्रयत्न करना चाहिए। राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि सेंक्शन का वन थर्ड यह गारन्टी नहीं हुई, उनके पास जाय। उनको, सभापति महोदय, आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं, इससे अधिक क्या गारन्टी होगी। प्रत्येक संस्था में नीचे से, लोअर से, प्राइमरी से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक व्यवस्था की गई है, प्रत्येक स्थान पर 33 पर्सेन्ट की व्यवस्था अनिवार्य रूप से पूरी करनी होगी...

श्री रघुनाथ विश्नोई : कब तक ?

श्री रामनारायण चौधरी : आप कहेंगे कि नहीं करते हैं, मंजूर करके डाल देते हैं, पालन नहीं करते हैं तो व्यवस्था के हिसाब से होने वाले लाभ का इन्तजार करना पड़ेगा पदाधिकारी और मैनेजमेंट को ...

Page No 81

(81)

श्री रघुनाथ विश्नोई : कब तक करेंगे ?

श्री रामनारायण चौधरी : आपके माध्यम से, मान्यवर, जो माननीय सदस्यों ने आशंकायें व्यक्त कीं, यह स्पष्ट नहीं हैं, रिजर्वेशन जिन वीकर सेक्शन्स का किया गया है, वह कैसे होगा । राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, रिजर्वेशन कर दिया जाय, कांस्टीट्यूएन्सी रिजर्व कर दी जाय । दूसरे कह रहे हैं, वन थर्ड कौनसी सदस्यता का होगा । जहां तक कान्स्टीट्यूएन्सी रिजर्वेशन करने का प्रश्न है, राज्य सरकार ने फाइनली यह उचित समझा है, एक बार कमजोर वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाय, उचित स्थान पर बैठने दिया जाय और अधिक अधिकार के लिए प्रयत्न किया जाय । यह हमने रखा है, रिजर्वेशन करने से काफी व्यापक पैमाने पर परिवर्तन इसमें करना पड़ेगा और जो सीमित उद्देश्य हम हासिल करना चाहते हैं, उसकी पूर्ति हो जायेगी । जहां तक वन थर्ड नामिनेशन का प्रश्न है, यह स्पष्ट है, मैनेजिंग कमेटी की सदस्य संख्या, उसकी संख्या का वन थर्ड, टोटल वन थर्ड नहीं आयेगा, तो उसकी पूर्ति की जायेगी । अगर एक भी नहीं आया तो वन थर्ड का नामिनेशन होगा, अगर आ गया तो उसकी पूर्ति की जायेगी । यह स्पष्ट है । इसमें अस्पष्टता कहीं नजर नहीं आती ।

मान्यवर, राज्य सरकार इस बात के लिए बराबर प्रयत्नशील है और अलाइव है और एक्टिव है कि सहकारी संस्थाओं में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, अव्यवस्था नहीं हो, लेकिन फिर भी जैसा निवेदन किया यह आन्दोलन है, यह पीपुल्स मूवमेंट है । पीपुल्स मूवमेंट—इसकी शक्ल डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर पर राज्य सरकार उतना ही अंकुश लगाना चाहती है जितना वाजिब है । हमने इस बात का प्रयत्न किया है, उन सहकारी संस्थाओं में, जहां सरकार की हिस्सा पूंजी है, उन सहकारी संस्थाओं में जहां सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सा पूंजी बढ़ाने में गारन्टी के रूप में सहयोग दिया है, राज्य सरकार ने तीन डाइरेक्टर, तीन संचालक अपनी ओर से बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स में मनोनीत करने, नामिनेट करने का अधिकार ले रखा है । उस हिसाब से हम करते हैं और राज्य सरकार की तरफ से उनको आदेश दिया हुआ है, निर्देशन दिया हुआ है, कि जिस संस्था में जहां वे बैठे हैं उस संस्था के हितों की रक्षा करें और आन्दोलन का हित हो—इस दृष्टि से काम करें । फिर भी कई जगह से इस प्रकार की शिकायत आती है, अमुक संस्था, केन्द्रीय सहकारी भूमि अथवा भूमि विकास बैंक दलीय आधार पर कुछ लोगों को ऋण देता है, कुछ लोगों को नहीं देता है । मान्यवर, यह हो सकता है और इस शिकायत में सच्चाई न हो—मैं नहीं कहता । लेकिन जो प्रभावित पक्ष है उनका इस बात के लिए कर्तव्य है कि वहां पर यदि उन्हें इन्साफ न मिले और वहां अगर उनकी सुनवाई नहीं होती है तो राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में तीन डाइरेक्टर बैठते हैं, असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, जो भी स्थिति होती है उस संस्था में मेम्बर होते हैं, रजिस्ट्रार को सम्पूर्ण अधिकार, पावर होती है, उस अधिकार के तहत वह कार्यवाही कर सकता है । ऐसे लोगों को मदद पहुंचा सकता है । लेकिन जो प्रभावित पक्ष हैं उनको जागरूक रहना होगा और सतर्क रहना होगा और उस संस्था से

(श्री रामनारायण चौधरी)

लाभ मिले—इसके लिए बराबर प्रयत्न करना होगा। फिर भी राज्य सरकार यह मुनासिब समझेगी कि राज्य सरकार द्वारा मनोनीत संचालकों को आदेश देगी कि वह जहां इस प्रकार की शिकायतें आयें, बारीकी से देखें और प्रभावित व्यक्ति, जिनको नुकसान हो रहा है, वाजिब हक नहीं मिल रहा है, को वह दिलवाने में मदद करें। राज्य सरकार इस प्रकार के आदेश-निर्देश जारी करेगी।

पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने विचार व्यक्त किए और जयपुर के एक बैंक का जिक्र किया। वह बैंक ऐसा बैंक है जिसमें राज्य सरकार की कोई हिस्सा पूंजी नहीं है। राज्य सरकार की गारन्टी से उन्हें कोई ऋण नहीं मिला हुआ है फिर भी आज 1½ साल पहले राज्य सरकार को उसके कार्यकलापों के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थीं। राज्य सरकार ने उन शिकायतों पर आवश्यक कार्यवाही के लिए जांच हेतु और कानूनानुसार आवश्यक कदम उठाने के लिए रजिस्ट्रार को निर्देश दिया था। रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग ने उसकी जांच की और जांच के बाद मेरे ख्याल से पिछली जनवरी 1975 के अन्दर उस बैंक के संचालक मंडल को भंग करके प्रशासक नियुक्त किया गया। उस नियुक्ति के खिलाफ, रजिस्ट्रार के इन आदेशों के खिलाफ, प्रभावी पक्ष-उस संचालक मण्डल के चेयरमैन और दूसरे लोग हाई कोर्ट में गए, वहां से स्टे आर्डर ले आये और चूंकि उससे पहले ही प्रशासक ने कार्यभार संभाल लिया था तो उन आदेशों की पालना नहीं हो सकी। रजिस्ट्रार ने यह आधार लिया कि स्टे आर्डर आने से पहले ही प्रशासक कार्यभार सम्भाल चुका है इसलिए इन आदेशों की क्रियान्विति नहीं हो सकती और अब जैसी स्थिति है उसको कायम रखा जाना चाहिए लेकिन हाई कोर्ट ने यह पोजीशन ली कि क्योंकि रजिस्ट्रार ने हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की है, तो उन्होंने सहायक रजिस्ट्रार को कान्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट में लिया। इतना ही नहीं मुझे जहां तक जानकारी मिली है, अदालत ने ओपन कोर्ट में आब्जर्व किया और उस आब्जर्वेशन के आधार पर रजिस्ट्रार ने अपना वह आदेश वापिस ले लिया।

उसके बाद कुछ दिनों तक जैसा वह बोर्ड था वह चला लेकिन गम्भीर शिकायतें बराबर आ रही थीं। संचालक मण्डल के सभी सदस्यों ने जब यह देखा कि बैंक इस स्थिति में जा चुका है और रजिस्ट्रार ने जो कार्यवाही की है वह बिल्कुल उचित है और यह बैंक निर्वाचित संचालकों के द्वारा नहीं चलाया जा सकता तो सभी ने रजिस्ट्रार को त्याग-पत्र दे दिया। तदनुसार रजिस्ट्रार ने प्रशासक नियुक्त कर दिया और यह माननीय सदस्यों का कहना कि राज्य सरकार जागरूक नहीं है, सही नहीं है। राज्य सरकार को पता था तभी तो यह कार्यवाही हुई और राज्य सरकार व रजिस्ट्रार हाई कोर्ट में लड़ा, लेकिन अदालत का फैसला क्योंकि सर्वोपरि होता है, हमने उसका पालन किया। अदालत ने कहा कि रजिस्ट्रार के आदेश को वापिस ले लिया जाए तो हमें वापिस लेना पड़ा। यह सही है कि वह बैंक चलने की स्थिति में नहीं है। रिजर्व बैंक ने उस बैंक के लिए मोरेटोरियम लगाया है कि 25 रुपए से ज्यादा खातेदार को बैंक से निकालने की अनुमति नहीं दी जाय। उसका पालन हो रहा है और राजस्थान को-आपरेटिव एक्ट के तहत जो कार्यवाही करनी चाहिए, वह की जायगी और इस बात का बरा-

(श्री रामनारायण चौधरी)

बर प्रयत्न किया जायगा कि डिपोजिटर्स का पैसा सुरक्षित रहे। किस प्रकार से रिकवरी होकर जिन लोगों का पैसा डिपाजिटेड है उनको दिया जाए, इसमें हम किसी गलतफहमी में नहीं रहेंगे, सावधानी से काम किया जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह ध्यान में आया है कि 1973 में आपके विभाग ने इस बैंक का ऑडिट किया और उस ऑडिट पार्टी ने बहुत अच्छी रिपोर्ट दे दी कि यह बैंक बहुत अच्छा फंक्शन कर रहा है जब कि कर्मचारियों की तरफ से और सदस्यों की तरफ से रिप्रेजेन्टेशन किया गया था कि बैंक की हालत बहुत खराब है? यदि यह सही है तो इस प्रकार का ऑडिट करने वालों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए क्योंकि जनता का पैसा डूबता है, जनता समझती है कि बैंक सरकार की देख रेख में है, चूंकि बैंक अनगारंटीड है, अगर 5 प्रतिशत भी है तो इन सबको आप गारंटीड बना दें, नियंत्रण अच्छा रखें तो जनता का पैसा ठीक रह सकेगा वरना कम से कम एडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल आपका होना चाहिए और वे बैंक्स जो अनगारंटीड चल रहे हैं, इससे सबक लेंगे कि कहीं दुबारा इस सदन में चर्चा न आ जाए। मैं उन बैंकों के नाम तो नहीं लेना चाहता, कहीं उन पर रश न हो जाए वरना और बैंकों की हालत भी खराब है।

श्री रामनारायण चौधरी : 1973 में राज्य सरकार ने ऑडिट करवाया था, वह ऑडिट रिपोर्ट क्या थी, वह फिलहाल मेरी जानकारी में नहीं है लेकिन यह हो सकता है कि सरकार ने ऑडिट करवाया हो और ऑडिट वालों ने ऐसी रिपोर्ट दी कि इसका काम ठीक प्रकार से चल रहा है जब कि वहां के कर्मचारियों ने कहा हो कि नहीं, इसका काम ठीक नहीं है। मैं जानकारी करूंगा और यदि सहकारी विभाग के किसी अधिकारी ने गलत रिपोर्ट दी है किसी बैंक के बारे में या सरकार को मिसलीड करने की कोशिश की है तो ऐसे अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी, ऐसे आदमियों को बख्शा नहीं जाएगा।

अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने विचार जाहिर किए हैं। जिनमें शेयर मनी सरकार का है अथवा नहीं, सरकार की गारन्टी है अथवा नहीं, ऐसी संस्थाएं जिनका एक्ट में रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उनके बारे में आपने विचार व्यक्त किए। मैं आपके विचारों से सहमत हूं और मैंने अपने विभाग से कहा है कि राज्य सरकार की गारन्टी है या नहीं, शेयर मनी है या नहीं है, यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना किसी संस्था का कोआपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद महत्व रखता है। तो राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी समझती है। जो भी संस्था एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होंगी, विशेष तौर से बैंकों का काम करेंगी, उनको राज्य सरकार गम्भीरता से लेगी और भविष्य में व्यवस्था करेगी कि इस प्रकार की संस्थाओं को अनचैक्ड नहीं जाने दिया जाए कुछ लिमिटेशन्स उसमें की जाए, कानून में संशोधन समय पर किया जाय और व्यवस्था की जाए कि विभाग का इसमें पूरा नियंत्रण हो ताकि जनता का धन जिसमें लगा हुआ है, कानून के तहत एक संस्था रजिस्टर्ड हो जाती है, उस पर नियंत्रण हो। एक साधारण नागरिक को क्या मालूम ? वह तो समझता है कि राज्य का बैंक है, जब हमारे एक्ट में

Page No 84

(84)

(श्री रामनारायण चौधरी)

रजिस्टर्ड है तो हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि डिपोजिटर का पैसा सेफ हो और इसके लिए कोई व्यवस्था की जानी चाहिए कि किस प्रकार से डिपोजिटर्स के इन्ट्रेस्ट्स को वाच किया जा सकता है, ऐसा क्या प्रावधान हो सकता है इस पर विचार किया जाएगा। और समय पर आपके सामने लाऊंगा ये हमारी व्यवस्थायें हैं, कानून में संशोधन किया जाएगा। मैं आपके विचारों से सहमत हूं।

यह भी कहा गया कि इस बैंक के किसी व्यक्ति का मुझसे सम्बन्ध है या मेरे मित्र हैं। इस बैंक का चेयरमैन न तो मुझसे सम्बन्धित है न मित्र है। मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस बैंक के किसी भी पदाधिकारी से न मेरा कोई सम्बन्ध रहा, न मेरा आज सम्बन्ध है, न कभी मेरे पास कोई आया है और मुझे यह कहा गया कि अमुक व्यक्ति मेरे बैडरूम में मिला था। मेरे बैडरूम की जानकारी या तो मुझको होती है या मेरी घरवाली को हो सकती है। तीसरा आदमी मेरे बैडरूम में मिलता है, इस प्रसंग में मैं नहीं जाना चाहता।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापतिजी, माननीय मंत्री महोदय इस बात को स्पष्ट से कह दें कि डॉ० कृष्ण कुमार मेंहदी मर्केन्टाइल बैंक के चेयरमैन थे, मन्त्री महोदय के घर पर आया जाया करते थे, इस बात को साफ कह दें।

श्री सभापति : यह एक कान्ट्रोवर्शल प्रश्न है इसको स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं इस बात को पहले भी बता चुका हूं कि मेरे घर पर कौन मिलने आते हैं और कौन नहीं आते हैं, वह पब्लिक प्लेस है। मेरे बैडरूम में केवल दो ही व्यक्ति हो सकते हैं, तीसरा नहीं, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि ...

श्री दीपंकर : आपके बैडरूम में ...

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री रामनारायण चौधरी : जिस व्यक्ति का वह नाम ले रही है, सभापति महोदय, उससे मेरा सम्बन्ध आज भी नहीं है और पहले भी कोई सम्बन्ध नहीं था। मैं माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने इस बिल के बारे में अपनी भावनाएं व्यक्त कीं। उन्होंने जो प्रसंशा की कि सराहनीय कदम उठाये गये हैं उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं और मैं समझता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन प्रस्ताव रखे हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे उनको वापिस ले लें और बिल को पास होने दें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य जिन्होंने संशोधन प्रस्ताव रखे उनको वापिस लेना चाहेंगे जिन्होंने जनमत जानने हेतु और प्रवर समिति को भेजने के लिए प्रस्ताव रखे हैं?

श्री दीपंकर
श्री मीठालाल मीणा
श्री वृद्धिचन्द्र जैन
श्री मोहरसिंह
श्री विजयसिंह
श्री शंकरलाल
श्री झाबरमल सूंडा
श्री रतीराम यादव
श्री लूणाराम
श्री रघुनाथ विश्नोई
श्री प्रद्युम्नसिंह
श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत

} हां, वापिस लेना चाहते हैं।

श्री सभापति : क्या सदन की सम्मति है कि वापिस लेने की अनुमति दी जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति दी गई।

(उक्त माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव वापिस लिये)।

श्री विजय सिंह : सभापति महोदय, मेरा एक प्रस्ताव था।

श्री सभापति : आपका प्रस्ताव मूव नहीं हुआ।

श्री विजय सिंह : सभापति महोदय....

श्री सभापति: मैं समझता हूं कि आप बोल चुके हैं और जो कुछ कहना है, तृतीय वाचन पर कह दीजिये।

विधेयक पर विचार

प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी संस्था (संशोधन) विधेयक, 1976 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान सहकारी संस्था (संशोधन) विधेयक, 1976 विचारार्थ लिया गया।

खण्ड 2- श्री रतीराम यादव। आप संक्षेप में मूव करेंगे।

श्री रतीराम यादव : माननीय सभापतिजी, इसमें मैंने जो संशोधन रखा है वह इस प्रकार से है—"The proposed new clause (nn) be replaced as follows:—

"(nn) 'Weaker section' means landless agricultural labourers, rural artisans, marginal farmers and small farmers as defined under the Rajasthan Scheduled Debtors (Moratorium of Debts) Act, 1976 and such other economically and socially backward or neglected persons whose average annual income is not more than two thousand and four hundred rupees."

मान्यवर, इसमें मैंने यह संशोधन प्रस्ताव रखा है कि इसमें जो वीकर सेक्शन की डेफिनेशन दी गई है वह अन्डरस्टुड है, केवल स्पष्ट नहीं है कि वीकर सेक्शन कौन होगा। माननीय मंत्रीजी ने यह रखा है कि गवर्नमेंट समय समय पर नोटिफिकेशन के जरिये बतावे उनको वीकर सेक्शन माना जायगा। तो, मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि हमेशा कमजोर वर्ग के लोगों को अपनी दिशा स्पष्ट नहीं होगी कि कौन उसके अन्दर आयेगा। इसलिए मैंने संशोधन रखा है कि जो अभी अनुसूचित ऋण स्थगन अध्यादेश पास कर रखा है उसमें जो वीकर सेक्शन की डेफिनेशन है वही वीकर सेक्शन की डेफिनेशन मानी जाय, यह मैं अमेन्डमेंट पेश करता हूं।

श्री सभापति : आपको कुछ कहना है, माननीय मन्त्रीजी ?

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य, तिजारा से आने वाले सदस्य ने संशोधन प्रस्ताव रखा है कि वीकर सेक्शन को इस प्रकार से डिफाइन किया जाय। माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार ने 9

(श्री रामनारायण चौधरी)

अक्टूबर, 75 को एक अधिसूचना जारी की है उसमें वीकर सेक्शन को काफी विस्तार से डिफाइन करके बतलाया गया है और मैं समझता हूं कि इस अधिसूचना के जारी हो जाने के बाद जो माननीय सदस्य ने संशोधन रखा है वह अनावश्यक रहता है। और माननीय सदस्य ने जो बताया है उससे अधिक व्यापक डेफिनेशन उस अधिसूचना में आ जाती है और वह इसकी अधिक गहराई तक जाती है और सोसायटी के अन्तिम व्यक्ति को लाभ पहुंचाने में ज्यादा कारगर है बनिस्बत उन्होने जो डेफिनेशन बताई है उसके।

श्री सभापति (श्री रतीराम यादव से) : क्या आप वापिस लेते हैं ?

श्री रतीराम यादव : मैं छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : निवेदन इस स्टेज पर नहीं हो सकता। आप वापिस लेना चाहते हैं या नहीं ?

श्री रतीराम यादव : मैं वापिस लेना चाहता हूं।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति दी जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री रतीराम यादव : मैं वापिस लेता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 मूल रूप में स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 मूल रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 3। श्री रतीराम यादव।

श्री रतीराम यादव : माननीय सभापति जी, मैंने यह संशोधन रखा है इसमें कि इसको इस तरह से रिराइट किया जाय, जो प्रपोज्ड अमेन्डमेन्ट है उसको Rewrite the proposed amendment as follows :-

"In the principal Act, in section 6, sub-section (2)-(i) In the proviso to clause (c) in the last line substitute the word 'thirty three' for the word 'ten' "

उसमें जो यह दिया गया है कि मेम्बरशिप का दसवां हिस्सा कमजोर तबके में से होना चाहिए उसके स्थान पर मैं यह संशोधन रखना चाहता हूं कि वह भी 33 पर्सेन्ट होना चाहिए। जैसा कि हमने कर्जा लेते समय या उसकी एग्जीक्यूटिव के अन्दर 33 पर्सेन्ट रखा है, माननीय मन्त्रीजी ने स्वयं रखा है उसी तरह से हमें इसके अन्दर रखना चाहिए। इसमें यह विसंगति क्यों छोड़ी ?

इसी तरह मेरा दूसरा अमेन्डमेन्ट है। क्लाज (f) के बाद मैंने रखा है-

"After clause (f) in the explanation, paragraph (ii) shall be omitted."

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी ।

श्री रामनारायण चौधरी : यह तो अमेंडमेंट की शक्ल में भी नहीं है ।

"Rewrite the proposed amendment as follows........"

10 वें हिस्से के बजाय 33 पर्सेन्ट कर दिया जाय–यह तो अमेन्डमेन्ट की शक्ल में भी नहीं है लेकिन फिर भी मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 33 पर्सेन्ट मैनेजिंग बॉडी में रिप्रेजेन्टेशन दिया है और जब मेन्डेटरी प्रावीजन कर दिया कि 33 पर्सेन्ट वीकर सेक्शन में से रखा जाय तो 50 पर्सेन्ट एनरोलमेंट नहीं होगा तो 33 पर्सेन्ट का कोटा ऊंचा नहीं कर सकते । इसलिए इस अमेन्डमेन्ट का कोई मतलब नहीं है । इसलिए यह अनावश्यक है । मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि इस संशोधन को वे वापिस ले लें ।

श्री सभापति : (श्री रतीराम यादव से) आप वापिस लेना चाहते हैं ?

श्री रतीराम यादव : आप मेरे को इजाजत दें तो .....

श्री सभापति : नहीं, अब विवाद नहीं हो सकता । क्या आप वापिस लेना चाहते हैं ?

श्री रतीराम यादव : मैं इन्सिस्ट करता हूं ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 3 में श्री रतीराम यादव ने जो संशोधन प्रस्ताव रखे हैं उनको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किये गये ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

खण्ड तीन स्वीकार किया गया ।

खण्ड 4 । माननीय मन्त्री जी, आप मूव कर दीजिये ।

श्री रामनारायण चौधरी : खण्ड 4 में मैंने संशोधन प्रस्ताव रखा है और, मान्यवर, मैं उसको मूव करता हूं और निवेदन करता हूं कि उसको स्वीकार किया जाय ।

In the provisos sought to be added to sub-section (2) of section 19 :—

"1. In the proposed first proviso, the expression 'to the Assistant Registrar' or 'to the committee' shall be inserted after the expression 'applies for membership';

2. In the second proviso, bofore the expression 'for reasons to be recorded by the Registrar', the expression 'after giving to such person an opportunity of being heard against the proposed removal and' shall be inserted."

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 4 में माननीय प्रभारी मन्त्री जी ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

श्री सभापति : श्री रतीराम।

श्री रतीराम यादव : सभापति महोदय, मैंने इसमें जो अमेन्डमेन्ट रखे हैं उनमें से एक तो माननीय मन्त्री जी ने स्वतः ही मान लिया है। उसके बारे में तो मैं मेरा समय खराब करना नहीं चाहता हूं। दूसरा जो अमेन्डमेंट है उसमें पहले प्रोविजन में है :

"The proposed amendment in section 19 shall be numbered as (ii) and the following new amendment as (i) shall be added :-

(i) In the principal Act in section 19, sub-section (1) the last proviso shall be replaced by the following proviso:

Provided also that no moneylender as defined in the Rajasthan Moneylenders Act,1964 shall become a member of a village credit co-operative society."

इसको मैं इसलिये रखना चाहता हूं कि इस एक्ट में आपने यह रखा है कि मनीलैण्डर इसमें उसका सदस्य होगा, तो जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया था कि मनीलैण्डर्स लोग एक शोषणकर्ता लोग हैं और अगर आप यह चाहते हैं कि आपका मैनेजमेन्ट स्वच्छ रहे और गरीब लोगों का शोषण नहीं हो तो आपको यह चाहिये कि मनीलैण्डर्स को इसमें नहीं रखा जाय। नहीं तो जो आपकी यह मन्शा है कि गरीब लोगों को राहत मिले वह पूरी नहीं होगी। क्योंकि, सभापति महोदय, जिन मनीलैण्डर्स का काम ही किसी न किसी रूप से शोषण करना ही है वह अगर इन सोसाइटीज में आ गये तो मैनेजमेन्ट में घुसकर शोषण करना नहीं छोड़ेंगे। वह किसी प्रकार से शोषण करने के लिये चोर दरवाजे से घुस कर शोषण करना शुरू कर देंगे। इसलिये मैंने यह अमेन्डमेन्ट रखा है कि इनको उसका सदस्य ही नहीं बनाया जाय। उन्हें उसमें से हटाया जाना चाहिये। इसलिये मेरा निवेदन है कि मेरे संशोधन को मन्त्री महोदय इसमें इनकोरपोरेट कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी।

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदय माननीय सदस्य ने दो संशोधन रखे हैं, एक तो मैंने स्वयं ने ही अपने संशोधन में ले लिया है और वह उसमें एडजस्ट हो गया है। दूसरा प्रोविजनो 'एक' में अमेन्डमेन्ट के रूप में रखा है वह मुझे व्यवहारिक नहीं दिखता है और न ही उसको स्वीकार करने में किसी प्रकार का कोई महत्व ही है। एक मनीलैण्डर किसी सहकारी समिति का सदस्य नहीं हो- यह कोई बात उचित नहीं है। हमने पहले ही यह रखा है कि कोई भी क्रेडिट सोसाइटी के अन्दर उसको किसी भी प्रकार का लोन प्राप्त नहीं हो सकता है, न उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑफिस बियरर हो सकता है। अब अगर वह साधारण सदस्य उस को-ऑपरेटिव सोसाइटी का रहता है तो क्या फर्क पड़ता है? जैसा कि माननीय सदस्य यह कहना चाहते हैं कि वह तो उसका सदस्य ही नहीं रहे, यह मैं उचित नहीं मानता। इसका कारण यह है कि गांवों के अन्दर मल्टीपरपज सोसाइटीज

(श्री रामनारायण चौधरी)

होती हैं उनके द्वारा असेन्शियल कोमोडिटीज का वितरण होता है, उसमें आप किसी भी मनीलेण्डर्स को उसका सदस्य नहीं रखेंगे तो यह कहां तक उचित है? मैं समझता हूं, माननीय सदस्य को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। इसका कारण यह भी है कि आखिर मनीलेण्डर भी एक सामाजिक प्राणी है, उसको भी जीने का अधिकार है। यह ठीक है आप उसे कोई लोन नहीं दें या उसे सोसाइटी का कोई पद नहीं दें लेकिन मैं माननीय सदस्य के इस संशोधन को मानने में असमर्थ हूं। अतः मैं निवेदन करूंगा माननीय सदस्य को कि वह अपना संशोधन वापिस ले लें।

श्री सभापति : क्या आप वापिस लेते हैं?

श्री रतीराम यादव : यह कैसे हो सकता है? यह तो मेरे प्रिन्सीपल के ही खिलाफ है। मैं इसको इनसिस्ट करता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य श्री रतीराम ने जो संशोधन रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 मय संशोधन के स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 4 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया

खण्ड 5। कोई अमेन्डमेंट नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 5 स्वीकार किया गया।

खण्ड 6। माननीय मन्त्री जी।

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदय, मैंने खण्ड 6 में अमेन्डमेंट प्रस्तुत किया है

"धारा 36 में प्रस्तावित उप-धारा (1A) के उप खण्ड (C) में अभिव्यक्ति "it shall forthwith nominate another committee" के स्थान पर अभिव्यक्ति "it may allow the administrator to continue or may nominate another committee" प्रतिस्थापित की जावे।

यह बहुत ही साधारण है, इसमें सेक्शन 36 जो कार्यवाही रजिस्ट्रार करता है उसके बारे में है। उसमें पहले यह था कि रजिस्ट्रार एडमिनिस्ट्रेटर अपोइन्ट कर सकता था और उसके अंदर यह भी व्यवस्था की, उसमें उनके अलावा एक कमेटी नोमीनेटेड हो तो जो बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स होता है जो 60 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देता है उसमें वह बताना अनिवार्य था। अब इसमें यह जरूरी नहीं है। मगर रजिस्ट्रार चाहे तो कमेटी बनावे। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर ही उस काम को कर दे। सभापति महोदय, यह बहुत इन्नोसेन्ट है, इसमें कोई विवाद की बात नहीं है। मैं अनुरोध करता हूं माननीय सदस्य इसको स्वीकार करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, थोड़ा मैं निवेदन करना चाहता हूं। इसे इन्नोसेन्ट आप कहते हैं। यह इन्नोसेन्ट नहीं है जितना आप इन्नोसेन्ट बताते हैं। आपने

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इसको रख कर नौकरशाही को वापिस इस पर हावी कर दिया है। इसमें एडमिनिस्ट्रेटर के जरिये आपने नौकरशाही का फन्दा वापिस अपने ऊपर ले लिया है। आप वापिस रिट्रीट हो रहे हैं। पहले थोड़ा आप आगे बढ़ रहे थे अब आपको वापिस नौकरशाही ने लाकर, खींच कर खूंटे से बांध दिया है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 6 में जो संशोधन प्रस्ताव माननीय प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

श्री रतीराम यादव।

श्री रतीराम यादव : सभापति महोदय, खण्ड 6 में मेरा थोड़ा संशोधन है। उसमें मेरा अमेन्डमेंट यह है कि—

"Before the proposed amendment in section 36 in sub-section (1) the following amendment shall be numbered as (i) and the proposed amendments shall be renumbered accordingly:—

(1) After the words 'undertaken by the Government' and before the words 'or is otherwise' insert the following:—

'or does not hold its Annual General Meeting in accordance with the Act and bye-laws for two years, or fails to pay his dues for more than a year'.

(2) after the proposed sub-section (8) the following new sub-section (9) shall be inserted:—

'(9) If a representation is made to the Registrar by atleast 10 percent of the members of a Society against the Committee or any of its members for action under sub-section (1) or if a reference is made in the Audit Report of a Society to this effect, the Registrar shall take decision or action within three months on such representation or Audit Report, as the case may be, as he deems fit, after giving opportunity to the parties concerned of being heard, provided that no such representations shall be entertained on the same grounds by another set of members during the same year".

मान्यवर, मैंने इसमें यह अमेन्डमेंट रखे है। इसमें एक तो मैं यह चाहता हूं कि अगर कोई उस सोसाइटी की एन्युअल मीटिंग नहीं बुलाते है या कोई ड्यूज बाकी हैं उसको रो-पे नहीं करते हैं तो उसके बारे में मन्त्री महोदय ने कुछ भी नहीं रखा है। उसके नहीं होने से यह किन किन पर लागू होगा और किन-किन पर नहीं लागू उसका पता नहीं पड़ेगा। इसको क्लेरीफाई करें।

श्री सभापति : आप जो कुछ कहना चाहते हैं वह कह दीजियेगा।

श्री रतीराम यादव: मैंने उसको साफ करने के लिए कहा है कि रजिस्ट्रार किन मामलों में एक्शन ले और किन में न ले। मैं इसमें एड करना चाहता हूं कि इन मामलों में उसको एक्शन लेना ही चाहिये।

दूसरा मैंने इसमें कहा है कि अगर 10 पर्सेन्ट उस सोसाइटी के मेम्बर्स रिप्रजेन्टेशन दें तो उस पर भी रजिट्रार को एक्शन में आना चाहिये। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्रीजी मेरे अमेन्डमेंट्स को स्वीकार करेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल: सभापतिजी, इसको सपोर्ट करते हुए यह निवेदन करना चाहूंगा कि अभी जनरल डिबेट में माननीय सदस्यों ने भी कहा कि सेक्शन 36(1) का उपयोग रजिस्ट्रार द्वारा मन मर्जी से किया गया है। जहां एक्शन लेना चाहिये, उनकी मर्जी नहीं बनी या एडवाइस हो गई उनको टेलीफोन पर तो एक्शन नहीं लेंगे। और जहां एक्शन नहीं लेना चाहिये और अगर उनके दिमाग में दूसरी बात बैठ गई तो चर के रंग देंगे।

इसलिए माननीय सदस्यों ने कहा है कि कितनी ही कमेटियां और सोसाइटीज हैं जिनके कि वर्षों से चुनाव नहीं हुए और धारा 36 के तहत रजिस्ट्रार मूव नहीं करता। यह अमेन्डमेंट इसलिए है कि इन दो इश्यूज पर मूव करेगा, नहीं करेगा तो वह सरकार के द्वारा एक्शन लिये जाने का भागी बनेगा और वह डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटीज में शुमार होगा। आर्डिनरी मेम्बर हैं, रजिस्ट्रार और को-आपरेटिव यदि एक हैं तो आर्डिनरी मेम्बर कुछ नहीं कर सकता है। तो हमने प्रोविजन किया है इसके द्वारा कि 10 पर्सेन्ट मेम्बर्स रिक्विजिशन करें कि उसने पैसा खा लिया है और उसको हटाया जाना चाहिये, तो उस पर रजिस्ट्रार को एक्शन लेना पड़ेगा और तीन महीने में उसको डिसिजन देना पड़ेगा। कोई वजह नहीं कि ना कर सके। फैसला कर देगा तो अपील में जा सकेंगे। कितनी ऑडिट रिपोर्ट्स में यह प्रकाश में लाया गया है और माननीय सदस्यों ने उसको पढ़ा होगा। डिपार्टमेंट वाले लम्बी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। माननीय मन्त्री जी, आप चाहें तो इन संस्थाओं को चुस्त बना सकते हैं और उनकी नकेल अपने हाथ में आपको लेनी चाहिये बजाय इसके कि आप की नकेल उनके हाथ में रहे। आप शो-काज नोटिस देकर इसको ठीक कर सकते हैं। यदि आप डिपार्टमेंट को चुस्त करना चाहते हैं तो इसको मन्जूर कर लीजिये। नहीं करना चाहते हैं तो जो बहुमत की राय होगी वह सामने आ जावेगी।

श्री रामनारायण चौधरी: सभापति महोदय, जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है उसका कोई महत्व मुझे नजर नहीं आता है। माननीय सदस्य ने और माननीय श्री अग्रवाल साहब ने....

श्री मोहम्मद गफ्फार अली: किस अमेन्डमेन्ट का महत्व आपने मान लिया है?

श्री रामनारायण चौधरी: यह बहुत स्पष्ट है। रजिस्ट्रार को अधिकार जो दिये गये हैं वे इस सदन के द्वारा दिये गये हैं। जहां तक विभाग की नकेल, रजिस्ट्रार की नकेल या सबोर्डिनेट अधिकारियों की नकेल का प्रश्न है, यह जाहिर है कि सरकार सर्वोपरि है। सब की नकेल सरकार के हाथ में रहती है। यह विवाद का प्रश्न नहीं है। 36 में अधिकार दिये हैं रजिस्ट्रार को। माननीय सदस्यों ने संशोधन प्रस्ताव

(श्री रामनारायण चौधरी)

रखा है उसकी भी पूर्ति हो जाती है। माननीय सदस्य एक भी उदाहरण नहीं दे सके, उन्होंने कोई बात प्रस्तुत नहीं की कि जो रजिस्ट्रार ने मंजूर न की हो। आर-बिट्रेरी दिया हो। यदि दे तो सरकार भी काफी सक्षम है रेमिडियल एक्शन लेने में।

मैं समझता हूं माननीय सदस्य ने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और माननीय सदस्य के समर्थन में अग्रवाल साहब ने जो कहा है, मैं उसमें औचित्य नहीं समझता हूं। मैं उन्हें अनुरोध करूंगा कृपापूर्वक उसको वापिस ले लें।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 6 में माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड 6 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खंड 6 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

(विराम)

खण्ड 7

प्रश्न यह है कि खण्ड 7 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 7 स्वीकार किया गया।

खण्ड 8

प्रभारी मंत्रीजी।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, मैंने धारा 65 में प्रस्तावित उप-धारा 1(IA) में छोटा सा संशोधन प्रस्तुत किया है और वह बहुत स्पष्ट है। जहां पर 30 पर्सेन्ट के ऋण का प्रोविजन है रिजर्वेशन का किन्हीं परिस्थितियों के कारण, अन-एवोइडेबल सर्कमस्टान्सेज या स्थानीय परिस्थितियों के कारण पूरा नहीं होता हो तो राज्य सरकार को अधिकार दिया है "Provided that where in the opinion of the State Government such reservation is not workable, the State Government may fix different percentages of reservation of such loan for weaker sections in different areas."

कुछ ऐसे एरियाज भी हो सकते हैं जहां 33 पर्सेन्ट रखा है। जिस स्वायत्त संस्था में 33 पर्सेन्ट सदस्य न हों और कोई सदस्य लेना भी न चाहते हों तो मेरा संशोधन उसमें यह है कि 33 पर्सेन्ट मेन्डेटरी है, लाजमी है। सब के लिये है। यह अनुभव के आधार पर महसूस किया गया है कि राज्य सरकार को इस प्रकार का अधिकार हो जहां पर ऐसी स्थिति हो वहां पर सरकार डिफरेन्ट पर्सेन्टेज का रिजर्वेशन भी कर सकती है। मैं अनुरोध करूंगा कि इसको स्वीकार किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 8 में जो प्रभारी मंत्रीजी ने संशोधन प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

श्री रतीराम।

श्री रतीराम यादव : खण्ड 8 में इस प्रकार संशोधन रखा है।

श्री सभापति : इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सरकुलेट हो चुका है।

श्री रतीराम यादव : सभापति महोदय, एक तो संशोधन यह रखा है कि कोई सहकारी समिति का सदस्य अथवा उसकी मैनेजिंग कमेटी का मेम्बर, जिसकी तरफ लोन बकाया हो, को तीन साल तक लोन नहीं दिया जाय जब तक कि पिछले लोन को क्लीयर न कर दे।

दूसरी बात यह रखी है कि लोन देते समय जो वीकर सेक्शन्स हैं उनको प्रायोरिटी दी जाय। सबसे पहले उसका ध्यान रखा जाय। पहले उसको दिया जाय और उसके बाद ही दूसरे सेक्शन्स को दिया जाय।

इसी में यह भी रखा है कि लोन देते समय इस प्रकार से इन सोसाइटीज को प्रायोरिटी दी जाय जिनको पिछले वर्ष या पिछले वर्षों में लोन नहीं मिला है उन सोसाइटीज के मुकाबले जिनको पिछले वर्ष लोन मिला है।

मान्यवर, इसके बाद यह संशोधन रखा है कि अगर कोई कमेटी अर्थात् सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी अथवा बैंक समय पर लोन देने में फेल हो जाय तो उसको डिफाल्टर माना जाय और रजिस्ट्रार को-ओपरेटिव सोसाइटी इन टाइम उसके खिलाफ एक्शन ले।

मान्यवर, उसके पश्चात् मैंने फिर यह भी संशोधन रखा है कि वीकर सेक्शन का जो पर्सेन्टेज हमने निर्धारित किया है इस बिल को अमेण्ड करते समय कि उसको लोन किस पर्सेन्टेज से दिया जाय, 33 पर्सेन्ट, 35 पर्सेन्ट भी इसमें किया है, इस नियम को जो भंग करे उसके लिये भी संशोधन होना चाहिये था।

(निम्नांकित संशोधन प्रस्ताव श्री रतीराम यादव ने प्रस्तुत किया)

"1. In the Principal Act, in section 65, after the proviso to sub-section (1) the following new provisos shall be added :

'Provided further that no loan shall be sanctioned to a person against whom already some amount is due and also to a member of the Committee for three years, if he is found guilty of misappropriation of funds of the Society:

Provided also that while sanctioning loans members of weaker sections shall be given preference over other sections and Society which did not receive loans during previous year or years shall be given preference over societies which received loan during the previous year'.

(2) At the end of the proposed new sub-section (1 A) the following provisos shall be added :

'Provided that if the Committee of a Society or a primary

Page No 94

(९५)

(श्री रत्नीराम यादव)

Land Development Bank fails to sanction loan in a particular year in the above mentioned manner it shall be deemed to have committed default in the performance of the duties imposed on it and the registrar shall proceed to take action against such Committee under Sec. 56 (1):

Provided further that deficiency of percentage of loan to be given to weaker section in a particular year shall be carried over the next year and the society or bank shall sanction such increased percentage of loan to the weaker section during the next year."

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदय, जो संशोधन के प्रस्ताव रखे हैं उनको स्वीकार करने में असमर्थ हूं और माननीय सदस्य ने जो आशंकायें व्यक्त की हैं कानून में पहले ही काफी व्यवस्था है, जो डिफाल्टर है, डिफाल्टिंग सोसाइटी तो वैसे ही ऋण नहीं ले सकती जब तक कि पुराना क्लीयर नहीं करती है। तो मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि इस संशोधन प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है और इसलिये इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 8 में माननीय यादव जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 8 को संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 8 को संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 9 व 10 को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 9 व 10 स्वीकार किये गये।

खण्ड 11। माननीय प्रभारी मंत्री जी।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सभापति महोदय, मैंने एक छोटा सा संशोधन प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय।

खण्ड 10 के पश्चात् निम्न नया खण्ड अन्तः स्थापित किया जावे तथा खण्ड 11 व 12 को क्रमशः खण्ड 12 व 13 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जावे :—

"11. **Amendment of Section 147, Rajasthan Act 13 of 1965.** Section 147 of the principal Act shall be re-numbered as sub-section (1) thereof, and after sub-section (1) as so re-numbered the following sub-section shall be inserted, namely :—

(2) The Government may, by notification in the official Gazette, direct that all or any

(श्री रामनारायण चौधरी)

of the powers exercisable by it under this Act or the rules may be exercisable by the Registrar or such other officer, and subject to such conditions, if any, as may be specified in the notification."

संशोधन यह है कि राज्य सरकार नोटिफिकेशन के द्वारा वह अधिकार रजिस्ट्रार को भी दे सकती है जिसे देना मुनासिब समझे। तो मैं समझता हूं इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है और मैं सदन से निवेदन करूंगा कि इसे स्वीकार किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि माननीय प्रभारी मंत्रीजी ने जो खण्ड 11 में संशोधन प्रस्ताव रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी संस्था (संशोधन) विधेयक, 1976 में खण्ड 11 को संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 11 को संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी संस्था (संशोधन) विधेयक, 1976 के खण्ड 12 को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 12 स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी संस्था (संशोधन) विधेयक, 1976, के खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि सहित स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि सहित स्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्री जी।

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदय, राजस्थान सहकारी संस्था (संशोधन) विधेयक, 1976 को संशोधित रूप में पारित किया जाय ?

श्री सभापति : आप (श्री विजयसिंह) कुछ पूछना चाह रहे थे।

श्री विजयसिंह : सभापति महोदय, जो वीकर सेक्शन को एक बटा तीन लोन यानी 33 प्रतिशत देना बताया लेकिन जो वीकर सेक्शन है उनके पास जमीन बढ़िया नहीं होती है और कम कीमत की जमीन होती है और उस जमीन का लगान भी कम होता है इसलिये उनको कन्सेशन मिलना चाहिये तो उनको एक बटा तीन मिल पायेगा उससे कोई फायदा नहीं होगा।

श्री दीपंकर : सभापति महोदय मुझे भी एक निवेदन करना है मंत्री महोदय से....

श्री सभापति : आप तो कर चुके हैं।

श्री दीपंकर : एक छोटा सा निवेदन है। सभापति महोदय, बहुत सी जिला सहकारी समितियों के इलेक्शन होते हैं

(श्री दीपंकर)

मैंने सहायक रजिस्ट्रार महोदय से यह मांग की है कि मुझे 5 हजार फार्म दिलाये जायें ताकि अधिक से अधिक वीकर सेक्शन के लोगों को सदस्यता दिलाई जा सके किन्तु मुझे 100 फार्म ही भेजे हैं तो जो आप अधिक संख्या बढ़ाने जा रहे हैं तब तो इलेक्शन को रोक देना चाहिये ताकि वीकर सेक्शन को सदस्यता मिल जाय और उनको इसका लाभ भी मिल सके।

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदय, इस विधेयक के बारे में बहुत से विचार माननीय सदस्यों ने व्यक्त किये हैं और मैं समझता हूं अब इसमें अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करूंगा कि इसे पारित किया जाय। माननीय विजयसिंह जी ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है कि कमजोर वर्ग के लोगों को किस प्रकार अधिक ऋण दिया जाय क्योंकि उनके पास अच्छी जमीन नहीं होती है और अच्छी जमीन नहीं होने से लगान भी कम लगता है, यह बात सही है कि इससे कमजोर वर्ग को अधिक फायदा नहीं हो सकेगा। मैं इसके लिये प्रयास करूंगा कि मौजूदा कानून के तहत वीकर सेक्शन को कैसे अधिक दे सकते हैं। माननीय सदस्य की भावनायें, इसमें कोई सन्देह नहीं, उज्ज्वल हैं, राज्य सरकार ख्याल करेगी कि अधिक से अधिक ऋण मिले। इन शब्दों के साथ मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि इस विधेयक को पारित किया जाय ?

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी संस्था (संशोधन) विधेयक, 1976 को संशोधित रूप में पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया।

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1976

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1976

माननीय प्रभारी मंत्री जी।

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा-अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1976 को विचारार्थ लिया जाय।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव

श्री सभापति : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

(अनुपस्थित)

श्री दीपंकर।

[निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया:
"राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1976 को एक माह/एक सप्ताह/एक माह/एक सप्ताह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।"]

श्री दीपंकर (लाडनूं) : सभापति महोदय, सन् 1973 में जो हमने इस तरह का कानून बनाया था कि एक काश्तकार के पास कितनी जमीन रहे और वह जमीन किस किस्म की हो और उसी में हम यह

(श्री दीपंकर)

प्रगतिशील संशोधन करने जा रहे हैं। जो भी संशोधन करने जा रहे हैं वह हमारी गलती होने के बाद ही करने जा रहे हैं। 73 में हमने यह माना था धारा (10) के तहत कि भू-धारी अपनी भूमि का विवरण देगा, न देगा तो (11) के तहत एक्शन लिया जायगा और न देने के बावजूद नोटिस देने के बाद दण्डित किया जायगा और एक हजार रुपया जुर्माना किया जायगा परन्तु आज इस बात की आवश्यकता महसूस हो गई कि हमारा जो 21 सूत्री कार्यक्रम है, श्रीमती इन्दिरा गांधी का, उनका भला हो कि उन्होंने यह माना और सोचा कि 20 सूत्री कार्यक्रम देकर देश को समृद्ध बनाया जाय, उसके तहत यह नया संशोधन आ रहा है और कड़ाई की है एक हजार के बजाय दो हजार का जुर्माना करने जा रहे हैं और दो साल की सजा का प्रावधान कर रहे है। यह किस लिये कर रहे हैं कि जिन लोगों ने अपनी भूमि का अब तक डिक्लेरेशन नहीं किया है वे कर दें, क्योंकि भूमि ऐसी चीज है जो छिपाये नहीं छिपती है लेकिन लोगों ने अब तक उसे छिपा रखा है। इसमें जो संशोधन करने जा रहे हैं, उसके लिये मैं, सभापति महोदय, आपके मार्फत बधाई और धन्यवाद पेश करना चाहता हूं परन्तु यह एक जरूरी बात है कि अधिकतम सीमा जो तय करने जा रहे हैं उस अधिकतम सीमा को तय करने के साथ साथ और कई ऐसी बातें है कि अगर गाइड लाइन पर टेलीफोन आ जाय या कोई पत्र आ जाय तो ही वह कानून क्यों बनाया जाय ? हमें अपना खुद का दिमाग लगाकर, हम राजस्थान में रहते हैं हमारी क्या समस्या है, हमारे अधिकारी समझते हैं तो क्यों नहीं सम्पूर्ण रूप से कमी को दूर करें जिससे हाउस में यह न कहना पड़े और आये दिन यह चर्चा न हो कि इसमें अधूरापन रह गया है मैं समझता हूं कोई यह नहीं कहे कि अधिक चिन्तन नहीं करने के कारण यह खामी रह गई है मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो समयावधि एक माह की थी वह 15 दिन की तय की और उस पर एक्शन लेने का किया। नई सूचना प्राप्त करने का जो तरीका अपनाया है वह अच्छा है लेकिन वांछित जमीन पर बहुत बड़ा भार है। आपने उनमें ऐसी परिभाषा कहीं पर भी नहीं दी है कि जिससे इतने बड़े जमीन के कानून बनाये हैं हम काश्तकार की परिभाषा स्पष्ट कर सके। इसलिये हमारे यहां इस वक्त तक करीबन यह मानकर चलना चाहिये''''

(3.40 म० प०)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

कि दो तरह के लोग काश्त करते हैं और कम से कम आप यह मान कर चलिए 17 प्रकार की काश्त की विधियां हैं। कहीं फल लगाना है, कहीं पौध लगाना है आदि आदि कई तरीके काश्त के हैं तो काश्तकार पर बहुत बड़ा भार सही मायने में है, वह काश्त करने वाला उठाये, यह ठीक नहीं है। किसी के पास भूमि है और बहुत लम्बा चौड़ा फर्क करने वाला उसे मान लीजिये और उस भूमि से समाज को फायदा हो तो भले ही मौका दे दीजिये लेकिन इससे आपका कमजोर वर्ग उस लाभ से वंचित रहता है। इसलिए स्पष्ट बात होनी चाहिए कि हम काश्तकार उसको मानते हैं जिसके पास काश्त की भूमि रहेगी और खुद काश्त करता हो और जितनी भी बाग बगीचे या सजावट की बात दी हैं वह कतई नहीं होनी चाहिए। और जिस तरीके

(श्री दीपंकर)

से भी आपने यह डिफाइन किया है अलग अलग कि दो वर्षों में इतनी जमीन देंगे और एक वर्ष में इतनी देंगे तो यह आपने अपने तरीके से तय कर दिया लेकिन आपको आहिस्ता आहिस्ता जमीन कम करके लोगों में बांटनी पड़ेगी इसलिए जिस किसी भी तरीके से बन पड़े आप काश्त के लिए ही जमीन रखें और काश्त की भूमि इसके अन्दर आने दीजिए। जो लोग नौकरी करते हैं उनको काश्त नहीं करने दें, जो व्यापार करते हैं, जिनके कारखाने हैं उनको काश्त नहीं करने दें और जिनके पास भूमि नहीं है और काश्त करते हैं ऐसे लोगों को आप भूमि दीजिये। इस कानून के तहत, उपाध्यक्ष महोदय, समझ में नहीं आता कि आप ने मान लिया कि एक आदमी की जमीन कहां कहां है और वह कौनसी जमीन रखना चाहता है। अब यह आपके स्वयं के ध्यान में होना चाहिए था। राजस्थान के आदमी बहुत से प्रान्तों में रहते हैं और उनके जगह जगह फार्म हैं। उत्तरप्रदेश में फार्म है, बंगाल में फार्म है, आसाम में फार्म है और राजस्थान में भी फार्म है तो उनके परिसीमन के लिए कौनसा तरीका है? क्या भारत सरकार की गाइड लाइन्स के हिसाब से कोई कानून आ रहा है कि कोई आदमी विभिन्न प्रान्तों में रहता है और उसके पास कृषि भूमि है तो उसको अवाप्त करके अमुक राज्य की, अमुक तहसील की, अमुक गांव की, अमुक खसरा व रकबा की भूमि उसके पास रहने दी जायेगी? यह जब तक नहीं होगा तब तक जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं जिनके पास बड़े बड़े कल कारखाने हैं उन को भी एक इन्डस्ट्री मान लिया है और जो बड़ी जमीनें लिये बैठे हैं उनको अवाप्त करने का कोई तरीका नहीं है। इसलिए वह जब तक नहीं आते हैं तब तक राजस्थान में रहने वाले आदमी को यह छूट देना कि जिन्होंने कल कारखाने लगा रखे हैं और अपना नाम लगा दिया कि फलां इन्डस्ट्रीज लिमिटेड और आस पास जमीन काफी बड़ी घेर रखी है और उसमें कहीं तो फुलवारी लगा रखी है, कहीं मटर लगा रखी है तो किसी ने नींबू लगा रखे हैं तो यह भी सब काश्त में आता है तो आपकी जो भूमि है उसका उच्च वर्ग के लोग जो काश्त के

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

अलावा दूसरा धंधा करते हैं उनको ही फायदा मिलता है। वह उनको नहीं मिलना चाहिए। आपका मूल उद्देश्य 20 सूत्री कार्यक्रम पूरा करना है और भूमिहीनों को भूमि देना है और शीघ्रता से भूमि को अवाप्त करके उन भूमिहीनों को देना है ताकि उनका जीवन स्तर ऊंचा उठे, समाज में उन की प्रतिष्ठा बढ़े तो इस बिल से तो आपका उद्देश्य पूरा नहीं होता है। इसलिए इसमें जो संशोधन आपने रखा है उसका तो स्वागत किया है लेकिन मैंने और बातें जोड़ी जानी चाहिए इसलिए इसको जनमत जानने हेतु जो प्रस्ताव है वह इसी आधार पर है कि ज्यादा से ज्यादा समाज के लोगों को लाभ मिले। और वह लोग सामने आयें जो जमीन की लूट करते हैं। जो जमीन के नाम पर मौज करते हैं, जो समाज पर हावी हैं और जो गरीबों को बनाये रखना चाहते हैं उनको समाप्त किया जाना चाहिए। और नये समाज की रचना में जब तक इस प्रकार की बाधाओं को नहीं सुलझायेंगे तब तक इतने कहने मात्र से कि ऐसी भूमि को ले लिया जाये काम नहीं चलने वाला है।

(श्री दीपंकर)

मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि इस कानून के तहत जो भी पहले सीमायें बांध दीं तो कितने ऐसे आदमी जिलेवार और तहसील वार हैं जिन्हें वहां जमीनदी होगी। परन्तु बहुत से बन्जर इलाके हैं और जहां डाकू छिपते हैं उनके ऊपर कम से कम बुलडोजर क्यों नहीं घुमा देते और लोगों को दे देते। यह गार्डन्स के लिए और सैर सपाटों के लिए जमीन पड़ी है और अशोक उद्योग और पोद्दार उद्योग और ऐसे ही लोगों की जमीने हैं इनको अवास किया जाये। इन का कृषि के रूप में क्यों नहीं उपयोग करते। तो जो यह कमी है इसको दूर किया जाना चाहिए।

अंत में, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित करने का प्रस्ताव रखा है उसका उद्देश्य यही रहा है कि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके और उन तमाम लोगों से काश्त की सारी भूमि आप ले लें जिनका कि धंधा काश्त के अलावा दूसरा है और वह जमीन उनको दें जो वास्तव में काश्त करना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री मीठालाल।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द सामरिया।

(अनुपस्थित)

श्रीमती निर्मला कुमारी।

(अनुपस्थित)

श्री लूणाराम।

श्री लूणाराम : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन विधेयक) हमारे सामने विचारार्थ है यह बहुत ही स्वागत योग्य है और इससे लोगों की छुपाई हुई भूमि भी सामने आयेगी जो कि भूमिहीन लोगों को भूमि मिल सकेगी। इसमें मेरा इतना सा ही सुझाव है, इसके साथ ही जो भूमि सीलिंग द्वारा प्राप्त की जायेगी उस भूमि के वितरण के मामले के अन्दर सबसे पहले जिस गांव से भूमि ली गई है उसको देने में उसी गांव की अनुसूचित जाति, जन-जाति के लोगों और भूमिहीन लोगों को प्राथमिकता दी जाये और फिर बच रहे तो पड़ौसी गांव वालों को दी जाये। इतना सा संशोधन मंत्री महोदय और कर दें तो और भी अच्छा होगा। इसीलिए मैंने जनमत जानने के लिए प्रस्ताव रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

(अनुपस्थित)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

(अनुपस्थित)

श्री अजीतसिंह।

विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव

[निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

"राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन), विधेयक

1976 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाये, जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह/सात दिन/तीन दिन में प्रस्तुत करे (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जायगी)"]

श्री अजीतसिंह (टोंक) : उपाध्यक्ष महोदय, जो यह सीलिंग अमेन्डमेंट बिल लाया गया है इसके बारे में दो शब्द निवेदन करना चाहता हूं। मेरी समझ में नहीं आता कि राजस्व मन्त्री जी ने इसको हाउस में लाने की क्यों आवश्यकता महसूस की जब कि पहले ही इसका कानून में प्रावधान है। इसमें दो तीन बातें माननीय मन्त्री महोदय ने रखी हैं कि जो सही सूचना नहीं देगा उसको सजा और जुर्माना से दण्डित किया जायगा। उपाध्यक्ष महोदय, जमीन को कोई छिपा तो सकता नहीं, और यह तो सब आपके रिकार्ड में ही दर्ज होती है तो आप अपने रिकार्ड के अंदर देखकर कार्यवाही कर सकते हैं। उसके अन्दर इतनी सख्त सजा और पैनल्टी की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। एक एक इन्च जमीन आपके रिकार्ड में है तो राज्य सरकार अपनी तरफ से ही कार्यवाही कर सकती है, उसके लिए बिल लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

इसके साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, कुछ सीलिंग केसेज तय हो गए। लेकिन मुआवजा तय किये जाने के बारे में बड़ी विकट समस्या है। जब सारा केस तय हो जाता है तो उसके साथ ही मुआवजा भी तय कर देना चाहिए। आप आप्शन दे देते हैं। आप फैसला सारा कर देते हैं तो फिर मुआवजे की रकम भी तय कर दें तो अच्छा रहे। आप दुबारा उसको मुआवजे के लिए ऊपर जाने के लिए बाध्य कर रहे हैं, यह उचित नहीं है। इसलिए राजस्व मंत्री जी को यह कह देना चाहिए कि जो सीलिंग के केसेज हैं उनके मुआवजे को भी साथ ही साथ ही तय कर देना चाहिए ताकि दुबारा दावा दायर न करना पड़े। उसी केस के अन्दर मुआवजे को भी स्थिर कर देना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन करना था।

दूसरा मेरा निवेदन करना यह है कि आपने अपील में जाने के अन्दर काफी दिक्कतें पैदा कर दी है। एकदम स्टे-आर्डर प्राप्त नहीं होते हैं। राज्य सरकार ने स्टे-आर्डर बन्द कर रखे हैं। जहां कहीं ऐसी स्थिति हो कि जिन लोगों को जमीन अलाट होनी चाहिए वह उसके पास से चली गई या और रजिस्ट्रियां हो गई, ऐसे दूसरे लोगों को जो भूमि की रजिस्ट्री होनी चाहिए वह दूसरे के नाम पर हो गई या उसके बटवारे के द्वारा चली गई हो तो उनको वाजिब मौका मिलना चाहिए था कि वे विधिवत कार्यवाही कर सकें। उनके अधिकारों के लिए उनको लड़ने का मौका मिल सके। उससे उनको वंचित करके वहां पर एकदम से कब्जा देकर अलॉटमेंट करने वाली प्रथा लागू की है, उसके लिए मेरा निवेदन करना है कि उस पर आप पुनः विचार करें और जो उसको अपनी अपील करने का, रिव्यू करने का अधिकार है उससे वंचित न किया जाय। यह प्रजातांत्रिक अधिकार है कि वह कोर्ट में जाकर अपील करें और अपना हक बता कर उचित निर्णय हासिल करे और उसके बाद कार्यवाही हो। तो इस पर ध्यान देकर अमेंडमेंट करें तो ज्यादा उचित होता। अपील करने का अधिकार तो उससे नहीं

(श्री अजीत सिंह)

छीनना चाहिए। इन्हीं विचारों को रखते हुए मैं यह अपना प्रवर समिति का प्रस्ताव रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री शंकर लाल।

श्री शंकर लाल (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी इस राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1976 को प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रस्ताव रखा है।

उपाध्यक्ष महोदय, सीलिंग कानून के बारे में और सीलिंग के बारे में कई बार इस सदन के अन्दर कई महीनों तक ही नहीं बल्कि वर्षों तक चर्चा होती रही है। कानून बना और कानून में संशोधन भी हुए और अब भी संशोधन किया जा रहा है। अच्छे संशोधन हो रहे हैं लेकिन प्रश्न आता है क्रियान्विति का और मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष द्वारा जो एक दिशा निर्दिष्ट की गई इसकी क्रियान्विति के लिए। रेवेन्यू सकिलवाइज अगर कमेटी बनेगी और रेवेन्यू सकिलवाइज कमेटी जो है वह इसके बारे में काम करेगी तो ही वास्तव में इसकी क्रियान्विति सही रूप में हो सकेगी। आज वहां के स्थानीय लोग, उस रेवेन्यू सकिल में रहने वाले स्थानीय कार्यकर्ता, पंच, सरपंच, मुखिया जानते हैं कि किसके पास कितनी जमीन है, किसने जमीन दबा रखी है, किसने बेनामी ट्रांसफर किया है और किस की क्रियान्विति नहीं हो रही है। यह जब तक रेवेन्यू सकिलवाइज कमेटी नहीं होगी तब तक इसकी क्रियान्विति नहीं होगी। रेवेन्यू सकिल वाइज कमेटी और इसकी क्रियान्विति के बारे में मेरा यह सुझाव था कि इस संशोधन बिल में एक स्टेटुअरी प्रोविजन किया जाय। वह रेवेन्यू सकिल कमेटी का इसके अन्दर प्रोविजन दिया जाय जैसा कि आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रेसीडेन्ट ने गाइड लाइन दी है। उसके बिना इसकी जितनी क्रियान्विति होनी चाहिए वह दरअसल में तो होगी नहीं और अगर होगी तो सही रूप में नहीं होगी और सही दिशा में जिन लोगों से जमीन लेनी है और जमीन लेकर सही आदमियों में वितरण करनी है वह नहीं कर पायेंगे। इसलिए इस बात पर विचार करें और स्टेटुअरी प्रोविजन इस बिल में रखने के लिए इसे प्रवर समिति में विचारार्थ भेजा जाय इसलिए मैंने इसका प्रस्ताव किया है कि प्रवर समिति में इस पर विचार किया जाय।

दूसरा मैं यह निवेदन करूंगा कि इसके अन्दर केसेज को वापिस रि-ओपन करने का एक प्रोविजन अलग है और रिव्यू का प्रोविजन अलग है। रिव्यू का जो प्रोविजन है वह आपने एक नया सेक्शन 23-ए लगाकर ओथोराइज्ड आफिसर को रिव्यू करने का अधिकार दिया है और सेक्शन 15 को अमेंड करके केसेज को री-ओपन करने की गवर्नमेंट ने पावर ली है। इस बारे में मेरा सुझाव है कि केसेज रिओपन करना या रिव्यू करना यह दोनों ही एक ही प्रकार का मामले हैं। इसलिए इन दोनों के बारे में एक ही सेक्शन होना चाहिए। केसेज को रिओपन करने की पावर गवर्नमेंट ने अपने पास रखी है। आज

(श्री शंकर लाल)

केसेज को रिओपन करने के लिए ग्रोथोराइज्ड आफिसर आपको रेफर करने से पहले एस. डी. ओ. को रेफर करे और एस.डी.ओ. कलेक्टर को रेफर करे और कलेक्टर देखकर आपके पास, गवर्नमेंट के पास केस भेजे और गवर्नमेंट स्क्रूटिनी कर इसको रि-ओपन करना चाहे तो करे या नहीं करना चाहे तो नहीं करें। तो यह सब बड़ा लम्बा प्रोसिजर है और इसको भी डी-सेंट्रलाइज करना चाहिए। रिव्यू की पावर्स ओथोराइज्ड ग्राफिसर को हैं। जहां तक सीलिंग में जमीन ज्यादा लेने का प्रश्न है, किसी की जमीन लेने से छोड़ दी गई है वहां आपको पावर्स हैं आप ओथोराइज्ड आफिसर को दे दीजिये, इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है He can reopen the case or the Government may reopen the case it is one and the same thing. किसी की जमीन ले ली गई है, या कोई अधिक पाने का अधिकारी है, वह कहे हमारी जमीन ज्यादा ले ली गई है या हमारे साथ ओथोराइज्ड आफिसर ने न्याय नहीं किया है, बहुत लम्बा अर्सा हो गया है, उसको रिओपन करने की बात हो तो गवर्नमेंट के पास आए, लेकिन आपने जो पैरेलल प्रोविजन रखा है वह हमारी समझ में नहीं आया। रि-ओपन करने का अधिकार गवर्नमेंट को और रिव्यू का अधिकार ओथोराइज्ड आफिसर को, यह हमारी समझ में नहीं आया।

साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने यह जो अमेंडमेंट सेक्शन 23 में किया है, क्लाज 7 के अन्दर उसमें आपने इस बात का जिक्र किया है:—

"The State Government or any person aggrieved by the decision under section 15 of the officer referred to in that section may, within sixty days from the date of decision, appeal to the Board..."

इसका मतलब है कि सेक्शन 15 के अन्दर जो आपने रि-ओपन करने की पावर ली है, गवर्नमेंट ने पावर ली है तो जब गवर्नमेंट को रि-ओपन करने की पावर है, फिर सेक्शन 23 के अन्दर आपके बोर्ड के पास अपील कैसे होगी-यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कि आप इस बारे में कोई स्पष्टीकरण दें। 15 सेक्शन में फैसला होने के बाद आपके पास पावर है रिओपन करने की तो गवर्नमेंट के निर्णय के बाद बोर्ड के पास कैसे अपील होगी, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इस बात को देखने की जरूरत है, इसमें कुछ रह गया है या क्या है। प्रवर समिति में बिल जाय तो वहां पर इस बात पर विचार हो और वहां पर विचार किया जाय।

साथ ही आपने रिव्यू के बारे में जो प्रोविजन रखा है कि "The Authorised Officer of its own motion or on the application of the Tehsildar. ..." यानि दो तरह से करे, या तो खुद करे या तहसीलदार दरख्वास्त करे। यह समझ में नहीं आता कि तहसीलदार करे। मैं तो कहता हूं कि हरएक करे। जनता के किसी आदमी को यह मालूम हो कि यह गलत फैसला हुआ है, जमीन रह गई है तो Not the Tehsildar but anybody should have the right to make application for review of the

(श्री शंकर लाल)

case. कोई भी आदमी कर दे, तहसीलदार की क्या बात है। यह सीलिंग के मामले इतने जनता से टच करते हुए हैं कि जिसके लिए मैं कहता हूं, हरएक को अधिकार होना चाहिए, कोई भी आदमी को अधिकार होना चाहिए कि रिव्यूइंग आथोरिटी को एप्लीकेशन दे दे On the application of anybody the matter should be reviewed. तो यह मैटर रिव्यू हो, इसके बारे में मैंने निवेदन किया जो कि करना जरूरी था।

दूसरा मेरा निवेदन करना यह है कि आपने रिलिजियस लैंड्स वगैरह के बारे में छूट दे रखी है, वह ठीक है किन्तु होता क्या है कि जिस समय एण्ट्री हुई सेटलमेंट में उस वक्त तो अपने नाम दर्ज करा ली। अगर वह देवी के नाम है, आइडोल के नाम पर है, देवता के नाम पर है, जब तक तो आप एक्जेम्प्शन दें, वह तो ठीक है लेकिन देवता के नाम है नहीं, पुजारी के नाम लिखा दी। उस समय तो पुजारी ने अपने नाम पर लिखा ली और जब सीलिंग का प्रश्न आया तो कहते हैं कि यह देवता के नाम पर जमीन है। अगर इसको आप देवता की जमीन मानें तो फिर कम से कम गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि रोजाना देवता की सेवा पूजा में उस जमीन का खर्चा आता है या नहीं या सिर्फ सीलिंग से बचने के लिए कोई आदमी दो चार गवाहियां करा दे और देवता के नाम पर जमीन लिखाकर जब सीलिंग से निकल गई तो फिर देवता की सेवा पूजा तो हो नहीं और अपने काम में लेता रहे। अगर आप देवता की जमीन मानते हैं तो आपको यह भी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि वह देवता के ही काम में आवे। इसके लिए भी सरकार को देखना चाहिये क्योंकि देवस्थान विभाग भी आपके पास है, इसकी माननीय मंत्री जी की जिम्मेदारी है। इस प्रकार अगर यह प्रवर समिति में बिल जाता है तो इसमें भी कुछ बात की जा सकती है।

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कई जगह अदालतों के अन्दर लोग हिन्दू सक्सेशन एक्ट का सहारा ले लेते हैं। एक आदमी की म्यूटेशन में जमीन है चार सौ बीघा, लेकिन जब नोटिस आता है तो कहते हैं कि मेरे नाम कम दर्ज हो गई है क्योंकि हिन्दू लॉ के अनुसार फलां भी हकदार है, उस समय नहीं था, गलत दर्ज हो गया है। उस समय दर्ज करते समय तो कहें मेरे नाम कर दो लेकिन जब सीलिंग का प्रश्न आये तो कहें हिन्दू सक्सेशन के अन्दर दर्ज करो, यह नहीं होना चाहिये। जिसके नाम जमीन दे रखी है उसके ऊपर सीलिंग लागू होना चाहिये। अगर वे यह कहते हैं तो उनको हिन्दू सक्सेशन लॉ के अनुसार सिविल कोर्ट में जाना चाहिये और वहां से तय कराना चाहिये। अदालतों में इस प्रकार की बातें आती हैं इसलिए इसको स्पष्ट करना जरूरी था।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हू कि सीलिंग का एक्ट पहले बना तो उसमें तीस स्टेन्डर्ड एकड़ रखा गया था। बाद में दूसरा शिड्यूल भी जल्दी में आ गया। जो आगे जाकर बिल बनने जा रहा है उसमें आपको यह देखना पड़ेगा कि आपने जो शिड्यूल बनाया है, जो कैटेगराइजेशन इसमें था वह

(श्री शंकरलाल)

उसमें खतम हो गया है। इसलिए मैं राजस्व मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि आपने जो यह जोधपुर तहसील और जोधपुर जिले की ओसियां तहसीलें, जो कि अर्द्ध रेगिस्तानी इलाके में है, और जालोर जिला भी अर्द्ध रेगिस्तानी इलाके में है और उसके साथ ही पाली जिला को पूरा का पूरा अर्द्ध उपजाऊ इलाके की कैटेगरी में रख दिया है। राजस्व मंत्रीजी, आपको याद होगा जब आप पाली तहसील के गांवों में पधारे थे, वहां के एक मेले में पधारे थे तो रोहिट पंचायत समिति का जो एरिया है जो कि बिलकुल जोधपुर जिले से मिला हुआ है, वहां के लोगों ने आपको एक रिप्रेजेन्टेशन दिया था और आपने भी उनके साथ सहानुभूति दिखाई थी। तो मेरा यह निवेदन करना है कि क्योंकि मैं उस एरिया का वहां पर प्रतिनिधित्व करता हूं, वहां का एरिया अर्द्ध उपजाऊ घोषित किया गया है यह बिलकुल ही उनके साथ अन्याय किया गया है। आप चूंकि इस बिल में संशोधन कर रहे हैं तो कम से कम पाली जिले के इस एरिया को, जो गलत घोषित कर रखा है, ठीक कर दें क्योंकि वास्तव में जो किसान है उनको इससे कष्ट हो रहा है। इसलिए इस बात को देखकर इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करना चाहिये ताकि वहां पर हम इस बात को उठा सकें और आप भी इस बात पर गौर कर सकें और कैटेगराइजेशन के बारे में जो गलती हो गयी है वह ठीक हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, यह भी निवेदन करना चाहता हूं आपके मार्फत राजस्व मंत्री महोदय को कि इसके इम्प्लीमेन्टेशन के लिए आप एक राज्यस्तरीय कमेटी बनावें और इसका भी प्राविजन रखें और इस बिल को थोड़ी देर के लिये, थोड़े दिनों के लिये प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें ताकि उस पर भली प्रकार विचार हो सके। यह एक अच्छा बिल है, इसमें बार बार संशोधन करने पड़ते हैं, विचार विमर्श करके अन्तिम रूप से पेश हो सके और हमारा जो मकसद है वह भी पूरा हो सके।

श्री उपाध्यक्ष। श्री मोहम्मद गफ्फार अली।

श्री मोहरसिंह सादुलपुर।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय.........

श्री उपाध्यक्ष : पहले आपका नाम बोल चुका हूं, आप उपस्थित नहीं थे...

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मेरे स्थान पर इनको बोलने दें...

श्री उपाध्यक्ष : This mutual understanding connot be allowed. आप बोलना चाहते हैं ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आप इनको अनुमति दे दें मेरे स्थान पर...

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपका नाम लिया है। आप बोलना चाहते हैं। If you like you can speak. Otherwise I must exhaust the list.

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो मेग्जीमम लिमिट का बिल लाया गया है मैं इसको एक महत्वपूर्ण और इन्कलाबी कदम मानता हूं। मैं यह समझता हूं कि इस सीलिंग के कानून से किसानों में खुशहाली आएगी और अब तक जो उनकी दलित हालत है उसकी जिम्मेवारी इस कानून को सही रूप से लागू न करने की बिना पर है। इसके पुराने इतिहास में विस्तारपूर्वक मैं नहीं जाना चाहूंगा पर मैं यह निवेदन किया चाहता हूं कि वक्तन फवक्तन सीलिंग के कानून आये, उनमें अमेन्डमेंट आये मगर कानून के बनाने वाले और कानून को लागू करने वाले कभी कभी ऐसे व्यक्ति भी थे जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन थी इसलिए जब भी उन्होंने कानून को शक्ल दी तो उसमें यह लिहाज रखा कि किसी न किसी तरह से हमारी जमीन बचनी चाहिए। यह वह जज्बा था जिसके मातहत यह कानून बना और उसमें तरमीम की गई लेकिन न तो उस कानून का और न ही उस तरमीम का कोई असर हुआ। मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहरहाल यह आखिर में तय किया कि कुछ ऐसी जमीन है जिसके बारे में कुछ शुबाह है, शंका है उनके केसेज भी ओपन करने चाहिये, तो अव्वल तो यह सवाल है कि इनके केसेज रि-ओपन करने चाहिये। राज्य सरकार यह चाहती है कि सीलिंग के विरुद्ध जो अब चीज हैं उनको लाया जाए तो यह निश्चय करना पड़ेगा कि सन् 57 के बाद जितने भी ट्रान्सफर हुए हैं उन सबको रि-ओपन किया जाये। आपका यह कह देना कि तहसीलदार की रिपोर्ट होवे या कलेक्टर की एप्रूवल हो तो इसका मतलब है इस कानून को भी आप सही रूप से लागू नहीं करना चाहते हैं। हर जगह रेवेन्यू आफिसर का इन्ट्रेस्ट होता है वेस्टेड इन्ट्रेस्ट के साथ, इसलिए वे कभी भी सही रिपोर्ट नहीं देंगे कि इतनी जमीन उपलब्ध हो सकती है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे अधिकारी एक ही लेवल के नहीं हैं, एक ही प्रकार के नहीं हैं कि हम सबके लिए कह सकें कि वे ईमानदार हैं, और न ही हम सबको बेईमान ही कह सकते हैं। लेकिन हमें इस तरह से इस कानून को लागू करना है तो इस तरह का कानून बनाना चाहिए ताकि हमें कोई ईमानदार और बेईमानी का ब्यौरा तैयार नहीं करना पड़े। इसकी जरूरत न रहे जैसा कि अभी माननीय सदस्य, जो पाली से आते हैं, यहां पर कहा कि क्या दिक्कत है इस बात में कि जनता का समर्थन प्राप्त किया जाये। कोई 58 में जो ट्रांसफर हुए हैं उनके बारे में कम्प्लेन्ट करता है और कहता है कि यह ट्रांसफर गलत हुआ है, उस वक्त के कानून के खिलाफ इस किस्म की चोरी की गई है, तो मेरी समझ में नहीं आता कि आप क्यों बंदिश लगाने का प्रस्ताव करते हैं? जो काश्तकार भूमिहीन है, गरीब है, वह इस बात की कोशिश करेगा कि आपको बतावे। तो उसको जो आपने ताकत दी है, वह आपने कम कर दी है और आपने उस अधिकार को, जो अधिकारी खरीदा और बेचा जा सकता है, उसके हाथ में दे दिया। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपको इस चीज को सोचना होगा कि जो जमीन सीलिंग की है, वह जमीन कहीं पर छिपी हुई है तो वह क्यों नहीं उपलब्ध हुई? इसके लिए जनता का, भूमिहीनों का, काश्तकारों का, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों का आपको समर्थन प्राप्त होना चाहिये

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

और उसका इन्वाल्वमेंट होना चाहिए। यह हमारा भी जॉब हो और जितनी भी प्रगतिशील पार्टियां हैं वे अपनी अपनी कमेटियां बनावें और मिलजुल कर इस काम में जुट जावें और एक एक इन्च जमीन को हम प्राप्त करने की कोशिश करें। मैं निवेदन किया चाहता हूं कि शहर जयपुर में एग्रीकल्चर लैंड है। बहुतसी जमीन के नोटिसेज कन्वर्सन के इश्यू हो रहे हैं। मैं मानता हूं माननीय राजस्व मंत्रीजी को यह मालूम है कि शहर में कितनी ऐसी जमीन है जिसका कि एग्रीकल्चर करेक्टर है। मेरा निवेदन है इसका हल करने के लिए सन् 58 के बाद जितने भी ट्रांसफर हुए हैं उनकी एक लिस्ट आनी चाहिए और इसके लिए एक हाई पावर कमेटी का निर्माण करके इन केसेज को ओपन करना चाहिये। किस मंत्री ने कानून को तोड़ा मरोड़ा है, किस मंत्री ने इसको बनाया है और किस प्रभावी व्यक्ति ने कानून को अपने हक में इस्तेमाल किया है, ये सब चीजें राज्य सरकार के समक्ष आनी चाहिए। यह पहला कदम हो।

दूसरी चीज मैं यह निवेदन किया चाहता हूं कि आपका जो एस्टीमेट था कि इतनी जमीन उपलब्ध होनी चाहिये वह मैं समझता हूं 16 लाख एकड़ का था जिसका आपने यहां पर वायदा किया था और यह भी बताया था कि यह जमीन 16 लाख एकड़ से ऊपर उपलब्ध हो सकती है लेकिन असल में जो आंकड़े आये हैं वह तीन लाख, या चार लाख एकड़ उपलब्ध होने के आये हैं तो वह 12 लाख एकड़ जमीन क्या आसमान में चली गई? कहां चली गई? इसका साफ मतलब यह है कि जो इस कानून को लागू करने वाले आये और जिनके पास 10-12 मुरब्बे थे उन्होंने उस चीज को इतनी गहराई से सोचा नहीं, उनकी पैरवी करने की कोशिश की और जमीन हासिल करने की कोशिश नहीं की। मैं राजस्व मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि वह 12 लाख एकड़ जमीन, जिसके लिए आप खुद यह कहते थे कि यह जमीन उपलब्ध होगी, कहां है और वह क्यों नहीं मिली? मेरी मान्यता यह है कि वह इसलिए नहीं मिली कि आपने उस कानून को, जिसको आपने बनाया था, सही तरीके से लागू नहीं किया। आज पोजीशन यह है कि आप तशरीफ ले जाइये या हम लोग जायें तो हमको मालूम होगा यह यह जमीन फलां शख्स की थी और आज फलां शख्स के पास चली गई। यह ठीक है, आपने मशीनरी को अब भी इतना टाइट करके रखा है।

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

फिर भी आपके अधिकारी ईमानदारी से काम करें तब तो ठीक है वरना ईमानदारी से काम न करें तो कोई रिलीफ उसको नहीं मिलता है।

मेरा निवेदन यह है कि इस कानून में जो फन्डामेंटल हैं उनके बारे में मेरे साथी रामानन्दजी बयान करेंगे, लेकिन मैं यहां निवेदन करना चाहूंगा कि इसके दो आस्पेक्ट मैंने आपके सामने रखे। एक तो यह है कि इसमें गरीब जनता का इन्वाल्वमेंट होना चाहिए। उनकी कमेटी बनायें, सर्किलवाइज कमेटी बनायें या तहसीलवाइज कमेटी बनायें उसमें जनता के नुमायन्दे पंचायत के मेम्बर्स भी हों, असेम्बली के मेम्बर भी हों, और ऐसे भी नुमाइन्दे हों जो प्रोग्रेसिव पार्टीज से ताल्लुक रखते हों। ऐसे लोकल वेल्यू के

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

लोग इस बात की कोशिश करें कि कितनी जमीन कहां पर उपलब्ध है। दूसरी बात यह है कि जितने भी केसेज अभी तक तय हो चुके हैं उनके बारे में मेरा यह निवेदन है कि उन सब को रिओपन किया जाय, और यह पता लगाया जाय कि यह जमीन जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे कि मिलेगी हमें, कहां छुपी हुई है। मैं आपको यह आशा दिलाता हूं कि ऐसी जमीन मिलेगी, लेकिन असल में पटवारी से लगाकर अधिकारी तक सिस्टम ही ऐसा है। पटवारी के बारे में यह कहना कि वह बिल्कुल सही आदमी है ठीक नहीं है। कानूनगो के पास और फिर तहसीलदार के पास और फिर कलेक्टर के पास जायं तो वह क्वार्टर डाउन हो जाता है। तो मेरा यह निवेदन है कि इसके बारे में हमें ठीक से तय करना पड़ेगा। मशीनरी में इस तरह का परिवर्तन किया जाय जिससे यह जमीन उपलब्ध हो, वरना यह कानून जो है यह किताब की शक्ल में अलमारी की जीनत बन कर रह जायगा, और आपको जमीन नहीं मिलेगी, जो कि आज तक नहीं मिली है। हमारे महारावल साहब बेचारे गमजदा है कि उनकी 5 हजार बीघा जमीन आपने ले ली। उन्होंने असेम्बली में आना-जाना बन्द कर दिया। न मालूम कितने महारावल यहां पर पड़े हुए हैं। आप मेहरबानी करके उनको ठीक कीजिये। इसके सम्बन्ध में हम हर वक्त आपकी मदद करने को तैयार हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक को मैंने भी एक प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिए संशोधन प्रस्ताव रखा था। मैं इस सम्बन्ध में कुछ विचार रखना चाहता हूं। मैं यह सोच रहा था कि जब 20 सूत्री कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना है तब कुछ ऐसे प्रोग्रेसिव मेजर्स आयेंगे जिनसे कि गरीब किसान को कुछ लाभ होगा, भूमिहीन किसान को लाभ होगा। परन्तु मैंने देखा कि ऐसी स्थिति तो कोई पैदा नहीं हुई है कि जो कानून पहले वाला था उससे ज्यादा जमीन इससे प्राप्त हो, इस प्रकार का कोई प्रोविजन इसमें नहीं है। जरूर सुविधाएं कुछ दी हैं जिससे जमीन कुछ प्राप्त की जाय। उनको सुविधाएं दी हैं रिटर्न्स प्रस्तुत करने की, सप्लीमेंट्री रिटर्न्स प्रस्तुत करने की। पहले भी 1973 में एक्ट पेश किया था उसके अन्दर भी प्रोविजन्स थे उनको रिटर्न्स प्रस्तुत करने का, सप्लीमेंट्री रिटर्न्स प्रस्तुत करने का, और अगर प्रस्तुत नहीं करेंगे तो पनिशमेंट का प्रोविजन था, परन्तु एक और मौका उनको दिया गया। ठीक है एक और मौका दिया गया जिसका वे लाभ उठायें। इसमें यह प्रोविजन अच्छा किया गया पनिशमेंट का। हार्ड पनिशमेंट का प्रोविजन किया गया टू ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट और दूसरा टू थाउजेन्ड रुपीज का जुर्माना। यह प्रोविजन हार्ड बनाया गया है। तो यह पहले भी प्रोविजन था। मैं समझता था कि जो प्रस्तुत होगा अमेंडमेंट बिल उसके अन्दर कोई Land assured of irrigation capable of growing two crops in a year का स्पष्टीकरण होगा, क्योंकि पहले जो कानून पास किया गया था उसका स्पष्टीकरण नहीं किया गया था। यह अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि कौनसी जमीन assured for irri-

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

gation capable of growing two crops in a year है। इसके बारे में स्पष्टीकरण अगर करते तो उचित रहता। तो इसलिए मैंने रखा है कि इसको अगर प्रवर समिति में भेजें तो इसमें सुधार होकर इसका स्पष्टीकरण हो सकेगा।

जो पहले कानून था उसमें बगीचों के बारे में प्रोविजन लाकर 54 एकड़ का प्रोविजन कर दिया गया था, और 54 एकड़ के प्रोविजन के अन्दर जिनके पास इरिगेशन की जमीन थी सिचाई की जमीन थी उसका बड़ा भारी लाभ उठाया गया। एक तरफ तो प्रोविजन 18 एकड़ और 27 एकड़ का और यह 54 एकड़ का। बगीचों के नाम से अधिकांश किसान इसका लाभ उठा रहे हैं। यह अनुचित लाभ उठा रहे हैं। इसलिए अगर इसमें यह प्रोविजन होता और इसका लाभ आर्चर्ड्स को नहीं होता तो ठीक होता। पहले जो टिनेन्सी एक्ट था उसमें वह लाभ नहीं दिया गया था। यह जो पहले लाभ दिया गया था उसके अन्दर परिवर्तन होता तो मैं समझता कि कुछ न कुछ प्रोग्रेसिव मेजर है।

कम्पन्सेशन के बारे में पहले टिनेन्सी एक्ट था 1955 का उसके अन्दर और 1960 में जो अमेंडमेंट हुआ उसमें कम्पेनसेशन 30 टाइम्स आफ दी सेन्क्शन्ड रेन्ट रखा। उसके बाद में 20 टाइम्स हुआ तो इसमें जो प्रोविजन किया गया है वह बहुत ज्यादा है। हमारे डेजर्ट एरिया के लिए तो हम देखते हैं 60 रुपया पर एकड़ है। मैंने उसका केलकुलेशन किया है 60 रुपये पर एकड़ के हिसाब से तो हमारे यहां जो भूमिहीन किसान हैं उनको अगर लैंड एलाट किया जाता है तो उनको 1800 रुपये देने पड़ेंगे 75 बीघा के। पहले 30 टाइम्स आफ दी सेन्क्शन्ड रेन्ट के हिसाब से मैंने केलकुलेशन किया है तो 21रु. 75 पैसे कम्पेन्सेशन के आते हैं। उससे कम्पेन्सेशन के 218 रुपया 75 पैसे आते हैं और यह जो प्रोविजन है उसके हिसाब से 1800 रु० आते हैं। तो इसके अन्दर अगर आज कोई अमेंडमेंट आता तो उनको रिलीफ मिलता। हमारे यहां यह पोजीशन है कि 1800 रु० से कम में तो 75 बीघा जमीन मार्केट रेट से भी मिल सकती है। उसके बारे में यदि सोचा जाता तो मैं कहता कि यह प्रोग्रेसिव मेजर है।

अब प्रश्न यह है कि गवर्नमेंट ने यह भी निर्णय लिया है और अपने अधिकार में रखा है रिओपनिंग आफ दी केसेज को। केसेज को रिओपन करने का अधिकार अपने हाथ में लिया है। वह पहले भी प्रोविजन था और इसमें और अधिक स्पष्टीकरण किया गया है। यह जो अधिकार लिया है यह बहुत अच्छा अधिकार है। बहुत से ऐसे केसेज हैं जो फाल्स केस हुए हैं, जो भी ऐसे केसेज बेनामी ट्रान्जेक्शन के द्वारा हुए हैं, गवर्नमेंट को किसी ने धोखा दिया है, अपना बचाव किया है सीलिंग एरिया के अन्दर जमीन नहीं देने का तो यह प्रोविजन काफी सख्त है। यह जो रिओपनिंग का प्रोविजन रखा गया है इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा, और ऐसे केसेज काफी खुलेंगे। परन्तु कुछ किसान ऐसे भी हैं, जब आपने प्रोविजन किया है किसानों के लिए जिनकी जमीन सीलिंग में प्राप्त करनी है तो इसमें वह लोग भी हैं जिन्होंने पहले कानून के अन्तर्गत, पुराने ओल्ड एक्ट के अन्दर रिटर्न्स भी प्रस्तुत भी कर दिये, परन्तु उनको नोटिस

Page No 109

(109)

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

गया। उनको ध्यान नहीं रहा, उन्होंने यह सोचा कि पहले कार्यवाही कर दी है और हमें कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है। यह दृष्टिकोण भी रखें तो इस प्रकार के भी केसेज हैं जिनके साथ में अन्याय हुआ है, आज उनके केसेज भी रिओपन किये जाने चाहिए। अगर उनके केसेज रिओपन किये जाते हैं तो वह भी उचित कार्यवाही होती। जब कोई किसानों का अधिकार देते हैं, तो जो उन्हें अधिकार से वंचित करने के अनुचित तरीके अपनाते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करके किसानों को रिलीफ देना चाहते हैं तो उन किसानों को, जिनके साथ में अन्याय हुआ है, रिलीफ देना चाहिए। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसके अन्दर अमेंडमेंट करें उन किसानों के हित में जिन्होंने पुराने एक्ट के अन्तर्गत अपने रिटर्न्स प्रस्तुत कर दिये और आब्जेक्शन्स भी प्रस्तुत कर दिये, परन्तु बाद में आब्जेक्शन्स पेश नहीं किये और उनके कारण से उनको लास हुआ है। तो उन लोगों के केसेज भी रिओपन करने की कोशिश करनी चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह चार लाख एकड़ भी खो देंगे।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : ऐसे केसेज बहुत कम हैं।

अब पोजीशन यह है कि जमीन जो आपने प्राप्त की है, आज 2,30,000 एकड़ जमीन प्राप्त करने की इन्फार्मेशन हमें मिली है। जो दो लाख तीस हजार एकड़ जमीन प्राप्त की है, मैं जानना चाहता हूं मन्त्री महोदय से कि डेजर्ट एरिया में कितनी है और अलवर और गंगानगर एरिया में कितनी है? फिगर्स तो आप बता देंगे। राजस्थान में इस प्रकार की जमीन आपने प्राप्त कर ली है जो डेजर्ट एरिया में है तो आप सोचते हैं कि बड़ा भारी अचीवमेंट कर लिया, पर मैं तो इसको नहीं मानता। डेजर्ट एरिया की जमीन से आप फिगर्स बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो वहां की कोई उपजाऊ या विशेष काम की जमीन नहीं है इसलिए उसकी तो कोई विशेष कीमत भी नहीं है। जो आपने फिगर्स बताये हैं वह तो मार्केट रेट भी नहीं है। किस प्रकार की जमीन वहां पर किसान लोग लेंगे और वीकर सेक्शन को किस प्रकार से लाभ होगा? इन शब्दों के साथ मैं अपने विचार सदन के समक्ष रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, सीलिंग कानून के सम्बन्ध में जो संशोधन विधेयक माननीय राजस्व मन्त्रीजी ने रखा है इसका उद्देश्य बहुत सीमित और प्रोसीजरल चन्जेज का है। जो दिशा इसकी है वह सही है, उससे कुछ स्पीडी इम्प्लीमेंटेशन होगा इसलिए इसको लागू करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि मुख्य समस्या सीलिंग कानून के बारे में केवल प्रोसीजरल चेन्जेज की ही नहीं है और खास तौर से जैसा कि बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा और भी कई माननीय सदस्यों ने कहा कि मुख्य उद्देश्य इस बिल का अधिक से अधिक जमीन निकाल कर भूमिहीन लोगों को देने का है। लेकिन 16 लाख एकड़ जमीन निकालनी थी और अभी केवल 4 लाख एकड़ ही निकाल पाये हैं। इस समय आपके तमाम केसेज भी डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं लेकिन करीब 10

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हजार या 12 हजार एकड़ जमीन बाकी रह जाती है। अब प्रश्न यह रहता है कि 12 लाख एकड़ जमीन कहां गई, उसको कैसे निकालें ? स्पीडी इम्प्लीमेन्टेशन इस रूप में समझें कि सारे केसेज खत्म हो गये, वह स्पीडी इम्प्लीमेन्टेशन नहीं है। स्पीडी इम्प्लीमेन्टेशन तो तभी माना जायगा जब साथ-साथ अधिक से अधिक जमीन आती है और कानून को सही तरीके से लागू करें। यह सही इम्प्लीमेन्टेशन होगा। आज सही इम्प्लीमेन्टेशन यह है कि मेरे जिले में केवल 30 बीघा जमीन सारी इन केसेज में आ पायी है और केवल 8 केसेज बाकी है। इस जमीन में से भी 16 बीघा तो नदी की जमीन है, उसमें खातेदारी अख्तियारात नहीं दिये जाने चाहिए क्योंकि सेक्शन 16 के तहत वह सरकारी जमीन है। हमने कहा भी कि नदी है, इसकी जमीन अलाट नहीं की जा सकती, केवल 14 बीघा ही अलाट करनी थी तो सारे अलवर जिले में केवल 14 बीघा जमीन मिल पायी है। प्रश्न यह है कि जो एस्टीमेट्स दिये जाते हैं या तो वे सही नहीं हैं या फिर इसके इम्प्लीमेंटेशन में इस तरह से हुआ कि कानून में बुनियादी रूप से खामियां रह गई हैं जिनका सुधार करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि कानून में खामियां हैं उनको अमेंड करने की आवश्यकता है। उन खामियों की तरफ मैं राजस्व मन्त्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा।

सबसे पहली बात जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि हमने जो सेक्शन 4 सब सेक्शन (3) में इन्टेन्सिटी आफ इर्रिगेशन के प्रिन्सिपल को स्वीकार करके इस बात को तय करने का अधिकार, कि इर्रिगेटेड लैण्ड दो फसली है अथवा एक फसली, एक आथोराइज्ड आफिसर को दिया हुआ है और आथोराइज्ड आफिसर जिस बुनियाद पर तय करेगा वह रूल्स में जिस तरीके से प्रोवाइड किया हुआ है, कानून में नहीं रूल्स में डाल दिया है, उस आथोराइज्ड आफिसर के हाथों में छोड़ दिया जायगा, एक एक इंडिविजुअल केस में यह तय किया जायगा उस आथोराइज्ड आफिसर के द्वारा कि कितनी लैण्ड दो फसली है और कितनी एक फसली है। इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, एक इसमें जबरदस्त लेकुना यह है कि गंगानगर जिले के भाखड़ा क्षेत्र में रिपोर्ट यह मिलती है कि लैण्ड की इन्टेन्सिटी आफ इर्रीगेशन 60 पर्सेन्ट है तो उसी रूल के मुताबिक जैसे मान लीजिये कि एक आदमी के पास 100 एकड़ जमीन है तो साठ एकड़ तो एक फसली मानी जायगी और 40 एकड़ को अनइर्रिगेटेड माना जायगा। उसमें भाखड़ा क्षेत्र आता है। इसमें डेजर्ट एरिया का आपने सीलिंग दिया 125 यानि अनइर्रिगेटेड हो जाने से उसका नहरी जमीन का लगान लिया जाता है अनइर्रिगेटेड के रूप में और 125 एकड़ में आ जाता है और इस तरीके से बहुत सी जमीन निकल जाती है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप इस बात के आंकड़े मंगाकर देखें कि गंगानगर जिले में जहां आपको 2 लाख एकड़ से ऊपर मिलने का एस्टीमेट था, 1971 के जो फिगर्स दिये थे, वहां पर दो लाख एकड़ से अधिक जमीन मिलने की आशा थी, अब इस इन्टेन्सिटी आफ इर्रिगेशन और इस कानून के तहत वहां तीस हजार, 27 हजार

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

पर आ गये हैं तो एक अकेले गंगानगर जिले में कितनी जमीन आयी होगी। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन्टेन्सिटी आफ इरिगेशन का प्रश्न अधिकारियों पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए, एक्ट में इसको स्पष्ट किया जाना चाहिए और एरिया के हिसाब से तय होना चाहिए। आज के हालात में मेजर इरिगेटेड पेरेनियल वाली को एक फसली और मीडियम को दो फसली सिद्ध कर दें तो वह मान ली जाय।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं इसी में वह यह है कि जो मेकेनिकली आपरेटेड वैल्स हैं उनके नीचे जो जमीन है हमने पुराने एक्ट के अन्दर सभी जगह कहीं पर हों, 48 एकड़ का उसका सीलिंग मान लिया है। तो इस प्रकार छूट दी है उनको जहां पर कुओं की काश्त है पहले एक्ट के तहत अलवर और भरतपुर जिलों में 30 एकड़ से ज्यादा सीलिंग नहीं था इस चाही जमीन का, अब उसका 48 कर दिया। अब और बढ़ा दिया तो 80 बीघा में कौन नहीं आयेगा ? मैं समझता हूं कि यह जो आपने वैल्स के लिए डिजल से हो या बिजली से, रिआयत दी है, सीलिंग से छोड़ने का कायदा बनाया है, उसमें सुधार की आवश्यकता है।

तीसरा पाइंट इसी तरह से गार्डन्स के बारे में है। आपने 23-7-72 तक जो गार्डन्स थे उनका सीलिंग 54 एकड़ रख दिया। आश्चर्य की बात है कि पुराना जो कानून आपका है, यह समझ कर कि यह ज्यादा लैण्डलेस के पक्ष में है—यह नया कानून बनाया गया और कांग्रेस के अन्दर, सारे देश के अन्दर इस बात को रखा गया कि कानून बहुत धीरे बदल रहे हैं। उस कानून में, सुखाड़िया जी की मिनिस्ट्री के जमाने में इन बागात को थोड़ी बहुत छूट थी वह खत्म की गई, अब वापिस लाकर 54 एकड़ की सीलिंग लगायी। बाग के अन्दर उल्टा चौगुना पानी लगता है, जहां बाग हैं, सब जानते हैं इस बाग के लिए प्रोविजन किया और खुली छूट दे दी तो लोगों ने बाग दिखा कर जमीन निकाल दी। मैं समझता हूं कि बाग को कन्टीन्यू रखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें संशोधन की आवश्यकता थी।

इसी तरह से आपने जो जोन्स बांटे हैं, इन जोन में डिस्क्रीपेन्सी है। अलग एरिया को इधर आना चाहिए था, माननीय सदस्य ने जिक्र किया है, उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। साथ में इस जोन की भी आपने सीलिंग लिमिट रखी है। उसकी इन्टेन्शन ज्यादा जमीन लेने की न करके उल्टे जमीन छोड़ने की कर दी। इरिगेटेड में इस तौर पर 27 एकड़ और 58 एकड़। फर्टाइल में ज्यादा एरिया लेते हैं, अलवर और भरतपुर के अन्दर 48 एकड़, से मी फर्टाइल जोन में 54 एकड़। मैं समझता हूं, यह कुए की भी है, हमारे जिले में कुए की है कहीं जमीन, सब की सब 48 एकड़ है। इसमें सीलिंग में 14 एकड़ जमीन मिली है। मैं समझता हूं इन सब को स्केल डाउन करने की आवश्यकता है। डेजर्ट, सेमी डेजर्ट, फर्टाइल, से मी फर्टाइल—इन सबकी लिमिट मौजूदा फिक्स की है वह ज्यादा है, उनको कम करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं, फर्टाइल जोन को 36 एकड़ रखिये, सेमी फर्टाइल को 45 एकड़ रखिये। जो डेजर्ट जोन को पौने दो सौ रखा है, उसको नीचे लाइये, सवा सौ रख दीजिये, सेमी डेजर्ट को 100 रख दीजिये। अभी मौजूदा

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

है यह बहुत ऊंचा है। इनमें हम संशोधन कर देंगे तो इससे आपको जमीन जो 8 लाख एकड़ बाकी मिलनी चाहिए, या 12 लाख एकड़ वह मिल सकेगी।

फिर आपने उस कानून में बोनाफाइड करा 1-1-73 तक, उनको रेगुलेराइज रिकगनाइज करने की बात कर दी। यह खतरनाक बात कर दी। पहले 1970 तक बहुत किया हुआ था। उसमें एक्सप्लेनेशन में कह दिया, जहां जिसने पैसा दिया है, फार कन्सीडरेशन है वह बोनाफाइड है। तो कोई कहीं ऐसा होगा जो बोनाफाइड नहीं हो। मैं समझता हूं यह प्रोविजन डाला है, यह आपको निकाल देना चाहिए।

अब इसके अलावा तो मेजर कुछ अमेंडमेंट्स हैं जिनकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आप सीलिंग कानून को अफेक्टिवली लागू करना चाहते हैं। फिर मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, जो सरप्लस लैंड का कम्पेन्सेशन रखा है उसमें यह रखा है जो एलाटी है उसको वह कीमत चुकानी पड़ेगी। इस पीरियड में जब वीकर सेक्शन को जमीन बांट रहे हैं, बंजर जमीन बांट रहे हैं फ्री, उस जमीन के अन्दर सीलिंग जमीन आये, इस सीलिंग वाली जमीन की लोगों से, हरिजन से, आदिवासी से कीमत की मांग करेंगे। कीमत की मांग करते हैं जब, आप जानते हैं जिनसे मांग की जाती है वह दे नहीं सकते। इसमें एनोमोली है, क्वान्टम ऑफ कम्पेन्सेशन अधिक है और रेसपान्सिबिलिटी एलाटी की रखी है। रूल्स में यहां तक रख दिया गया है, जब तक अलाटी किश्त पर न कर दे, अलाटमेंट नहीं होगा। नतीजा यह होगा कि जमीन खाली पड़ी रहेगी और जमीन मिल सकती नहीं। इसमें सुधार की आवश्यकता है। उन रूल्स को मैंने देखा है, सेक्शन 1 लैंड अलाटमेंट एक्ट के तहत हैं या सीलिंग एक्ट के तहत हैं। राजाओं को देने के तहत नया एलीमेंट इन्ट्रोड्यूज कर दिया और आज की हालत है, उसमें पन्द्रह बीघा जमीन मिलेगी, अलाटमेंट लैंडलैस को मिलेगा, इतनी लिमिट है उसको मिलेगा। इसमें क्या कर दिया। कोई पड़ोसी है तो उस पड़ोसी को सीलिंग एरिया तक एलाटमेंट हो सकता है। आश्चर्य है, सीलिंग एरिया तक लैंड होल्डर हैं, उनका सीलिंग एरिया तक रहे— यह समझ में आ सकता है, जो सरप्लस लैंड में से मिले, हरिजनों को पांच पांच बीघा मिले। मेरे जिले में 48 एकड़ तक कर सकते हैं। हमने जितना अलाटमेंट किया है, 28 हजार बीघा जमीन, पांच पांच बीघा आम तौर पर किया है। अब सीलिंग एक्ट में अलाटमेंट है, उसका रवाज है प्रायोरिटी में, प्रायोरिटी पीछे रखी हुई है, रास्ता आगे रखा हुआ है। अलाटमेंट वाले कह देंगे, किसी की दर्ख्वास्त नहीं है, इनकी आयी इसलिए अलाटमेंट कर दिया। बीस बीघा पहले थी, कानून के तहत सीलिंग तक मिल सकती है, यह कर दिया। यह लेकुना है। जनरल पालिसी कानून की है, उसके खिलाफ है। इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है, इसमें संशोधन करना चाहिए।

फिर मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस प्रजेन्ट एक्ट में जो अमेंडमेंट आपने सजेस्ट किया है, उसमें भी कुछ इस तरह की बातें हैं जो आपको लानी चाहिए थीं, कुछ ऐसी बातें हैं जो नहीं लानी चाहिए थीं। मसलन आपने उनको रिटर्न्स देने के लिए कहा है, सप्लीमेंट्री रिटर्न्स फाइल करने का अधिकार दिया है। लेकिन सप्लीमेंट्री रिटर्न्स फाइल

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

करने का मौका दिया तो उन्होंने अभी तक डिफाल्ट किया, कानून के तहत उसके ऊपर पेनल्टी लागू हो सकती है। उस पेनल्टी से माफ क्यों कर रहे हैं? क्या वजह है? क्या उन्होंने डिफाल्ट नहीं किया है? क्या उन्होंने यह सारा नहीं कर दिया? फिर क्यों यह कहते हैं, यह अट्रेक्शन देना चाहते हैं? जहां अगर वह न करें तो आपके, कलेक्टर के पास रिकार्ड है कि इनके पास ज्यादा जमीन है, तो इस तरह रियायत देने का मतलब क्या है? अभी तक क्या थोड़ी रियायत दी गई है? उन्होंने डिफाल्ट करा और कानून की जद में आये तो मौका था, पांच सौ रुपये जुर्माने का प्रावधान भी था। उसको खत्म करने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है बल्कि यह दिशा और दिशा में है। आपने बाद में यह किया है कि सप्लीमेंट्री लिस्ट भी न दें, या गलत दे दें तो आपने दो हजार रुपया, या जेल की सजा का प्राविजन किया। यह सही है, अफेक्टिव बनाने के लिए जो अभी तक किया है, उसके लिए रियायत क्यों देना चाहते हैं? मैं जानना चाहूंगा, आप यह बतायें, क्या पीनल प्राविजन के तहत, नियम नये बने— पुराने बने, अभी तक किसी के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है? इसको आपने आर्डिनेन्स से माफ किया है, आर्डिनेन्स के पहले पीनल प्राविजन के तहत पांच सौ रुपये जुर्माना हो सकता था। क्या राजस्थान में कहीं भी सीलिंग से ज्यादा जमीन वाले आदमी के खिलाफ पीनल क्लाज के तहत एक्शन लिया गया? और अब इस आर्डिनेन्स के आने के बाद एक्ट के तहत जो बना रहे हैं, इसमें रियायत देने का क्या जस्टिफिकेशन है? मैं निवेदन करना चाहता हूं, सप्लीमेंट्री लिस्ट देने की बात न करें तो एक सीरियस मामला बनता है तो बनाना चाहिए। लेकिन सरप्लस डिक्लेअर करने के बाद कब्जा न दे तो पीनल आफेन्स नहीं, कब्जा देने के लिए, मजबूर करने के लिए, आपने कोई पीनल प्राविजन नहीं रखा है। मैंने अमेंडमेंट सुजेस्ट किया है, वह आपको ध्यान है। आपके कानून की मन्शा के अनुसार कब्जे का मामला ज्यादा अहमियत रखता है। इसलिए उसकी गारन्टी करने के लिए कोई न कोई पीनल क्लाज होने की निहायत आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि आपने यह बिल पास किया है, इसमें आपकी मन्शा के अनुसार लेकिन मुझे महसूस होता है इसके अतिरिक्त मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा जो पुराना कानून था, वह पूरी तरह से, आपके अधिकारी जो उसको लागू कर रहे हैं, उनकी समझ में नहीं आया। अगर पुराने कानून के तहत किसी को नोटिस दिया गया है तब तो पुराने सीलिंग कानून के तहत लिमिट तय की जाएगी नहीं तो नए एक्ट के अन्दर नोटिस देंगे और रिटर्न्स का फैसला होगा। आम तौर पर मैंने गंगानगर वगैरह कई जिलों के बारे में पूछा। इस तरीके से वहां अमल किया जा रहा है। हाई कोर्ट जजमेंट इस इश्यू पर 24 दिसम्बर का हो गया है जिसमें हाई कोर्ट ने क्लीयरली ले डाउन कर दिया है कि पुराने कानून में किसी ने रिटर्न दिया हो या नहीं, नोटिस दिया हो या नहीं, पहले तो पुराना कानून लागू होगा। जिस आदमी के पास में 1-1-73 से पहले ओल्ड सीलिंग कानून से ज्यादा जमीन थी वह पहले होल्ड विथ पुराने कानून के तहत होगी और उसमें से बचकर जो जमीन उसके पास आ जाएगी उस पर भी अगर नए कानून के तहत जमीन सीलिंग

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

में आती है तो फिर नये कानून के तहत डील विथ होगी। जिस तरह से दो चलनियों, पहले मोटी चलनी में से फिर पतली चलनी में छानते हैं, हाई कोर्ट जजमेंट ने भी इसी उदाहरण को रेफर किया है। तो मैं राजस्व मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरीके से लागू नहीं हुआ है। इसलिए इस जजमेंट की लाइट में आपको इम्मीजिएटली सरक्यूलेट करके जिलाधीशों को निर्देश देना चाहिए कि इस प्रकार जो भी केसेज नहीं हुए हैं उन केसेज को इम्मीजिएटली रिओपन कर दें और चाहे किसी भी लेवल पर चल रहे हों, अब उनको रिओपन करने के लिए केवल मात्र धारा 15 रखी है, वह काफी नहीं होगी। वह कहता है कि कानून के खिलाफ फैसले हुए हैं तो होंगे। बहुत बड़ी संख्या ऐसे केसेज की निकलेगी जिनमें ये मामले निकलेंगे।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी जानकारी क्या है? किस तरीके से इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन किया गया है? क्या यह सही है कि कुछ जिलों में इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है कि पुराने कानून में अगर किसी को नोटिस नहीं दिया गया या रिटर्न नहीं हुआ तो नए कानून से डील विथ हुआ है। कई जगह ऐसा हुआ कि नए कानून के बाद कह दिया कि पुराना कानून मर चुका, पुरानी फाइल खत्म। इस कारण से 4 लाख एकड़ भूमि आपके सामने आ रही है और यह 16 लाख एकड़ नई आ रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि 4 लाख एकड़ आपने रिज्यूम की और कब्जा केवल दो लाख एकड़ पर किया। तो दो लाख एकड़ बीच का घोटाला क्या है? मेरी जानकारी के अनुसार वह दो लाख एकड़ जमीन उन्हीं सीलिंग होल्डर्स के पास मौजूद है, आपने केवल कागजी कार्यवाही करके रिज्यूम की है, कब्जा नहीं लिया गया, उन्हीं के आदमी बैठे हुए हैं। इसलिए अब भी इस आधी जमीन पर आपको इफेक्टिव एक्शन लेना चाहिए। मैं समझता हूं, इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के सामने जो मुद्दे हैं और जो 20 सूत्री कार्यक्रम है, यह बड़ा महत्वपूर्ण है और कमेटी इसको काफी सीरियसली टेक अप कर रही है। तो अपनी तरफ से इस सदन में इन संशोधनों को जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करें। बाकी इस विधेयक के संबंध में जो भी संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं उन पर जब खंडश: विचार होगा तब मैं अपने विचार रखूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गंगाराम चौधरी।

श्री गंगाराम चौधरी (गुढ़ामालानी) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1976 जो पेश हुआ है इसका मैं स्वागत करता हूं। सरकार ने नए आर्थिक कार्यक्रम को तेजी से लागू करने के लिए, विशेषत: भूमि सुधार लागू करने के लिए कुछ प्रावधान इस अध्यादेश में जोड़े और वे इस बिल में भी जोड़े हैं। जैसा पहले कहा गया, पुराने सप्लीमेंट्री रिटर्न्स पेश करने के लिए समय दिया गया है उसके बाद में मामलों को जल्दी निपटाने के लिए कुछ मियादें रखी हैं। इससे आशा की जाती है कि जल्दी ही भूमि सुधार कार्यक्रम के मामले तय किये जायेंगे, सीलिंग के केसेज

(श्री गंगाराम चौधरी)

अदालतों में जल्दी निपटाये जायेंगे और उसके बाद में आवंटन भी समय पर होगा।

दूसरे कुछ मोटे प्रावधान इस प्रकार के हैं कि जो मामले अदालत में पहले तय हो चुके हैं लेकिन कुछ बड़ी गलतियां रही हों तो उनको खोला जा सकता है। यह प्रावधान 1973 के एक्ट में भी था और इसमें दो नए प्रावधान जोड़े गए हैं। एक तो आथोराइज्ड आफिसर को कुछ अधिकार दिये हैं कि वह कुछ समय में मामला खोल सकता है। उसके अतिरिक्त राज्य सरकार के पास जो अधिकार थे रिओपन करने के उनमें कुछ संशोधन किया गया है। 1973 के एक्ट के तहत ऐसे केसेज भी रिओपन हो सकते थे जिनमें प्राइवेट पार्टीज के साथ इनजस्टिस हुई हो। समय पर अदालतों में रिलीफ प्राप्त नहीं कर सकती हों तो राज्य सरकार के पास आ सकती है। कुछ नए प्रावधान जो जोड़े गए हैं उनमें साफतौर से लिख दिया गया है कि अगर ऐसे मामलों में सरकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो तभी वह मामला रिओपन किया जा सकता है। कुछ ऐसे केसेज पिछड़े इलाकों में हैं जिनमें गरीब किसान को भी सरकारी कानूनों के तहत जो सहायता मिल सकती थी वह समय पर प्राप्त नहीं हो सकी, इससे उनके साथ भारी अन्याय हुआ है लेकिन उनके सामने कोई रास्ता नहीं। एक दो मामले ऐसे बाड़मेर जिले के हैं। उदाहरण के लिए एक जिला ऐसा था जहां टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के तहत मामला तय हो चुका था, उसमें सीलिंग निर्धारित हो चुकी थी, उसके परिवार के सदस्य 14 थे और करीब 1100 बीघा जमीन थी लेकिन हमारे यहां के हिसाब से सारा मामला तय होने के बाद में बहुत थोड़ी जमीन सरकार को देनी पड़ी और फैसला हो गया। नए सीलिंग कानून के तहत भी उसके खिलाफ उसे नोटिस जारी हुआ लेकिन वह समझ नहीं पाया। उसने समझा हमारा मामला पहले ही तय है, उन्होंने पैरोकारी नहीं की। नतीजा यह हुआ कि उसके खिलाफ सारा फैसला हुआ और एक फैमिली मानकर 437।। बीघा जमीन उसके पास रह पाई। उसे जो फाइनल नोटिस मिला उसके अनुसार उसकी जो शेष 900 बीघा भूमि थी उसमें से 400 छोड़कर 550 बीघा भूमि सरकार के कब्जे में जाने वाली है, लेकिन उसके सामने कोई रास्ता नहीं। तो इस प्रकार के हार्ड केसेज हैं जिनमें पिछड़े इलाके के गरीब किसान किसी तरह भूल से पैरवी नहीं कर सकते हैं तो उनके केसेज भी सरकार सुने, रिओपन कर सके, ऐसे प्रावधान सरकार के पास में रहने चाहिए। केवल राज्य सरकार को ही उससे यह लाभ मिले यह कुछ जंचता नहीं।

एक केस ऐसा ओसियां से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे उनके यहां का, हालांकि सारा मामला पहले तय हो चुका था और किसी पटवारी की जरा सी गलती से या बदमाशी से रिकार्ड में कुछ ऐसा परिवर्तन किया गया कि उसके केस में उसके खिलाफ निर्णय हुआ। बहुत बड़ा परिवार है जिसके पुराने म्यूटेशन्स हो चुके थे, उनके परिवार के सदस्य 39 बताए हैं लेकिन उसकी सारी जमीन सरकार एक्ट के तहत अधिग्रहण करने जा रही है और उसे कहीं रिलीफ मिलने का नहीं है। तो ऐसे हार्ड केसेज को देखते हुए मेरी राय में यह जो प्राव-

(श्री गंगाराम चौधरी)

धान नए कानून में जोड़ा गया है, जो केवल सरकार के प्रतिकूल मामलों को ही रिओपन करने का राज्य सरकार ने अधिकार लिया है, यह उचित नहीं है। तो उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जो प्राइवेट पार्टीज हैं उनके लिये भी राज्य सरकार को अपने पास यह अधिकार रखना चाहिए ताकि उनके केसेज भी रिओपन हो सकें। इसके अतिरिक्त मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा, वह मेरे ही जिले बाडमेर के अन्दर सीलिंग एक्ट के तहत भूमि का आवंटन करने के संबंध में है। इस एक्ट में सीलिंग एक्ट को तेजी से लागू करने के बारे में कोई प्रावधान नहीं रखा गया है जिससे कि सीलिंग एक्ट के तहत जल्दी से जल्दी लोगों को भूमि का आवंटन हो सके। उपाध्यक्ष महोदय, सीलिंग एक्ट के तहत, नये और पुराने के तहत, दोनों में काफी कठिनाई भूमि आवंटन के बारे में आ रही है। यहां पर काफी माननीय सदस्यों ने कहा कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, जो पुराना था, के तहत एक्वीजीशन आफ लैण्ड के तहत जिन लोगों की भूमि अवाप्त की गई थी उनको मुआवजा कम दिया गया था और नये एक्ट के तहत लोगों को मुआवजा ज्यादा देने का प्रावधान किया गया है। इसलिए लोग बहुत सोच विचार में पड़ गये हैं, लैण्ड अलॉटमेंट एक ही डिस्ट्रिक्ट में एक ही जगह पर हो रहा है लेकिन मुआवजा अलग अलग है। तो यह जो भेदभावपूर्ण नीति बरती जा रही है सीलिंग कानून के तहत उसको समाप्त किया जाना चाहिए। इसके समाप्त करने से काफी काश्तकारों को राहत मिलेगी। इसके अलावा अलॉटमेंट की जो रफ्तार हमारे बाड़मेर जिले में आज तक रही है वह काफी धीमी रफ्तार रही है और बाड़मेर जिले की हालत तो यह है कि सीलिंग कानून के तहत जो जमीन सन् 71 में ले ली गई थी उसका आज तक निपटारा नहीं हो सका है। जमीन बिना अलॉटमेंट के ही पड़ी है। यह ठीक है कि कुछ समय के लिए किन्हीं कानूनी कारणों की वजह से उसकी क्रियान्विति को रोका गया था लेकिन वह तो सिर्फ एक साल के लिए रोका गया था। सन् 1971 से ही मैं, उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय का ध्यान खासतौर से बाड़मेर जिले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सिन्दरी में एक व्यक्ति की 14 हजार बीघा जमीन सीलिंग एक्ट के तहत अवाप्त की गई थी और वह जमीन, उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के कब्जे में भी आ गई फिर भी उस जमीन का अलाटमेंट आज तक भूमिहीनों में नहीं हो सका है। उपाध्यक्ष महोदय, सन 71 में ही उसे राज्य सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था लेकिन अभी तक उसका आवंटन नहीं होने का क्या कारण है? ऐसा भी लोग कहते हैं कि उस व्यक्ति ने अपनी 14 हजार बीघा जमीन के लिए एग्जम्प्शन के वास्ते दरख्वास्त भी दी। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की 14 हजार बीघा जमीन एग्जम्प्शन में आ जावे तो यह बहुत ही खेदजनक बात है इसलिए मेरा निवेदन है कि उस 14 हजार बीघा जमीन के एग्जम्प्शन की बात को समाप्त किया जाये क्योंकि 14 हजार बीघा जमीन का एग्जम्प्शन किसी भी हालत से जायज नहीं हो सकता। यद्यपि उस व्यक्ति ने इस बिना पर एग्जम्प्शन मांगा है कि उसके पास बहुत सारे कैटल हैं जिनके लिये गोचर भूमि की आवश्यकता है। लेकिन एक गाय या एक जानवर के पीछे सिर्फ आधा बीघा जमीन गोचर के लिये छोड़ी जाती है तो फिर 14 हजार बीघा जमीन किस प्रकार

(श्री गंगाराम चौधरी)
छूट में आ सकती है। मेरे ख्याल से किसी भी तरह छूट में नहीं आ सकती। अगर ऐसा माना जाय तो भी उनके पास से 850 या 875 बीघा जमीन ले कर राज्य सरकार अलॉट कर सकती है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, 14 हजार बीघा जमीन सरकारी कब्जे में आने के बाद भी आज तक भी उसका अलाटमेंट नहीं होना बहुत खेदजनक बात है। इस बात को लेकर बाड़मेर जिले की जनता में काफी असंतोष है। इसलिये इसके सम्बन्ध में राज्य सरकार जल्दी से जल्दी कार्यवाही करे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने दो मुद्दे सदन के सामने पेश करके माननीय राजस्व मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित किया है, पहला तो धारा 15 में जो अमेन्डमेंट राज्य सरकार ने किया है उसमें अगर कोई मामला राज्य सरकार के प्रतिकूल पड़ता है तो उसको रिओपन कर सकती है। उसमें मेरा सुझाव यह है कि अगर ऐसे कोई मामले प्राइवेट पार्टीज के हों तो उन्हें रिओपन करने तथा उनके अलॉटमेंट के बारे में राज्य सरकार अपने पास अधिकार ले, तथा दूसरा इन पर निर्णय लेकर जल्दी से जल्दी बाड़मेर जिले में भूमि आवंटन का कार्य सीलिंग एक्ट के तहत ले और जल्दी से जल्दी भूमि काश्तकारों को दे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री भोपालसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, थोड़ा मैं भी इस बारे में निवेदन करना चाहूंगा। इस एक्ट के सेक्शन 15 के तहत सब्स्टीट्यूट करके जो गवर्नमेंट ने केसेज को रिओपन करने की पावर अपने हाथ में ली है उसमें मैं समझता हूं कि गवर्नमेन्ट ने एक तरफ अपनी पावर को बढ़ाना चाहा है कि वह सर्टेन ग्राउन्ड पर केस को रिओपन कर सकती है "new and important material" लेकिन इसी के अन्दर जो बीच में क्लाज में दिया है "such orders as prejudicial to the State Government." इस तरह से एक तरफ आपने इस power का दायरा बढ़ाना चाहा, उसकी कोशिश की है वहीं पर दूसरी जगह उन्हीं शब्दों से आपने उसका दायरा घटा दिया है। यह जो आपने किया वह बड़ा ही डिस्क्रिमिनेट्री वे में किया है। यह आपका एक पार्ट दूसरे पार्ट से ठीक तरह से नहीं बैठ सकता। यह आपने जो डिस्क्रिमिनेट्री वे में किया है उसके बजाय आपको रेशनल बेसिस पर करना था। इसमें आपका क्या इन्ट्रेस्ट हो सकता है। आपने इसको डिस्क्रिमिनेट्री करके इसके अन्दर एम्बीग्यूटी पैदा कर दी है इसलिये मेरा निवेदन यह है कि आप जिस उद्देश्य से इस बिल को लाये हैं उसमें एम्बीग्यूटी को समाप्त करके जल्दी से जल्दी लोगों को लैण्ड अलॉटमेंट करायें। आपको जल्दी से जल्दी सीलिंग एक्ट के तहत भूमि लेनी है तो आपका उद्देश्य जहां ज्यादा Land owner के पास किसी order से छोड़ी है उसको लेना है न कि ज्यादा अवाम की हुई को छोड़ना है। तो ऐसी हालत में लैण्ड रिज्यूम करके लोगों को अलॉट करनी चाहिये।

श्री फूलचन्द जैन : मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज का बिजनेस समाप्त नहीं होने तक सदन का समय बढ़ाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि आज का बिजनेस समाप्त न होने तक सदन का समय बढ़ाया जाय।

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

श्री भोपालसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं what is "the interest of the State" यह साफ बात नहीं है या मूल सत्य है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि अगर सरकार की मन्शा सीलिंग के तहत जो जमीन आती है उसको जल्दी से जल्दी लेकर लोगों में आवंटित करने की है तो हमारे यहां बाड़मेर इलाके में, जो कि रेगिस्तानी इलाका है जैसा कि बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने संकेत किया है, 24 रुपये बीघा है। जमीन काफी लोग देना चाहेंगे। यह काफी अच्छी राशि है इसलिए काफी लोग अपनी जमीन देने को तैयार हो जायेंगे और राज्य सरकार काफी जमीन लेकर लोगों को आवंटित कर सकेगी। इसके साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, जो लिमिटिंग वर्ड्स हैं। वह हमारे कॉन्स्टीट्यूशन के खिलाफ हैं और अगर हम doctrine of ejusdem generis को लागू करें तो मेरा निवेदन है कि जो दायरा आपने बढ़ाया है वही आपने इन ग्राउण्ड्स पर बिल्कुल घटा दिया। The clause is discriminatory and at any time it can be struck down as discriminatory by High Court. यह सभी पर एक ही तरह से लागू होना चाहिये। इसमें मेरा यह निवेदन है कि जो यह प्रावधान किया है इस में "such order as is prejudicial to the State Government" must be deleted.

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। माननीय मन्त्रीजी।

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व-मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1976 के संबंध में माननीय सदस्यों ने अपने विचार सदन के सामने रखे। माननीय सदस्यों ने अपने प्रस्तावों के जरिये इस विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रसारित करने व कुछ माननीय सदस्यों ने इस बिल को सलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने के बारे में अपने विचार व्यक्त किये हैं। मैं प्रारम्भ में ही यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन दोनों प्रस्तावों को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता प्रकट करता हूं। जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा है और यह बात सही है कि इस विधेयक को, सीलिंग कानून को लागू करने में प्रोसीजरल ढिले काफी हुई है। इसके इम्प्लीमेन्टेशन को प्लग किया गया और जहां तक मेरा ख्याल है, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें ज्यादा समय लैण्ड होल्डर्स के द्वारा आप्लिकेशन फाइल करने के वक्त, चाहे सरेन्डर आफ लैण्ड के वक्त, या उसके बाद में चाहे उसके सलेक्शन के वक्त, चाहे ऑब्जेक्शन के वक्त लगा। इसमें अलग अलग समय लगा था, अब इसमें रेलेवेन्ट समय को कम किया गया है ताकि सीलिंग कानून के तहत राजस्थान के अन्दर ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी लैण्ड को लेकर लैण्ड का अलॉटमेन्ट एक टाइम बाउण्ड प्रोग्राम के बतौर किया जा सके। मैं माननीय सदस्यों की इस बात से तो इन्कार नहीं करता कि सीलिंग कानून के इम्प्लीमेन्टेशन का जहां तक सवाल है, यह हकीकत भी है और सच भी है, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें काफी देर हुई है। लेकिन माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार करेंगे कि मार्च 1975 के बाद सीलिंग के सम्बन्ध में कार्यवाही तेजी से और द्रुतगति से की जा रही

(श्री परसराम मदेरणा)

है। इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता है। और आप देखेंगे कि उसी का परिणाम है कि राजस्थान में भी जो अन्तिम सूचना मुझे मिली है, वह भी कुछ जिलों से सही सूचना नहीं है, क्योंकि बोर्ड की मार्फत आती है, कई जिलों से पर्सनली बात हुई है उसके अनुसार अभी राजस्थान में करीब 8 हजार सीलिंग के केसेज पेन्डिंग हैं। जो जमीन रिज्यूम करने के आदेश जारी किये गये हैं उसका क्षेत्र 4, 92, 305 एकड़ है और जो पजेशन में ली गयी है वह 2, 52, 949 एकड़ है और जो आवंटित की गयी है वह 89, 631 एकड़ है।

मेरे कहने का मतलब यह है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय जो सूचना थी उसके बाद भी 8 हजार से अधिक एकड़ जमीन आवंटित हो चुकी है। कब्जे में ज्यादा जमीन ली गई है और जिन केसेज में फाइन्डिंग हो गई है या रिमाण्ड हुए हैं वे अभी जेर तजवीज है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह कौनसी डेट तक के फिगर्स हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : यह जो सूचना हमारे पास में है दिसम्बर तक की होगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : 31 दिसम्बर ?

श्री परसराम मदेरणा : हो सकता है 31 दिसम्बर या 15 दिसम्बर। अभी निश्चित तारीख मेरे पास नहीं है।

और इसी सम्बन्ध में यहां पर कहा गया था, एस्टीमेट दिये गये थे 16 लाख एकड़ के और चार लाख एकड़ रिज्यूम कर रहे हैं तो 12 लाख एकड़ जमीन गयी कहां ? राजस्थान के अन्दर ही है और गयी कहीं नहीं है। लेकिन सीलिंग कानून सन् 1963 में बना। 15 दिसम्बर 1963 को फोर्स में आया। समय समय पर अदालतों के स्थगन आदेश आते रहे, नोटिफिकेशन्स निकलते रहे और डेट आगे बढ़ती रही। इम्प्लीमेंट करने की बात रही, जिसके पास 200 स्टेण्डर्ड एकड़ है वह रिज्यूम करेंगे, 100 की करेंगे। जब यह स्टेज चल ही रही थी तो 1970 में पुराना सीलिंग कानून, टिनेन्सी कानून का 3 (बी) है, उसमें फिर संशोधन कर दिया गया। जो भी ट्रान्सफर्स किसी भी लैंड होल्डर ने राजस्थान के डोमिसाइल को कर दिये हैं और उसके पास में खरीदी हुई जमीन और पहले वाली जमीन कुल मिलाकर सीलिंग से कम है दिसम्बर 1969 तक वह रिकग्नाइज कर ली जावेगी। वह कर ली गयी। माननीय सदस्यों ने बिल में संशोधन के वक्त राय जाहिर की थी और जहां तक मुझे जानकारी है 70 में संशोधन हुए तो बाड़मेर में से आने वाले माननीय सदस्य भी उस समय विधान सभा के माननीय सदस्य थे और कम्पेन्सेशन निर्धारित हुआ मार्च या फरवरी 1973 में, उस वक्त भी माननीय सदस्य ने कम्पेन्सेशन के क्लाज पर सहमति जाहिर की थी।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : सहमति नहीं, विरोध किया था।

श्री परसराम मदेरणा : आप कई मामलों का विरोध कर रहे हैं। इसलिए अलग-अलग जोन्स में, फर्टाइल, सेमी फर्टाइल जोन और कुओं से सिंचित जमीन को भी फर्टाइल जोन्स के बराबर रख ली, सेमी डेजर्ट और डेजर्ट जोन, जहां से आप पधारे

(श्री परसराम मदेरणा)

हैं, में अधिकतम लिमिट रखी है, मेक्सिमम लिमिट वह मेक्सिमम लिमिट इसी सदन के द्वारा रखी गयी है। आज मैं उन धाराओं में संशोधन नहीं कर रहा हूं टाइम बाउन्ड प्रोग्राम को इम्प्लीमेन्ट करने के लिये उन्हीं धाराओं से सम्बन्धित संशोधन लेकर उपस्थित हुआ हूं।

अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने और बात कही, पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जोधपुर तहसील और खारची एरिया सेमी डेजर्ट में आ गया है। उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। इस कारण हार्ट बर्निंग है काश्तकारों में और जन प्रतिनिधियों ने यह बात पुरजोर शब्दों में रखी है, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। उस सम्बन्ध में आपके सुझाव ठोस हैं। जैसा कि अलवर से आने वाले माननीय सदस्य स्वयं जानते थे, वहां भी सुझाव आये और आज भी आप दे रहे हैं, मैं उन पर विचार करूंगा। पार्टी में भी इसको रखूंगा और स्टेट लेवल पर राज्य सरकार के समक्ष रखे जा सकते हैं। मैं अपना माइंड ओपन रखता हूं।

अब जो मोटी बात यहां कही है एक्ट की परिभाषा में कि सीलिंग में ज्यादा से ज्यादा जमीन आये, उसको रिज्यूम किया जाय, कब्जा लिया जाय और भूमिहीन को अलाटमेंट किया जाय जो इस प्रकार के बेनिफिशियरीज हैं उनके लिये व्यवस्था भी की है। अभी मेरे मित्र सहकारिता मंत्रीजी कानून लाये हैं उसी के लिये तो लाये हैं। वनरेबल सेक्शन की बात करते हैं। सरकारी जमीन है, सीलिंग से रिज्यूम होने वाली है, जमीन जो सरकार के पास आती है, ऐसी जमीन को खेती के लिये अलाट किया जाय। अलाटमेंट कमेटी का मेम्बर बनाया जाय। यह अभियान चालू है।

बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने इन्डिविजुअल बात कही, जो बड़े बड़े फार्म इसमें नहीं आते हैं उनके लिये सोचना चाहिये। इस पर भारत सरकार सोच रही है। यह राजस्थान के जुरिस्डिक्शन से बाहर की बात है।

यह भी कहा गया कि जिनके पास जमीन है लेकिन जो लोग एक्चुअली खेती नहीं करते हैं उनसे जमीन छीन ली जाय। वकालात का काम करते हैं, जमीन उनके पास है। धारा सभा के मेम्बर है और मंत्री हैं। जैसे फलौदी के माननीय सदस्य ट्रेजरी बेंच पर हैं। जौहरी का धन्धा करते हैं और नींबू के पेड़ उगा रहे हैं। दिल्ली से आने पर मुख्य मंत्रीजी से मैंने इस सम्बन्ध में बात की थी। टिनेन्सी एक्ट आ जावेगा तो एग्रीकल्चरिस्ट की क्या परिभाषा रखना चाहते हैं उस पर विचार करते समय आपके कीमती सुझावों को बिल में और बाहर भी पूरी तरह से रखूंगा।

एक बात यह कही गई कि किसी गांव में भूमिहीन ही न हों और सीलिंग में जमीन आवे तो उनको अलाट की जा सकती है। मैं ऐसे केसेज को देखूंगा। यह सुझाव स्वीकार करने योग्य है। अभी मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं।

टोंक से आने वाले माननीय सदस्य ने रेवेन्यू रिकार्ड के आधार पर नोटिस देकर मामला तय कर देने वाली बात कही। रिकार्ड आपके अधिकारी के पास है और उनको नोटिस दे देते हैं ......

श्री अजीतसिंह : मुआवजा वाली बात ..... (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : हमने एक ऐसा ही आदेश दिया था बार मेरे रेवेन्यू मिनिस्टर बनने के बाद मैंने यह आदेश दिया था जिनकी रिकार्ड से पोजीशन है, उनको एकदम नोटिस दे दिया जाय। लेकिन जो पीनल प्रोविजन रखा है वह इतना इफेक्टिव नहीं था, उसमें सजा का प्रावधान नहीं था, इसे करने के बाद पीनल प्रोविजन में दो हजार का जुर्माना और दो साल की सजा रखी है। दो नये रिटर्न्स पेश हुए हैं और 102 सप्लीमेन्ट्री रिटर्न्स पेश हुए हैं। कुल 652 रिटर्न्स पेश हुए हैं। ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको फिर खतरा हुआ होगा

(विराम)

इसमें आप (श्री रामानन्द अग्रवाल) कुछ कहना चाहते हैं क्योंकि आप बार बार खड़े होते हैं तो मैं समझता हूं मुझे बैठना चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पीनल एक्शन के जरिये पुराने के आधार पर या नये के आधार पर राजस्थान में किस जिले में किसी के खिलाफ एक्शन हुआ है क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : मैं उसी का उत्तर दे रहा था। मैं यहां बैठा बैठा जो लिख रहा था कोई गीता के श्लोक थोड़े ही लिख रहा था। आप जो कहते हैं, वही तो लिखता रहता हूं।

मेरा इतना ही निवेदन है जो बेनामी काश्त करते हैं उन में से 500 रुपये देकर कोई बच जाय, तो अब हमने उसके लिये फ्रेश अपारचुनिटी दी है। हमने जो प्रोसीक्यूशन के लिये दिया, उसको इम्यून किया, माननीय सदस्यों का ऐतराज है कि आपने गलत किया है और गलत इसलिये किया है कि वह डिफाल्टर था और ऐसे डिफाल्टर को रियायत दे दी है। उनके प्रोसीक्यूशन की प्रोसीडिंग्स, जो पेन्डिंग है उनको आप विथ-ड्रा कर लेंगे जब कि फाइनल फैसला नहीं हुआ है इस प्रकार की रियायत दें कि उसमें आगे प्रोसीक्यूट भी नहीं करेंगे, हमने एक महीने का वक्त दिया है 30 दिन की उसको अपारचुनिटी देते हैं और अगर इस अपारचुनिटी में नहीं देगा तो फिर 500 रु० नहीं है, डिफाल्टर रहने के बाद आप दोषी हो जाता है। अभी तो हम एक बार दोष मुक्त कर रहे हैं और फिर भी नहीं देता है तो सख्त कार्यवाही होगी। जो कुछ सूचना आपको मिलती है तो आप एक्शन लेने की बात करते हैं लेकिन कोई आदमी जब वह जानता है कि पीनल प्रोविजन है तो खुद के लिये एवीडेन्स क्रियेट करेगा। वालन्टरी डिक्लेरेशन में अगर ऐसा प्रावधान है तो अभी भारत सरकार ने भी ऐसा किया था लेकिन गवर्नमेंट की मंशा साफ है। हमने केवल जो अपारचुनिटी दी है वह डिफाल्टर के खिलाफ है। उसके लिये ऐसा प्रोविजन रखने जा रहे हैं ताकि उसको अवसर मिल जाय। फ्रेश और अनादर अपारचुनिटी दे रहे हैं ताकि वह रिटर्न दे सके इसलिये इसमें किसी के साथ रियायत बरतने की बात नहीं थी।

पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने केसेज रि-ओपन और रिव्यू करने के बारे में कहा। सेक्शन 28 का जो नया क्लाज 8 है इस सम्बन्ध में कोई बात कही है।

(श्री परसराम मदेरणा)

उन्होंने कहा, रि-ओपन की पावर्स गवर्नमेंट अपने पास रख रही है यह डि सेन्ट्रलाइजेशन की नीति के विपरीत है और आप पावर्स कन्सेन्ट्रेट करना चाहते हैं। आथोराइज्ड आफिसर को रि-ओपन का मामला दे दीजिये। दूसरा रिव्यू वह तो कर सकते हैं आथोराइज्ड आफिसर और रि-ओपन करेंगे आप। यह पीनल सेक्शन दोनों अलग अलग ऑथोरिटी के पास न होकर एक ही व्यक्ति में वेस्ट करनी चाहिये। दूसरा बात आपने यह कही कि रि-ओपन तो गवर्नमेंट करती है और बोर्ड में अपील रख दी है तो इसका मतलब बोर्ड को अपने से सुप्रीम आथोरिटी मान लिया। बोर्ड ने जिसको रि-ओपन कर दिया उसको कहीं भी ओपन करने का प्रावधान नही करना चाहिये था। मैं समझता हूं आपने कहीं प्रोविजन्स नहीं पढ़े हैं। पहले मैं पढ़ देता हूं क्लाज (8)

"The Authorised Officer of its own motion or on the application of the Tehsildar may, at any time within six months of the passing of an order dropping the proceedings"

ड्रापिंग के मामले में कर सकते हैं, वह फाइनल फैसला नहीं है। तहसीलदार के पास इसलिये रखा है कि उसके पास रिकार्ड है, हमने उनको अपारचुनिटी दी है। ऐसे केसेज सैकड़ों हो गये जब राज्य सरकार ने यह आदेश दिये आथोराइज्ड आफिसर को कि भूमि का रिकार्ड देखकर नोटिस दें। जिस ऑथोराइज्ड आफिसर पर आप भरोसा करके चलते हैं, उसने केस ड्राप कर दिया तो वह रिव्यू करेगा और रि-ओपन कौन करेगा। रि-ओपन के पावर्स में फिर आप देखेंगे क्लाज (4)—

"....or that on account of the discovery of new and important matter or evidence which has since come to its notice, such order is required to be re-opened, it may, at any time within three years of the date of such final order or within two years of the commencement of the Rajasthan Imposition of Ceiling on Agricultural Holdings (Amendment) Ordinance, 1975, whichever is later, direct any officer subordinate to it... "

हम इन आफिसर्स को डाइरेक्ट कर रहे हैं–

"....to reopen such decided matter and to decide it afresh in accordance with the provisions of this Act."

वह फिर डिसाइड करेगा। बिलकुल नया केस हो उसके लिये हमने यह रखा है एक ही अपील प्रोवाइड करें, दो नहीं हों। एक रेवेन्यू बोर्ड को की गई है उसमें यही प्रावधान रखा है इसलिए सीधे रि-ओपन करने के लिए कलेक्टर्स को, जो फर्स्ट अपीलेट आथोरिटी है, अगर यह प्रोविजन रखते हैं तो अपील बोर्ड को होगी। इसलिए कलेक्टर खुद ऐसे केसेज को डिसाइड कर सकता है इसलिए ऐसा करना पड़ा"

श्री चेतराम : Excuse me, Sir, ऐसी सिलिंग की जमीन का बोर्ड से डिसीजन हो गया है तो रिव्यू कर सकते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : रेवेन्यू बोर्ड को रि-ग्रोपन के बारे में राज्य सरकार को और किसी कोर्ट में है···

श्री शंकरलाल (पाली) : (ग्रश्रव्य:) जनता का आदमी कहे कि आपने गलत किया है तहसीलदार को···

श्री परसराम मदेरणा : तहसीलदार इसलिये रखा है आथोराइज्ड ग्राफिसर को कहता है और मतलब यही है कि अगर कोई सूचना आये-on any application from a member of the public, he can proceed.

वृद्धिचन्द्र जी जैन के मारचर्ज के संबंध में कुछ बात कही है, कुछ कम्पेन्सेशन के बारे में भी बात कही है। उसका मैं उत्तर दे चुका हूं। बाड़मेर और जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्यों ने कहा, जो धारा 15 के अन्तर रि-ग्रोपन किये जा सकते हैं केसेज, उसमें केवल ऐसा ही ग्रॉर्डर किया जा सकता है Which order is prejudicial to the State Government, वह यह चाहते हैं। दोनों पार्टीज बराबर की फुटिंग्स पर हैं। राज्य सरकार के जितने भी पैरोकार और दूसरे लोग लगे हैं अगर वह भी किसी आर्डर से एग्रीव्ड हैं तो उनको भी कलेक्टर के सामने या रेवेन्यू बोर्ड के सामने अपील करने का अधिकार है। रि-ग्रोपन वाले मामलों में जैसा सरकार कर रही है तो वैसा दूसरी पार्टीज को यह अवसर नहीं देना न्याय की आचार संहिता के खिलाफ होगा। यह क्लाज आयेगा उस समय इस पर कुछ कहूंगा।

यहां पर अलवर से आने वाले माननीय सदस्य के कुछ सीलिंग के संबंध में कहा, अलाटमेंट रूल्स में सीलिंग एरिया का अगर पड़ोसी है तो उसको सीलिंग एरिया तक भूमि का आबंटन हो सकता है। रूल्स में यह प्रावधान है : The allotment shall in no case exceed the ceiling area permissible. पड़ोसी का है नहीं उसमें। मैंने तो पढ़ा नहीं। इसका कतई मतलब नहीं है कि सीलिंग लिमिट तक उसको अलॉट की जायेगी क्योंकि अलॉटमेंट रूल्स में इसका प्रावधान है कि फ्रेगमेंट से कम क्षेत्र की जमीन अलाट नहीं होनी चाहिए। हमने जहां भी देखा है, सीलिंग का प्रश्न नहीं है। सीलिंग से नीचे भी नहीं लेकिन उससे भी कम भूमि आज जो अलाट कर रहे है वहां पर देने का है और मेक्सीमम लिमिट है इससे ज्यादा नहीं दी जा सकेगी। लेकिन मेक्सीमम लिमिट तक देने का कहीं प्रश्न नहीं है। 15-20 बीघा के आस-पास दे रहे हैं। कहीं डेजर्ट एरिया है तो बात अलग है और यह सही है कि ज्यादा भूमि जो रिज्यूम हुई है वह रेगिस्तानी इलाके में है क्योंकि होल्डिंग्स बहुत बड़ी बड़ी हैं। उसके संबंध में तो आप सब जानते हैं। आज भी जो जोन रखा है वह 175 एकड़ का है और 175 एकड़ में ही मोरेटोरियम का विधेयक यहां चल रहा था और आगे भी लिक्विडेशन का आ रहा है तो बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आपने जो कन्वर्शन रेट लगाये हैं और स्माल फार्मर्स से आपने लिया है जिसके कर्जा-निवारण की बात करते हैं तो आपके यहां तो यह 44.64 बीघा आता है। मुझे पता नहीं आपका कन्वर्शन ठीक है या नहीं लेकिन आप कह रहे थे कि इसमें एक दो आदमी ही आने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि आपके यहां बड़ी होल्डिंग्स हैं। ट्रान्सफर्स

(श्री परसराम मदेरणा)

आपने रिकग्नाइज करा लिये। सीलिंग एरिया में कितनी जमीन रिज्यूम होगी ? यह कई फैक्टर्स हैं जिनको देखने की बात है। कौन से जोन में ट्रान्सफर्स को रिकग्नाइज करने की बात सोची है और 1970 के बाद बेनीफिट ग्राफ ट्रान्सफर 1-1-73 तक हैं। उसके साथ में फेमिली है और फेमिली में रख दिया है कि 5 मेम्बर की फेमिली होगी। तो हर एडिशनल मेम्बर के लिए 1/5 अलग किया जायेगा। फिर सेपरेट यूनिट किसको माना है—मेजर सन को। यह कुछ फैक्टर्स हैं। इनको देखते हुए जो प्रावधान है उसी तरह से इतनी जमीन आ रही है। 5 लाख के करीब पहुँच रही है ...

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : उसमें डेजर्ट एरिया में कितनी है ?

श्री परसराम मदेरणा : मेरे पास डिस्ट्रिक्टवाइज ब्रेक-अप नहीं है। वह मैं आपको पहले दे चुका हूं।

श्री शंकरलाल : 31-12-69 और 26-9-75 के बीच के ट्रान्सफर्स का क्या होगा ?

श्री परसराम मदेरणा : दूसरी बात अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कही, कब्जे के लिए कोई पीनल प्रावीजन नहीं रखा है। पहले उसको अपनी भूमि सरेण्डर करने के लिए 3 महीने का समय था। उस 3 महीने के समय को हमने 1 महीने का कर दिया और एक महीना करने के बाद में वह कानून लागू रहेगा। उसके बाद में यह कर दिया कि वह सलेक्ट कर लेगा और सलेक्शन के साथ ही अगर आप खड़ी है तो वह ले जाने देगा और यह भी कर दिया कि उसके बाद में वह नहीं है तो वही प्राविजन लागू होंगे जो कि ट्रेसपासर के ऊपर लागू होते हैं। इसका मतलब 50 टाइम्स पेनेल्टी और दूसरे सब्सीक्वेन्ट आफेन्सेस के लिए 3 महीने की सजा है। तो आज जो गवर्नमेंट भूमि पर ट्रेसपासर्स हैं उनको पहले 50 टाइम्स पेनल्टी और फिर 3 महीने की सिविल जेल। और जो कई पीढ़ियों से भूमि चली आ रही है उसके लिए पीनल आफेन्स में यह चाहते हैं कि उसके लिए दो साल की सजा वाला मामला रख दो। यह अमेन्डमेंट भी माननीय सदस्य का है। तो मैं समझता हूं कि कोई भी प्रावधान इतना स्ट्रांग बनाना ठीक नहीं है। हम उसकी भूमि को रिज्यूम कर रहे हैं और सोशियल जस्टिस की स्प्रिट को देखते हुए रिज्यूम कर रहे हैं ताकि जो भूमिहीन हैं उनको अलॉट करना चाहते हैं। यह एक क्राइटेरिया तय कर दिया जाय। जब इस क्लाज की बात आयेगी तो मैं कहूंगा लेकिन मैं समझता हूं कि इतना सख्त पीनल प्राविजन रखना न्यायसंगत नहीं होगा। पुराने कानून और नये कानून के बारे में उन्होंने एक बात कही और हाई कोर्ट में एक जजमेंट 24 दिसम्बर, 1975 को हुआ है उसका हवाला उन्होंने दिया। हाई कोर्ट के सामने जो मुद्दा था वह यह था कि इस नये कानून के बनने के समय जो केसेज ओल्ड सीलिंग कानून के तहत कोर्ट में पेन्डिंग थे क्या कोर्ट में कानून के अन्तर्गत कोई कार्यवाही हो सकती है। इतना ही प्रश्न था। इसलिए यह कहना कि पुराने वाला कानून पहले लागू होगा और नया वाला बाद में लागू होगा—सेक्शन 4 (1) जो प्रोविजो है हमने जरूर कहा था कि सीलिंग से ज्यादा जमीन नहीं

(श्री परसराम मदेरणा)

रहना चाहिए तो उसमें फेमिली की डेफीनेशन अलग और इसमें अलग। उसमें ट्रान्सफर की डेफीनेशन अलग और इसमें अलग। इसलिए कम्पेयर नहीं कर सकते क्योंकि बहुत वेरीयेन्ट्स हैं। फिर हमने सोचा कि इतने वेरीयेन्ट्स हैं तो आप पुराने में भी देख लीजिये और नये में भी देख लीजिये। मैं पढ़ देता हूं :

"As a result of the above discussions, I am disposed to hold that the Act of 1973 has no retrospective operation and the pending proceedings shall be governed by the provisions of Chapter 3-B as amended from time to time and not by the Act, of 1973."

यह ऑपरेटिव पोर्शन है। आपके सुझाव.........

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय मंत्रीजी''''

श्री परसराम मदेरणा : मैं समझ गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह आपने स्टेटमेंट दिया है इसका असर बाहर पड़ेगा। इसका इण्टरप्रिटेशन जो भी आपने पढ़ कर सुनाया है वह यह है कि 1973 से पहले जो पुराने एक्ट के तहत केसेज हैं उन पर यह नया एक्ट लागू नहीं होगा'''

श्री परसराम मदेरणा : यह मैंने कुछ नहीं पढ़ा। आपने जजमेंट का हवाला दिया इसलिए मुझे भी कहना पड़ा। अगर आप जजमेंट को रेफर नहीं करते तो मैं भी चुप रहता। इतना मैं कह सकता हूं कि जहां तक प्रोसीडिंग्स का सवाल है, क्या बाहर जाएगा और क्या नहीं, यह मेरे अधिकार में नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, यह अधिकार सदन की प्रोसिडिंग्स का केवल चेयर को है। पहले तो उन्होंने इस जजमेंट को रेफर कर दिया और अब इसके इण्टरप्रिटेशन की बात करते हैं।

इन शब्दों के साथ जो माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखे हैं मेरा उनसे अनुरोध है कि उनको वे वापिस लें।

श्री उपाध्यक्ष : एक माननीय सदस्य तो हैं नहीं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1976, को जनमत जानने हेतु जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

श्री अजीतसिंह । आप वापिस लेना चाहते हैं ?

श्री अजीतसिंह : जी हां, वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि संशोधन वापिस लेने की इजाजत दी जाय ?

(स्वीकृत)

स्वीकृति दी जाती है।

श्री अजीतसिंह : मैं वापिस लेता हूं ।

विधेयक पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जावे ।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया ।

खण्डशः विचार ।

खण्ड 2 । श्री रामानन्द अग्रवाल ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 2 में मैंने यह संशोधन प्रस्तावित किया है कि प्रस्तावित नई धारा 11-क की उपधारा 2 विलोपित की जावे। तो यह विलोपित करने का आशय यह है कि अभी जिन लोगों ने पहली रिटर्न नहीं दी, इसलिए पीनल आफेंस उन्होंने किया था, उनको उससे इम्यूनिटी दी जा रही है। हम इसके लिए यह बात कह रहे हैं कि इसको और स्ट्रिन्जेंट बना रहे हैं । तो मेरा कहना यह है कि यह इम्यूनिटी नहीं दी जानी चाहिए और इसको जैसा पहले था वैसा ही रखना चाहिए । जिन्होंने पहले इससे आफेंस कमिट किया है उन पर एक्शन लिया जाना चाहिए । मैंने इंसिस्ट करके पोइन्टेडली मंत्री जी से यह पूछा था कि किसी एक केस में भी आपने कहीं पर भी कोई एक्शन लिया हो इस अमेंडिंग एक्ट के आने से पहले तो आप बतायें । मंत्रीजी ने इसका जवाब तो नहीं दिया लेकिन मुझे जवाब मिल गया, उन्होंने यहां नहीं दिया अभी भी मैं एग्री करता हूं कि स्ट्रिन्जेंट बना रहे हैं इसके बारे में, कब्जे के बारे में आपकी हमदर्दी दिखाई दी तो उससे मैं यह मानता हूं कि यह रिटर्न के बारे में और भी ज्यादा हमदर्दी होगी । जब कब्जे के बारे में एक्शन नहीं लेना चाहते तो रिटर्न के बारे में दो साल की कैद और दो हजार का जुर्माना देगा तो आगे जाकर आप इम्यूनिटी देना चाहेंगे । पीनल प्रोविजन आपने पहले बनाया था । तो इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह हमदर्दी रखने से आप यह इम्प्लीमेंट नहीं कर पायेंगे । तो इसलिए पहले मौका दिया जा चुका है, 1966 से लेकर 75 में जा रहे हैं, आपकी प्रधान मंत्री इस बात के लिए बराबर इंसिस्ट कर रही हैं, पर आप इस तरह की गली निकाल कर यह रास्ता छोड़ें, यह ठीक नहीं है । अभी तक एक भी केस नहीं किया गया है, यह अपने आप में शो करता है कि गवर्नमेंट किस तरीके से, ढीले तरीके से उन लोगों से, जिन्होंने सीलिंग कानून को फ्लाउट किया है, डील कर रही है, इसलिए यह अमेंडमेंट मैंने मूव किया है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक की धारा (2) में 11–क की उप-धारा (2) है, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य का अमेंडमेंट है कि यह धारा (2) को विलोपित किया जावे । उनका यह संशोधन क्यों है ? जैसा कि पूर्व में कह चुका हूं, इन्कम टैक्स में भी ऐसा प्रावधान है, इम्यूनिटी का इसलिए जरूरी था । हम एक अवसर दे रहे थे और अवसर देने के बाद में अभी जिसने कोई अपना रिटर्न पेश किया है, जो दोषी है, जिसने सप्लीमेंट्री रिटर्न गलत दी है, मैंने साफ इंस्ट्रक्शन्स दी हैं कि कोई आदमी ऐसा नहीं हो जो सप्लीमेंट्री रिटर्न देकर, नई रिटर्न देकर पुरानी रिटर्न को रिवाइव कर लें । जो छुपाई गई है

(श्री परसराम मदेरणा)

वह सामने आनी चाहिए। इसलिए मेरे साफ इंस्ट्रक्शन्स हैं, सप्लीमेंट्री रिटर्न के सम्बन्ध में कि पहले के रिटर्न को रिवाइव नहीं करने देना है। सब्सीक्यूएन्टली बात जो पहले में नहीं आई वह दुरुस्त करनी चाहिए। इम्यूनिटी के सम्बन्ध में एक बात कही। ऐसा नहीं करते तो जो लोग एम्करेज करते हैं, वैसे वालण्टरी डिस्क्लोजर स्कीम के अन्दर भी यह कहा गया कि आप पर उतना टैक्स लगेगा लेकिन आपका प्रोसीक्यूशन नहीं करेंगे और पन्द्रह सौ करोड़ का डिस्क्लोजर हुआ है। अगर कोई चाहे कि बीस साल मिल जायं लेकिन बाद में फिर हो जाय तो यह पीनल प्रोविजन होगा नहीं लेकिन टैक्स और ज्यादा करेंगे। इसके बाद फिर एक अपारचुनिटी देते हैं टाइम लिमिट के बाद भी, 31 दिसम्बर को फिर एक अपारचुनिटी दी है कि इस प्रकार का पीनल प्रावधान होते हुए भी एक इम्यूनिटी दी है और फ्यूचर प्रोसीक्यूशन उन लोगों का करेंगे जो अब डिफाल्टर रह गये हैं। पहले क्रिमीनल लायबिलिटी थी, पांच सौ रुपये का जुर्माना हो सकता था, सरकार के पास अभी सूचना नहीं है कि कितने केसेज पैंडिंग हैं। और आगे जो आप यह कह रहे हैं, भविष्य के लिए यह अन्दाजा लगा रहे हैं, यह पीनल प्रोविजन अब 24-ए में रखने जा रहे हैं, ऐसा दिखता है कि ऐसी इम्यूनिटी उन लोगों, अभी जिन्होंने रिटर्न्स या सप्लीमेंट्री रिटर्न्स नहीं दी है, के लिए भी कर देंगे। इस प्रकार का आपने मुझे आगाह किया है, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप कितने दूरदर्शी हैं, लेकिन तो भी मैं यह कह सकता हूं जब तक मेरे पास में यह विभाग है, ऐसी इम्यूनिटी का प्रावधान नहीं होगा। इतना आश्वासन मैं दे सकता हूं, हम इस प्रकार का प्रावधान नहीं करेंगे। आपका कहना यह है कि बाउ रियायत देकर गलती कर दी है वैसी बात नहीं है। रिटर्न दी गई है दूसरे लोगों द्वारा और वह तभी दी है कि जब लोगों को यह तसल्ली हो गई कि हमको प्रोसीक्यूट नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति अपने खिलाफ एवीडेन्स क्रियेट नहीं करना चाहेगा कि दूसरा कोई उसको फंसा दे। मैं कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा होता तो रिटर्न नहीं आती। ऐसा प्रावधान दूसरे इनेक्टमेन्ट में भी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि मेरे इस उत्तर के बाद में माननीय सदस्य पुनः इस पर विचार करेंगे और इस संशोधन को, जो उन्होंने प्रस्तुत किया है खण्ड (2) में, वापिस ले लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य अपना संशोधन वापिस लेंगे ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1976 के खण्ड 2 में अलवर से आने वाले माननीय सदस्य श्री रामानन्द जी अग्रवाल ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 को स्वीकार किया जावे।

Page No 128

(118)

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

खण्ड 2 को स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 को स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

खण्ड 3 स्वीकार किया गया ।

खण्ड 4 श्री रामानन्द अग्रवाल ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह खण्ड 4 में बहुत साधारण सा संशोधन है । इसका मकसद यह है कि सीलिंग, पुराने सीलिंग कानून के तहत कुछ केसेज अभी और रि-ओपन होंगे और उनके चलने में काफी समय लग सकता है । इसलिए मैंने इसमें यह प्रोविजन किया है कि अब इसमें रि-ओपन पुराने केसेज के लिए रखा है कि या तो पांच साल यानी 73 में वह बना तो 78 तक या जब से केस तय हो, उसका पांच वर्ष इसमें रखा है । तो मैंने यह प्रोविजन किया है कि जो केस तय हुआ उस तारीख से तीन वर्ष या पांच वर्ष जो भी बाद में हो वह रखा जाना चाहिए । मंत्री जी इस पोसिबिलिटी को भी ख्याल में रखें कि जब यह आपने रि-ओपन का प्रोविजन रखा है वैसे इस 30 जून तक आप निपटा देना चाहते हैं और हम भी इसको समझते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है, मगर यह कानून में खामी नहीं छोड़ी जानी चाहिए । इसलिए पुराने एक्ट के तहत केसेज चलते हुए थोड़ी देर में तय हों और फिर रि-ओपन के पांच साल नहीं रखते हुए मैं तीन साल रखने की बात करता हूं । इसलिए मैंने यह प्रोविजन किया है । यह जो मैंने अमेंडमेंट किया है, बीच में शब्द इन्सर्ट किया है, मैं उसको मूव करता हूं ।

इसमें दूसरा यह है, उपाध्यक्ष महोदय, जो परन्तुक है, 8-वीं पंक्ति में, उपधारा 2 का जो प्राविजो है उसको मैं निकालना चाहता हूं क्योंकि इसमें आपने रेवेन्यू बोर्ड के द्वारा जो फैसले किये गये हैं, उन फैसलों को रि-ओपन करने की शर्त दूसरी रखी है और दूसरे केसेज में दूसरी रखी है । इसमें विशिष्टता की आवश्यकता मैं नहीं समझता कोई नया वाद मालूम हो या कोई एक्सीडेन्टली लॉ के खिलाफ हो गया है तो रि-ओपन हो सकते हैं, रेवेन्यू बोर्ड के फैसले । वैसे तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले भी रि-ओपन होते हैं तो इसमें रेवेन्यू बोर्ड का कोई निरादर नहीं होगा । इस बुनियाद पर मैं इन संशोधनों को मूव करता हूं ।

[श्री रामानन्द अग्रवाल ने निम्न संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये :

खण्ड 4

(i) प्रस्तावित नई धारा 15 की उपधारा (2) की नवीं पंक्ति में शब्द 'तो वह' के बाद और शब्द 'इस अधिनियम' से पहले निम्नांकित शब्द जोड़े जायें :—

'ऐसे अन्तिम आदेश की तारीख से तीन वर्ष के भीतर अथवा'

(ii) 8 वीं पंक्ति के 'भीतर' शब्द के बाद और 'किसी' शब्द से पूर्व निम्नांकित शब्द जोड़े जायें :—

'जो भी पश्चातवर्ती हो'

(iii) अध्याय (2) के अन्त में प्रयुक्त परन्तुक को विलोपित किया जाये ।"]

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, क्लाज 4 की धारा जो प्रतिस्थापित

(श्री परसराम मदेरणा)

की गयी है उसके 15 के 2 में दो संशोधन माननीय सदस्य, जो अलवर से आते हैं, ने प्रस्तुत किये हैं। 2 (ए) के लास्ट बट थर्ड लाइन में है, अधिनियम के पहले यह जोड़ा जावे– 'ऐसे अन्तिम आदेश की तारीख से तीन वर्ष के भीतर अथवा इस अधिनियम के प्रारम्भ से 5 वर्ष के भीतर,' और भीतर के आगे वह चाहते हैं 'जो भी पश्चात्वर्ती हैं' आपके कहने का मतलब है, पुराने सीलिंग के कानून के काफी केसेज बचे हैं। मेरा उत्तर यह है कि 15, जिसको सब्स्टीट्यूट किया है, में रि-ओपन का प्रावधान था :—

"Notwithstanding anything contained in Section 40, if the State Government at any time within three years of the commencement of this Act...." This Act means the Act of 1973 which came into force on 1-1-1973. हमने यह देखा है कि तीन साल का पीरियड था वह अब तक बाकी था और फ्यूचर को देखते हुए अमेंडमेंट सेक्शन 15 में रखना पड़ा। इसलिए बहुत से सीलिंग केसेज हैं जो कि गलत डिटरमिन हो गये हैं, वह खोले जा सकते हैं या जिनका रोंग ट्रान्सफर हुआ हो, या रोंग डिटरमिनेशन हो गया हो तो नहीं खोल सकते थे, इसलिए इसको रि-ड्राफ्ट करना पड़ा और वह रिट्रास्पेक्टिव डेट से लागू किया है, 1-1-73 से यह धारा इस कानून के अन्तर्गत थी। इसलिए इसको काफी वाइड कर दिया है और काफी वाइड बनाने का हमने प्राविजन रखा है जहां पहले तीन साल था, वहां अब पांच साल कर दिया है। दूसरे वाले 'ए' में प्राविजन था उसमें फाइनल आर्डर से तीन साल रखा गया। 15 ए पुराना पढ़ लीजिये। इसमें फाइनल स्टेटमेंट से नहीं था, केस डिसाइड होने से था। दोनों में फाइनल आर्डर कर दिया। फाइनल आर्डर में रेवेन्यू बोर्ड की लिमिटेशन है। तीन का पांच कर दिया है। इसका मतलब होता है पुराने सीलिंग के केसेज 1-1-78 तक रि-ओपन हो सकते हैं। याने 31-12-77 की आधी रात तक आप केसेज को चाहें तो फिर रि-ओपन कर सकते हैं। इसके बाद इनको रि-ओपन करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब 31-12-77 आने पर विचार कर लेंगे। तीन से पांच और बढ़ा दिया है। यह तो करना ही होगा। एक फाइनल डेट तो देनी होगी। हर वक्त तलवार नहीं लटका कर चल सकते। हम भी केसेज को फाइनल कर देना चाहते हैं। 1-1-78 से आगे भी रखें। इस तरह से सोच कर चलना आपकी दूरदर्शिता है। यह कुछ इमेजिनरी हो सकता है।

दूसरा आपका संशोधन है दो के आगे जो परन्तुक है, उस परन्तुक को आप विलोपित करना चाहते हैं। रेवेन्यू बोर्ड के फैसले को कुछ ही मैटर में हाई कोर्ट रिव्यू कर सकता है। हमने भी रिओपन के आर्डर्स हमारे पास रखे हैं। अभी 23-ए का उल्लेख पाली से आने वाले माननीय सदस्य कर रहे थे। उसमें भी बोर्ड के ऊपर यह रखा है। बोर्ड के पास एक अपील ही काफी है। आप एक तरफ तो इतना विश्वास रख रहे हैं दूसरी तरफ यह कह रहे हैं कि 23-ए की एक अपील काफी है। बोर्ड ने जजमेंट दे दिया है और बोर्ड के

(श्री परसराम मदेरणा)

ग्राथोराइज्ड ग्राफिसर ने फैसला दे दिया तो उसको रिग्रोपन करना मैं समझता हूं कि न्यायोचित नहीं होगा। इसलिए हमने जो रखा है वह ठीक है। ग्राप इस परंतुक को उड़ाना चाहते है, बोर्ड की ग्राथोरिटी को अन्डरमाइन करना चाहते हैं। जुडिशियरी की अलग पावर है, एक्जीक्यूटिव की ग्रलग से पावर है, लेजिस्लेटिव की अलग पावर है। कान्स्टीट्यूशन में हम संशोधन कर सकते हैं। हमारी प्रधान मंत्री ने देश के लोगों को इस पर चर्चा करने का ग्रवसर दिया है। केवल विधि निर्माता ही नहीं देश की ग्राम जनता इस पर चर्चा कर सकती है परन्तु फिर भी न्यायालयों की सत्ता में कमी करना, उसके फैसले रिग्रोपन करने से मैं समझता हूं कि देश की जनता का न्यायालयों से विश्वास उठ जायेगा। यह न्यायसंगत नहीं होगा। इसलिए मैं ग्रापके सुझावों को स्वीकार करने में ग्रसमर्थ हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या ग्राप वापिस लेना चाहते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पहले वाला वापिस ले सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर ग्रधिकतम सीमा ग्रधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1976 की धारा 4 में ग्रलवर से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्ताव दिए हैं उनको स्वीकार किया जाए ?

(ग्रस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव ग्रस्वीकार किए गए।

प्रश्न यह है कि खंड 4 को स्वीकार किया जाए ?

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं खंड 4 के बारे में रिक्वेस्ट करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : रिक्वेस्ट का तो कोई समय नहीं है। कोई अमेंडमेंट हो तो मंजूर कर सकता हूं।

प्रश्न यह यह है कि खंड 4 को स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खंड 4 स्वीकार किया गया।

खंड 5।

श्री रामानन्द ग्रग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, खंड 5 में मेरे दो संशोधन हैं, एक तो यह है कि यह जो खंड 5 का पहला पार्ट है इसमें उपधारा (2) में शब्द '3 महीने' के स्थान पर शब्द '30 दिन' प्रतिस्थापित किये जायं। केवल इतना रखा जाय और बाकी जो शब्द हैं वह निकाल दिये जायं। एक तो यह है ग्रौर दूसरा यह है कि जो दूसरा पार्ट है तो इस दूसरे पार्ट को विलोपित कर के इसकी जगह मैंने एक ग्रौर दूसरी तजबीज की है। यह मैं समझता हूं कि आप यह जानते हैं यह ग्राथोराइज्ड ग्राफिसर को ही इस किस्म की पावर्स हैं तो इसको लाने की ग्रावश्यकता नहीं है। यह निकाल दिया जाय ग्रौर यह प्रतिस्थापित कर दिया जाय सैकिण्ड पार्ट 'धारा 24-क के ग्रन्तर्गत दण्ड का भी भागी होगा' धारा (3) इसमें

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

नहीं हैं जो कि ओरिजिनल एक्ट में हैं। ओरिजिनल एक्ट में उप-धारा (3) इस प्रकार से है—

'16. यदि कोई व्यक्ति राज्य सरकार में निहित भूमि उप-धारा (2) में निर्दिष्ट समय के भीतर अभ्यर्पित करने या उसका कब्जा देने में शिथिल होता है तो वह उस भूमि पर ऐसा अतिचारी समझा जायगा जो बेदखल किये जाने और राजस्थान राजस्व अधिनियम, 1955 की धारा 93 के अन्दर जुर्माने के समादेय करने का भागी होगा' मैं इसके साथ में यह जोड़ना चाहता हूं 'धारा 24—क के अन्तर्गत दण्ड का भागी होगा।' तो इस कानून में माननीय राजस्व मंत्रीजी ने रिटर्न दाखिल करने के सम्बन्ध में जो स्ट्रिन्जेन्सी अपनाने की कोशिश की है और जुर्माने और कैद की सजा इसमें रखी है तो उसी प्रोविजन को कब्जा नहीं देने की स्थिति में भी लागू किया जाय। यह मेरा कहना है। मैं समझता हूं कि रिटर्न से ज्यादा अल्टीमेटली तो इस सारे कानून का मकसद जमीन, सरप्लस लैंड से है तो सरप्लस जमीन के अलावा जो दूसरे एक्शन्स और आपरेशन्स हैं वह जमीन का कब्जा लेने से लैस इम्पार्टेन्ट है। तो अगर आप रिटर्न्स देने के लिए पाबन्द करने के लिए यह स्ट्रिन्जेन्सी अपनाने को तैयार हैं तो फिर जो इतनी मेहनत करने के बाद चीज आपको मिली उसका वह कब्जा न दे उसके लिए वह स्ट्रिन्जेन्सी न अपनायें तो मैं यह समझता हूं कि यह संगत तर्क भी नहीं मालूम पड़ता है और यह उचित भी नहीं होगा। इसलिए मैं इस अमेंडमेंट को रखता हूं।

[श्री रामानन्द अग्रवाल ने निम्न संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया :

धारा 16 की उप-धारा (2) में खंड (i) में शब्द तथा चिन्ह तथा अन्त में प्रयुक्त पूर्ण विराम के स्थान पर विराम चिन्ह ":" विलोपित किये जायें।

(ii) खण्ड (ii) निम्न प्रकार पुन: लिखा जायेः—

"उप-धारा (2) के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़े जावेंगेः—

"उपधारा 24—क के अन्तर्गत दण्ड का भी भागी होगा"|

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने संशोधन रखा है कि क्लाज 5 के (f) में जो (,) चिन्ह है उसको विलोपित किया जाय। इसका मतलब यह है कि पहले वाला 3 महीने की जगह 30 दिन में यह तो ठीक किया, लेकिन (,) चिन्ह विलोपित करके (.) रखें। पहले (.) रखकर (2) को वापिस रिराइट किया जाय, और (2) को रिराइट करना चाहते हैं धारा 16 की उप-धारा (3) के अन्त में, और वह यह करना चाहते हैं कि "यदि कोई व्यक्ति राज्य सरकार में निहित भूमि उप-धारा (3) में निर्दिष्ट समय के भीतर-3 महीने के बजाय 30 दिन हो गया-अभ्यर्पित करने या उसका कब्जा देने में विफल रहता है तो वह उस भूमि पर ऐसा अतिचारी समझा जायगा जो बेदखल किये जाने और राजस्थान राजस्व अधिनियम, 1955 की धारा 93 के अन्दर जुर्माने के समादेय करने का भागी होगा।" इसका मतलब यह है कि 50 टाइम्स लैंड रेवेन्यू के असेसमेंट की पेनल्टी, तीन महीने का इम्प्रिजनमेंट वह तो है ही उसके अलावा ? हजार रुपये की और सजा टिकाई जा सकती

(श्री परसराम मदेरणा)

है। मैं समझता हूं कि इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता है। दो तरह की पैनल्टी लगाने का पहले प्रस्ताव किया गया है। रिटर्न्स के बारे में पीनल प्रोविजन में स्ट्रिन्जेन्सी रख रहे हैं तो मैं माननीय सदस्य को यह पूछना चाहता हूं कि कब्जा किस बात का लोगे अगर आपके पास सरप्लस लैण्ड नहीं होगी? तो सरप्लस लैण्ड लेने के लिए प्रोविजन स्ट्रिन्जेन्ट रखना जरूरी है। उद्गम नहीं होगा तो पानी कहां से लोगे? वह स्ट्रिन्जेन्ट रहना जरूरी है। 91 का प्रोविजन रखा है वह काफी है। इसमें दो साल की पैनल्टी रखी है। अगर मैं आपका अमेंडमेंट मान लेता हूं इस सैकिण्ड में तो यह होगा कि जो प्रोविजन क्लाज 5 में एड किया हुआ है वह अपने आप (.) के होते हुए विलोपित करने की इन्डाइरेक्टली जो आपने तजवीज पेश की है इस आपकी तजवीज को मै मान्य नहीं करता हूं चूंकि वह यहां पर रखा गया है वह इसलिए रखा गया है कि यह टिनेन्सी एक्ट की धारा 184 के प्रावधान के मुताबिक यहां पर परिवर्तित है। अगर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है.......

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसीलिए अनावश्यक है।

श्री परसराम मदेरणा : किसी व्यक्ति की फसल खड़ी हुई है वह ट्रेसपासर नहीं है उसको फसल लेने दें। इतना समय दिया है इस फसल वाले को। आपका अमेंडमेंट जो है उसमें (.) लगाया है आपने ...

श्री रामानन्द अग्रवाल : पहले नहीं बैठा हुआ है। वह राइट रहेगा I am not against giving the time.

श्री परसराम मदेरणा : आपने तो कहा है लेकिन मैं निवेदन करता हूं कि...

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह टिनेन्सी एक्ट के तहत है जनरल पावर।

श्री परसराम मदेरणा : इसमें इस प्रकार का प्रावधान किया है कि आदमी की फसल है जिसकी कुर्की हो गई है तो भी अप्रेल के बाद में और जून के पहले पहले ही उसकी फसल ली जाय अन्यथा मत लीजिये। इसका मतलब यह है कि इस कानून के बनाने वालों ने यह बात सोची थी कि जिस समय रबी या खरीफ की क्राप्स नहीं होती है वैसे ही कुछ रिजका वगैरह बोते हैं तो मेजर क्राप्स के रहने की बात है। फसल तैयार खड़ी है उसके बाद में नहीं लेंगे नहीं तो you will be liable under section 16. मैं समझता हूं कि इस कारण से मैं इस संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1976 की धारा 5 में अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 5 को स्वीकार किया गया।

खण्ड 6। श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 6 में उसके आखिर में परन्तुक जोड़ना चाहता हूं। वह परन्तुक यह है कि जब सरप्लस जमीन डिक्लेयर हो गई तो उसको आप्शन है कि वह उस जमीन में से चुन ले कि कौन सी जमीन अपने पास रखे

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

तो इस परन्तुक का मतलब यह है कि अगर उसने कोई एन्कम्बर्ड क्रियेट किया हुआ है तो उस जमीन में से उसको वह जमीन चुननी पड़ेगी जो कि एन्कम्बर्ड है, फ्री है वह नहीं। माननीय सदस्य इस बात से वाकिफ है कि बहुत लोगों ने ऐसे ट्रान्सफर कर दिये जिनको आप रिकग्नाइज नहीं कर रहे हैं तो आपको वह जमीन सरप्लस में दे देगा जो कि एन्कम्बर्ड है और बिल्कुल खाली जमीन है उसको अपने पास रख लेगा और जो बिल्कुल खाली जमीन है उसको अपने पास रख लिया तो एक बहुत ही कानून की मजाक होगी। अभी आप आप्शन तो दे रहे हैं लेकिन यह नहीं कर रहे हैं कि पहले उस जमीन को लेना पड़ेगा और बाद में वह। मैं समझता हूं कि यह एक बुनियादी मसला है और ओवरसाइट से रह गया मालूम पड़ता है, माननीय मन्त्रीजी इस पर गौर करें। इसलिए मैं खण्ड 6 के बाद एक परन्तुक जोड़ना चाहता हूं :—

"परन्तु यह और कि जहां कोई व्यक्ति कोई ऐसी भूमि धारण करता है या अर्जित करता है जिसमें से कुछ अधिभार युक्त है और कुछ नहीं है वहां इस धारा के अधीन चयन जहां तक व्यवहार्य हो, अधिभार युक्त भूमि के अधिमान में अधिभार युक्त भूमि के पक्ष में किया जायेगा।"

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य ने जो संशोधन का प्रस्ताव रखा है मैं उसको स्वीकार करता हूं इस संशोधन के साथ कि "किया जायगा" के स्थान पर "किया जाय" होगा। सेक्शन 18 में जो अमेंडमेंट किया है (1) में यह प्रोविजो उसमें रह गया है तो इसको भी मैं सेकिण्ड प्रोविजो जोड़ते हुए स्वीकार करता हूं। पहला प्रोविजो आलरेडी है, दूसरा परन्तुक जो आपका है उसमें "किया जायगा" के स्थान पर "किया जाय" करते हुए मैं इसको स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 6 में अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उससे माननीय प्रभारी मन्त्रीजी के संशोधन को मानते हुए, स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 6 मय संशोधन के स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 6 मय संशोधन के स्वीकार किया गया।

खण्ड 7 और 8 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 7 और 8 स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

खण्ड 7 और 8 स्वीकार किये गये।

खण्ड 9। श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 9 एक फालो अप एक्शन है और कान्सीक्वेन्शियल है, मैं इसको मूव करता हूं—

"प्रस्तावित नई धारा 24-क में—

(i) शीर्षक को निम्न प्रकार पुनः लिखा जाय :—

"विवरणी या अनुपूरक विवरणी नहीं देने अथवा गलत देने तथा अधिशेष भूमि का कब्जा न देने पर दण्ड"

Page No 134

134

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(ii) छठी पंक्ति में शब्द 'विश्वास है" के बाद और शब्द 'तो' से पहले निम्नांकित शब्द जोड़े जायं :—

"अथवा धारा 16 (3) के तहत अधिशेष भूमि का कब्जा देने में विफल रहा हो।"

श्री उपाध्यक्ष : वह तो वोटेड डाउन हो चुका है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं इसको मूव करता हूं, रिकार्ड में तो रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी आपको कुछ कहना है।

श्री परसराम मदेरणा : आपके दो संशोधन हैं, एक तो शीर्षक में दूसरा छठी पंक्ति में। इसको तो मैं अस्वीकार करता हूं। जो आप सेक्सन 16 (3) में लाना चाहते थे वह अस्वीकार कर दिया गया, इसलिए यह रिडन्डेन्ट हो जाता है। पहले वाले शीर्षक में संशोधन मैं मानता हूं इसमें इतना हो कि "विवरणी या अनुपूरक विवरणी नहीं देने अथवा गलत देने पर दण्ड" इस संशोधन के साथ में इसको स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री रामानन्द अग्रवाल से) शेष को आप विथड्रा करते हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : शेष को मैं विथड्रा करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या अलवर से आने वाले माननीय सदस्य को कान्सीक्वेन्शियल अमेंडमेंट के अलावा अंश को विथड्रा करने की अनुमति दी जाय ?

(स्वीकृत)

कान्सीक्वेन्शियल अमेंडमेंट के अलावा अंश को विथड्रा करने की अनुमति दी गई।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : "विवरणी या अनुपूरक विवरणी नहीं देने अथवा गलत देने पर दण्ड" यह संशोधन रहता है। तथा अधिशेष भूमि का कब्जा न देने में 'विफल रहा हो' ये शब्द निकाल दिये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड 9 शीर्षक में जो अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने संशोधन प्रस्ताव पेश किया है उसको माननीय प्रभारी मन्त्रीजी द्वारा संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 9, संशोधित रूप में, स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 9, संशोधित रूप में, स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 10 स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 10 स्वीकार किया गया।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना एवं नाम आदि।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना एवं नाम आदि स्वीकार किये गये।

विधेयक को पारित करने के लिये प्रस्ताव। माननीय मन्त्रीजी।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1976 को संशोधित रूप में पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक. 1976 को संशोधन रूप में किया जाय।

(स्वीकृत)

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1976 संशोधित रूप में पारित किया गया।

राजस्थान सागड़ी प्रथा उन्मूलन (निरसन) विधेयक, 1976

श्री मोहनलाल छंगाणी (श्रम मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सागड़ी प्रथा उन्मूलन (निरसन) विधेयक, 1976 को विचारार्थ लिया जाय।

व्यवस्था का प्रश्न
केन्द्रीय सरकार के अध्यादेश या अधिनियम की प्रति

श्री केशरीमल : पाइन्ट आफ आर्डर, माननीय उपाध्यक्षजी, चूंकि केन्द्रीय सरकार ने जो इस सम्बन्ध में कानून बनाया है उसकी प्रति अभी इस सदन में वितरित नहीं की गई है, उसके पहले ही यह मानकर चलना कि वह लागू हो जायगा, और उसके बगैर इसको इस सदन में लाना मैं ठीक समझता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी।

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में चर्चा हो चुकी है और अलवर से आने वाले माननीय सदस्य से भी चर्चा की थी। वैसे यह अक्टूबर, 1975 का आर्डिनेन्स है और चूंकि यह कन्वेन्शन है इसके आधार पर दिल्ली में विचार हो चुका है, और माननीय सदस्य मुझको अनुमति दें तो मैं इसका क्लाज-वाइज ब्यौरा दे सकता हूं। सेन्ट्रल लेजिस्लेशन काफी काम्प्रीहेन्सिव है और दूसरे जो भी आर्डिनेन्सेज हैं इस सब्जेक्ट के आटोमेटिकली रिपील हो जाते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसको विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केशरीमल सदस्य विधान सभा ने यह प्रश्न उठाया है कि सदन में आज सागड़ी प्रथा उन्मूलन (निरसन) विधेयक, 1976 पर बहस करना सम्भव नहीं है क्योंकि सदस्यों को केन्द्र सरकार के अधिनियम या अध्यादेश की प्रति वितरित नहीं की गई है। इस सदन के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों में कहीं भी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है कि यदि कोई विधेयक इस सदन में लाया जा रहा हो और उसका सम्बन्ध केन्द्र के किसी अधिनियम या अध्यादेश से हो तो उस पर तभी विचार किया जा सकता है जब कि केन्द्रीय अधिनियम या अध्यादेश की प्रतियां सदस्यों में वितरित कीजाय। यद्यपि सुविधा की दृष्टि से यह अधिक सुविधाजनक हो सकता है कि माननीय सदस्यों को यथासम्भव केन्द्रीय अधिनियम या अध्यादेश की प्रति उपलब्ध कराई जाय। किन्तु इस आधार पर, कि उक्त

Page No 136

(136)

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रति वितरित नहीं की गई है, सदन में किसी विधेयक को विचारार्थ लिये जाने से रोकना सम्भव नहीं है ।

विचारार्थ का प्रस्ताव कर दिया ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन करूंगा, माननीय मन्त्री जी, आपके समक्ष चीजें हैं, जो केन्द्रीय कानून बना है उसकी एक समरी हमें दे दें, ताकि हमें मालूम पड़े। अभी इन्ट्रोड्यूस करते हुए मालूम पड़े, माननीय सदस्यों को मालूम हो कि क्या कानून है, क्या कानून पेश कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : सेलियेन्ट फीचर्स से आपका मतलब है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : सेन्ट्रल एक्ट।

श्री उपाध्यक्ष : सेन्ट्रल आर्डिनेन्स ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति महोदय ने 24 अक्टूबर, 1975 को बन्धक-श्रम प्रथा (उन्मूलन) अध्यादेश, 1975 प्रख्यापित किया । इसमें कमजोर वर्ग के व्यक्तियों का आर्थिक और शारीरिक तथा तत्सम्बन्धी एवं आनुषांगिक मामलों में शोषण रोकने की दृष्टि से बंधक श्रम प्रथा के उन्मूलन की व्यवस्था दी गई है । इस अध्यादेश का प्रसार सम्पूर्ण भारत पर है। इसकी धारा 3 द्वारा इसे अध्यारोही प्रभाव दिया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय, धारा 3 है :—

"The provisions of this Ordinance shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any enactment other than this Ordinance or in any instrument having effect by virtue of an enactment"

यह ओवर राइडिंग है ।

केन्द्रीय विधि के अधीन बन्धक-श्रम में न केवल श्रम के लिये आबद्ध श्रम को अपितु रूढ़िगत या सामाजिक बन्धन अथवा उत्तराधिकार वश अथवा किसी विशेष जाति या समुदाय में पैदाइश के कारण, आबद्ध-श्रम को भी सम्मिलित किया गया है ।

पहले हमारा 1961 का कानून था वह इतना काम्प्रीहेन्सिव नहीं था । उक्त कर्जा वसूली कानून के पहले कर्ज था उसके तहत गिरवी, मोर्टगेज, अटेचमेंट हो गया, उसका क्या हो । इस प्रकार यह उससे ज्यादा काम्प्रीहेन्सिव हो गया है ।

केन्द्रीय विधि की धारा 4 द्वारा न केवल बन्धक-श्रमिक को ही ऋण से मुक्त कर दिया गया है । वरन् उसे बन्धक-श्रम के किसी भी रूप की बाध्यता से भी मुक्त और उन्मोचित कर दिया गया है । यहां तक कि बन्धक-श्रम प्रथा के अधीन धन के उधार पर तथा बन्धक-श्रम के किसी भी रूप में किसी व्यक्ति को बाध्य करने पर रोक लगा दी है ।

धारा 5, द्वारा ऐसी कोई भी रूढ़ि या परम्परा संविदा या करार को शून्य घोषित कर दिया गया है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति या उसके परिवार का सदस्य या उस पर आश्रित कोई व्यक्ति बन्धक-श्रमिक के रूप में कोई कार्य या सेवा करने के लिये बाध्य है ।

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

धारा 6 द्वारा बन्धक-ऋण की वह देनदारी जो कि अध्यादेश के प्रारम्भ के तुरन्त पूर्व बकाया थी, समाप्त कर दी गई है। इसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि किसी बन्धक-ऋण की वसूली के लिये किसी सिविल न्यायालय या प्राधिकरण के समक्ष किसी प्रकार का कोई वाद या कार्यवाही संस्थित नहीं की जा सकेगी। यह भी व्यवस्था कर दी गई है कि बन्धक-ऋणी से लेनदार ने यदि कोई सम्पत्ति जबरन ले ली हो तो वह उसे वापिस करा दी जायेगी और यदि कोई बन्धक-श्रमिक सिविल जेल में बन्द हो तो उसे तुरन्त छोड़ दिया जायेगा। उसकी सम्पत्ति सभी प्रकार के विल्लगमों से मुक्त हो जायेगी।

धारा 8 के अनुसार कोई बन्धक-श्रमिक अपने आवास स्थान आदि से बेदखल नहीं किया जा सकेगा और यदि इस अध्यादेश के प्रारम्भ के पश्चात् उसे बेदखल कर दिया हो तो मजिस्ट्रेट के आदेश से उसे फिर से तुरन्त कब्जा दिला दिया जायेगा।

धारा 9 के अनुसार लेनदार बन्धक-श्रमिक से ऐसा कोई भुगतान स्वीकार नहीं करेगा जो कि इस अध्यादेश के अधीन समाप्त किया जा चुका है।

धारा 13 में जिलों एवं सब-डिविजनों में सतर्कता समिति के गठन की व्यवस्था की गई है जो जिला मजिस्ट्रेट तथा अन्य अधिकारियों को परामर्श देगी कि इस अध्यादेश के उपबन्धों का समुचित क्रियावयन के लिये क्या क्या प्रयास एवं कार्यवाहियां की जायं।

यह संक्षिप्त में मैंने, उपाध्यक्ष महोदय, सेन्ट्रल लेजिस्लेशन का विवरण दिया है और यह जो भी सेन्ट्रल लेजिस्लेशन पहले था, 1961 का वह 1961 का लेजिस्लेशन इतना काम्प्रीहेंसिव नहीं था, हालांकि हमने पहल की थी। लेकिन उसमें कमियां थीं, उन सारी कमियों की यह पूर्ति करता है सेन्ट्रल एक्ट यह ओवर राईडिंग है। इसको ध्यान में रखते हुए, आर्डिनेन्स प्रेसीडेंट ने प्रामुलगेट कर दिया, इसे ध्यान में रखते हुए पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दीपंकर।

(अनुपस्थित)

श्री मीठालाल।

(अनुपस्थित)

श्रीमती निर्मला कुमारी।

विधेयक का जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत। जनमत जानने का है।

श्री उपाध्यक्ष : जनमत जानने का प्रस्ताव है इसमें आपका।

[निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया: "राजस्थान सागड़ी-प्रथा उन्मूलन (निरसन) विधेयक, 1976 का एक माह/एक सप्ताह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये"]

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सागड़ी प्रथा उन्मूलन (संशोधन) विधेयक, 1976 विधान सभा में प्रस्तुत किया गया है उसका मैं स्वागत करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : उन्मूलन ,संशोधन नहीं, उन्मूलन (निरसन) हो गया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : निरसन है।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : सागड़ी प्रथा उन्मूलन बिल, 1976 का मैं स्वागत करती हूं क्योंकि वास्तव में 1961 के कानून का संशोधन है, जैसा मंत्री महोदय ने कहा, कानून जो है, वास्तव में सागड़ी प्रथा को जड़ रूप से उखाड़ नहीं पाया था। यूं कहें हम कि केवल कागज का पृष्ठ मात्र था, जो प्रभावशील नहीं था, केवल कानून पुस्तिका का पृष्ठ होने की वजह से इसकी असफलतायें थीं। यह नया कानून जो है, यह प्रभावशील कदम होगा और पीढ़ियों से जो श्रमिक बन्धक-मजदूर को बेड़ियों से जकड़ा हुआ था उसकी जकड़ को यह बिल कम करेगा—इसका विशेष रूप में महत्व है। जो बन्धक श्रमिक इस कुचक्र में फंसा हुआ था, गरीब, अशिक्षित, और अज्ञानी होता है, खास तौर से अनुसूचित और अनुसूचित जन-जाति का व्यक्ति इस कुचक्र में फंसा हुआ था। साहूकार या कोई भूमिपति आवश्यकता के समय उन्हें थोड़ा नाम मात्र को कर्ज दे देता था, उस कर्ज की वजह से, ऋण भार से वह ऐसा दबा हुआ था, आर्थिक दशा इतनी जटिल थी कि वह व्यक्ति उससे निकल नहीं पाता था। इतना वह अज्ञानी था कि मूलधन से कहीं अधिक ब्याज देने के बाद भी मूलधन वैसा का वैसा बना रहता था। मूलधन वैसा बना रह जाने के कारण कई बार जिन्दगी भर उसे काम करना पड़ा था। डूंगरपुर बांसवाड़ा में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी काम करने के बाद भी बन्धक श्रम कम नहीं हो पाता। बेरहम साहूकार तीस पर्सेंट की दर से ब्याज वसूल करता था। यही कारण था कि एक बन्धक श्रमिक मूक पशु की तरह जीवन पर्यन्त ऋण चक्र में चलता रहता। एक बार कर्ज की घन्टी उसके गले में बंध जाती तो जीवन-पर्यन्त उसके गले में घण्टी बजती रहती। यह बिल विशेष प्रकार का संशोधन प्रस्तुत करता है जिससे कानूना तौर पर इस प्रकार के बन्धक-श्रमिक रखना अपराध होगा। यह बात मैं कह सकती हूं कि इससे वास्तव में गरीब को मुक्ति मिल जायगी।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहती हूं इस संशोधन के बाद कई निहित स्वार्थ के व्यक्ति हैं वह बहुत अधिक परेशान हो जायेंगे, इसलिए प्रशासन और सरकार को सतर्क रहने की आवश्यकता है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस संदर्भ में जुड़ा हुआ है, वह यह है कि सागड़ी प्रथा से जो आपने बंधक मजदूर को मुक्त किया है, उसके पुनर्वास की समस्या का महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने आता है। यद्यपि बन्धक मजदूरी से मुक्त कर दिया, लेकिन अगर पुनर्वास नहीं किया जायगा, सरकार की ओर से कोई विशेष प्रकार से बसाने के लिए प्रावधान नहीं किया जायगा तो और अधिक समस्या पैदा हो सकती है। इसलिए मेरा सुझाव है, मान्यवर, जो सागड़ी प्रथा से बन्धक श्रमिक मुक्त हुए हैं, उन्हें जमीन के आवंटन में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। साथ ही सहकारी समितियों में भी उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि उनका पुनर्वास आसान हो सके। मान्यवर, सागड़ी शब्द को एक बहुत अधिक सतर्कता के साथ समझने की आवश्यकता है। कई बार सागड़ी प्रथा के साथ कोई

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

ऐसा कार्य न जुड़ जाय, समाज में और अधिक परेशानी का वातावरण पैदा न हो जाय। राजस्थान में ग्राम रिवाज यह है कोई व्यक्ति को श्रमिक के रूप में रखते हुए एडवान्स के रूप में कुछ धनराशि दे देते हैं और एडवान्स में दी हुई राशि के आधार पर वह काम करता है। यह डिग्री का फर्क दिखाई देता है। श्रमिक को यदि पांच रुपये, 4·25 रुपये न्यूनतम मजदूरी मिलती है तो ऐसी हालत में वह सागड़ी कभी नहीं है। पर यदि वही व्यक्ति न्यूनतम मजदूरी न देकर रोटी कपड़े के आधार पर काम लेगा तो सागड़ी हो जायगा, अर्थात् यह डिग्री का अन्तर है। इस व्यवस्था के आधार पर कोई कार्य कराये तो वह सागड़ी प्रथा है इन सब बातों को आपके विकास अधिकारी तथा प्रशासक को समझना होगा।

मैं यह भी कहना चाहती हूं, मान्यवर, सागड़ी प्रथा के आधार पर बहुत रिश्वतखोरी का बाजार गर्म हो गया है। ग्रामीण क्षेत्र में जाकर अनावश्यक रूप से लोगों को परेशान करने का धन्धा कई लोगों ने अपना लिया है। यह रोका जाना चाहिये। सही रूप में सागड़ी प्रथा है जिसमें लोग फंसे हुए हैं, बहुत अधिक व्यक्ति इस कुचक्र में फंसे थे, उनका शोषण हुआ है, उनको मुक्त किया जाना चाहिए और अनावश्यक रूप से धांधलियां होती हैं उनकी ओर राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहती थी कि सागड़ी प्रथा समाप्त करना अच्छा कदम है, यह अमानवीय कार्य जो पहले हुआ करते थे उन सबकी पुनरावृत्ति अब समाज में नहीं होगी। जब कानून के आधार पर सती प्रथा खत्म की जा सकती है तो फिर सागड़ी प्रथा क्यों नहीं खतम हो सकती? दोनों शब्दों के उच्चारण में समानता है। सती प्रथा जिंदा व्यक्ति को आग में जलने को बाध्य करती थी, जब कि सागड़ी प्रथा से जिंदा व्यक्ति को तिल तिल कर ऋण की चिता में जलने को बाध्य किया जाता है। सागड़ी समाप्त करने में इस प्रकार यह कानून एक सराहनीय कदम है, और मैं आशा करती हूं कि यदि यह कानून सही रूप से लागू किया गया तो जो पीढ़ियों से बन्धक-श्रमिक थे, वे इन बेड़ियों से मुक्त होंगे, समाज में अच्छा वातावरण होगा। जब समाज में कोई भी परिवर्तन आता है तो जो वर्तमान सामाजिक स्ट्रक्चर है वह उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, उसका विरोध आवश्यक होता है। तो इस प्रकार सामान्य विरोध सुनने में भी आया है। परन्तु मैं मानती हूं कि समय के परिवर्तन के साथ ही साथ समाज का रूप भी बदलेगा और इस प्रकार समाजवादी व्यवस्था में और आज के प्रजातन्त्र के युग में अमानवीय शोषण की पुनरावृत्ति नहीं होगी, इसलिए मैं इस बिल का स्वागत करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुरदयाल सिंह संधु।

(अनुपस्थित)

श्री लूणाराम।

श्री लूणाराम : मैं नहीं बोलना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

(अनुपस्थित)

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन ।

(अनुपस्थित)

श्री केशरीमल ।

विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का संशोधन प्रस्ताव

[निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया

राजस्थान सागड़ी प्रथा उन्मूलन (निरसन) विधेयक, 1976 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जावे। जो अपना प्रतिवेदन तीन दिन/एक सप्ताह/तीन दिन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जायेगी)।]

श्री केशरीमल : उपाध्यक्षजी, इस बिल के बारे में मन्त्रीजी ने यह नहीं कहा कि केन्द्र में कानून पास हो गया। उन्होंने कहा कि केन्द्र में अध्यादेश है। फिर तो सारी मन्शा वैसी की वैसी रह जायगी। जो अध्यादेश केन्द्र में था उसको बिल के रूप में पास करवा कर, वहां पास हो जाता और फिर यहां आता तो अच्छा रहता। आपने जो पढ़ कर सुनाया वह भी अध्यादेश ही है। दूसरा मेरा निवेदन है कि वे लोग, जो किसी को शादी विवाह के समय गुलाम करके रखते हैं, जहां गुलामी की प्रथा है, इसमें शामिल हैं? तीसरी बात ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने पैसा ले लिया है और अभी भी काम कर रहे हैं लेकिन उनको 4 रुपए मिल रहे हैं जब कि दूसरी जगह 6 रुपए मिल रहे हैं तो वह एक सागड़ी प्रथा है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : चित्तौड़गढ़ से आने वाली माननीय सदस्या ने एक प्रश्न उठाया। मेरे ख्याल से यह कानून काफी महत्वपूर्ण है। इसको पहली बार काग्नीजेबल ऑफेंस बनाया गया, नान बेलेबल बना। इसके लागू होने के बाद में जो कुछ रेलिक्स सागड़ी प्रथा के हैं वे भी समाप्त होंगे। वैसे जब भी पूंजीवादी पद्धति काश्तकारी में आई तो सागड़ी प्रथा भी नष्ट होती चली गई, परन्तु अभी भी हमारे यहां रेलिक के रूप में जगह जगह मौजूद है, खासतौर से ट्राइबल एरियाज में, इसके लिए इस बिल के द्वारा व्यवस्था की गई है और इस कानून के बाद मैं आशा करता हूं कि इस प्रथा को आखिरी धक्का लगेगा और यह कलंक समाप्त होगा।

जहां तक इन लोगों के पुनर्वास का सवाल है, हमने जिला विजिलेंस कमेटीज का निर्माण कर दिया है। वह फाइल मेरे यहां से निकल गई है, जल्दी ही सरकार के पास जा रही है और इन कमेटियों का चयन होगा जिनको पुनर्वास के लिए सुझाव देने के लिए तैयार होना चाहिए। इस अध्यादेश के बाद 196 मामले आये जिनमें कइयों ने बन्धक अपने आप मुक्त कर दिये, उन आदमियों को हमें रीहेबिलिटेट कराना है, जमीनें देनी हैं, क्या क्या करना है, इसके लिए सरकार सोच रही है और जिला विजिलेन्स कमेटियां सहयोग दे सकें, उसकी क्रियान्विति हो, ऐसी व्यवस्था हमने की है।

ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया कि केन्द्र में अभी कानून नहीं बना। मेरे ख्याल से अध्यादेश बनते ही वह कानून बन जाता है। क्योंकि अब

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

संसद सेशन में है, यह अध्यादेश संसद में आयगा और कानून के रूप में आकर उसको निकलना चाहिये। संसद में आपके साथी होंगे वे सहयोग देंगे तो यह कानून बन कर हमारे सामने आएगा। हमारे पास जो कानून है वह 1961 का है वह काफी पिछड़ा हुआ है। उससे जैसी हम व्यवस्था करना चाहते हैं वह पूरी नहीं होती। यह कानून सारी कमियों को पूरा करता है। मैं आशा करता हूं कि संसद के अधिवेशन में कानून बनेगा लेकिन अध्यादेश भी लॉ के रूप में है।

दूसरा प्रश्न यहां उठाया गया कि जो दूसरी इस तरह की प्रथायें हैं जैसे शादी में लोन देते हैं, उसको समाप्त करने का प्रावधान इसमें है या नहीं। मैंने जो पढ़कर सुनाया वह कानून काफी काम्प्रीहैंसिव है। उसमें कई प्रकार का फेवर आ जाता है, किस किस तरह के कस्टम्स हैं, उन सबको रद्द करने की कोशिश की है। भारतवर्ष में किस किस तरह की प्रथायें चलती हैं उनके नाम दिए गए हैं :

अदियामार, बारामासिया, बसाह्या, बेंहू, मागेला, चेरूभार, गल्लू-गल्लू, हाली, हारी, हरवाई, होल्या, जाना, जीठा, कामिया, खुंडित-नंदित, कुठिया, लखारी, मुनीही, मात, मुनीश सिस्टम, नित-मजूर, पालेरू, पड़ियाल, पन्नायीलाल, सागड़ी, सांजी, संजावत, सेयक, सेवकिया, सेरी वेटी।

इस तरह की प्रथा जो विभिन्न रूप में जगह जगह प्रचलित है, सारी प्रथाओं को समाप्त किया जाए कानून के जरिए तो यह कानून उस कमी को पूरा करेगा और जिस उद्देश्य के लिए यह कानून बनाया गया है, वह पूरा होगा। सामाजिक चेतना का भी बहुत बड़ा योग है। कानून बनने के बाद हमें अपनी जिम्मेदारी को निपटाना पड़ेगा। इस कानून....

श्री रघुनाथ विश्नोई : बारामासिया जो रेलवे में है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : वह गुजरात में प्रचलित है।

अब मैं निवेदन करता हूं कि इस बिल को पारित किया जाए।

श्री चेतराम : इस बिल के द्वारा आप सागड़ी प्रथा कानून को रिपील कर रहे हैं। लेकिन अब तक जो केसेज इस एक्ट के तहत रजिस्टर हो चुके हैं या कोर्ट्स में चल रहे हैं, उनके लिए क्या प्रावधान होगा और उन केसेज को कैसे डिस्पोज आफ किया जाएगा ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : सेंट्रल लेजिस्लेशन ओवरराइडिंग है। सेक्शन 3 पढ़कर सुनाया कि जो भी वर्तमान लॉ कहीं भी प्रचलित है इस कानून के आने के बाद अपने आप रिपील हो जाएंगे क्योंकि प्रेसीडेंट ने प्रामलगेट किया है।

श्री रामानंद अग्रवाल : किसी भी स्टेट एक्ट के तहत कहीं कई केसेज चल रहे होंगे वे इस कानून के तहत चलेंगे, ऐसा प्रावधान है ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि जो इस सागड़ी प्रथा को रोकने में बाधा हो। उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

मैं इसमें यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें जो प्रोविजन में दिया है—

"The provisions of this Ordinance shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any enactment other than this Ordinance or in any instrument having effect by virtue of an enactment."

श्री उपाध्यक्ष : ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा है ...

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट जो लेजिस्लेशन इस पर ला रही है वह तो सभी को ओवर राइड करेगा। इस एक्ट के जो जनरल प्रोवजन्स हैं और सेक्शन 6 में दिया हुआ है उसके अनुसार सारी पोजीशन क्लीयर हो जाती है। और उसी लेजिस्लेशन के तहत उन केसेज को डील किया जायेगा जो राजस्थान एक्ट में प्रोविजन्स हैं।

श्री चेतराम : उपाध्यक्ष महोदय, जब तक राजस्थान एक्ट में कोई संशोधन पुराने केसेज जो चल रहे हैं उनके बारे नहीं हो जाता तब तक मैं समझता हूं कि पोजीशन क्लीयर नहीं होगी। और वह सभी केसेज इस एक्ट के पास होने के बाद, मैं समझता हूं, समाप्त हो जायेंगे।

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया है कि पार्लियामेन्ट इसके बारे में शीघ्र ही कानून बना रही है उसके बन जाने से वह सभी सागड़ी प्रथा के कानूनों को ओवर राइड करेगा। उस बिल पर प्रेसीडेन्ट की एसेन्ट होगी और एक्ट में क्लीयर प्रोविजन्स भी हैं। इसके अन्दर जो हमारा जनरल क्लाजेज एक्ट है उसके आधार पर सभी केसेज कवर हो जायेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इसके अनुसार तो वास्तव में पोजीशन बहुत ही काम्पलीकेटेड हो जायेगी क्योंकि पुराने कानून को आप रिपील करते हैं तो पुराने केसेज सभी समाप्त हो जायेंगे जो अभी चल रहे है कोर्ट में। तो क्या पुराने केसेज इस नये कानून से गवर्न होंगे? ऐसा इसमें प्रोविजन है क्या? इस प्रकार का ऐसा प्रोविजन अगर नहीं है कि पुराने केसेज को यह नया कानून डील विद कर सकता है तो फिर आप उन पुराने केसेज के गुनाहगारों को अभयदान देना चाहते हैं। क्योंकि पुराने एक्ट के रिपील होते ही उनको तो अभयदान मिल गया। तो इसमें जब तक आप इस प्रकार का संशोधन नहीं करते पुराने केसेज के लिये तब तक आज तक जो मेहनत की गयी है और केसेज चल रहे हैं वह बेकार हो जायेगी।

श्री मोहनलाल छंगाणी : इसमें अभयदान करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। पुराने केसेज 61 के एक्ट के तहत चलेंगे और नये केसेज नये कानून के तहत।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह आप क्या कह रहे हैं? मन्त्री महोदय खुद ही अपने आप को ही कान्ट्रेडिक्ट कैसे कर रहे हैं? जो केसेज 75 में बनाये गये हैं उनके बारे में क्या लीगल पोजीशन रह जाती है?

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, जो भी केसेज चल रहे हैं वह जब पार्लियामेन्ट इसके बारे में कानून ला रही है तो वह अपने आप ही उनसे गाइड हो जावेंगे। वैसे ज्योंही आर्डिनेन्स इश्यू होता है तब वह कानून तो बन ही गया। और पार्लियामेन्ट एक्ट पास कर ही रही है उसके पास होने के बाद अभयदान का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री उपाध्यक्ष : क्या अब आप अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेना चाहते है।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : जी हां।

श्री केशरीमल : जी हां

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि जनमत जानने हेतु और प्रवर समिति को सुपुर्द करने हेतु जो संशोधन प्रस्ताव माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये हैं उन्हें वापिस लेने की स्वीकृति दे दी जाय।

(स्वीकृत)

स्वीकृति प्रदान की गयी।

अब आप वापिस ले लें।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेती हूं।

श्री केशरीमल : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

विधेयक पर विचार एवं पारण

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सागड़ी प्रथा उन्मूलन (निरसन) विधेयक, 1976 को विचारार्थ लिया जाय। क्या सदन की अनुमति है।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सागड़ी प्रथा उन्मूलन (निरसन) विधेयक, 1976 को पारित किया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम राजस्थान सागडी प्रथा उन्मूलन (निरसन) विधेयक, 1976 को पारित करने जा रहे हैं। जहां तक मेरी जानकारी में है सागडी प्रथा के बारे में सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आर्डिनेन्स भी जारी हो चुका है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, सन 75 में जो केसेज सागडी प्रथा के बारे में लोगों के खिलाफ में बनाये गये थे उनकी क्या पोजीशन होगी ? जो केसेज रजिस्टर हो चुके हैं क्या यह कानून, जो हम ला रहे हैं, पुराने केसेज को डील विद कर सकेगा या नहीं। इसमें मुझे सन्देशा है। क्योंकि वह केसेज तो, पुराना राजस्थान का जो कानून सागड़ी प्रथा के बारे में बना हुआ था उसके अनुसार रजिस्टर हुए थे। वह कानून स्टेट का बना हुआ था। अब इस कानून के पास होने के बाद स्टेट में वैसा कोई कानून नहीं रह जाता तो अपने आप ही उन लोगों को अभयदान मिल जाता है। तो मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर इसमें ऐसे प्रोविजन्स नहीं हों तो आप उसमें संशोधन कर लें कि पुराने केसेज जो भी सागडी एक्ट 1961 के तहत रजिस्टर हो चुके हैं वह भी इससे गवर्न होंगे। मेरा मतलब पेन्डिंग केसेज के बारे में हैं। अगर उनके बारे में कोई प्रोविजन्स नहीं हैं तो आप इसमें एमेण्डमेंट ले आवें।

(144)

श्री चेतराम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल के आने के बाद पुराना बिल रिपील हो जाता है तो जो राजस्थान के अन्दर पुराने साल से केसेज चल रहे थे उनकी लीगल पोजीशन क्या रह जाती है? क्या जो सेन्ट्रल एक्ट पहले पास किया था इन्डियन पीनल कोड तथा क्रिमिनल प्रॉसीजर कोड, जब नया एक्ट बनाया गया था उसमें यह था कि जो पुराने केसेज आई. पी. सी. के तहत कोर्ट में चल रहे थे वह एक साल तक कोर्ट में उसी पुराने एक्ट के तहत गवर्न होते रहेंगे और नये केसेज नये इन्डियन पीनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अनुसार चलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई प्रोसीजरल क्वैरी नहीं है। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री चेतराम : उपाध्यक्ष महोदय, उन केसेज की स्थिति के बारे में निवेदन कर रहा हूं कि जो रजिस्टर हो चुके हैं वह किस तरह से फैसल होंगे। इसके लिये मेरा निवेदन है कि जब तक सेन्ट्रल एक्ट नहीं बन जाय तब तक के लिये इसको पेन्डिंग रखा जाय और कोई संशोधन करना हो तो वह आप कर लें। मेरा सुझाव तो यह है कि आप इसे अगले सेशन तक के लिये पेन्डिंग रखें ताकि आगे चल कर कोई काम्प्लीकेशन नहीं हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने और दूसरे माननीय सदस्यों ने जो संशय व्यक्त पुराने केसेज के बारे में किया उसमें कोई चिन्ता करने की बात नहीं। पालियामेंट कानून बना रही है वैसे आर्डिनेन्स जो इश्यू हुआ है वह भी कानून है और सेन्ट्रल एक्ट स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट को ओवर राइड करता है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट के आर्डिनेन्स आने की वजह से यह रिपील एक्ट लाना पड़ रहा है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि इस में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आयेगी। जहां तक पुराने एक्ट का सवाल है जो सन् 61 के एक्ट के तहत दर्ज किये थे उनके लिये हमारे जनरल क्लाजेज एक्ट के अनुसार जो सेन्ट्रल एक्ट का है, फैसल होंगे। इसके लिये कोई दिक्कत, मैं समझता हूं, नहीं आयेगी। हम सागड़ी प्रथा कानून को ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हैं और इसीलिये आर्डिनेन्स जो पालियामेंट लाई है उसके द्वारा पुराने एक्ट को रिपील कर रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय मन्त्री महोदय ने अपने आपको ही कहीं कहीं पर कांट्रेडिक्ट किया है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : पुराने केसेज जो 61 के तहत रजिस्टर हुए हैं वह तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट का आर्डिनेन्स आया हुआ है उससे गवर्न हो जायेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो पुराने एक्ट के तहत केसेज चल रहे हैं उसके लिये।

श्री मोहनलाल छंगाणी : सन् 61 में जो सागड़ी कानून और बाद में जो आर्डिनेन्स लाया गया था उसको······

श्री उपाध्यक्ष : दोनों को ही आप रिपील कर रहे हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : पहले वाले सन् 61 वाले एक्ट को हम रिपील कर रहे हैं। बिल जो हम ला रहे हैं उसको भी रिपील कर रहे हैं। उसी के तहत फैसले होंगे। जो भी इन्टरप्रिटेशन होगा वह हम करेंगे। निश्चित रूप से, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि सागड़ी कानून में जो भी अड़चनें आवेंगी उनको हम दूर करेंगे। इसके इम्प्लीमेन्टेशन में तकलीफ नहीं आवेगी, आवेगी तो जिस समय भी आवश्यक होगा अमेण्डमेंट लावेंगे, सागड़ी प्रथा का उन्मूलन करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सागड़ी प्रथा उन्मूलन (निरसन) विधेयक, 1976 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही दिनांक 20-1-76 के म. पू. 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 6.41 बजे मंगलवार, दिनांक 20 जनवरी, 1976 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

तारांकित प्रश्न संख्या 162 की सूची

LIST OF TEACHERS

No.	Name and place of posting	Scale of pay	Existing pay	
1.	Shri Radhey Shyam Goyal, under consideration with D.E. Bikaner.	225-550	330/-	
2.	Shri Ram Kumar Singh, S.S. Sikandra (Jaipur)	160-360	210/-	On fixed
3.	Shri Ravindra Nath Madan, R.S.S. Adrashnagar, (Jaipur)	160-360	315/-	,,
4.	Shri Harishwar Pd. Chhipa Sec. School, Khwa Raniji (Jaipur)	115-300	230/-	,,
5.	Shri Vishnu Prakash Baraya, H.S.S. Model, (Jaipur)	160-360	230/-	,,
6.	Shri Ramjas Gupta, H.S.S. Model, (Jaipur)	160-360	198/-	,,
7.	Shri Mohan lal Nagpal Kalyan HSS, (Sikar)	160-360	240/-	,,
8.	Shri Niranjan Lal Sharma Sec. School, Saiwar (Jaipur)	160-360	230/-	,,
9.	Shri Sachhinand Shastri H.S.S. Model, (Jaipur)	160-360	250/-	,,
10.	Shri Shivcharan Khuteta P.S. Dhani Goverdhanpura (Phulera)	110-230	145/-	,,
11.	Shri Kashmir Singh UPS, Dyodhi (Sambhar)	110-230	130/-	,,

No.	Name and place of posting	Scale of pay	Existing pay
12.	Shri Sachida Nand Mishra UPS, Bhojpur Kalan (Sambhar)	110-230	140/- On fixed
13.	Shri Nanag Ram Sharma, Sec. School Singod Khurd (JPR)	110-230	140/- ,,
	PRIMARY SCHOOL		
14.	Shri Kamal Pd. Mishra H.S.S. Model, (Jaipur)	110-230	176/- ,,
15.	Shri Kailash Narain Baraya, Sec. School Baghawas (Jaipur)	105-230	105/- ,,
16.	Shri Babulal Sen UPS, Raikapura (Kotputli)	105-230	105/- ,,
	JANTA COLONY		
17.	Shri Govind Lal Chandna UPS, Jobner (Sambhar)	110-230	156/- HR's allowance 10/- plus D.A.
18.	Shri Bhanwarlal Gothwal UPS, Bharawandu (Sikrai)	105-230	105/- plus normal D. A. No other facilities.
	BALGHAR		
19.	Shri Bhanu Prakash Tanwar Bond form not filled up.	110-230	110/- plus D.A.

Page No 148

(148)

परिशिष्ट 2

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

डीग में कन्या शालाओं के भवन

176. श्री करनसिंह (डीग) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कन्या शालाओं के लिए भवनों की डीग में अत्यधिक कमी है और गत 40 वर्षों में कोई भवन निर्माण नहीं हुआ ?

(2) यदि हां, तो क्यों तथा राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) वित्तीय कठिनाइयों से यह सम्भव नहीं हुआ है। जन सहयोग द्वारा ही इसकी पूर्ति का प्रयत्न किया जा रहा है।

निम्बाहेड़ा में भैंसों को गोली मारने का मामला

177. श्री विजयसिंह राठौड़(मांडल): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जनसंघ के भूतपूर्व विधायक एवं निम्बाहेड़ा के भूतपूर्व जागीरदार श्री शिवचरणदास ने जून, 75 में निम्बाहेड़ा के एक खाती की दो भैंसों को गोली मारकर मार दिया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त खाती की सुनवाई करेड़ा के थानेदार ने नहीं की और इसका मुकदमा लेने से मना कर दिया ?

(3) क्या यह मामला काबिल दस्तन्दाजी पुलिस है ?

(4) क्या इस विषय में निम्बाहेड़ा की जनता का एक प्रतिनिधि मण्डल गृह राज्य मंत्री से जून, 75 में मिला था जिसे शीघ्र एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो तत्पश्चात् इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है। दिनांक 22-6-75 को ग्राम निम्बाहेड़ा के एक खाती की दो भैंसों को श्री शिवचरण ठाकुर द्वारा गोली से मार दिया गया था।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां।

(4) जी हां। मामला धारा में स्वयं पुलिस द्वारा मुकदमा नं० 46 दिनांक 20-7-75 धारा 429 आइ० पी० सी० पुलिस थाना करेड़ा दर्ज किया जाकर दिनांक 3-8-75 को मुकदमे का चालान पेश अदालत किया जा चुका है, जो जेर तजवीज है।

तिजारा-खोड़ी मोटर मार्ग का राष्ट्रीयकरण

178. श्री रतीराम यादव (तिजारा): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने गत बजट अधिवेशन में मेरे प्रश्न के उत्तर में अलवर-तिजारा और तिजारा खोड़ी

(श्री रतीराम यादव)

वाया टपूकड़ा मार्ग का राष्ट्रीयकरण करने का आश्वासन दिया था ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि राज्य सरकार ने उपरोक्त मोटर मार्ग के राष्ट्रीयकरण का आदेश प्रसारित करके 20 सितम्बर से उपरोक्त मार्ग पर राज्य पथ परिवहन की गाड़ियां चलाने का आदेश भी दिया था ? यदि हां, तो किस कारण से वह आदेश स्थगित हुआ और किस तारीख को? इसकी प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखने की कृपा करें ।

(3) क्या राज्य सरकार की इस ढिलमिल नीति का राष्ट्रीयकरण के विरोधियों एवं प्राइवेट मोटर ओनर्स को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाने का सबूत माना जाय ? यदि नहीं, तो राज्य सरकार निश्चित तिथि बतलाने की कृपा करें कि अब वह उपरोक्त मार्ग का कब तक राष्ट्रीयकरण कर देगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं । इस मार्ग के राष्ट्रीयकरण की कोई योजना अभी तक प्रकाशित नहीं की गई है ।

(3) प्रश्न नहीं उठता । इस मार्ग के राष्ट्रीयकरण की निगम द्वारा योजना प्रकाशित कर देने व इसका अनुमोदन होने के उपरान्त ही इस मार्ग का राष्ट्रीयकरण सम्भव हो सकेगा ।

राज्य में राजकीय कन्या संस्कृत विद्यालय

179. श्री हनुमान सहाय व्यास (बैराठ) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) निरीक्षक, संस्कृत शिक्षा का पद कब से रिक्त है ? इसे भरे जाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो डी. पी. सी. से इस पद को सरकार कब तक भरने का विचार रखती है ?

(2) महिला वर्ष के सन्दर्भ में संस्कृत विभाग की क्या योजना है जब कि राज्य में एक भी राजकीय कन्या संस्कृत विद्यालय नहीं है ? क्या महिला वर्ष में संस्कृत के प्रसार के लिये कहीं कन्या संस्कृत विद्यालय खोले जाने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो कब तक कायम किये जा सकेंगे ?

(3) संस्कृत शिक्षा सेवा में निरत योग्यता, कार्यकुशलता और प्रशासनिक क्षमता के आधार पर श्रेष्ठता रखने वाली महिलाओं के लिये महिला वर्ष के अवसर पर विशेष प्रोत्साहन देने की क्या सरकार कोई योजना रखती है ? यदि हां, तो क्या ?

(4) राजस्थान विश्वविद्यालय से शास्त्री एवं आचार्य स्तर के कालेजों के शिक्षकों एवं प्राचार्यों के निर्धारित वेतनमान और सरकार द्वारा उन्हें दिये जा रहे वेतनमानों के अन्तर को समाप्त करने का सरकार क्या विचार रखती है ? जब कि शास्त्री एवं आचार्य को बी. एड. और एम. एड. के समतुल्य होने पर भी वेतनमानों की असमानता की स्थिति विडम्बनात्मक है ?

(5) क्या यह सही है कि संस्कृत शिक्षा अधीनस्थ सेवाओं के कुछ राज-पत्रित पदों को नवीन वेतनमान नियम 1969 में संस्कृत

(श्री हनुमान सहाय व्यास)

शिक्षा (स्टेट) सेवा में संवर्गित किये जाने का प्रावधान था ? यदि हां, तो इस संशोधन को अब तक क्यों नहीं किया गया और वह कब तक हो सकेगा ?

उत्तर

(1) यह पद 6-2-72 से रिक्त है। यह मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। इसमें नियमों में संशोधन होना था जिसके बारे में निर्णय लिया जा चुका है, तथा लोक सेवा आयोग की सहमति के लिए भेज दिया गया है। आयोग की स्वीकृति प्राप्त होने पर इसे भर दिया जायेगा।

(2) फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है।

(3) जी नहीं। उल्लेखनीय कार्य करने वालों के गोपनीय प्रतिवेदन में प्रविष्टियां कर दी जाती हैं जिसका लाभ उन्हें पदोन्नति के समय प्राप्त होता है।

(4) यह मामला अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(5) जी हां। राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया जा चुका है तथा इसे लोक सेवा आयोग के पास सहमति हेतु भेज दिया गया है।

जयपुर स्थित ब्रह्मपुरी में आम रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण

180. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर स्थित ब्रह्मपुरी, पुरोहित पाड़ा, राई की बगीची के उत्तरी कम्पाउण्ड वाल के सहारे सरकारी आम रास्ते की भूमि पर किन किन व्यक्तियों ने कब कब अतिक्रमण किया ? सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त बगीची के उत्तरी कम्पाउण्ड वाल के सहारे स्थित सरकारी आम रास्ते की भूमि पर अपने पद के रोब से श्री लायकसिंह ने अनधिकृत कब्जा कर म्युनिसिपल बाईलाज के खिलाफ नगर-परिषद् की बगैर इजाजत अपनी पत्नी श्रीमती शीलादेवी के नाम से तामीरात की है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस अतिक्रमण को हटावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह सही है कि नगरपरिषद्, जयपुर में उक्त निर्माण कार्य को एन्क्रोचमेंट माना है ? यदि हां, तो उक्त एनक्रोचमेंट को कब तक हटा दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर स्थित ब्रह्मपुरी, पुरोहित-वाड़ा, राई की बगीच के कम्पाउण्ड वाल के सहारे सरकारी भूमि पर संलग्न सूची में अंकित व्यक्तियों ने माह अप्रेल, 1972 में नाजायज कब्जे किये हैं।

(2) उक्त बगीची के उत्तरी कम्पाउण्ड वाले के सहारे सरकारी भूमि पर श्रीमती शीलादेवी ने अनधिकृत कब्जा कर तामीर की। अनधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही

(स्वायत्त शासन मन्त्री)

करने हेतु प्रशासक, नगरपरिषद्, जयपुर को आदेश दे दिये हैं।

(3) प्रशासक, नगरपरिषद्, जयपुर ने उक्त निर्माण को अतिक्रमण माना है, और वे इस सम्बन्ध में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही कर रहे हैं।

सूची

ब्रह्मपुरी पुरोहित पाड़ा, राई की बगीची में सरकारी भूमि पर नाजायज कब्जा करने वाले व्यक्तियों की।

1. श्रीमती कमलकुमारी पत्नी श्री जगदीश नारायण
2. ,, पुष्पादेवी पत्नी श्री सी. एल. शर्मा
3. ,, शीलादेवी पत्नि श्री लायकसिंह
4. ,, चन्द्रकान्ता देवी
5. ,, असरफ खां
6. ,, अहमद खां
7. ,, हनुमान
8. ,, सुशीलादेवी
9. ,, मुसरफ खां
10. ,, रामपाल

जयपुर जिले में नये आयुर्वेद औषधालय

181. श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में कितने नये आयुर्वेद औषधालय चालू वित्त वर्ष में खोले गए तथा उनके खोलने का आधार क्या था ?

(2) जयपुर जिले की विभिन्न तहसीलों में अलग-अलग कितने किन-किन गांवों में नए आयुर्वेद औषधालय खोले गए ?

(3) राज्य सरकार का 1976-77 में कितने नए औषधालय खोलने का लक्ष्य है ?

उत्तर

(1) चालू वित्त वर्ष 75-76 में 103 नवीन औषधालय खोले गए हैं। औषधालय खोलने का आधार सामान्यतः वहां की अधिक जनसंख्या, जनता द्वारा निःशुल्क भवन व्यवस्था, उस स्थान एवं स्थान के 8 किलोमीटर की परिधि में अन्य चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न होना है।

(2) जयपुर जिले में चालू वित्त वर्ष में 15 नवीन औषधालय खोले गये हैं। सूची गांव व तहसीलवार संलग्न है।

(3) वर्ष 1976-77 में कोई नवीन औषधालय खोलने का लक्ष्य निर्धारित नहीं है।

जयपुर जिले की विभिन्न तहसीलों में खोले गये नवीन औषधालयों की सूची :-

क्र. सं.	औषधालय का स्थान	तहसील	चिकित्सा पद्धति
1	2	3	4
1.	राज० विधान सभा सचिवालय, जयपुर	जयपुर	आयुर्वेद
2.	भमोरी	जयपुर	,,
3.	बेरी	कोटपूतली	,,
4.	सिगवाड़ा	दौसा	,,
5.	लाहड़ी का बास	दौसा	,,
6.	बोवाड़ी	जमवा रामगढ़	,,

1	2	3	4
7. मण्डोर		फागी	आयुर्वेद
8. बावरड़ू		डूडू	,,
9. बासडी खुर्द		फुलेरा	,,
10. नरेना		फुलेरा	प्राकृतिक
11. ढोढसर		आमेर	आयुर्वेदिक
12. बागावास चौरासी		विराट नगर	,,
13. गुलाब बाड़ा		,,	,,
14. छोकरवाड़ा		सिकराय	,,
15. नोभरना		लालसोट	,,

जयपुर से दिल्ली चलने वाली राज्य परिवहन निगम की बसों का मार्ग

182. श्री गोकुल चन्द (कठूमर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य पथ परिवहन निगम की जयपुर से कोटपूतली, दिल्ली, शाहपुरा एवं अलवर मार्ग पर चलने वाली बसों का मार्ग बदल दिया गया है ? यदि हां, तो किन किन कारणों से ?

(2) क्या यह सही है कि ऐसा करने से निम्न कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं :—

1. यात्री को अधिक समय लगता है,

2. डीजल/पेट्रोल अधिक फुकता है ?

3. दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ी हैं ?

(3) क्या यह सही है कि जयपुर सिटी बस सर्विस पूर्व की भांति उसी मार्ग पर चलती हैं जिस पर दिल्ली-अलवर की बसें चला करती थीं ? यदि हां, तो फिर निगम की यात्री बसों को चांदी की टकसाल से नहीं निकलने देने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी हां, नगर में दुर्घटनाओं से बचने के लिये ऐसा किया गया था। अब पूर्वादेश में आंशिक संशोधन कर देने के कारण बसें पहिले वाले मार्ग पर चला करेंगी।

(2) 1. जी हां, कुछ समय अधिक लगता है।

2. जी हां।

3. जी नहीं।

(3) जी हां, जयपुर सिटी बस सर्विस पूर्व की भांति उसी मार्ग पर चलती है क्योंकि ये बसें नगर सेवा के लिए ही हैं। दुर्घटनाएं रोकने की दृष्टि से मार्ग बदला गया था। कुछ समय पूर्व जयपुर नगर में सिटी बस सर्विस को छोड़कर भारी वाहनों को दिन के समय आने जाने पर रोक लगाई गई थी। परन्तु उक्त आदेश में आंशिक संशोधन कर यात्री बसों को फिलहाल इस प्रतिबन्ध से मुक्त कर दिया गया है

राज्य के बाढ़ पीड़ितों को सहायता

183. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर, जयपुर) : क्या सहाय सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इस वर्ष बाढ़ के कारण राज्य भर में कुल क्या क्या नुकसान हुआ और राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

सहायतार्थ उपलब्ध कराई गई ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) बाढ़ पीड़ितों की सहायता हेतु कितनी धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा दी गई ?

(3) केन्द्र सरकार से राज्य सरकार ने कितने अनुदान या ऋण की मांग की गई और उसमें से कितना स्वीकार किया गया ?

(4) बार बार बाढ़ से होने वाली क्षति को रोकने की दृष्टि से राज्य सरकार ने क्या योजना बनाई है ?

उत्तर

(1) इस वर्ष बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण प्राप्त सूचनाओं के अनुसार 48 आदमी एवं 6340 जानवर मारे गये थे। इसके अतिरिक्त 23589 मकान आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए। 749 सिंचाई कार्य, 113 भू-संरक्षण कार्य, 414 सड़कें, 588 पुलियां को क्षति पहुंची। वन विभाग को 17.32 लाख रुपये की एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के मकानों को 26 लाख रुपये की क्षति पहुंची। जहां तक फसल का नुकसान पहुंचने का प्रश्न है अभी तक जिलाधीशगण से अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त किये जा रहे हैं। बाढ़ सहायतार्थ 35,86,185) रु० की धनराशि आवंटित की गई। सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है। जी नहीं।

(2) व (3) केन्द्रीय सरकार से 1767.40 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध कराने के लिए मांग की गई थी। केन्द्रीय सरकार ने योजना मद के अन्तर्गत 2 करोड़ रु० सड़कों एवं 50 लाख रु० सिंचाई कार्यों के लिए अग्रिम योजना सहायता के रूप में स्वीकार किया है।

(4) नदियों में बाढ़ आने से होने वाली क्षति को रोकने के लिए सिंचाई विभाग द्वारा योजनायें बनाई गई हैं।

विभिन्न जिलों एवं विभागों को बाढ़ सहायतार्थ उपलब्ध की गई धनराशि की सूची

क्रम संख्या 1	नाम जिला / विभाग 2	धनराशि जो आवंटित की गई 3
1	अजमेर	18,75,000
2	अलवर	27,848
3	भरतपुर	2,80,000
4	बूंदी	10,000
5	चूरु	50,000
6	जयपुर	40,000
7	झालावाड़	10,000

(154)

1	2	3
8	जोधपुर	32,950
9	कोटा	2,60,000
10	नागौर	7,95,000
11	सवाई माधोपुर	43,905
12	सीकर	25,000
13	टौंक	10,000
14	उदयपुर	967
15	गंगानगर	1,650
16	नावों का किराया	3,865
17	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	1,00,000
18	पशु पालन विभाग	30,000
	योग	35,86,185

प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के नवीनीकरण की योजना

184. **श्री केदारनाथ** (श्री गंगा-नगर):—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि यूनिसेफ की सहायता से राजस्थान सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के नवीनीकरण की योजना प्रारम्भ की ?

(2) यदि हां, तो उसकी क्या रूप-रेखा है और इस पर अमल कब तक शुरू हो जायेगा।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) यूनिसेफ की सहायता से राजस्थान सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के नवीनीकरण-की योजना हाथ में ली है। इसका शत प्रतिशत व्यय यूनिसेफ देगा। इसका उद्देश्य पिछड़े व कमजोर वर्ग के बालकों के लिये इस प्रकार की शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार करना है जो उनके जीवन से ताल मेल रखता हो तथा उनके लिये व्यावहारिक हों। उपयुक्त पाठ्यक्रम के अभाव में बहुत से बालक बीच में ही पढ़ना छोड़ देते हैं अत: इस प्रयोग के माध्यम से ऐसा लचीला पाठ्यक्रम बनाया जायेगा जो पिछड़े वर्ग के बच्चों की परिस्थितियों के अनुकूल होगा।

इसके लिये बांसवाड़ा, भीलवाड़ा और जोधपुर जिले चुने गये हैं। इनमें जो एस. टी. सी स्कूल हैं वे इस प्रयोग के केन्द्र बिन्दु होंगे। प्रत्येक एस. टी. सी. के साथ दस दस स्कूलों का चयन भी किया जायेगा। इस प्रकार उक्त तीन जिलों के 30 स्कूलों में यह नवीन प्रयोग प्रारम्भ किया जायेगा। इसकी प्रारम्भिक तैयारी एन. सी. ई. आर. टी. की मदद से की जा रही है कार्यकारी, दल की प्रथम बैठक राज्य शिक्षा संस्थान में हो चुकी है तथा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

बन्दूकों के लाइसेन्स

185. श्री अजीतसिंह (टोंक) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राज्य में 1975 में बन्दूकों के कितने लाइसेन्स सस्पेन्ड व कैन्सिल किये गये हैं ? जिलेवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त लाइसेन्स सस्पेन्ड करने के क्या कारण रहे व भविष्य में ऐसी जब्तशुदा बन्दूकों के बारे में राज्य सरकार की क्या योजना है ?

(स्थगित किया गया)

आबू रोड़ नगरपालिका क्षेत्र में कब्जा हटाओ अभियान

186. श्री जेठमल आर्य (रेवदर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आबू रोड़ नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के परिवारों को आवासीय भूखण्ड के लिए पट्टे दिये गये हैं ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सिरोही जिले में आबू रोड़ नगरपालिका ही एक ऐसी नगरपालिका है जिसने 'कब्जा हटाओ' अभियान के अन्तर्गत गरीब लोगों के स्टाल व दुकानें भी हटा दी हैं और उनको अब तक उपयुक्त स्थान नहीं दिया गया है और कुछ धनी-मानी लोगों के छपरे ज्यों के त्यों लगे हुए हैं ? यदि हां, तो विस्तृत विवरण व सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि आबू रोड़ नगरपालिका ने बाजार के चबूतरे तुड़वा कर बहुत अधिक गन्दगी बढ़ा दी है और वापस मरम्मत करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है ? यदि हां, तो कब तक मरम्मत का कार्य पुनः पूरा करवा दिया जावेगा।

उत्तर

(1) जी हां,
सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं,

राष्ट्रीय मार्ग एवं मुख्य बाजार में सरकारी भूमि पर किये गये अतिक्रमणों को ही हटाया गया है। इन हटाये गये केबिन वालों में से अधिकांश को अन्य स्थान पर पुनः स्थापित कर दिया गया है तथा शेष को अन्य स्थान पर बसाने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी नहीं,

सरकारी भूमि पर एवं मुख्य बाजारों में किये गये अतिक्रमणों को स्वयं गृहस्वामियों ने स्वतः ही हटा लिया था। अब पक्की नालियों व डामर की सड़कें बनाने की स्थाई योजना पर तकनीकी राय प्राप्त होते ही कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई)

यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन की सिफारिश

187. श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।—

(1) क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन की सिफारिशों को राजस्थान में लागू किया जावेगा ? यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रगति हुई ?

(2) क्या यह सही है कि यूनिवर्सिटी के अधिकारियों द्वारा लड़कों और पढ़ाने वाले स्टाफ की साधारण गतिविधियों पर भी पाबन्दियां लगाई जा रही हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं, ऐसी कोई जानकारी राज्य सरकार को नहीं है।

बिसलपुर वृहत बहुद्देशीय सहकारी समिति लि० पंचायत समिति, बाली को ऋण

188. श्री बिरदाराम फुलवारिया (जालोर) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि बिसलपुर वृहत् बहुद्देशीय सहकारी समिति लि., पं. स. बाली, जिला पाली को दी पाली सेन्ट्रल कोओपरेटिव बैंक लि., पाली से जून, 1975 में ऋण मिला है ? यदि हां, तो कितनी धनराशि कितने सदस्यों के लिए स्वीकृत हुई थी ?

(2) क्या वह धनराशि उपरोक्त समिति के सदस्यों को वितरित की जा चुकी है यदि हां, तो किस किस को ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। यदि वितरित नहीं की, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त सहकारी समिति के मन्त्री श्री विशनसिंह ने अध्यक्ष के लिखित में मना करने पर भी बाहर के क्षेत्र के सदस्य बनाये और मृतक सदस्यों के नाम का ऋण स्वीकार कराया ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त ऋण के वितरण नहीं होने की बैंक के मुख्य निरीक्षक व सहायक निरीक्षक, ब्रांच फालना के व्यवस्थापक को लिखित में उक्त समिति के अध्यक्ष द्वारा शिकायत की ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई तो क्यों ?

उत्तर

(1) बिसलपुर बृहत बहुउद्देशीय सहकारी समिति लि., को जून, 1975 में 1,68,000) रु० नकद व 2,44,500) रु० जिन्स के, कुल 4,12,500) रु० का ऋण 87 सदस्यों को वितरण हेतु स्वीकृत किया था।

(2) स्वीकृत राशि 1,48,000) रु० 35 सदस्यों को वितरित की जा चुकी है। शेष 20,000) रु० की राशि समिति के तत्कालीन अध्यक्ष श्री गोमाराम ने बिसलपुर संयुक्त कृषि सहकारी समिति में जमा करवादी थी, अत: सदस्यों को वितरित नहीं हो सकी। सूची सदन की मेज पर रखदी है।

(3) इस संबंध में जांच की जा रही है।

(4) शिकायत प्राप्त होने पर जांच की जा रही है। जांच पूर्ण होने पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

उत्तर

विसलपुर वृहत बहुउद्देशीय सहकारी समिति लि० जिला पाली के जिन सदस्यों को वितरण किये गये ऋण की सूची—

क्रमांक	नाम सदस्य
1	2
1.	श्री गोमाराम वल्द पुरखाजी जटिया
2.	श्री मस्साराम वल्द पुरखाजी जटिया
3.	श्री भूराराम वल्द गोमाराम जटिया
4.	श्री घीसाराम वल्द ढढाजी जटिया
5.	श्री बगताराम वल्द बनाजी जटिया
6.	श्री चुन्नीलाल वल्द ढढाजी जटिया
7.	श्री दयाराम वल्द गोमाजी जटिया
8.	श्री बगताराम वल्द उदाजी जटिया
9.	श्री बनाराम वल्द पुरखाजी जटिया
10.	श्री बिशनसिंह वल्द मूलसिंहजी राजपूत
11.	श्री भगवतसिंह वल्द छतरसिंह राजपूत
12.	श्री गंगासिंह वल्द धूलसिंह राजपूत
13.	श्री उम्मेदसिंह वल्द रूपसिंह राजपूत
14.	श्री मुकनसिंह वल्द छतरसिंह राजपूत
15.	श्री मूदाराम वल्द गोमाजी जटिया
16.	श्री किस्तूर वल्द चिमनाजी सरगड़ा
17.	श्री चैनसिंह वल्द मदनसिंह राजपूत
18.	श्री अमरसिंह वल्द मदनसिंह राजपूत
19.	श्री मनोहरसिंह वल्द छतरसिंह राजपूत
20.	श्री हिम्मताराम वल्द चिमनारामजी माली
21.	श्री सांकलाराम वल्द गोमाजी सरगरा
22.	श्री रूपाराम वल्द रताजी सरगरा
23.	श्री मोहनसिंह वल्द बिशनसिंह राजपूत
24.	श्री वरदा वल्द कूपाजी मेघमाल
25.	श्री हेमसिंह वल्द पहाड़सिंह राजपूत

उत्तर

1	2
26.	श्री नारायणसिंह वल्द जालमसिंह राजपूत
27.	श्री चमनाराम वल्द लादाजी थांची
28.	श्री भीखासिंह वल्द मनरूपजी राजपूत
29.	श्री पीरसिंह वल्द भीमाजी रा० राजपूत
30.	श्री भवानीसिंह वल्द भीमसिंह राजपूत
31.	श्री आसूजी वल्द नरलाजी जटिया
32.	श्री मदनलाल वल्द मोतीजी जटिया
33.	श्री कृपाराम वल्द पूनाजी जटिया
34.	श्री तुलसीराम वल्द पूनाजी जटिया
35.	श्री गणेशराम वल्द पूनाजी जटिया

सांचोर-सिलू मार्ग पर बस की व्यवस्था

189. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि सांचोर-सिलू रूट पर अभी तक कोई बस की व्यवस्था नहीं है ? तथा इस रूट पर गोलासण हनुमानजी के स्थान एवं सिलू से आगे धरनीधर प्रसिद्ध तीर्थ स्थान को जाने वाले हजारों यात्रियों के लिये भी कोई बस की व्यवस्था नहीं है ? अगर हां, तो सरकार इस रूट पर यात्री बस चलाने के बारे में क्या शीघ्र कोई व्यवस्था करेगी ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि सांचोर-सरवाना रूट पर दो यात्री बसें अभी हाल में चल रही है ? अगर हां, तो क्या इस रूट को सांचोर से आगे सिलू तक बढ़ाने का शीघ्र निर्णय करेगी ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) सांचोर से सिलू मार्ग पर यात्री वाहन का अनुज्ञापत्र नहीं हैं। इसके लिए कोई आवेदन पत्र भी प्राप्त नहीं हुआ है। इस मार्ग का सर्वेक्षण करवाकर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, जोधपुर क्षेत्र द्वारा निर्णय लिया जावेगा। सर्वेक्षण करवाए जाने के आदेश दे दिये हैं।

(2) सांचोर से सरवाना जाने के लिए सांचोर से मंडली मार्ग पर दैनिक दो बसों को चलाने के लिए यात्रीवाहन अनुज्ञापत्र दिये हुए हैं। सरवाना ग्राम उक्त मार्ग से लगभग तीन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सांचोर से सिलू मार्ग पर बस सेवा के लिए प्रश्न 1 के उत्तर में ऊपर बताये अनुसार सर्वेक्षण करवाकर कार्यवाही की जा रही है।

राजस्थान सरकार के दिल्ली स्थित मकानात

190. श्री राजेन्द्रसिंह (उनियारा): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान सरकार के दिल्ली में स्थित कितने मकानात हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(श्री राजेन्द्रसिंह)

(2) इन मकानातों पर किस किस का कब्जा है और क्या किराया आता है ?

(3) इन मकानातों की क्या कीमत है ?

(स्थगित किया गया)

बकानी से सालपुरा मार्ग पर चलने वाली बसें

191. श्री भैरूंलाल (अकलेरा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि जिला झालावाड़ के बस मार्गों के राष्ट्रीयकरण के पूर्व बकानी से सालपुरा वाया भालता, आसलपुर, घाटोली, अकलेरा मार्ग पर भालता क्षेत्र की जनता की यातायात सुविधा हेतु प्राईवेट मालिकों की रोजाना दो बसें चलती थीं ?

(2) क्या यह भी सच है कि आसलपुर से अकलेरा तक का यह 18 या 19 किलोमीटर मार्ग राष्ट्रीयकृत घोषित कर दिया जाने से प्राइवेट बस मालिकों को बसें चलाने पर राज्य सरकार द्वारा रोक लगादी और राज्य सरकार ने एक भी बस चालू नहीं की है जिसके फलस्वरूप भालता क्षेत्र की जनता के सामने यह भारी यातायात कठिनाई उत्पन्न हो गई है ?

(3) क्या यह सच है कि भालता क्षेत्र की जनता का व्यापारिक, सामाजिक एवं अदालती सम्बन्ध अकलेरा से है जो बसों के बन्द हो जाने के फलस्वरूप विच्छेद सा हो गया है ? यदि हां, तो उक्त कठिनाई को दूर करने के लिए क्या राज्य सरकार शीघ्र ही निगम की बसें चालू करने का विचार रखती है और कब से चालू करदी जायेगी ? यदि नहीं तो क्या इस मार्ग पर प्राईवेट बस मालिकों को अपनी बसें चलाने की छूट देगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

बकानी-सालपुरा मार्ग का कुछ हिस्सा बकानी से सालपुर अराष्ट्रीयकृत मार्ग होने के कारण निगम द्वारा वाहन संचालन किया जाना संभव नहीं हुआ। भालता इसी मार्ग पर स्थित है।

निगम ने भालता क्षेत्र को इकलेरा से जोड़ने के लिए बकानी से भालता के 2 अस्थाई अनुज्ञा-पत्रों हेतु प्रार्थना-पत्र दे रखे हैं। अनुज्ञापत्र मिलते ही निगम द्वारा भालता से इकलेरा के लिए सीधी बस सेवा इसी माह में उपलब्ध करा दी जावेगी।

पंचायत समितियों में विकास अधिकारियों के पद

192. सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समितियों में विकास अधिकारियों के पदों पर एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन आफिसर को लगाया था ? यदि हां, तो उन्हें सरकार ने किन कारणों से हटा दिया है ?

(सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव)

(2) क्या यह सही है कि सरकार अब पंचायत समितियों के विकास अधिकारियों के पदों पर शिक्षा प्रसार अधिकारियों को नियुक्त कर रही है ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

(3) क्या सरकार यह नहीं मानती कि पंचायत समितियों का अधिकतर कार्य कृषि प्रसार है ? यदि हां, तो क्या यह कृषि प्रसार अधिकारियों को ही विकास अधिकारियों के पदों पर नियुक्त करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) विकास अधिकारियों के रिक्त पदों को वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर कृषि प्रसार अधिकारियों व कृषि विभाग से नये आये कृषि अधीनस्थ सेवा के व्यक्तियों से भरने के जो आदेश दि० 1-11-75 को प्रसारित किये गये थे उन्हें आवासीय भूखण्ड आवंटन अभियान को दृष्टिगत रखते हुए स्थगित कर दिया गया था। अब शीघ्र ही सभी रिक्त पद यथोचित प्रणाली से भर दिए जायेंगे।

(2) जी नहीं। कृषि विस्तार योजना वाले जिलों। क्षेत्रों में पहले वरिष्ठ कृषि अधिकारी को वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकारी का पद देकर पंचायत समिति के अन्य कार्यों के लिये पशुपालन प्रसार अधिकारी या, वह न हो तो, शिक्षा प्रसार अधिकारी को विकास अधिकारी लगाने का निर्णय लिया गया था। अब दिनांक 12-1-76 को जारी आदेशों के अनुसार इन जिलों/क्षेत्रों में विकास अधिकारी ही कृषि विस्तार योजना का कार्य भी करेगा अर्थात वरिष्ठ कृषि अधिकारी ही विकास अधिकारी रहेगा।

(3) इसका उत्तर ऊपर आ चुका है। कृषि प्रधान पंचायत समितियों में यथा-संभव कृषि विभाग के या नान कैडर विकास अधिकारी ही लगाये जाते हैं। पशुपालन प्रधान पंचायत समितियों में पशु पालन विभाग से लिये गए अधिकारी विकास अधिकारी लगाये जाते हैं जबकि नान कैडर विकास अधिकारी, जो संख्या में 35 हैं, कहीं भी लगाये जा सकते हैं।

चित्तौड़गढ़ अस्पताल में डाक्टर की नियुक्ति

193. श्रीमती निर्मला कुमारी (चित्तौड़गढ़):—क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या चित्तौड़गढ़ रेफरेल अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति की गयी थी ?

(2) क्या इस समय स्त्री रोग विशेषज्ञ (जुनियर स्पेशिलिस्ट गायनी) की पोस्ट चित्तौड़गढ़ से हटा कर प्रतापगढ़ कर दी गई ?

(3) क्या जिला मुख्यालय पर स्त्री रोग की समस्याएं पैदा नहीं होती हैं ? यदि होती हैं तो चित्तौड़गढ़ की महिलाओं की परेशानी की राज्य सरकार उपेक्षा क्यों कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां।

चिकित्सा मन्त्री

जी नहीं। मूल आदेश प्रतापगढ़ (जिला चित्तौड़गढ़) के लिये ही थे। अतः पोस्ट को चित्तौड़गढ़ से हटा कर प्रतापगढ़ लगाने की बात सही नहीं है।

(2) व (3) प्रतापगढ़ में अलग से महिला—चिकित्सालय होने के कारण तथा आदिवासी क्षेत्र को प्राथमिकता देने की दृष्टि से चित्तौड़ जिले में उक्त पद प्रतापगढ़ के लिये सृजित किया गया है। चित्तौड़ अस्पताल में अन्य विशेषज्ञ की सेवाएं पहिले से ही उपलब्ध है। अत: वहां की उपेक्षा का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

साहू जैन उद्योग समूह को दिया गया कर्जा

194. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) साहू जैन उद्योग समूह को राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा एवं राज्य वित्तीय निगम द्वारा कुल कितना कर्जा दिया गया है? कृपया अलग-अलग सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) साहू जैन उद्योग की जिन-जिन कम्पनियों को यह कर्जा दिया गया है उनकी कुल पेड अप केपिटल कितनी है और उनकी आखिरी बैलेन्स शीट के अनुसार देनदारियां कितनी हैं?

(3) जयपुर उद्योग में राज्य सरकार एवं विभिन्न फाइनेन्शियल कारपोरेशन की कुल कितनी रकम बकाया है? जयपुर उद्योग ने पिछले तीन वर्षों में कुल कितना लाभ बताया है? इस संस्थान की पेडअप केपिटल कितनी है और देनदारियां कितनी हैं?

(4) जयपुर उद्योग में राज्य सरकार व विभिन्न फाइनेन्शियल कारपोरेशन की कितनी बकाया रकम पिछले वर्ष से बकाया चली आ रही है और ये रकमें जयपुर उद्योग द्वारा राज्य सरकार को कब से देय हैं?

(5) साहू जैन समूह को ब्यावर सीमेंट प्लांट पर राज्य सरकार एवं विभिन्न फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन्स् द्वारा कुल कितना कर्जा दे दिया गया है? सीमेन्ट प्लान्ट की क्या प्रगति है?

(6) राजस्थान वित्त निगम द्वारा साहू जैन समूह को जो कर्जा दिया गया है उसका किस प्रकार उपयोग किया गया?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा साहू जैन समूह को कोई ऋण नहीं दिया गया है। राज० वित्त निगम द्वारा दिनांक 7-6-69 को 20-00 लाख रुपये का ऋण दिया गया था।

(2) साहू जैन समूह की मेसर्स रोहताश इन्डस्ट्री लि० की कुल प्रदत्त अंश पूंजी दिनांक 31-3-1975 को 6,04,77,970 रु० थी और उनकी आखिरी बेलेन्स शीट के अनुसार दिनांक 31-3-1975 को 17,46,12,998 रु० की देनदारियां थीं।

(3) जयपुर उद्योग में राज्य सरकार का 31-66 लाख रुपया का ऋण मय व्याज सहित बकाया है एवं राजस्थान वित्त

(उद्योग मन्त्री)

निगम का रु० 7,20,738-06 रु० बकाया है। जयपुर उद्योग लि० ने विगत तीन वर्षों में जो नुक्सान बताया है वह इस प्रकार है :—

1971-72 (15 माह)	(—) 79-33 लाख
1972-73	(—) 89-60 ,,
1983-74	(—) 294-42 ,,

इस संस्थान की पेड-अप केपीटल आखरी बैलेन्स शीट के अनुसार 30 जून, 1974 को को 3,75,00000 रु० थी और इसी तारीख को देनदारियां 9 करोड़ 12 लाख 57 हजार 723 रुपया थी।

(4) राज्य सरकार का 15.83 लाख रुपया दिनांक 31-3-74 से एवं 15-83 लाख रुपया 31-3-75 से बकाया है। वित्त निगम का रु० 7,20,738-06 मास सितम्बर, 75 से बकाया है।

(5) साहू जैन समूह को ब्यावर में सीमेंट प्लांट लगाने हेतु राज्य सरकार एवं वित्त निगम द्वारा किसी प्रकार का ऋण नहीं दिया गया है।

(6) साहू जैन समूह के मैसर्स रोहतास इण्डस्ट्रीज लि० को जिस कार्य के लिए ऋण दिया गया है उसी लिए उपयोग में लाया गया है।

धनावद ग्राम (खानपुर) में सड़क बनाने का कार्य

195. श्री गौरीशंकर (खानपुर) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि क्रैस प्रोग्राम के तहत सड़कों के जो काम कराये गये थे वे हजारों रुपये खर्च होने पर भी समय पर पूरे नहीं हुए तथा कार्य अधूरे छोड़ दिये गये है? यदि हां, तो क्या सरकार का इन कामों को पूरा कराने का इरादा है ? और यदि है तो कब तक ?

(2) क्या यह सही है कि खानपुर निर्वाचन क्षेत्र के धनावद ग्राम जिसकी आबादी लगभग तीन हजार है तथा जो मेन सड़क के एक मील की दूरी पर है में क्रैस प्रोग्राम के अंतर्गत पक्की सड़क बनाने का काम शुरू किया गया था का कार्य छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो अब यह कार्य कब तक पूरा कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। क्रैस प्रोग्राम के तहत सड़कों के जो काम कराये गये थे उनमें से कुछ कार्य अधूरे रह गये हैं उन्हे सहायता मद से पूरा कराने के लिए जिलाधीशों को निर्देश प्रसारित कर दिए गये हैं।

(2) खानपुर निर्वाचन क्षेत्र के धनावाद ग्राम के पास सड़क बनाने का काम क्रैश योजनान्तर्गत चालू नहीं किया था बल्कि अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत किया गया था।

Page No 163

(163)

परिशिष्ट 3

अतारांकित प्रश्न संख्या 72 की सूची

बाड़मेर जिले के निम्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उपकेन्द्रों की सूची:—

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	रिक्त पद	उपकेन्द्र
(1) समदड़ी	(1) स्वास्थ्य निरीक्षक	(1) रमानिया
(2) गुगा	(1) सी० ए० एस०	(2) सन्डाघ
	(2) स्वास्थ्य निरीक्षक	(3) पादरु
(3) रामसर	(1) सी० ए० एस०	(4) भियाड़
	(2) ड्राईवर	(5) दयो
(4) गुड़ामालानी	(1) सी० ए० एस०	(6) गड़रा
	(2) कम्पाउन्डर	(7) सिवांनी
	(3) स्वास्थ्य निरीक्षक	(8) रानी गांव
	(4) ए० एन० एम०	(9) सनावर
(5) माण्डोली	(1) स्वास्थ्य निरीक्षक	(10) धोरी मना
(6) बायतू	(1) सी० ए० एस०	(11) भूनिया
(7) सिन्दरी	(1) सी० ए० एस०	(12) अगेला
	(2) कम्पाउन्डर	(13) कल्याणपुरा
(8) चोहटन	(1) ए० एन० एम०	(14) कानेरा
		(15) पठोड़ी (पटोड़ी)
		(16) कयास
		(17) वटाड़ा
		(18) गीड़ा
		(19) ध्यालाकलो
		(20) रावतसर
		(21) नोखड़ा
		(22) बेदूसर
		(23) बाघसर
		(24) सेड़वा

Page No 164

(164)

परिशिष्ट 4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 78 की सूची)

लालसोट तहसील के माध्यमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों का छात्रवार एवं अध्यापकवार विवरण

क.सं.	नाम विद्यालय	छात्र संख्या प्राथमिक	मिडिल	मापदण्ड के अनुसार स्टाफ जो होना चाहिये	कार्यरत स्टाफ
1.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, लालसोट	कुल 429		23	22
2.	रा० मा० वि०, मण्डावरी	कुल 315		11	12
3.	रा०मा०वि०, रामगढ़ पचवारा	कुल 310		11	11
4.	रा० उ० मा० वि०, राहूवास	127	62	7	7
5.	उ० प्रा० वि०, डीडवाना	362	132	15	15
6.	उ० प्रा० वि०, कल्लावास	133	90	8	7
7.	उ० प्रा० वि०, दौलतपुरा	91	36	6	7
8.	उ० प्रा० वि०, किलोनाकलां	114	58	7	8
9.	उ० प्रा० वि०, सवाड़ा	74	58	6	8
10.	उ० प्रा० वि०, राणोली	141	51	8	9
11.	उ० प्रा० वि०, निधरना	172	36	8	8
12.	उ० प्रा० वि०, बेसिक लालसोट	338	119	16	16
13.	उ० प्रा० वि०, डूंगरपुर	125	45	7	7
14.	उ० प्रा० वि०, चोरपाडा	275	73	11	10
15.	उ० प्रा० वि०, जटवा	76	54	6	8
16.	उ० प्रा० वि०, देवली	85	35	6	5
17.	उ० प्रा० वि०, निडोली	160	78	8	7
18.	उ० प्रा० वि०, सूरजपुरा	174	70	9	7
19.	उ० प्रा० वि०, तलावगांव	114	48	7	6

Page No 165

165

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 80 की सूची)

नाम पंचायत समिति	नाम जिन ग्राम पंचायत के पास निजी पंचायत भवन हैं	नाम जिन ग्राम पंचायतों के पास निजी भवन नहीं है
1	2	3
चाकसू	1. कोथून	1. कुम्हारियावास
	2. मडालिया मेंदा	2. शिवदासपुरा
	3. शूल्डावासी	3. वाडा मधुसूदनपुरा
	4. कोटखावदा	4. माधावाला
	5. ठिकरियामीनान	5. करेडा खुर्द
	6. महादेवपुरा	6. तितरिया
	7. छादेल	7. सूरजपुरा
	8. निमोडिया	8. कादेडा
	9. चन्दलाई	9. टूमली का बास
	10. थली	10. सवाई माधोसिंहपुरा
	11. ताम्डिया	11. शंकर खावदा
	12. रामनगर	12. भावांडिया
		13. नरपतिपुरा
		14. रूपाहेडी खुर्द मय बापूगांव
		15. बधांविया
		16. राडोली
		17. रूपाहेडीकलां
		18. खेडा रानीवास
		19. भापदा कलां
		20. ठिकरिया गुजरान
		21. अजयराजपुरा उर्फ दल्लावाला
फागी	1. फागी	1. सिडवला
	2. चकवाडा	2. दोसरा
	3. चाक	3. माकरोटा

Page No 166

(166)

1	2	3
फागी	4. मदवास	4. लसाडियां
	5. निमेड़ा	5. महोब्बतपुरा
	6. किशोरपुरा	6. चितोड़ा
	7. नारेड़ा	7. पहाड़िया
	8. माधोराजपुरा	8. हुरसूलिया
	9. पीपला	9. मान्दी
	10. रेनवाल	10. परबण
	11. गोहन्दी	11. मण्डावरी
	12. कासेल	12. लदाना
	13. झाबला	13. बाबिच
	14. चान्दमा	14. भण्डोर
		15. पवाला

———